लोक सभा वाद-विवाद

हिन्दी संस्करण

(चौदहवां सत्र)

7th Lok Sabha

(खंड 48 में अंक 41 से 52 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली ।

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 48, गुरुवार, 3 मई, 1984/13 वैशाख, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 905, 909, 910, 912, 914, 916, 917 और 919	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	22—225
तारांकित प्रश्न संख्या : 906 से 908, 911, 913, 915, 918, 920 से 925	22—34
अतारांकित प्रश्न संख्या : 9596 से 9752, 9754 से 9797 और 9799 से 9826	34—223
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	226—233
राज्य सभा से संदेश	234
नियम 377 के अधीन मामले	234—240
(एक) यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि नीलांचल एक्सप्रेस रेलगाड़ी ठीक समय पर तथा प्रतिदिन चले **श्री अर्जुन सेठी**	234—235
(दो) आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी० तथा आर० एल० ई० जी० पी० योजनाओं को विदिशा संसदीय चुनाव क्षेत्र में बुधुरी तहसील के अमीन गांव में आरम्भ करने की आवश्यकता **श्री प्रताप भानु शर्मा**	235
(तीन) केरल में कुरियाकुट्टी-कारप्पारा बहुप्रयोजनीय परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने की आवश्यकता **श्री वी० एस० विजयराघवन**	235—236
(चार) बिहार में फारबिसगंज हवाई अड्डे की भूमि का समुचित उपयोग करने की आवश्यकता **श्री डूमर लाल बैठा**	236—237

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

(पांच) कार्क उद्योग को बंद होने से बचाने के लिए इसके कच्चे माल पर सीमा शुल्क और घटाने की आवश्यकता **श्री मनीराम बागड़ी**	237
(छ:) निर्माण और आवास मंत्रालय के लोधी रोड स्थित बैरकों को नागर विमानन विभाग से लेने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की आवश्यकता **श्री भीखा भाई**	237—238
(सात) आवड़ी (मद्रास) स्थित आयुध वस्त्र कारखाने के कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने की आवश्यकता **डा० ए० कलानिधि**	238
(आठ) रेशम उद्योग को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता **श्री ईरा अनबारासु**	239
(नौ) देश में वनस्पति तेलों का उत्पादन बढ़ाने तथा समुचित अनुसंधान करने के प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता **श्री टी० एस० नेगी**	239
(दस) पूर्वी चम्पारन जिले (बिहार) की तीन चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को गन्ने के मूल्यों की बकाया राशियों का भुगतान न किया जाना **श्री कमला मिश्र मधुकर**	239—240
(ग्यारह) सैनिक स्कूल कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन को चौथे वेतन आयोग द्वारा स्वीकार न किया जाना **श्री अजित बाग**	240
कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक	241—262
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री राजेश कुमार सिंह	241
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	243
श्री राम विलास पासवान	245
श्री गिरधारी लाल व्यास	246
श्री रामावतार शास्त्री	248
श्री हरिकेश बहादुर	251
श्री एस० टी० के० जक्कायन	254
श्री चित्त बसु	256
श्री वीरेन्द्र पाटिल	258

विषय	पृष्ठ

पास करने का प्रस्ताव

श्री वीरेन्द्र पाटिल 258

संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक 263—308

अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक 263—308

संघ उत्पाद-शुल्क (विद्युत) वितरण (संशोधन) विधेयक 263—308

और

सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक 263—308

विचार करने का प्रस्ताव

श्री एस० एम० कृष्ण 263

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती 264

श्री राजेश कुमार सिंह 273

श्री गिरधारी लाल व्यास 275

प्रो० अजित कुमार मेहता 279

श्री पी० नामग्याल 283

श्री टी० एस० नेगी 286

श्री चित्त बसु 288

श्री रामावतार शास्त्री 292

श्री अब्दुल रशीद काबुली 294

श्री एस० टी० के० जक्कायन 299

संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक 308—309

खंड वार विचार

पास करने का प्रस्ताव

श्री एस० एम० कृष्ण

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक 309—310

खंडवार विचार

पास करने का प्रस्ताव

श्री एस० एम० कृष्ण

संघ उत्पाद शुल्क (विद्युत) वितरण (संशोधन) विधेयक 310—311

खंड वार विचार

पास करने का प्रस्ताव

श्री एस० एम० कृष्ण

सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक 311—312

खंड वार विचार

पास करने का प्रस्ताव

श्री एस० एम० कृष्ण

3 मई, 1984 को सुरेन्द्र नगर-बांकानेर सेक्शन पर रेल फाटक पर हुई दुर्घटना के बारे में वक्तव्य 312—313

श्री ए० बी० गनी खान चौधरी

पंजाब राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक 313—329

विचार करने का प्रस्ताव

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या 313

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती 314

श्री जगपाल सिंह 317

प्रो० अजित कुमार मेहता 319

श्री रामावतार शास्त्री 322

श्री अशफाक हुसैन 323

श्री अब्दुल रशीद काबुली 324

खंडवार विचार 328—329

पास करने का प्रस्ताव

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या

सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई 329

लोक सभा

गुरुवार, 3 मई, 1984/13 वैशाख 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

इण्डियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद में हड़ताल

*905. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनवाद के पेट्रोलियम टैक्नालाजी सैक्शन के 90 छात्र 29 मार्च, 1984 से हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हां, तो इस हड़ताल के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क), से (ग) भारतीय खान स्कूल, धनबाद के प्रथम, द्वितीय और पूर्व-अन्तिम वर्ष के बी० टैक पेट्रोलियम इंजीनियरी के कुल 79 छात्र 29 मार्च, 1984 से हड़ताल पर थे। हड़ताल का कारण उनके मन में यह डर था कि ओ० एन० जी० सी० की भर्ती नीति में हाल में किए गए परिवर्तन से उक्त संगठन में उनके शत-प्रतिशत समावेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसका समाधान खोजने के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धितों के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। छात्रों द्वारा हड़ताज 29 अप्रैल, 1984 से समाप्त कर दी गई है।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, इण्डियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद खानों तथा तेल की ड्रिलिंग के सम्बन्ध में शिक्षा देने वाली हिन्दुस्तान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो 1957 से हमारे देश की लगातार सेवा करती आ रही है। इसमें 29 मार्च से 29 अप्रैल, 1984 तक जो एक महीने की हड़ताल हुई, वैसी ही हड़ताल 1972 में भी हुई थी। उन दिनों इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए राज्य सभा में काफी विस्तार के साथ विचार-विमर्श हुआ था तथा कुछ सिद्धान्त निर्धारित किए गए थे परन्तु अब उन सिद्धान्तों को तोड़ा जा रहा है। इसलिए मैं कुछ उद्धरण सुनाते हुए आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं।

मैं थोड़ा सा उद्धरण सुना करके फिर अपना सवाल बाद में पूछूंगा :

"पेट्रोलियम इंजीनियरी स्नातकों की भर्ती में अनिश्चितता के कारण, गृह पेट्रोलियम तथा रसायन, और शिक्षा मन्त्रालयों तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अध्यक्ष और आई० एस० एम० के प्रतिनिधियों की एक अन्त:मन्त्रालय बैठक 8-2-71 को हुई थी, जिसमें यह निर्णय किया गया था कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग सभी पेट्रोलियम इंजीनियरी स्नातकों को भरती करेगा। मई, 1972 में, तत्कालीन पेट्रोलियम मन्त्री महोदय श्री एच० आर० गोस्वामी ने संसद के दोनों सदनों में फिर यह आश्वासन दिया था कि इंडियन स्कूल आफ माइन्स के सभी पेट्रोलियम इंजीनियरी स्नातकों को स्नातक शिक्षा पूर्ण कर लेने पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में भरती कर लिया जाएगा। इस अन्त:मन्त्रालय बैठक में किए गए निर्णय को योजना आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी।"

अब यह स्थिति 1983 तक रही…

अध्यक्ष महोदय : आपने जो पढ़ा है उससे तो ऐसा लगता है कि यह प्रश्न पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को जाना चाहिए था।

श्री रामावतार शास्त्री : अब भी उनके ऊपर ट्रांसफर कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : असल में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को करना चाहिए।

श्री मनीराम बागड़ी : कायदे से यह पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यही मैं भी सोचता हूं। हम इसे स्थगित कर सकते हैं।

श्री रामविलास पासवान : इसे मंगलवार के लिए स्थगित कर दीजिए।

श्रीमती शीला कौल : धन्यवाद।

श्री सतीश अग्रवाल : शास्त्री जी, आप रहेंगे क्या मंगल को ?

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, 8 तारीख को मैं नहीं रहूंगा इसलिए 9 तारीख को कर दीजिए। नहीं तो 7 तारीख को कर दीजिए। 8 तारीख को मुझे बड़ा जरूरी पारिवारिक काम है, अन्यथा मैं नहीं जाता।

श्री सतीश अग्रवाल : पटना में ऐसा हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सार्वजनिक है इस पर आधे घण्टे की चर्चा कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं एडमिट कर सकता हूं लेकिन मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकता। चुनाव करने के मामले में आपकी सहायता नहीं कर सकता।

श्री रामावतार शास्त्री : आज के अलावा कोई दिन कर लीजिए।

श्री सतीश अग्रवाल : 8 तारीख के अलावा उनका क्वेश्चन डे नहीं है तो कैसे होगा ?

अध्यक्ष महोदय : थोड़ा बहुत देख लेते हैं, बाकी फिर देख लेंगे । जितना आपको ठीक लगे उतना बता दीजिए मन्त्री जी, बाकी उनसे पूछ लेंगे ।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, जो जैसे उद्धरण पढ़कर सुनाया उसके मुताबिक जितने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते थे उनको सर्विस जरूर मिल जाती थी। 1983 तक यही स्थिति रही। लेकिन अब ओ० एन० जी० सी० को इस नियम में परिवर्तन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई जिसकी वजह से इतने स्नातकों को बेकार का जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा ?

श्रीमती शीला कौल : मान्यवर, खुद ही कह रहे हैं कि ओ० एन० जी० सी० को क्या जरूरत पड़ गई ? तो मैं क्या जबाव दूं इसका ?

श्री रामावतार शास्त्री : जवाब में इनके खुद है कि हड़ताल का कारण उनके मन में यह डर था कि ओ० एन० जी० सी० की भर्ती नीति में हाल में किए गए परिवर्तन से उक्त संगठन में उनके शत-प्रतिशत समावेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है । यह आपने खुद जबाव दिया । इसीलिए मैंने पूछा । अगर यह जबाव नहीं देते तो शायद मैं यह नहीं पूछता ।

श्री रामावतार शास्त्री : क्या यह बात सच है कि केवल 30 पेट्रोलियम इंजीनियरिंग स्नातकों को ही नौकरी देने का सवाल अभी दरपेश है, जबकि ओ० एन० जी० सी० में रिक्तियों की संख्या 100 से अधिक है ? यदि यह बात सत्य है तो सभी स्नातकों को समाहित करने में ओ० एन० जी० सी० में क्या कठिनाई है ?

श्रीमती शीला कौल : ओ० एन० जी० सी० की नौकरी हमारी एजूकेशन डिपार्टमैंट में नहीं हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इसका कोई और निराकरण बाद में करेंगे ।...(**व्यवधान**) निराकरण तो हो गया था लेकिन आप 8 तारीख को यहां हैं नहीं । इसके लिए और कोई तरकीब तलाश करेंगे ।

श्री समर मुखर्जी : क्या आप पेट्रोलियम मन्त्रालय से बात करेंगे और यह देखेंगे कि उन सभी को नियमित सेवा में रख लिया जाए क्योंकि अपने पहले निर्णय को मानने के लिए वे बाध्य हैं ?

श्री जगदीश टाइटलर : चूंकि वह एक तकनीकी कालेज का उल्लेख कर रहे हैं तो क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : टैक्नीकल में रखेंगे । बाद में देखेंगे ।

देश में शराब की खपत में वृद्धि

*909. **श्री के मालन्ना :**
श्री ए० के० राय :

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर अभी भी नशाबन्दी लागू है;

(ख) क्या देश भर में शराब की खपत में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) (क) गुजरात।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 12 राज्यों में प्रति व्यक्ति शराब की खपत में वृद्धि होने का पता चलता है और तीन राज्यों में इस खपत के घटने का पता चलता है। शेष सात राज्यों में शराब की खपत में कोई विशेष घट-बढ़ नहीं हुई है। इन तीनों वर्ग के राज्यों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

प्रति व्यक्ति शराब की खपत में बदलती हुई प्रवृत्ति

वृद्धि	कमी	अपरिवर्तित
1. आंध्र प्रदेश	1. केरल	1. असम
2. बिहार	2. मेघालय	2. गुजरात
3. हरियाणा	3. कर्नाटक	3. हिमाचल प्रदेश
4. जम्मू एवं कश्मीर		4. नागालैंड
5. मध्य प्रदेश		5. उड़ीसा
6. महाराष्ट्र		6. पंजाब
7. मणिपुर		7. सिक्किम
8. राजस्थान		
9. तमिलनाडु		
10. त्रिपुरा		
11. उत्तर प्रदेश		
12. पश्चिम बंगाल		

श्री ए० के० राय : गांधी जी ने आदर्श स्वराज की जो कल्पना की थी, उसमें नशाबंदी को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। मैं नहीं समझ पाता कि उन कार्यालयों में जहां गांधी जी का चित्र टंगा हुआ होता है वहां शराब की नीलामी कैसे होती है। बिहार में कुछ युवकों ने गांधी जी का चित्र रखने वाली शराब की दुकानों को लाइसेंस दिये जाने पर आपत्ति की थी और उसका परिणाम यह हुआ कि आखिरकार उनके दबाव से गांधी जी के चित्रों को हटा देना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय : शराब नहीं हटाई गई।

श्री ए० के० राय : यह बड़े दुःख की बात है कि गांधी जी की कसमें खाने वाली सरकार एक ऐसी छवि प्रस्तुत करती है जहां 12 राज्यों में शराब की खपत में वृद्धि हो रही है और तीन राज्यों में इसमें कमी हो रही है। मुझे मालूम है कि समिति निर्देशक सिद्धांतों को कानून के जरियें नहीं लागू किया जा सकता। नीति निर्देशक सिद्धांत 47 इस प्रकार है :—

"राज्य अपने लोगों के अहार पुष्टि-तल और जीवन-स्तर को ऊंचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से मानेगा तथा विशेषतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीयप्रयोजनों से अतिरिक्त उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।"

क्या इससे हमें यह निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए कि अधिकांश राज्य और भारत सरकार संविधान के प्रतिकूल चल रहे हैं? नीति निदेशक सिद्धान्तों को न्यायालय द्वारा अथवा संसद द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं कराया जा सकता, परन्तु नीति निदेशक सिद्धान्तों के विरुद्ध जाना तो संसद द्वारा रोका ही जाना चाहिए। भारत तथा सभी राज्यों को हम किस तरह से उस रास्ते पर ला सकते हैं जिस ओर नीति निदेशक सिद्धान्त राष्ट्र को ले जाना चाहते हैं?

श्री पी० के० थुंगन : भारतीय सदस्य द्वारा शराब के विरुद्ध व्यक्त की गई भावनाओं से मैं पूरी तरह सहमत हूं। परन्तु माननीय सदस्य ने स्वयं ही नीति निर्देशक सिद्धान्तों के बारे में बताया है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अनुसूची सात की मद संख्या 8 के अधीन यह विषय राज्यों का है और जहां तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है, मद्य निषेध नीति में कोई ढील नहीं दी गई है। भारतीय सदस्य हमसे पूछ सकते हैं कि हम क्या कदम उठा रहे हैं। उन कदमों के बारे में, मैं बताना चाहूंगा। हमारे यहां राष्ट्रीय स्तर पर एक केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति है, जिसमें राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के मद्यनिषेध के प्रभारी मंत्रीगण भी सदस्य हैं और उस समिति में जो भी सुझाव या सिफारिशें की जाती हैं उन्हें कार्यान्वयन के लिए सम्बन्धित राज्यों को भेज दिया जाता है। केन्द्र ने राज्यों को उस हानि की 50 प्रतिशत क्षतिपूर्ति देने की भी पेशकश की है जो मद्यनिषेध नीति के लागू करने के कारण उनके राजस्व में होगी।

इसके साथ-साथ जिस बात पर मैं जोर देना चाहता हूं वह यह है कि शराब पीने को केवल कानून बनाकर ही नहीं रोका जा सकता बल्कि लोगों के दिल और दिमाग में शराब पीने

की बुराइयों के प्रति चेतना भी जाग्रत करनी होगी और इस बात को ध्यान में रखते हुए, हमने अर्थात समाज कल्याण मंत्रालय ने कुछ योजनाएं बनाई हैं जिनमें टेलीवीजन और रेडियो के माध्यम से हर सम्भव प्रचार किया जा रहा है। हमने भी बुराइयों के विषय में निबंध प्रतियोगिताएं चालू करने की भी एक योजना विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए शराब पीनी बनाई है। इस प्रकार से हम शराब पीने की बुराइयों के लिए प्रति लोगों में जाग्रति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा इस दिशा में एक टी० बी० नाटक प्रतियोगिता शुरू करने का भी एक प्रस्ताव है।

श्री ए० के० राय : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार संविधान की संरक्षक है और यदि कोई राज्य सरकार संविधान का या नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन करती है तो क्या केन्द्रीय सरकार को इस प्रवृति को रोकने की कोई जिम्मेदारी नहीं है? आज के समाचार पत्र में, हमने पढ़ा है कि लगभग 1 लाख बोतलें प्रतिदिन शराब की खपत होती हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है। निबंध प्रतियोगिता तथा दूरदर्शन के माध्यम से दिये गये उसके निर्देशों का क्या परिणाम रहा है। यह समय स्टाक अधिग्रहण का है। इससे संविधान के अनुच्छेद 46 का भी उल्लंघन होता है जिसमें आदिवासी लोगों की आर्थिक एवं शैक्षणिक प्रगति के बारे में बताया गया है। क्या आपने आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, खानों में काम करने वालों तथा सभी किस्म के कामगारों के बारे में पर्याप्त सावधानी बरती है। क्या उनके शराब पीने की आदत को रोकने के उपाय किये गये हैं? क्या आपने केन्द्रीय मधनिषेध समिति के निदेशों के अधीन कोई निगरानी संस्था बनाई हुई है? क्या आपको इसके बारे में कोई अन्दाजा है कि आदिवासी इलाकों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में, विशेष संघटक (स्पेशल कम्पोनेन्ट) क्षेत्रों में तथा खान क्षेत्रों आदि में शराब की कितनी खपत होती है? क्या आप किये गये उपायों तथा उनसे प्राप्त परिणामों के बारे में कुछ बता सकते हैं?

श्री पी० के० थुंगन : जहां तक माननीय सदस्य के पूरक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, मैं बता चुका हूं कि केन्द्र मद्यनिषेध लागू करने के लिए राज्य सरकारों को क्या-क्या सलाह दे रही है। इसलिए, मैं इसे दोहराना नहीं चाहता। मैं तो केवल यह बताना चाहता हूं कि हम संविधान के उपबंधों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। हमारा यह प्रयास रहा है कि संविधान में दिये गये उपबन्धों का पालन हो।

प्रो० मधु दण्डवते : लोग संविधान के स्वास्थ्य अथवा इसकी रक्षा के लिए मदिरापान करते हैं।

श्री पी० के० थुंगन : माननीय सदस्य ने दिल्ली के बारे में पूछा है। जहां तक हमारी नीति एवं प्रयासों का सम्बन्ध है, जैसा कि मैं बता ही चुका हूं, जो मार्गदर्शी सिद्धान्त और निदेश राज्य सरकारों को भेजे जाते हैं, वही दिल्ली प्रशासन को भेजे जाते हैं।

श्री जगदीश टाइटलर : वे दिल्ली को आदेश दे सकते हैं क्योंकि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है।

श्री पी० के० थुंगन : आप इसे आदेश मान सकते हैं।

श्री ए० के० राय : क्या दिल्ली में मदिरापान बढ़ रहा है या घट रहा है ?

श्री पी० के० थुंगन : इससे कुछ बढ़ोतरी ही है। मैं इस बारे में स्पष्ट बात कहना पसन्द करता हूं।

माननीय सदस्य ने आदिवासी क्षेत्रों के बारे में पूछा है कि हम वहां क्या नीतियां लागू कर रहे हैं ? मैं यहां केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति की सिफारिशें पढ़ता हूं जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी जा चुकी हैं। ये इस प्रकार हैं :

(क) आदिवासी क्षेत्रों में, शराब बेचने की ठेका-प्रणाली समाप्त की जानी चाहिए;

(ख) उन आदिवासी क्षेत्रों में जहां मद्यनिषेध लागू नहीं है, आदिवासी लोगों को अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक प्रयोजनों के लिए अपनी शराब तैयार करने की इजाजत दी जाये परन्तु वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए शराब न बनाई जाये;

(ग) आदिवासियों में शराग पीने की बुराइयों के विरुद्ध शैक्षणिक रूप में प्रचार करके और इस बुराई से आदिवासी लोगों को दूर रखने के लिए कल्याण गतिविधियों को प्रोत्साहित करके मद्यनिषेध नीति का तेजी से पालन किया जाए;

(घ) उन आदिवासी क्षेत्रों में जहां मद्यनिषेध लागू हैं, वहां अतिशीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं है;

(ङ) आदिवासी क्षेत्रों में मद्यनिषेध के कार्य में लगे हुए गैर-सरकारी अभिकरणों और कार्यकर्त्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और उनकी सहायता की जानी चाहिए।

श्री पी० नामग्याल : जैसा कि सदन को मालूम है जनता शासन के दौरान, देश के सभी राज्यों में मद्यनिषेध को सख्ती से लागू किया गया था जिसके परिणामस्वरूप शराब का गैर कानूनी वितरण बड़े पैमाने पर शुरू हो गया था और भारी संख्या में मौतें हुई थीं। इसको देखते हुए सभी राज्यों में मद्यनिषेध सख्ती से लागू करने के बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है या वर्तमान प्रतिबंध ही जारी रखे जाने चाहिए ?

श्री पी० के० थुंगन : जैसा कि मैंने बताया है कि मद्यनिषेध नीति में अभी तक कोई ढील दी नहीं गई है। परन्तु माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि कम से कम दिल्ली में पिछले दो वर्षों में शराब से कोई मौत नहीं हुई है।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी से जो प्रश्न पूछा गया था

उसका जबाव तो उन्होंने दिया नहीं है। आप क्वैश्चन देखें, वह एक प्रकार से था : (ख) क्या देश भर में शराब की खपत में वृद्धि हुई है, और (ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मन्त्री जी ने जो जबाव दिया वह इस प्रकार से है :

"उपलब्ध सूचना के अनुसार 12 राज्यों में प्रति व्यक्ति शराब की खपत में वृद्धि होने का पता चलता है और तीन राज्यों में इस बात के घटने का पता चलता है, शेष सात राज्यों में शराब की खपत में कोई विशेष घट-बढ़ नहीं हुई है।"

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यूनियन टैरेटरी देश से बाहर है ?

अध्यक्ष महोदय : सप्लीमेंट्री में जबाव दे दिया है।

श्री रामविलास पासवान : पहली बात यह है कि यूनियन टैरेटरी का जिक्र नहीं किया है। दूसरी स्पेसिफिक बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि यहां से बारह सूत्री गाइडलाइन्स इशू करने का कार्यक्रम था ? क्या यह सही है कि एक अप्रैल, 1979 को जब बिहार में कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने सम्पूर्ण तरीके से नशाबन्दी कर दी थी, जब कांग्रेस-आई सरकार की हकूमत आई, तो उसने सब नियमों को तोड़ दिया ? न सिर्फ नशाबन्दी कानून को तोड़ा बल्कि एक हजार नए लाइसेंस दिए गए। जैसा कि श्री ए० के० राय साहब ने भी कहा है कि ऐसी सरकार जो कानून का उल्लंघन करती है, उसके खिलाफ आप कुछ कार्यवाही करने की सोच रहे हैं या इस बारे में आपने कोई पत्र लिखा है ? ...(**व्यवधान**)

श्री के० लकप्पा : अब तो कर्नाटक में आपकी सरकार है, आपने कितने लाइसेंस जारी किए हैं ?

श्री राम विलास पासवान : कर्नाटक के मन्त्री ने लिस्ट दी है कि घट रहा है। आप कर्नाटक को चुनौती मत दीजिये, वहां यह घट रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में सदन में कोई सीधी बहस नहीं होगी।

श्री पी० के० थुंगन : इस प्रश्न के बारे में कि संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है, मैं बता ही चुका हूं और मैंने संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बता दिया है। मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य को इससे संतुष्ट हो जाना चाहिए।

इस आरोप के बारे में कि हम संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन कर रहे हैं, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी यह मंशा नहीं है और कुछ मामलों में यदि ढील है, जैसा कि बिहार में या किसी दूसरे राज्य के बारे में माननीय सदस्य ने बताया है तो हम समय-समय पर निदेश देकर स्थिति को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। यही कुछ हम कर सकते हैं...(**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : क्या आपने बिहार सरकार को लिखा है ?

श्री पी० के० थुंगन : माननीय सदस्य इस बात को भली-भांति जानते हैं कि जब किसी विधान सभा द्वारा एक बार कोई निर्णय कर लिया जाता है तो हम उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं उठा सकते···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हमने इस प्रश्न पर बीस मिनट लगा दिये हैं। अब श्री अमर सिंह राठवा ।

श्री राम विलास पासवान : कम से कम इतना तो कह दीजिए कि जहां पर स्कूल हैं, धर्मस्थल हैं, वहां पर शराब की दुकान नहीं खुलेगी ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो महसूस करने और समझने की बात है ।

आदिवासी विकास योजना कक्ष की स्थापना

*910. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उनके मन्त्रालय में किसी आदिवासी विकास योजना कक्ष की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कक्ष का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में आदिवासी जनता के कल्याण के लिए यह कितना सहायक होगा; और

(घ) क्या इसने काम करना शुरू कर दिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) से (घ) केन्द्रीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आदिवासी उप-योजना और विशेष घटक योजना के आयोजन कार्य को समन्वित करने के लिए प्लान योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में चरणबद्ध रूप से एक आदिवासी विकास योजना सैल खोला जा रहा है ।

यह सैल एक संयुक्त सचिव की देख-रेख में 31 जुलाई, 1981 से कार्य कर रहा है और इस सैल में एक अनुसंधान अधिकारी, एक अन्वेषक, एक सांख्यिकी सहायक, एक आशुलिपिक और एक अवर श्रेणी लिपिक कार्य करते हैं ।

श्री अमर सिंह राठवा : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हैल्थ डिपार्टमैंट में आदिवासियों के विकास के लिए ध्यान दिया जा

रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी जो पिछड़ा इलाका है, उनके लिए जितनी योजनाएं बनाई जाएं, उतनी कम हैं। आपने आदिवासी विकास योजनाओं के लिए सैल बनाया है, इससे आदिवासी विकास में जरूर फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो आदिवासी विकास सैल बनाया गया है उसके कार्यक्रम राजकीय ब्लाक तक क्या-क्या बनाए गए हैं ?

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : हमारी मिनिस्ट्री में जो ट्राइबल डवेलपमैंट सेल बनाया गया है उसका काम कार्यक्रम को, एक्टिविटीज को स्टेट गवर्नमेन्ट और सैन्ट्रल लेवल पर होम मिनिस्ट्री के साथ मिल कर कोआर्डिनेट करना है। कोआर्डिनेशन का यह काम अच्छी तरह से चल रहा है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदस्य को यह भी बतलाना चाहती हूं—पहले जो 80 से 100 हजार की आबादी पर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर बनाया जाता था उसको दिल्ली और शेडयूल्ड ट्राइब्स एरियाज में कम करके 20 हजार कर दिया है। इसी तरह से जो 10 हजार की आबादी पर सब सेन्टर बनाते थे, उसको शेडयूल्ड ट्राइब्स और दिल्ली एरियाज में 3 हजार कर दिया है।

1984-85 की जो स्कीम बनाई गई है उसमें शेडयूल्ड ट्राइब्स के बच्चों के लिए जो मेडिकल में पढ़ते हैं, अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के स्नातक पूर्व एम० बी० बी० एस० के छात्रों को मेस के खर्च में राज सहायता के लिए 15 लाख रुपए का बजट रखा है। अनु० जातियों और जनजातियों के लिए कोचिंग स्कीम हेतु 5 लाख का रखा है। इसके अलावा जो हमारी नेशनल कान्फरेंस होती है उसमें बहुत अच्छे रेजोल्यूशन्ज पास करके स्टेट गवर्नमेंट्स को गाइड-लाइन्ज दी जाती हैं। जहां तक खर्चे की बात है 1983-84 में शैडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के डवेलपमेन्ट के लिए 1160.93 लाख का बजट प्रावीजन रखा है।

श्री अमर सिंह राठवा : मन्त्री महोदय ने बतलाया है कि 30 हजार की आबादी पर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर और 2 से 3 हजार की आबादी पर सब-सैन्टर खोले जाएंगे। मुझे यह निवेदन करना है कि आदिवासी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र होता है। उनमें आबादी बहुत कम होती है, इसलिए वहां आबादी कम होते हुए भी ये केन्द्र शुरू किये जाने चाहिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने से वहां कोई जाना नहीं चाहता, जिससे उनको यह सुविधा बहुत कम मिलती है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में भी केन्द्र खोलने की कोई योजना बनाई जाए—क्या ऐसा कोई विचार है ?

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : माननीय सदस्य गुजरात से हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से उनको बतलाना चाहती हूं—गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में आज तक की जो इन्फर्मेशन मेरे पास है उसके अनुसार 64 प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स आदिवासी एरियाज में इस्टेब्लिश किये गये हैं और 469 सब-सेन्टर्स आदिवासी क्षेत्रों में खोले गये हैं।

श्री अजय विश्वास : जनजातियों के कल्याण के लिए 'जनजातीय विकास योजना कक्ष'

स्थापना की गई थी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रधानतः जनजातियां ही रहती हैं और ये क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। उपक्षेत्र में जनजातियों के विकास के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों का अभाव है और यहां तक कि जो थोड़ी बहुत स्कीमें हैं उनका लाभ अन्य वर्ग के लोगों ने ही उठाया है। क्या उस क्षेत्र के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ?

कुमारी कुमदबेन एम० जोशी : उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जनजातियों के विकास के बारे में हम भी समान रूप से चिंतित हैं। हमें जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार मणिपुर में 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और 104 उपकेन्द्र हैं। सिक्किम में 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और 11 उपकेन्द्र हैं। त्रिपुरा में 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और 57 उप-केन्द्र हैं। दुर्भाग्यवश अरुणाचल प्रदेश के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, किंतु हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जहां तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों का सम्बन्ध है स्थिति यही है। और माननीय सदस्य इस बात को भली-भांति जानते हैं कि अखिल अक भारतीय आयुर्विज्ञान के अनुरूप ही उस क्षेत्र में हम एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने वाले हैं। इससे स्पष्ट है कि हमारी सरकार उस क्षेत्र में भी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में काफी रुचि लेती थी।

श्री उत्तम राठौड़ : महोदय, मैं माननीय मन्त्री की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि सरकार बड़ी निष्ठा से जनजातियों की सहायता कर रही है। किंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जनजातीय क्षेत्रों में जहां कहीं डिस्पेंसरियां और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाते हैं वहां सामान्यतः बहुत कम कर्मचारी होते हैं और चिकित्सा अधिकारी तो अक्सर होता ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : दवाइयां भी तो नहीं होतीं;···(**व्यवधान**)

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : महोदय, हम स्वयं भी इस समस्या के प्रति चिंतित है। हमने सभी राज्य सरकारों को लिख भेजा है और इस बात पर हमने विशेष तौर से बल दिया है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेंद्रों में जो कि खासतौर से जन-जातीय क्षेत्रों में हों, पूरे कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए।

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो उत्तम राठौर जी ने मेरा प्रश्न पूछ लिया है लेकिन बुनियादी तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं। सैन्ट्रल गवर्नमेंट आदिवासी इलाकों में जितने भी अस्पताल या डिस्पेन्सरीज खोल रही है, उनमें जिन डाक्टरों का एपाइटमेंट होता है, वे उन अस्पतालों में जाने में रिलकटेन्ट हैं। इसलिए क्या सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स से कोई इन्सेन्टिव उनको देने के लिए कहेगी, जिससे उन अस्पतालों में डाक्टर जाएं और स्टेट गवर्नमेंन्ट्स अपने संसाधनों से डाक्टरों को वहां जाने के लिए इन्सेंटिव देने के लिए तैयार नहीं हैं तो क्या सेन्ट्रल गवर्नमेंट इस प्रश्न पर विचार करेगी कि ऐसी जगहों पर डाक्टरों को जाने के लिए कोई इन्सेन्टिव दे।

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : एक ज्वाइन्ट कान्फ्रेंस जो सेन्ट्रल कौंसिल आफ हैल्थ की

हुई थी, उसमें इस बात पर चर्चा हुई थी और सभी स्टेट गवर्नमेंट को हमने लिखा है कि जहां पर डाक्टर जाने के लिए तैयार नहीं हैं, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स को इन्सेंटिव देना चाहिए और डाक्टरों को वहां आने के लिए आकर्षित करना चाहिए।

छोटी दूरी की पैसेन्जर रेलगाड़ियों की संख्या तथा उनकी बारम्बारता को बढ़ाना

*912. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण जनता के लाभ के लिए सभी जोनों में मुख्य लाइनों की सभी सम्पर्क लाइनों पर छोटी दूरी की पैसेन्जर गाड़ियों की संख्या तथा उनकी बारम्बारता को बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा छठी योजना के दौरान इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये एवं सातवीं योजना के लिए क्या प्रावधान किया जा रहा है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) इन मार्गों पर विभिन्न वर्गों की ग्रामीण जनता के लिए रेल यात्रा की सुविधाओं की लगातार समीक्षा की जाती है ताकि बेहतर रेल सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें और इसके साथ-साथ माल यातायात की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। जहां कहीं अनिवार्य वस्तुओं का यातायात प्रभावित नहीं होगा वहां यदि अतिरिक्त गाड़ियां चलाने की आवश्यकता पड़ेगी तो रेलवे वहां कुछ गाड़ियां चलाने का प्रयास करेगी, बशर्ते कि घन उपलब्ध हुआ।

(ख) उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, रेलों ने बड़े शहरों के इर्द-गिर्द उपनगरीय गाड़ियां चलाने के अलावा, ग्रामीण यात्रियों को विशेष रूप से लाभ पहुंचाने हेतु तथा अन्य लोगों के लिए पिछले एक वर्ष में 86 यात्री गाड़ियां चलाई हैं।

सातवीं योजना में भी इसी तरह ख्याल रखा जायेगा।

श्री मोहन लाल पटेल : महोदय, माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में यह बताया है कि गत वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 86 यात्री गाडियां चलाई गई थीं। यह अच्छी बात है। किन्तु मैं माननीय मन्त्री का ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं कुछ तथ्य पेश करना चाहता हूं। गुजरात के भावनगर में एक रेल-मंडल है। पूरे देश में यातायात बढ़ता ही जा रहा है किन्तु खास तौर से इस प्रमाण में यह घट रहा है। इस संसद में 16.4.1981 को जो मैंने प्रश्न किया था उसके बारे में माननीय मन्त्री ने यह उत्तर दिया था कि इस मंडल में 1971 में 217 लाख यात्री थे किन्तु 1981 में ये घटकर 177 लाख हो गए। इसका अर्थ यह है कि 10 सालों

में 40 लाख यात्री कम हो गए और यही प्रवृत्ति बनी हुई है। इस मण्डल में यातायात कम होने के और भी अनेक कारण हैं। इस समय केवल इसी मण्डल में रेलगाड़ियी की सूचना औसत गति 25 से 30 किमी० प्रति घंटा है। अतः यह मुख्य कारण है जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों की आवाजाही कम हो रही है। इसके कारण पिछले 6 वर्षों में स्थायी आधार पर 22 रेलगाड़ियां रद्द कर दी गयीं। एक माह पहले पोरबंदर और अहमदाबाद के बीच सुपर फास्ट रेलगाड़ी रद्द कर दी गयी। हमने अभ्यावेदन पेश किया। माननीय मन्त्री ने मामले पर विचार किया। अब वह रेलगाड़ी इस माह की दस तारीख से शुरू हो जाएगी। क्या माननीय मन्त्री खासतौर से भावनगर मण्डल की ग्रामीण आबादी की सेवा के लिए निर्धारित ब्रांच लाइनों पर और अधिक ध्यान देने का आश्वासन दे सकते हैं? भावनगर मण्डल की उपेक्षा की गई है। अतः क्या मन्त्री महोदय स्थायी समाधान के लिए विशेष दल भेजकर ठोस उपाय करेंगे।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : कृपया मुख्य प्रश्न देखिए :—

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण जनता के लिए सभी जोनों में मुख्य लाइनों की सम्पर्क लाइनों पर छोटी दूरी की पैसेन्जर गाड़ियों की संख्या तथा उनकी बारम्बारता को बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा छठी योजना के दौरान इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए एवं सातवीं योजना के लिए क्या प्रावधान किया जा रहा है?

माननीय सदस्य अब एक विशेष मण्डल के बारे में पूछ रहे हैं। इसके अनेक मण्डल हैं। अनेक लोग हैं फिर उनमें से मैं एक विशेष जोन के बारे में कैसे बता सकता हूं, यदि उसके बारे में प्रश्न ही नहीं पूछा गया है? यदि वे चाहते हैं तो मैं उन्हें सामान्य जानकारी दे सकता हूं। उन्होंने खुद ही मंजूर किया है कि अनेक रेलगाड़िगां वहां चल रही हैं।

अयक्ष महोदय : आप चलता-फिरता विश्वकोष तो हैं नहीं। श्री पटेल उनका हवाला दे सकते हैं और आप उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता हूं। मैं उन्हें लिखित रूप में भेज सकता हूं। मेरे लिए किसी एक मण्डल के बारे में यह उत्तर देना सम्भव नहीं है कि कितनी रेलगाड़ियां वहां चल रही हैं और कितनी नहीं चल रही हैं।

श्री मोहन लाल पटेल : मैंने सभा के समक्ष कुछ तथ्य पेश किए हैं और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस पर विचार करें और उचित समझें तो एक विशेष दल भेजें। इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। इस मण्डल में यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ऐसा समय आएगा जब वहां एक भी रेलगाड़ी नहीं चलेगी। केवल पटरी ही बची रहेगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मामले की जांच करें।

भावनगर मण्डल में इन्टर लॉकिंग प्रणाली नहीं है। इस प्रणाली में यार्ड से गुजरते हुए 15 किलोमीटर तक ट्रेन को अपनी गति कम कर देनी होती है। अनेक स्टेशन ऐसे होते हैं जहां इंटर लॉकिंग प्रणाली नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर माननीय मन्त्री को विचार करना ही चाहिए क्योंकि यदि रेलगाड़ियों की गति बढ़ाई नहीं जाएगी तो···

अध्यक्ष महोदय : वे आपका सुझाव लिख लेंगे।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री रतन सिंह राजदा : देश की पूरी जनता माननीय मंत्री से अनुरोध कर रही है कि वे नई रेलगाड़ियां चलवाएं या उनकी आवाजाही बढ़ाने के लिए उनकी संख्या बढ़ाएं आदि। किसी नीति के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि अनेक रेलगाड़ियां चलाई जाएं और उनकी आवाजाही की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के विभिन्न जोनों में उनकी संख्या बढ़ाई जाए। उदाहरणार्थ कच्छ की जनता ने यह अभ्यावेदन पेश किया है कि बम्बई से गांधीधाम जाने वाली रेलगाड़ी को सुपर फास्ट बनाया जाए तथा उसे कच्छ मेल कहा जाए। क्या माननीय मन्त्री बम्बई और कच्छ की जनता की यह मांग पूरी करेंगे ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैंने उन्हें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया है और चेयरमैन से इस बात का पता लगाने के लिए कहा है कि हम इसे जल्दी से कर सकते हैं या नहीं।

मैं आश्वासन दे चुका हूं। मेरा खयाल है आश्वासन दुहराना उचित नहीं होगा।

रेलवे के सरकारी उपक्रमों में कर्मचारी

*914. **श्री आर० आर० भोले** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 6 महीनों में कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें शिकायत की गई है कि उनके मन्त्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों जैसे आर० आई० टी० ई० एस०, आई० आर० सी० ओ० एन० और सी० ओ० एफ० एम० ओ० डब्ल्यु० में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन कर्मचारियों को, जो पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं, पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां। लेकिन काफमों के लिए नहीं जो एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम नहीं है।

(ख) राइट्स तथा इरकान उपक्रम केवल कुछ ही वर्ष पहले रेल मन्त्रालय के नियन्त्रण में स्थापित किए गए हैं। दोनों उपक्रमों की कर्मचारियों तथा अधिकारियों से सम्बन्धित अधिकांश तत्काल आवश्यकताएं क्षेत्रीय रेलों से प्रतिनियुक्ति द्वारा पूरी की गई हैं। कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजते समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई औपचारिक आरक्षण नहीं है क्योंकि क्षेत्रीय रेलों पर कर्मचारियों की भर्ती के समय आरक्षणों का पहले ही अनुपालन किया गया है। बहरहाल, इन उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति के लिए अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पात्र कर्मचारियों के बारे में भी विचार किया जाता है। जब कभी इन उपक्रमों द्वारा कुछ रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती हैं तो मौजूदा आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण संबंधी नियमों को ध्यान में रखा जाता है। उठाये गये सभी मुद्दों की पूरी-पूरी जांच करने के बाद प्रस्तुत अभ्यावेदनों का उत्तर दिया जायेगा।

श्री आर० आर० भोले : महोदय, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे प्रश्न करने का मौका मिला। ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि अनेक माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं। मेरा प्रश्न केवल 114 ही है।

अध्यक्ष महोदय : क्यों महोदय ! आप ऐसा होने की प्रार्थना कर रहे थे।

श्री आर० आर० भोले : महोदय मैं सबसे अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकनोमिक सर्विसेज लि०, प्रोजेक्ट डिवीजन के इकनोमिक विंग में 1100-1600 के ग्रेड में पदों के लिए दिसम्बर, 1983 में मंत्रालय के कर्मचारियों से आवेदन-पत्र भेजने के लिए कहा था ? और यदि हां, तो पात्र कर्मचारियों और अपात्र कर्मचारियों से कितने-कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ?

(ख) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 1983 के आवेदन पत्र आमंत्रित करने वाले परिपत्र में निर्धारित शर्तों के अनुसार अपात्र कर्मचारियों के आवेदन-पत्र चयन के लिए रेल इंडिया टेक्नीकल एंड इकनामिक सर्विसेज लि० को भेजे गए थे।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे मालूम है आर० आई० टी० ई० एस० और आई० आर० सी० ओ० एन० में अधिकांश कर्मचारी रेलवे से प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए गए हैं। अतः यहां बड़े पैमाने पर भरती नहीं हुई है। इन दोनों उपक्रमों के बारे में जहां तक मैं जानता हूं यही सच्चाई है।

किन्तु महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे हैं वे मुख्य प्रश्न से सम्बद्ध नहीं हैं। वह

इस प्रकार है। मैं एक विशेष प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है :—

(क) क्या गत छ: महीनों में कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें शिकायत की गई है कि उनके मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों जैसे आर० आई० टी० ई० एस०, आई० आर० सी० ओ० एन० और सी० ओ० एफ० एम० ओ० डब्ल्यू० में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन कर्मचारियों को, जो पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं, पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

महोदय, ये आधारभूत प्रश्न हैं। और मैं इस आधारभूत प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। किन्तु मैं नहीं जानता कि यह अनुपूरक प्रश्न यहां कैसे आ गया। जैसा कि मैंने कहा है आर० आई० टी० ई० एस० तथा आई० आर० सी० ओ० एन० की आधारभूत नीति रेल मंत्रालय से अधिकारियों को बुलाना है जो वहां प्रतिनियुक्ति पर आते हैं।

श्री आर० आर० भोले : महोदय, मेरा प्रश्न कि…

अध्यक्ष महोदय : क्या आप नए सिरे से प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री रामगोपाल रेड्डी : महोदय, वे वरिष्ठ एडवोकेट हैं। वे मंत्री महोदय से गलत प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वे उसकी अनुमति नहीं देंगे।

श्री आर० आर० भोले : महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूं। जब मंत्री महोदय ने रेलवे के जो कर्मचारी और अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर इन दोनों उपक्रमों में तैनात किए हैं क्या उनमें से कुछ अयोग्य हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या अनु० जाति और अनु० जनजाति के ऐसे कर्मचारी जो पात्र होने पर भी वहां प्रतिनियुक्त नहीं किए गए।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षण की दृष्टि से विचार नहीं किया जाता। सामान्यतः प्रतिनियुक्ति पर केवल सक्षम व्यक्ति ही भेजे जाते हैं। आरक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता। खुली भरती के समय ही आरक्षण का प्रश्न उठता है।

जहां तक सी० ओ० एफ० एम० ओ० डब्ल्यु० का सम्बन्ध है, यह सरकारी क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। यह रेलवे का कार्यालय है और अस्थायी परियोजना का कार्यालय है। यह आरक्षण कोटा लागू है। वह तो विभागीय मामला ही है।

जहां तक आई० आर० सी० ओ० एन० का सम्बन्ध है, सीधी भरती की दृष्टि से आरक्षण में कमी नहीं आई है। अनु० जातियों तथा अनु० जनजातियों के लिए आरक्षित हमने पूरा किया है।

जहां तक आर० आई० टी० ई० एस० का सम्बन्ध है, कुछ श्रेणियों में 10 से 22 प्रतिशत तक की कमी है। उन्हें उसे पूरा करने के लिए कहा गया है ताकि अनु० जातियों और अनु०-जनजातियों को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके।

खाड़ी युद्ध में भारतीय पोत को हुआ नुकसान

*916. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शत-अल-अरब जलमार्ग में खड़े भारतीय पोत को खाड़ी युद्ध में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो पोत को कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या सम्बन्धित सरकार के पास कोई विरोध भेजा गया था;

(घ) यदि हां, तो ईरान और इराक से भारतीय पोतों की सुरक्षा के बारे में कोई संरक्षण मांगा गया है; और

(ङ) क्या कई भारतीय पोत उनके कब्जे में हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) युद्ध शुरू होने पर ठाकुर नौवहन कम्पनी के "वरुण यान" नामक जहाज इसकी चपेट में आ गया। प्राप्त सूचना के आधार पर इसे शत-अल-अरब जलमार्ग में ठहराया गया था। ईरानी गोलाबारी के कारण इसमें 3.4.84 को आग लग गयी।

(ख) आग लगने के कारण अन्य प्रकार की क्षति के अलावा, इसके इंजिन रूम में चार फीट × दो फीट गोल सूराख हो गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। यह केवल युद्ध का परिणाम होता है इसमें अन्य देशों, विशेषकर भारत के जलयानों को जानबूझकर क्षति पहुंचाने का उद्देश्य किसी भी देश का नहीं है। जब पहली बार युद्ध शुरू हुआ था तब हमने सम्बन्धित प्राधिकरणों से अपने लोगों की सुरक्षा और यथासम्भव अपने जलयानों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध कर दिया था।

(ङ) कोई भी भारतीय जलयान ईरान-इराक अधिकारियों के कब्जे में नहीं है, परन्तु युद्ध

के शुरू होने के बाद निम्नलिखित चार जलयानों को पत्तन में रोक लिया गया था :—विजय नौवहन लाइन्स का एम० वी० "विजय अवतार", हिमालय नौवहन कम्पनी का एम० वी० "नीलकांत", रेशमवाला एंड कम्पनी का एम० वी० "श्री विष्णु", ठाकुर नौवहन कम्पनी के एम० वी० "वरुण यान", गरवारे नौहवन कम्पनी के एम० वी० "ऋषि विश्वमित्र" और ए० पी० जे० लाइन्स के ए० पी० जे० "प्रीति" नामक जलयानों के बारे में यह सूचना मिली है कि ये जहाज प्रक्षेपास्त्रों के कारण क्षतिग्रस्त हो गये और इस समय ये उत्तरी खाड़ी में बुशिर में भूग्रस्त हैं।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, अधिकतर पोतों का युद्ध जोखिम बीमे के अधीन बीमा होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन जलयानों का युद्ध जोखिम बीमे के अन्तर्गत बीमा किया गया था और यदि हां, तो क्या वे क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं ?

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : जी हां, महोदय, वे सब बीमाशुदा थे और राशि का निपटारा भी हो गया है। यदि माननीय सदस्य वह राशि जानना चाहते हैं जो विभिन्न कम्पनियों को अदा की गई है तो वह भी मैं बता सकता हूं। इन सबका निपटारा हो गया है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : इन जलयानों के अतिरिक्त मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कलकत्ता शिपिंग कम्पनी के दो जहाज, जिन्हें ईरानी सरकार ने किराए पर लिया था, खाड़ी के युद्ध में नष्ट हो गए हैं। क्या यह बात ईरानी सरकार के ध्यान में लाई गई है और क्या कोई क्षतिपूर्ति कम्पनी द्वारा की गई है और दूसरे, क्या यह भी सच है कि एक सैकण्ड इंजीनियर, एक कैडेट अधिकारी, और दो नाविक, जो इन जलयानों में कार्य कर रहे थे, खाड़ी के युद्ध में मारे गए हैं, यदि हां, तो क्या कम्पनी ने शोकसंतप्त परिवार को किसी मुआवजे का भुगतान किया है ?

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध है मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। मेरे पास जो सूचना थी वह मैंने पहले ही दे दी है। यदि इस प्रश्न से सम्बन्धित जानकारी मुझे लिखित रूप में दे दी जाए तो मैं सूचना प्राप्त करने का प्रयास करूंगा।

जहां तक मेरी जानकारी है, वरुण-यान पर जीवन और कर्मचारियों को कोई क्षति नहीं पहुंची। चालक दल तथा जहाजरानी कम्पनी के मालिकों ने द्विपक्षीय समझौता कर लिया है तथा विवादों का निपटारा हो गया है।

यदि कोई व्यक्तिगत मामला है, तो आप मुझे लिख सकते हैं और मैं उस पर गौर करूंगा।

ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियां

*917. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री जी० वाई० कृष्णन् :

क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गर्मी के मौसम में यात्रियों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए हाल ही में कई विशेष गाड़ियां चलाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्षमता सहित उनका ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां । यह एक वार्षिक आवर्ती प्रक्रिया है।

(ख) चालू ग्रीष्मकाल के दौरान, निम्नलिखित मार्गों पर नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियां चलाये जाने की योजना बनाई गई है बशर्ते कि यातायात उपलब्ध हो।

क्र० सं० मार्ग	फेरे	योजना के अनुसार गाड़ियों की संख्या (जोड़े)	सवारी डिब्बों की संख्या
1　2	3	4	5
1. बम्बई-जम्मू तवी	सप्ताह में दो बार	22 प्रत्येक ओर	15
2. बम्बई-निजामुद्दीन	सप्ताह में दो बार	23 प्रत्येक ओर	15
3. बम्बई-अहमदाबाद	प्रतिदिन	77 प्रत्येक ओर	16
4. बम्बई-गांधी धाम	सप्ताह में तीन बार	33 प्रत्येक ओर	16
5. बम्बई-हापा	सप्ताह में चार बार	44 प्रत्येक ओर	14
6. अजमेर-मऊ	साप्ताहिक	10 प्रत्येक ओर	13
7. हैदराबाद-वाल्तेरू	साप्ताहिक	7 प्रत्येक ओर	16

1	2	3	4	5
8.	बम्बई-मिरज-वास्को	साप्ताहिक	8 प्रत्येक ओर	12
9.	बम्बई वी० टी०-लखनऊ	सप्ताह में दो बार	16 प्रत्येक ओर	16
10.	बम्बई वी टी-वाराणसी	सप्ताह में तीन बार	27 प्रत्येक ओर	16
11.	बम्बई-त्रिवेन्द्रम	साप्ताहिक	9 प्रत्येक ओर	16
12.	बम्बई वी टी-पुणे	प्रतिदिन	58 प्रत्येक ओर	12
13.	मद्रास/बेंगलूर-त्रिवेन्द्रम	सप्ताह में दो बार	9 प्रत्येक ओर	12
14.	मद्रास-हैदराबाद	सप्ताह में दो बार	14 प्रत्येक ओर	16
15.	हवड़ा-दिल्ली	सप्ताह में दो बार	17 प्रत्येक ओर	18
16.	हवड़ा-देहरादून	सप्ताह में दो बार	18 प्रत्येक ओर	12
17.	हवड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी	साप्ताहिक	9 प्रत्येक ओर	15
18.	हवड़ा-गोरखपुर	साप्ताहिक	8 प्रत्येक ओर	14
19.	धनबाद-मुगलसराय-वाराणसी	सप्ताह में दो बार	17 प्रत्येक ओर	12
20.	निजामुद्दीन-कोच्चिन मेंगलूरू	साप्ताहिक	11 प्रत्येक ओर	16
21.	हवड़ा-पुरी	साप्ताहिक	6 प्रत्येक ओर	13
22.	दुर्ग-वाराणसी	सप्ताह में दो बार	10 प्रत्येक ओर	12

श्री अर्जुन सेठी : दी गई विवरणी के अनुसार गर्मी के मौसम में यात्रियों को अधिक संख्या में परिवहन सुविधा उपलब्ध करने के लिए 22 मार्गों पर गाड़ियां चलाई जायेंगी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन गाड़ियों को चलाने के अतिरिक्त इस ओर भी ध्यान दिया है कि विद्यमान सुविधाओं के अतिरिक्त आरक्षण सुविधायें भी उपलब्ध हैं ताकि इन गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों को कोई परेशानी न हो ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : हमने इस तरफ हर सम्भव सावधानी बरती है ।

श्री अर्जुन सेठी : दिए गए विवरण में, हावड़ा से अथवा असम से त्रिवेन्द्रम तक उस खण्ड में कोई गाड़ी नहीं है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मन्त्री इस मांग पर विचार करेंगे कि इस मार्ग पर और गाड़ियां होनी चाहिए ताकि असम से बरास्ता हावड़ा और मद्रास, त्रिवेन्द्रम तक इन गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों की जरूरतें पूरी हो सकें ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैं इस सुझाव पर विचार करूंगा । मैं यातायात अधिकारियों को इस पर गौर करने के लिए कहूंगा ।

दिल्ली में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षण संस्थान

*919. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कई अनधिकृत व्यावसायिक और तकनीकी संस्थान चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि ये संस्थान रोजगार के बेहतर अवसरों के नाम पर युवाओं का शोषण कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस शोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन से यह पता चला है कि यद्यपि दिल्ली में अनधिकृत व्यावसायिक और तकनीकी संस्थानों का पता लगाने और उनकी संख्या निर्धारित करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, किन्तु उन्होंने कार्यकारी पार्षद (शिक्षा) की अध्यक्षता में हाल ही में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है जो दिल्ली में तकनीकी, व्यावसायिक, शैक्षिक प्रतिष्ठानों की अनाप-शनाप वृद्धि तथा तकनीकी शिक्षा के नाम पर अनैतिक व्यक्तियों/फर्मों द्वारा किए जा रहे शोषण की समस्या के विस्तार का अध्ययन/मूल्यांकन करेगी और उपचारी उपायों के संबंध में सुझाव देगी ।

श्री बृजमोहन महन्ती : समिति समस्या का समाधान नहीं है । ये संस्थान दो नम्बर के खातों पर चल रहे हैं और लोगों का शोषण कर रहे हैं । भारत सरकार और राज्य सरकारों के लिए यह अत्यधिक आवश्यक है कि इन संस्थानों को बन्द कर दिया जाए । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या लोगों का शोषण रोकने और उनके संरक्षण के लिए तत्काल उपाय किए जायेंगे ।

श्रीमती शीला कौल : इन संस्थानों को बन्द करना सम्भव नहीं है क्योंकि वे एक प्रकार से अपने ढंग से शिक्षा के स्तर में सुधार करने में मदद करने का प्रयास कर रहे हैं । यदि वे भ्रष्ट नहीं हैं और यदि वे शैक्षिक प्रक्रिया में मदद का प्रयास करते हैं तो वे लाभदायक है बशर्ते उनका

स्तर अच्छा हो, वे अपने कार्य में दक्ष हों और कार्य करने का उनका सही ढंग हो और यदि छात्र वहां जाकर सीखना चाहते हैं तो आपके द्वारा उनके मार्ग में बाधा पहुंचाने के बावजूद वे वहां जायेंगे और सीखेंगे ।

श्री बृजमोहन महन्ती : इन संस्थानों द्वारा बालकों और बालिकाओं को शोषण से बचाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

श्रीमती शीला कौल : मैंने अभी-अभी सूचित किया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त होता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

चीन और अमेरिका के बीच सैनिक महत्व की गुप्त वार्ता

*906. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :**

श्री बापूसाहिब परुलेकर :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 अप्रैल, 1984 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमेरिका और चीन के बीच सैनिक महत्व की गुप्त वार्ता हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को उक्त बातचीत के परिणाम की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सरकार का ध्यान कुछ अखबारी खबरों की ओर आकर्षित किया गया है, जिनमें वह समाचार भी शामिल है, जिसका उल्लेख प्रश्न में किया गया है । इन अखबारी खबरों के अलावा, हमारे पास कोई अन्य ठोस जानकारी नहीं है ।

(ग) सरकार को इन कथित गुप्त सैनिक वार्ताओं के निष्कर्ष की कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है ।

(घ) सरकार ऐसे सभी मामलों में सतर्क रहती है, जिनका राष्ट्र के सुरक्षा-पर्यावरण पर प्रभाव हो सकता है ।

आंध्र प्रदेश में छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

*907. **श्री जी० भूपति : रेल मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में सभी रेल लाइनों की लम्बाई कितने किलोमीटर है और उसमें से बड़ी लाइनों और छोटी लाइनों की लम्बाई कितनी है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान उसमें से कितने किलोमीटर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव है और इन लाइनों को बदलने पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है;

(ग) क्या कुछ पुरानी रेल लाइनों को बदलने का प्रस्ताव भी मंत्रालय के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इन रेल लाइनों के नाम क्या हैं और उन पर कितना खर्च होने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) आंध्र प्रदेश में रेलवे लाइनों की कुल लम्बाई 4,921 कि० मी० है जिसमें से 3,274 कि० मी० बड़ी लाइन, 1,610 कि० मी० मीटर लाइन और 37 कि० मी० छोटी लाइन है ।

(ख) चालू वर्ष में आंध्र प्रदेश में किसी मीटर लाइन की बड़ी लाइन में बदलाव पूरा होने की आशा नहीं है ।

(ग) और (घ) 1984-85 में दक्षिण-मध्य रेलवे पर, जिसके अन्तर्गत आंध्र प्रदेश का अधिकांश भाग आता है, लगभग 600 कि० मी० में रेलपथ और स्लीपरों का नवीकरण करने का कार्यक्रम है और इस प्रयोजन के लिए चालू वित्त वर्ष में 35 करोड़ रुपये की राशि आबटित की गई है । दक्षिण मध्य रेलवे पर रेलपथ नवीकरण के लगभग 123 कार्य स्वीकृत हैं और इनका मदवार ब्यौरा रेलों के 1984-85 के निर्माण, मशीन और चल-स्टाक कार्यक्रम भाग II (विस्तृत कार्यक्रम) में दिया गया है जिसे हाल ही में रेलवे बजट के अंग के रूप में संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में चोरी और उठाईगिरी

*908. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में चोरी और उठाईगिरी से पिछले दो वर्षों में रेलवे की सम्पत्ति का कितना नुकसान हुआ है और उसके क्या कारण हैं; और

(ख) चोरी के इन मामलों से सम्बद्ध रेल कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही सहित सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में रेल सम्पत्ति की चोरी और उठाईगिरी के कारण 1983 में 21,626 रुपये तथा 1984 में (मार्च तक) 10,090 रुपये का नुकसान हुआ है ।

चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने से रेल सम्पत्ति की चोरी और उठाईगीरी का मुख्य कारण है चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने के आस-पास के क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था तथा अपराध की विकट स्थिति ।

(ख) चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में रेल सम्पत्ति की चोरी और उठाईगीरी की रोक-थाम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. कारखाने के भेद्य स्थलों तथा अनुभागों में रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी तैनात किए गए हैं ।
2. चाहरदीवारी के बाहर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा गश्त लगाई जाती है ।
3. अपराधियों और उनसे सांठ-गांठ करने वाले रेल कर्मचारियों की गतिविधियों के संबंध में आसूचना इकट्ठी करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को भी सादे कपड़ों में तैनात किया गया है ।
4. चुराई गयी रेल सम्पत्ति को प्राप्त करने वालों के ठिकानों पर छापे मारे जाते हैं ।
5. यांत्रिक विभाग के पर्यवेक्षकों द्वारा कर्मचारियों का पर्यवेक्षण गहन कर दिया गया है ।
6. रेल सम्पत्ति की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कारखाने के प्राधिकारियों और स्थानीय पुलिस के साथ निकट संपर्क बनाये रखा जाता है ।

रेल सम्पत्ति की चोरी और उठाईगीरी में अन्तर्गस्त होने के कारण 1983 में 25 रेल कर्मचारियों तथा 1984 (मार्च तक) में एक रेल कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया था ।

मध्य रेलवे उपनगरीय सेवाओं में जोड़े गए नए ई० एम० यू० रेकों की संख्या

*911. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे उपनगरीय सेवाओं में नए ई० एम० यू० रेक जोड़े गए हैं;

(ख) यदि हां, तो 2 मार्च, 1982 से पहले कितने रेक जोड़े गये थे;

(ग) 2 मार्च, 1982 से लेकर आज तक कुल कितनें रेक जोड़े गए हैं;

(घ) अगले कुछ वर्षों में कुल कितने रेक जोड़े जाने हैं; और

(ङ) उनकी डिलीवरी संबंधी तालिका एवं अन्य ब्यौरे क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) 2-3-1982 से पहले मध्य रेलवे को कोई नया डी० सी० बिजली गाड़ी रेक नहीं दिया गया था।

(ग) 2-3-1982 के बाद आज तक मध्य रेलवे द्वारा प्राप्त किए गए नये रेकों की कुल संख्या 11 है, जिनमें से 7 रेकों का इस्तेमाल कुछ गतायु आयातित रेकों के बदलाव और ऐसे पुराने रेकों के बदले किया गया है जिनकी भारी मरम्मत और रीकैम्बरिंग की जा रही है। इस प्रकार अतिरिक्त सेवाओं के लिए चार नये रेकों का इस्तेमाल किया गया है।

(घ) वर्तमान निर्माण आदेशों में से मध्य रेलवे को आगामी कुछ वर्षों में 20 रेक और दिये जाएंगे। बहरहाल निर्धारित/गैर-निर्धारित मरम्मतों के लिए व्यवस्था करने के बाद अतिरिक्त सेवाओं के लिए रेकों की संख्या 16 होगी।

(ङ) आगामी कुछ वर्षों में जुटाये जाने वाले 20 रेकों में से मध्य रेलवे को 1984-85 में नौ रेक सुपुर्द किये जाने की आशा है। बिजली गाड़ी निर्माण के संबंध में धनराशि के निश्चित आबंटन का पता लगने के बाद ही सातवीं योजना अवधि के सुपुर्दगी कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

नेशनल एल्यूमिनियम काम्पलैक्स, उड़ीसा में रेल परियोजना

*913. **श्रीमती जयंती पटनायक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल मन्त्रालय ने नेशनल एल्युमिनियम काम्पलैक्स, उड़ीसा में कौन-कौन से परियोजना निर्माण-कार्य शुरू किए हैं;

(ख) उन परियोजनाओं की लागत क्या है तथा निर्माण-कार्य के पूरा होने की निर्धारित तारीख क्या है; और

(ग) इन रेल-परियोजनाओं के निर्माण-कार्य के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) कोरापुट-रायगडा (174 कि० मी०) नयी बड़ी लाइन के निर्माण के प्रथम चरण अर्थात कोरापुट और मछली गुड़ा के बीच की (19.65 कि० मी०) लाइन द्वारा दामनजोड़ी स्थित नेल्को परियोजना की सेवा किये जाने की आशा है। पहले चरण की लागत 18.24 करोड़ रुपये है और आशा है, यह

जून, 1985 तक पूरा हो जायेगा। पुलों का निर्माण, मिट्टी संबंधी कार्य और इमारतों का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। मछलीगुडा से लक्ष्मीपुर तक (48 कि० मी०) का इस परियोजना का दूसरा चरण अभी-अभी शुरू किया जा रहा है।

रेल सेवा आयोग द्वारा परीक्षाएं आयोजित करने की प्रक्रिया का सरल बनाया जाना

*915. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :**
श्री मनोहर लाल सैनी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल सेवा आयोग से आग्रह किया है कि वह विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करने से लेकर उनके परिणामों को अन्तिम रूप देने तक की प्रक्रिया को सरल बनाएं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल सेवा आयोग ने इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठाये हैं, और;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

रेल सेवा आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति को सरल बनाना एक सतत प्रक्रिया है जो कुशलता ब्यूरो द्वारा किये गये अध्ययन और रेल सेवा आयोगों के अध्यक्षों की बैठकों में हुए विचार-विमर्श पर आधारित है। कार्यान्वियन हेतु कुछ विचार इस प्रकार हैं :—

1. रोजगार सूचना में निर्धारित किये जाने वाले आवेदनों के प्ररूप के साथ बुलावा पत्र के लिए अलग हो सकने वाला भाग।

2. विभिन्न मूल्यों के डाक टिकट चिपकाने की बजाय डाक टिकट मूल्यों के मुद्रण के लिए फ्रैंकिंग मशीनों का उपयोग।

3. लोकप्रिय कोटि की परीक्षा के मामले में आवेदनों की प्रारंभिक संवीक्षा समाप्त करना।

4. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण के अलावा विभिन्न प्रमाण-पत्र केवल साक्षात्कार के समय ही प्रस्तुत किये जायें।

5. केवल चुने गये उम्मीदवारों को ही परिणाम की सूचना देना।

6. स्वचालित रोल नम्बर स्टैम्पिंग मशीन का उपयोग करना ।

7. परीक्षा केन्द्रों की संख्या यथासंभव न्यूनतम रखी जाये और ये संबद्ध रेल सेवा आयोगों के अधिकार-क्षेत्र में ही रखे जायें ।

8. उत्तर पुस्तिकाओं की सरलीकृत मेनुअल विधि से जांच ।

9. नियत तिथि और बाद में प्राप्त सभी अवेदनों पर रेल सेवा आयोग कार्यालय में मोहर लगाई जाये और देरी से प्राप्त आवेदनों को "देरी से प्राप्त" पृष्ठांकित करके अलग रखा जाये ।

10. रेल सेवा आयोग के कार्यालय में परीक्षा के बाद प्राप्त उत्तर पुस्तिकाएं बंडलों के खोले बगैर ही मूल्यांकन के लिए भेजी जाएं ।

11. मूल्यांकन के बाद रेल सेवा आयोगों में प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं को मौखिक परीक्षा होने तक न खोलना, मौखिक परीक्षा के लिए बुलावा-पत्र मूल्यांकनकर्ताओं से प्राप्त अंक-तालिकाओं के आधार पर ही जारी किये जायें ।

12. साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या से ढाई गुणा तक सीमित रखना, सिवाय परिचालनिक कोटियों के जहां पर संख्या मनोवैज्ञानिक परीक्षा में असफल होने पर पूर्ति के लिए पदों के पांच गुणा तक सीमित हो ।

भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित अधिक कार्यों के लिए यथासंभव कम्प्यूटरों का प्रयोग बढ़ाया जाना ।

आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षण संस्थान

*918. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आदिवासी देशों में व्यावसायिक शिक्षण संस्थान खोलने के लिए कोई कार्यक्रम बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में खोले गए म्यावसायिक शिक्षण संस्थानों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) देश के जनजातीय क्षेत्रों में कई व्यावसायिक संस्थान चल रहे हैं, यद्यपि जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक संस्थान खोलने का अलग से कोई कार्यक्रम नहीं है ।

(ख) बिहार राज्य में कार्य कर रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पालिटेक्निकों की सूची एक विवरण के रूप में सभा पटल पर रख दी गई है ।

विवरण

बिहार राज्य में कार्य कर रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पालिटेक्निकों की सूची

क्रम संख्या	नाम
1	2
1.	औ० प्र० सं० भागलपुर
2.	औ० प्र० सं० बोकारो
3.	औ० प्र० सं० बेगुसराय
4.	औ० प्र० सं० बुसुर
5.	औ० प्र० सं० बीरपुर
6.	औ० प्र० सं० बेटिया
7.	औ० प्र० सं० छिबासा
8.	ओ० प्र० सं० डीघाघाट, पटना
9.	औ० प्र० सं० दरभंगा
10.	औ० प्र० सं० देहरी-ओन-सोने, सहाबाद
11.	औ० प्र० सं० धनबाद
12.	औ० प्र० सं० दुमका
13.	औ० प्र० सं० दत्तन गंज
14.	औ० प्र० सं० फोरबेसगंज
15.	औ० प्र० सं० गया
16.	औ० प्र० सं० घीगरदी
17.	औ० प्र० सं० हजारी बाग
18.	औ० प्र० सं० हथुआ
19.	औ० प्र० सं० कटीहर
20.	औ० प्र० सं० मुजफ्फरपुर

1	2
21.	औ० प्र० सं० मुंगेर
22.	औ० प्र० सं० मधोरा
23.	औ० प्र० सं० नवादा
24.	औ० प्र० सं० मोतीहारी
25.	औ० प्र० सं० रांची
26.	औ० प्र० सं० रांची
27.	औ० प्र० सं० सुपोल
28.	औ० प्र० सं० सीतामढ़ी
29.	औ० प्र० सं० साहिबगंज
30.	महिलाओं के लिए औ० प्र० सं०, रांची
31.	महिलाओं के लिए औ० प्र० सं०, पटना
32.	तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, फूडी (रांची)
33.	लोयोला औद्योगिक स्कूल, कुर्जी पटना
34.	राजकीय पालिटेक्निक, गुलजार बाग पटना-7
35.	राजकीय पालिटेक्निक, रांची
36.	राजकीय पालिटेक्निक, मुजफ्फरपुर पिन-842001
37.	राजकीय पालिटेक्निक, भागलपुर-812003 बरारी
38.	राजकीय पालिटेक्निक, दरभंगा
39.	राजकीय पालिटेक्निक, पुर्णिया
40.	राजकीय पालिटेक्निक, दुमका, संथल पी० जी० एन०
41.	नया राजकीय पालिटेक्निक, पटना-13, पाटलीपुत्र कालोनी
42.	राजकीय पालिटेक्निक, बरौनी
43.	राजकीय पालिटेनिक, धनबाद
44.	राजकीय पालिटेक्निक, गया

1	2
45.	राजकीय पालिटेक्निक, सहरसा
46.	राजकीय महिला पालिटेक्निक, रांची
47.	खनन संस्थान, धनवाद
48.	खनन संस्थान, कोडरमा हजारीबाग
49.	खनन संस्थान, इहागा (धनबाद)
50.	राजकीय पालिटेक्निक, पी० ओ० आदियापुर, जिला : सिहभूम, बिहार

श्रीलंका पर आक्रमण की स्थिति में ब्रिटिश सरकार से सहायता

*920. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए इस वक्तव्य की की ओर दिलाया गया है कि यदि उनके देश पर कोई तीसरा देश आक्रमण करता है तो ब्रिटिश सरकार श्रीलंका की सहायता करेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भारत के लिए धमकी और चेतावनी है; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां। श्रीलंका के राष्ट्रपति के 7 अप्रैल, 1984 के एक भाषण का हवाला देते हुए उनके इस कथन की उद्धृत किया गया है कि "ब्रिटेन ने श्रीलंका के साथ इस आशय के एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं कि श्रीलंका की स्वाधीनता और संप्रभुत्ता पर खतरे की स्थिति में वह श्रीलंका की मदद करेगा। यह करार रद्द कर नहीं हुआ है और मुझे उम्मीद है कि अगर जरूरत पड़ी तो ब्रिटेन हमारी सहायता करेगा।"

श्रीलंका राष्ट्रपति यूनाइटेड किंगडम की सरकार और सीलोन सरकार के बीच 1948 के रक्षा करार का जिक्र कर रहे थे।

(ख) और (ग), किसी भी क्षेत्र में विदेशी सैन्य उपस्थिति के प्रति भारत का विरोध सुविदित है। दक्षिण एशिया क्षेत्र पर भी यही बात लागू होगी।

गुजरात और उड़ीसा में पीलिया तथा मलेरिया महामारी का प्रकोप

*921. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात और उड़ीसा में पीलिया तथा मलेरिया बीमारियों ने महामारी का रूप धारण कर लिया है;

(ख) पिछले छः महीनों में गुजरात और उड़ीसा में मलेरिया तथा पीलिया से कुल कितने व्यक्ति ग्रस्त हुए;

(ग) पिछले छः महीने के दौरान इन दो राज्यों में कुल कितने व्यक्तियों की इन बीमारियों से मृत्यु हुई; और

(घ) सरकार द्वारा बीमारी को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) सरकार को गुजरात के कुछ जिलों में विषाणुज पीलिया और गुज़रात तथा उड़ीसा राज्यों में मलेरिया के फैलने की जानकारी है। गुजरात राज्य से मिली सूचना के अनुसार 29 अप्रैल, 1994 तक जूनागढ़ जामनगर, मेहसाना, अहमदाबाद और बड़ौदा जिलों में लगभग 2591 व्यक्ति विषाणुज पीलिया से ग्रस्त हुए और 314 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने इस प्रकोप की जांच और आवश्यक उपचारी/रोगरोधी उपाय सुझाए। फलस्वरूप राज्य सरकार ने उपचारी उपाय तेज कर दिए हैं। विषाणुज पीलिया की घटनाओं पर काबू पाने के लिए अस्पतालों में अलग वार्ड खोल दिए गए हैं और स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी उपायों को तेज कर दिया गया है। स्थानीय निकायों को सार्वजनिक जल प्रदाय पद्धति को प्रदूषण से बचाने और पेय जल की गुणवता की मानीटरिंग करने की सलाह दी गई है। विषाणुज पीलिया के बारे में उड़ीसा से अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार गुजरात में 179588 व्यक्ति मलेरिया से ग्रस्त हुए लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हुई तथा उड़ीसा में 99783 व्यक्तियों को मलेरिया हुआ और 9 व्यक्तियों की मलेरिया से मृत्यु हुई। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रही संशोधित कार्य योजना के अधीन समुचित उपचारी उपाय किए गये/किए जा रहे हैं।

प्रतिभा पलायन की रोकथाम के लिए प्रोत्साहन

*922. **श्री राम लाल राही** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को एक योजना के अन्तर्गत विदेशों में रहने वाले अस्सी प्रतिभाशाली भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत लौटते की अपनी इच्छा प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत लौटने पर उन्हें अच्छे पदों पर नियुक्त करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) इन वैज्ञानिकों को उनकी अर्हताओं और अनुभव के अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के अनुसंधान काडर की उपयुक्त नौकरियों में नियुक्त करने के लिए विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ) इन अधिकारियों के बायोडेटा की जांच की जा रही है और यह कार्य एक महीने के अन्दर पूरा हो जाने की आशा है।

अन्धेपन को नियंत्रित करने के लिए योजनाएं

*923. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्धेपन को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कोई योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं;

(ख) क्या ये योजनाएं उड़ीसा राज्य में भी प्रारम्भ की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो अब तक उपरोक्त मामले में उड़ीसा के लोगों को क्या लाभ प्रदान किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) . (घ) एक विवरण लोक सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम सारे देश में शुरू किया गया है और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित सेवाएं विकसित की गई हैं :

1. **चलते-फिरते एकक** :

नेत्र परिचर्या की शल्य चिकित्सा सहित व्यापक सेवाएं प्रदान करने के लिए कटक, बुर्ला और बहरामपुर चिकित्सा कालेजों में तीन चलते-फिरते एकक स्थापित किए गए हैं।

2. **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र** :

60 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को नेत्र विज्ञान सम्बन्धी उपकरण सप्लाई दिए गए हैं। 40 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नेत्र सहायक तैनात किए गए हैं।

3. जिला अस्पताल :

13 जिला अस्पतालों का विकास किया गया है।

4. मेडिकल कालेज :

2 मेडिकल कालेजों का, एक बहरामपुर में और दूसरा कट्टक में, दर्जा बढ़ाया गया है।

5. नेत्र चिकित्सा सहायकों के लिए ट्रेनिंग स्कूल

बरहामपुर और कटक के मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध हो केन्द्रों में 59 छात्र पहले ही प्रशिक्षित हो चुके हैं तथा 66 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

6. मोतियाबिंद आपरेशन :

वर्ष 1982-83 में उड़ीसा के लिए जो 20,000 मोतियाबिंद आपरेशनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसमें से 15,009 आपरेशन किए गए। वर्ष 1983-84 में 30,000 मोतियाबिंद आपरेशन करने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से 1983 के दिसम्बर के अंत तक 8518 आपरेशन किए जाने की सूचना दी गई है।

7. वित्तीय सहायता :

इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं के विकास हेतु उड़ीसा सरकार को वर्ष 1983-84 में 21.15 लाख रु० की राशि प्रदान की गई।

भाषायी अल्पसंख्यकों को सुविधाएं

***924. श्री एन० डेनिस :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी मातृ भाषा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए सुविधाएं देने हेतु कोई कदम उठाये हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 350-क में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों से सम्बन्धित बच्चों के लिये प्राथमिक स्तर पर मातृ भाषा में शिक्षा प्रदान करने की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये तैयार किए गए अन्य रक्षोपायों में, यदि सारे स्कूल में उस भाषा के बोलने वाले कम से कम 40 छात्र हैं अथवा किसी कक्षा में ऐसे 10 छात्र हैं तो एक अध्यापक नियुक्त करके प्राथमिक स्तर पर मातृ भाषा के माध्यम से अध्यापन की व्यवस्था और यदि अन्तिम चार कक्षाओं में कम से कम 60 छात्र हैं और प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र हैं तो माध्यमिक स्तर पर मातृ भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था शामिल है।

कछार, असम में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना

*925. **श्री चित्त बसु** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम के कछार जिले में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने के सम्बन्ध में निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अमूल द्वारा 'हाइड्रोजन पेरोक्साइड' का उपयोग

9596. **श्री हरीश कुमार गंगवार** :

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार :

श्री हरिकेश बहादुर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अमूल सहकारी समिति दूध में 'हाइड्रोजन पेरोक्साइड' का उपयोग करती रही है (इंडिया, 2 जनवरी, 1984), जिसमें 'थियोसाइनेट' अन्तर्विष्ट होता है और जिसके कारण 'थाइराइड' असंतुलन और गलगंड हो जाता है और यदि हां, तो उसके लिये क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार का अमूल सहकारी समिति में 'फील्ड ट्राइल्स' के अन्तर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से 'हाइड्रोजन पेरोक्साइड' का उपयोग, जो कि गैर कानूनी है, तुरंत बन्द करने और विधि के अन्तर्गत उचित कानूनी दण्डात्मक कार्यवाही करने का विचार है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और उसके अन्तर्गत बने नियमों में हाइड्रोजन पर-आक्साइड दूध के परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि अमूल वाले हाइड्रोजन पर-आक्साइड का गैर-कानूनी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। खाद्य और औषध प्रशासन 'गुजरात ने सूचित किया है कि उक्त परिरक्षक के इस्तेमाल का कोई मामला उनके ध्यान में नहीं आया है। वैसे, गुजरात राज्य की सरकार को सलाह दी गयी है कि जहां कहीं जरूरी हो वे आवश्यक कार्यवाही करें।

जनजाति क्षेत्रों में स्कूल और कालेज खोलना तथा चलाना

9597. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान हैदराबाद से प्रकाशित होने वाले दिनांक 16 फरवरी, 1984 के दैनिक "न्यूजटाइम" में "ट्राइबल कल्चर नाट प्रोटेक्टेड" (जनजाति संरक्षण नहीं किया गया) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार देश के जनजाति क्षेत्र में स्कूल तथा कालेज खोलने व उन्हें चलाने के सम्बन्ध में उचित प्रयास नहीं कर रही है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो जनजातियों को शिक्षा प्रदान करने के लिये केन्द्रीय सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जनजातीय क्षेत्रों में सभी स्तरों पर शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सरकार सभी सम्भव उपाय कर रही है। इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों में शामिल है : जनजातीय उपयोजना तैयार करना, शिक्षा की वैकल्पिक समर्थक प्रणाली के रूप में अनौपचारिक शिक्षा को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने की योजना आरम्भ करना, जनजातीय भाषाओं में पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकें, प्राइमर और फोनेटिक रीडर तैयार करना; राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों को जनजातीय क्षेत्रों में कालेज खोलने के लिए वित्तीय सहायता देना, प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने और प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में 20 सूत्री कार्यक्रम का क्षेत्रीय बैठकों के माध्यम से निरीक्षण और राज्य सरकारों की तिमाही रिपोर्टों का विश्लेषण करना/इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे आश्रम जैसे स्कूल और आवश्यकता पर आधारित कालेज खोलने को प्रोत्साहित करें, स्कूल भवनों और शिक्षकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में बकाया पड़े कार्य को निपटाएं, प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के सहायक स्कूलों के रूप में शिशु सदन/पूर्व प्राथमिक स्कूल की व्यवस्था करें और स्कूल में अध्यापिकाएं नियुक्त करें तथा प्रारम्भिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति के बच्चों की निश्चलता को समाप्त करने के लिए ग्रेड रहित प्रणाली को लागू करे।

फेडरेशन आफ रेलवे आफिसर्स एशोसिएशन की ओर से अभ्यावेदन

9598. **श्री के० ए० राजन :**
श्री नारायण चौबे :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "फेडरेशन आफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन" की ओर से महाप्रबन्धकों और रेलवे बोर्ड के सदस्यों के पदों पर पदोन्नति संबंधी मार्गदर्शी नीति जारी करने के बारे में हाल में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जैसा कि दिनांक 21 जनवरी, 1984 के "पेट्रियट" में "टसल फार टाप पोस्टस इन रेल बोर्ड" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) फेडरेशन आफ रेलवे आफीसर्स एशोसिएशन से 9-8-83 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। उसमें, फेडरेशन आफ रेलवे आफीसर्स ऐशोसिएशन ने विभिन्न संगठित रेल सेवाओं के अधिकारियों को, महाप्रबंधकों, समरूपी पदों और उससे ऊंचे पदों पर पदोन्नति के समान अवसर प्रदान किए जाने के कुछ सुझाव दिये थे। इन सुझावों को नोट कर लिया गया है।

अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना

9599. **श्री निर्मल सिन्हा** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने संबंधी नीति को कहां तक क्रियान्वित किया गया है;

(ख) प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 6 वर्ष से 11 वर्ष तक की आयु के अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित बच्चों की संख्या क्या है; और

(ग) इस संख्या का तथा इसी आयु के उन बच्चों की संख्या का अनुपात क्या है, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) प्राथमिक शिक्षा सहित स्कूल शिक्षा मूल रूप में राज्यों का उत्तरदायित्व है और अधिकांशत: इसका प्रबन्ध उनके द्वारा ही किया जाता है। प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा (I-VIII) को सर्वसुलभ बनाने का कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के बच्चों सहित सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। यह कार्यक्रम लक्ष्यबद्ध ग्रुप के लिए है। अनु० जा०/अनु० जन० जा०, भूमिहीन

कृषि मजदूरों, शहरी गन्दी बस्तियों में रहने वालों के बच्चों आदि सहित समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को दाखिल करने में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। समुदायवार अलग-अलग एकत्र नहीं किए जाते।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेकनोलाजी में पुर्नानियुक्ति सेवा की अवधि बढ़ाया जाना

9600. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इण्डियन इन्टीट्यूट आफ टेकनोलाजी जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों ने वर्ष 1983 के दौरान कितने लोगों को पुर्नानियुक्ति दी। कितने लोगों की सेवा अवधि बढ़ाई और पुर्नानियुक्ति दिये जाने सेवा अवधि बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : वर्ष 1983 के दौरान, पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने नियमों के अनुसार कुल 14 व्यक्तियों को पुनः रोजगार दिया है। ये सभी व्यक्ति शैक्षिक स्टाफ के सदस्य थे तथा उनको पुनः रोजगार दिया जाना छात्रों के हित में तथा शिक्षण और अनुसंधान सम्बन्धित मार्गदर्शन के प्रयोजन के लिए था।

तदर्थ आधार पर काम कर रहे उत्तर रेलवे के पूछताछ और आरक्षण क्लर्क

9601. **श्री भीखा भाई** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1979 महिला आरक्षण क्लर्कों की भर्ती से पहले तदर्थ आधार पर काम कर रहे उत्तर रेलवे के पूछताछ और आरक्षण क्लर्कों को केवल महिलाओं को भर्ती करने सम्बन्धी नीति, परिवर्तन के कारण अत्यधिक विलम्ब से स्थायी किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार महिलाओं की भर्ती से पहले, जबकि रेलवे बोर्ड ने नीति में परिवर्तन किया था, काम कर रहे कर्मचारियों को वरिष्ठ मानने का है;

(ग) क्या यह सच भी है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अपना यह निर्णय दिया था कि पहले से काम कर रहे कर्मचारी वरिष्ठ होंगे; और

(घ) उन कर्मचारियों के मानसिक उत्पीड़न को दूर करने के लिए क्या कदम उठायेंगी जो महिलाओं की भर्ती से दो से दस वर्ष तक की अवधि से पहले से काम कर रहे हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं। इन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया है।

(ख) संदर्भाधीन कर्मचारियों की वरिष्ठता नियमों के अनुसार निर्धारित की गई है।

(ग) जी नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला, पुरुष तथा महिला कर्मचारियों को एक ही कार्यालय में साथ-साथ काम करते रहने के समय तक समान माने जाने के संबंध में है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई के पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा गोला-गिरी के खेप जारी किया जाना

9602. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी ने, भारी मात्रा में नारियलगिरी की एक खेप जो कि बहुत ही सड़ी-गली अवस्था में थी और फुंगस ग्रस्त थी, व सार्वजनिक खपत के लिए जारी किया गया था।

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले की जांच की है; और

(घ) इस मामले में यदि कोई अधिकारी दोषी पाए गए हैं, तो सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) सरकार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें बम्बई बंदरगाह पर कोपरा की आयातित खेप को छुड़ाने में पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी, बम्बई और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के दो अधिकारियों के शामिल होने के बारे में कहा गया था। यह माल मिलावटी था और मानव उपयोग के योग्य नहीं था।

सम्बन्धित पत्तन स्वास्थ्य अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से सम्बन्धित दो अधिकारियों को चेतावनी दी गई थी जिसे उनके रिकार्ड में रखा गया है।

समाजवादी देशों के चिकित्सा स्नातकों को वृत्तिका प्रदान करना

9603. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् ने सभी राज्य सरकारों तथा स्वास्थ्य विभाग के सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उन सभी चिकित्सा स्नातकों के लिए वृत्तिका प्रदान करने के निर्देश

दिए हैं जिन्होंने भारत में 'इन्टनी' के रूप में एक वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान विदेशों से डिग्री प्राप्त की हो;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्य उन छात्रों को अब तक वृत्तिका प्रदान नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने समाजवादी देशों से चिकित्सा डिग्री प्राप्त कर रखी है तथा इस असंगति को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या पटना के तथा बिहार के अन्य चिकित्सा कालेजों; अस्पतालों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे ऐसे चिकित्सा-स्नातकों को वृतिका प्रदान नहीं की गई है, और

(घ) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ((**श्री बी० शंकरानन्द**) : (क) हां।

(ख) भारत सरकार के पास इस समय यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) बिहार सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से कुछ जानकारी मांगी है जिससे कि वे इस योजना को लागू कर सकें।

हिन्दुस्तान कंसट्रक्शन वर्कर्स यूनियन मेट्रो रेलवे वर्क्स कलकत्ता से प्राप्त ज्ञापन

9604. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय को हिन्दुस्तान कंसट्रक्शन वर्कर्स यूनियन मैट्रो रेल वर्क्स कलकत्ता से 31 दिसम्बर, 1983 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में क्या मागें रखी गई हैं; और

(ग) उक्त ज्ञापन में अन्तर्विष्ट मांगों को तय करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) ज्ञापन में रखी गयी मागें इस प्रकार हैं :—

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन
2. संरक्षा उपकरणों की व्यवस्था
3. अन्य सांविधिक लाभों की व्यवस्था
4. आवास

5. न्यूनतम मजदूरी और स्वास्थ्य सेवा के संबंध में धारा 4-बी में सुरंग सम्बन्धी कार्य में आने वाली विशेष समस्याएं

6. चिकित्सा लाभ आदि

7. मेट्रो रेलवे में कामगारों का समाहन

(ग) जांच से पता चला है कि संबंधित नियम, उप नियम और विनियम जहां लागू होते हैं, भाग (ख) में उल्लिखित मद (1) से (6) के संबंध में मैसर्स एच० सी० सी० लि० द्वारा सभी का अनुपालन किया गया है। जहां तक मद (7) का सम्बन्ध है, आवेदनकर्त्ता मैसर्स एच० सी० सी० लि०, जो मेट्रो रेलवे के एक ठेकेदार हैं, के लिए कार्य कर रहे हैं। ठेकेदारों द्वारा नियोजित किये गये कामगारों को समाहित करने के लिए मेट्रो रेलवे का कोई दायित्व नहीं है।

खड़गपुर वर्कशाप में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती

9605. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खड़गपुर वर्कशाप में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती के लिए जनवरी, 1984 में नोटिस जारी किए गए थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त नोटिस अचानक रद्द कर दिए गए हैं और नियुक्ति के लिए, लिए जा रहे साक्षात्कार रोक दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या ऐसा प्रधान मन्त्री द्वारा रोजगार पर लगाए गए प्रतिबन्ध के कारण किया गया है?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) उम्मीदवारों का साक्षात्कार, जो 19 जनवरी, 1984 को आरम्भ हुआ था, 20 जनवरी से रोक दिया गया था क्योंकि इस भर्ती में हुई कथित अनियमितताओं की शिकायतों की जांच की जानी थी।

कोठारी जनरल फूड मद्रास द्वारा उत्पादित जे० यू० सी० नामक उत्पाद

9606. **श्री चिंतामणि जेना** :
श्री धर्मवीर सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोठारी जनरल फूड मद्रास द्वारा उत्पादित और वोल्टास द्वारा वितरित जे० यू० सी० नाम के एक उत्पाद का पता है,

(ख) क्या इस उत्पाद में कोई जूस (रस) है;

(ग) क्या यह जे० यू० सी० नाम का उत्पाद खाद्य मिलावट निरोधी अधिनियम के नियम 37 के उपबन्धों का उल्लंघन कर रहा है और जनता को इसमें जूस होने का भ्रम पैदा कर रहा है जबकि वास्तव में इस उत्पाद में कोई जूस नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी): (क) से (घ) मैसर्स कोठारी जनरल फूड्स, मद्रास के वोल्टाज द्वारा वितरित उत्पाद जे० यू०-सी का लेबल खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के नियम 37-क के अन्तर्गत अनुमोदन के लिये इस मंत्रालय को मिला था। विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर उस फर्म से इस लेबल पर यह छापने के लिए कि इसमें कोई रस या गूदा नहीं है "तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कुछेक अन्य संशोधनों के साथ इस उत्पाद का नाम बदलने के लिए कहा गया है। इस फर्म ने अभी तक संशोधित लेबल अनुमोदन के लिये नहीं भेजा है।

समुद्री धोखाधड़ी और डकैती के कारण होने वाली वार्षिक वित्तीय हानि

9607. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री परिवहन के दौरान होने वाली धोखाधड़ी और डकैतियों के परिणामस्वरूप, जिससे कि समुद्री परिवहन की विश्वसनीयता में कमी आई है और समुद्री परिवहन भी महंगा हो गया है, गत तीन वर्षों के दौरान भारतीयों को कितनी औसत वार्षिक वित्तीय हानि हुई है; और

(ख) क्या सरकार का विचार 'अंकटांड अध्ययन द्वारा हाल ही में जारी की गई सिफारिशों को स्वीकार करने का है जिसमें ये सुझाव दिए गए हैं कि बैंकिंग नियमों में सुधार किया जाए, पोत स्वामियों और संचालकों की अधिक जबावदेही के लिए बेहतर प्रावधान किए जाएं तथा समुद्री यात्रा में धोखाधड़ी करने वाले और डकैती डालने वालों पर काबू पाने के लिए सरकारी अधिकारियों को न्यायिक और प्रत्यार्पण के अधिक अधिकार दिए जाएं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) अंकटाड के तदर्थ कार्यदल ने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। जिसमें 17 फरवरी, 1984 की अपनी बैठक में समुद्री व्यापार में धोखाधड़ी के सभी पहलुओं पर विचार किया था। इस दल को अगली बैठक के 1985 में होने और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने की संभावना है। भारत सरकार इन सिफारिशों के मिलने पर विचार करेगी।

जल विकास योजनाओं के विस्तार के कारण रोगों में वृद्धि

9608. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अक्तूबर, 1983 के 'ट्रिब्यून' में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक मासिक 'वर्ल्ड हैल्थ फोर्म' के एक लेख का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत सहित विकासशील देशों में जल विकास योजनाओं के विस्तार के कारण मलेरिया, डेंगू बुखार, मस्तिष्क ज्वर, हैजा और पेचिस के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो समाचार-पत्रों में प्रकाशित निष्कर्षों और उक्त लेख के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन निष्कर्षों की ओर ध्यान देगी और देश में इसका सर्वेक्षण करेगी और पेय जल सप्लाई योजनाओं के निष्पादन में पर्याप्त सुरक्षा बरतेगी या आवश्यक संशोधन सुनिश्चित करेगी ताकि इन रोगों में वृद्धि न होने पाये।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी हां। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन पत्रिका (जर्नल) में प्रकाशित लेख में भारत का कोई विशेष उल्लेख नहीं है।

(ख) और (ग) सरकार को जल विकास योजनाओं के विस्तार के कारण पारिस्थितिक प्रक्रिया में अव्यवस्था पैदा हो जाने से स्वास्थ्य पर पड़ सकने वाले प्रतिकूल प्रभावों की पूरी-पूरी जानकारी है। जहां-कहीं जरूरी समझा जाता है, रोकथाम के आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

देश में थिएटर कम्पनियां

9609. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में काम कर रही थिएटर कम्पनियों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए कोई वित्तीय सहायता दी जा रही है; और

(ग) उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) संस्कृति विभाग थियेटर कम्पनियों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती लेकिन थियेटर कला सहित प्रदर्शन कला स्वरूपों की प्रोन्नति और परिरक्षण के लिए स्थापित केवल स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को देती है ।

रामकृष्णपुरम के केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना औषधालयों में कर्मचारियों की अपर्याप्तता, दवाइयों की कमी और कर्मचारियों के व्यवहार के बारे में शिकायत

9610. **श्री रशीद मसूद** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों में कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या, दवाईयों की कमी और कर्मचारियों के अभद्र व्यवहार की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिन्हें विभिन्न कल्याण संस्थाओं/एशोसिएशनों द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के ध्यान में लाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो रामकृष्णपुरम में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना औषधालयों के कार्यकरण में सुधार, कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या की कमी और दवाईयों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और कदाचार में लिप्त पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) आर० के० पुरम में औषधालयों के काम-काज के बारे में कुछेक शिकायतें मिली हैं । इन शिकायतों की जांच करके आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ।

परेल स्थित लोको वर्कशाप में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारी

9611. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के अन्तर्गत परेल स्थित लोको वर्कशाप में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को वहां कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के हितों के संबंध में रेलवे बोर्ड के निदेशों का कार्यान्वयन न होने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) अनु० जाति : 1061
अनु० जनजाति : 307

(ख) और (ग) लोको वर्कशाप, परेल में कार्यरत अनु०जाति/अनु० जनजाति के कर्मचारियों से इस आशय की 54 शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि रेलवे बोर्ड के निर्देशों को क्रियान्वित नहीं किया गया। 53 शिकायतों की जांच और निपटारा कर दिया गया है। शेष एक शिकायत की जांच की जा रही है।

बी० सी० जी० वैक्सीन लेबोरेटरी मद्रास में कनिष्ठ तकनीकी अधिकारियों सम्बन्धी रोस्टर

9612. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बी० सी० जी० वैक्सीन लेबोरेटरी, मद्रास में कनिष्ठ तकनीकी अधिकारियों (ग्रुप 'बी' राजपत्रित और सहायक तकनीकी अधिकारी 'ग्रुप बी' अराजपत्रित) के सम्बन्ध में कोई स्तर नहीं रखा गया और उससे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के अधिकारियों को पदोन्नति से वंचित कर दिया गया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) ये पद कब बनाये गए थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि जिस समय ये पद बनाए गए थे उस समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के पात्र उम्मीदवार उपलब्ध थे और किन परिस्थितियों में उनको उचित पदोन्नतियां नहीं दी गईं; और

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के पात्र उम्मीदवार को उपरोक्त पदों पर कब पदोन्नतियां दी जाएंगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) नहीं। बी० सी० जी० वैक्सीन प्रयोगशाला, मद्रास में समूह "घ" (राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों) पदों के लिए आरक्षण रोस्टर नियुक्तियां करने वाले प्राधिकरण द्वारा रखा जाता है।

(ख) कनिष्ठ तकनीकी अधिकारियों के स्वीकृत पदों की वर्तमान संख्या तीन है, जिनमें से एक पद 1957 में, दूसरा 1970 में और तीसरा 1978 में बनाया गया था। जहां तक सहायक तकनीकी अधिकारियों के पदों का सम्बन्ध है, उनकी स्वीकृत संख्ता तीन है, जिनमें से दो पद 1968 में और एक पद 1970 में बनाया गया था।

(ग) और (घ) : इन पदों पर भर्ती पूर्णतया इन पदों के भर्ती नियमों में की गई व्यवस्था,

तथा रोस्टर स्थिति के अनुसार की गई है और इस सम्बन्ध में उनमें कुछ परिवर्तन नहीं किया गया है। भविष्य में इन पदों पर नियुक्ति करते समय भी इसी विधि का पालन किया जाएगा।

अखिल भारतीय अनुसूचित जातियों और अनुसूजित जन-जातियों के रेलवे कर्मचारी संघ से ज्ञापन

9613. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको मध्य रेलवे नागपुर डिवीजन के अखिल भारतीय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के रेलवे कर्मचारियों के संघ से दिनांक 30 मार्च, 1984 को एक पत्र सहित एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में किन समस्याओं का उल्लेख किया गया है;

(ग) उक्त ज्ञापन में दी गई प्रत्येक समस्या के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) श्री समर मुखर्जी, संसद सदस्य से दिनांक 30-3-84 का एक पत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने इस पत्र में अनुरोध किया है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति रेल कर्मचारी संघ, मध्य रेलवे, नागपुर मंडल के 30-3-84 को मुझे प्रस्तुत किये गये ज्ञापन में उठाये गये मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई की जाए लेकिन यह ज्ञापन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

इटवाडी ग्रुप में स्टेशन मास्टरों द्वारा ठेके कार्यों में कथित अनियमितताएं

9614. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटवाड़ी ग्रुप में स्टेशन मास्टरों को सौंपे गए ठेके के कार्यों में लेखा परीक्षकों द्वारा गंभीर अनियमितताएं हुई बताई गई हैं, यदि हां, तो अतिरिक्त अधिक भुगतान रोकने के लिए क्या सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं;

(ख) इटवाड़ी ग्रुप स्टेशनों के लिए गोंडिया ग्रुप स्टेशनों की तरह खुली निविदाएं आमंत्रित न करने के क्या कारण हैं और क्या इटवाड़ी ट्रांसशिपमेंट शैडज में पिछले लगभग 30 वर्षों से ठेका प्रणाली चल रही थी;

(ग) क्या इटबाड़ी ट्रांसशिपमेंट शैडज के स्टेशन मास्टर ने क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) नागपुर से ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 ठेका और इसके अन्तर्गत

बनाए गए नियमों के अन्तर्गत ठेका मजदूरों की भर्ती के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लिया है, यदि नहीं, तो क्या श्रम विभाग द्वारा मुकदमा चलाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) गोंडिया ग्रुप के लिए जनवरी, 1983 में प्राप्त निविदाओं सम्बन्धी बातचीत के परिणामस्वरूप कितनी बचत हुई ?

रेलमंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) स्टेशन अधीक्षक इतवारी द्वारा प्रबंधित सम्हलाई कार्य के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के बारे में लेखा परीक्षा ने कतिपय टिप्पणियां की हैं । लेकिन लेखा परीक्षा द्वारा अधिक खर्च अथवा अधिक भुगतान के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गयी है ।

(ख) नया सम्हलाई ठेका आबंटित करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं क्योंकि इतवारी में मैसर्स इलाहाबाद लेबर सप्लाई एजेंसी की ठेके की अवधि 30-11-79 को समाप्त होनी थी । इस फर्म के सामान्य निष्पादन को देखते हुए इसके ठेके की अवधि नहीं बढ़ायी गयी थी और स्टेशन अधीक्षक इतवारी को 1-12-79 से सम्हलाई ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया था । निविदा समिति ने निविदादाताओं से बातचीत की थी और 19-8-80 तथा 20-9-80 को हुई बैठकों में खर्च में किफायत करने के आधार पर स्टेशन अधीक्षक द्वारा सम्हलाई कार्य करते रहने की सिफारिश की थी जिसे मंडल रेल प्रबन्धक, नागपुर ने स्वीकार कर लिया था । उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार 1-12-79 से पहले यानान्तरण शेड सहित इतवारी ग्रुप स्टेशनों पर सम्हलाई कार्य 1957 से ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा था ।

(ग) स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) गोंदिया ग्रुप सम्हलाई ठेके के मामले में खुली निविदाएं आमंत्रित करने के लिए प्रेस अधिसूचना के प्रत्युत्तर में केवल एक निविदा प्राप्त हुई थी । निविदा का वार्षिक मूल्यांकन 10,52,031,25 रुपये था जिसे बातचीत के बाद कम करके 8,90,180 रुपये कर दिया गया था ।

माल यातायात सम्बन्धी परिचालन जानकारी आपरेशन्स इन्फारमेशन प्रणाली

9615. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने माल यातायात संबंधी परिचालन जानकारी (आपरेशन इन्फारमेशन) प्रणाली के लिए इंग्लैंड की एक फर्म को परामर्शदाता नियुक्त करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां तो उसकी शर्तें क्या हैं तथा क्या इस पर खर्च ब्रिटिश सरकार से मिलने वाले संभावित अनुदान में से वहन किए जाने की संभावना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ अन्य बिदेशी परामर्शदाता फर्मों, जैसे कनाडा की फर्म ने अपनी सेवाएं पेश की थी और यदि हां, तो उनकी शर्तें क्या थीं; और

(घ) रेलवे बोर्ड ने किंन बातों को ध्यान में रखते हुए अन्य फर्मों की अपेक्षा ब्रिटिश फर्म को यह कार्य सौंपने का निर्णय किया ?

रेलमन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलों की माल भाड़ा परिचालन और नियंत्रण प्रणाली के केन्द्रीय खंड के विकास के लिए केनाक और ट्रान्समार्क को क्रमश. कनाडियन राष्ट्रीय रेलवे और ब्रिटश रेलवे के सलाहकार स्कंध से बोली आमंत्रित की थी। इन दोनों फर्मों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जा रही है और सलाहकारों की पसंद पर निर्णय संवीक्षा की समाप्ति के बाद ही लिया जा सकता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्य निरीक्षकों द्वारा बन्दरगाह पर खाद्य-नमूने एकत्र किया जाना

9616. **श्री सज्जन कुमार : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वास्थ्य मन्त्रालय ने 1980 से लेकर अब तक कितने खाद्य निरीक्षक नियुक्त किए हैं तथा उन्हें दिल्ली से विभिन्न बन्दरगाहों, जैसे बम्बई, कांडला, मद्रास और कलकत्ता को स्थानांतरित किया है,

(ख) दिल्ली से इतने बड़े पैमाने पर उनके स्थानांतरण के क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने बन्दरगाहों पर इन निरीक्षकों को खाद्य अपमिश्रण निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत क्या काम सौंपा गया है; और

(घ) क्या उन्हें उक्त अधिनियम के अन्तर्गत खाद्य नमूने लेने की अनुमति है और यदि हां, तो इन निरीक्षकों द्वारा 1980 से लेकर अब तक वर्ष-वार कितने खाद्य नमूने लिए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) इस मन्त्रालय द्वारा नियुक्त किये गये 8 खाद्य निरीक्षकों में से 5 खाद्य निरीक्षकों का 1980 से दिल्ली से विभिन्न पोत्त-पत्तनों को तबादला किया गया।

(ख) आयातित खाद्य पदार्थों की क्वालिटी पर नियंत्रण रखने के लिये 5 खाद्य निरीक्षकों का विभिन्न पत्तनों को स्थानांतरण किया गया।

(ग) पोत-पत्तनों पर खाद्य निरीक्षकों को सौंपी गई ड्यूटियां इस प्रकार हैं :—

1. पत्तनों के अधिकार-क्षेत्र में स्थित भोजनालयों, और ऐसे ही अन्य स्थानों का निरीक्षण करना।

2. आयातित खाद्य पदार्थों का निर्धारित मानकों के अनुरूप होना सुनिश्चित करने के लिये उनके नमूने भरना।

3. सीमा शुल्क विभाग के कब्जे में पड़े अस्वाभिक खाद्य पदार्थों का निरीक्षण करना।

4. जब्त किये गये खाद्य पदार्थों का निरीक्षण और उनकी क्वालिटी की जांच करना।

5. खाद्य-पदार्थों ढोने वाले जहाजों का निरीक्षण करना।

6. जहाजों के चालक-दलों को दिये जाने वाले खाद्य पदार्थों का निरीक्षण करना।

7. जहाज में दिये जाने वाले भोजन के बारे में चालक-दल की शिकायतों की जांच करना।

8. पानी पीने योग्य है या नहीं इसका पता लगाने के लिये पानी के नमूने लेना।

9. खाद्य पदार्थों की क्वालिटी और उनके निरीक्षण के बारे में कोई भी अन्य कार्य।

(घ) हां। खाद्य निरीक्षकों द्वारा लिये गये नमूनों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	1980	1981	1982	1983
बम्बई	शून्य	86	534	350
कांडला	141	126	45	79
कलकत्ता	160	145	119	40
मद्रास	444	399	329	425

पारादीप पत्तन के प्रयोग के लिए ड्रेजर खरीदने हेतु धनराशि का अनुरोध

9617. **श्री बृजमोहन महन्ती :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन, जो मोबाइल सैक्शन ड्रेजर को, जो 1980 में ब्रेक वाटर में धंस गया था, निकालने का विचार छोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पारादीप पत्तन न्यास ने पारादीप पत्तन के प्रयोग के लिए एक ड्रेजर खरीदने हेतु 8 करोड़ रुपए मंजूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या पारादीप पत्तन द्वारा पत्तन के तलकर्षण के लिए किराये के रूप में प्रति वर्ष लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) विस्तृत जांच के बाद पत्तन न्यास इस निर्णय पर पहुंचा है कि भारी व्यय के बाद भी अगर ड्रेजर को बचा भी लिया जाय तो भी दुबारा इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और चैनेल में नौचालन के लिए इसके भग्नावशेष से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। वर्ष 1982 के भीषण तूफान से उपरोक्त निर्णय की पुष्टि हुई है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, यह विचार किया गया है कि भारी व्यय कर ड्रेजर को बचाने में आगे प्रयत्न करने से कोई भी लाभ नहीं होगा।

(ग) और (घ) सातवीं योजना में पत्तन ने एक ड्रेजर की खरीद का प्रस्ताव किया है। परदीप सहित सभी प्रमुख पत्तनों की स्कीमों को सातवीं योजना में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में अभी तक अन्तिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) गहराई बनाए रखने के लिए ड्रेजर के किराये पर परादीप पत्तन को औसत 4 करोड़ रुपये व्यय करना पड़ रहा है।

विदेशों में रह रहे भारतीय

9618. **श्री छीतूभाई गामित :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ्रीका के विभिन्न देशों में कितने भारतीय रह रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ देश भारतीयों के संबंध में भेदभावपूर्ण नीति बरत रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार इस संबंध में क्या उपाय कर रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) अफ्रीका के विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीयों और भारत मूल के लोगों की सही-सही संख्या तो ज्ञात नहीं है लेकिन अनुमानतः इनकी संख्या 20 लाख है।

(ख) भारत सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि अफ्रीकी देशों में भारतीयों के साथ कोई भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली/नई दिल्ली से शुरू होने वाली गाड़ियों के आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों का पता लगाने हेतु आकस्मिक जांच पड़ताल

9619. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए कितनी बार व्यापक आकस्मिक छापे मारे गये हैं कि दिल्ली/नई दिल्ली से शुरू होने वाली गाड़ियों के आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत यात्री प्रवेश न करें;

(ख) ये व्यापक आकस्मिक छापे कौन-कौन सी तारीख को मारे गये हैं; और

(ग) प्रत्येक अवसर पर कितने अनधिकृत व्यक्ति पकड़े गए तथा जुर्माने के रूप में उनसे कितनी धनराशि वसूल की गई ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली से चलने वाली गाड़ियों के आरक्षित सवारी डिब्बों में अनधिकृत कब्जे की जांच करने के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च, 1984 के दौरान दिल्ली, नयी दिल्ली आदि में 97 आकस्मिक जाचें की गयीं।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

जांचों की तारीख	जांचों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जिन पर भारतीय रेल अधिनियम की धारा 109 के अधीन मुकदमा चलाया गया	वसूल की गयी जुर्माने की राशि
1	2	3	4
जनवरी, 1984			
1-1-1984	2	—	—
2-1-1984	1	—	—
3-1-84	2	2	40.00
4-1-84	1	—	—
5-1-84	2	—	—

1	2	3	4
6-1-84	1	—	—
7-1-84	1	—	—
8-1-84	2	—	—
9-1-84	1	—	—
10-1-84	2	2	60.00
12-1-84	2	5	125.00
13-1-84	1	—	—
18-1-84	2	—	—
21-1-84	2	—	—
23-1-84	2	—	—
24-1-84	2	—	—
25-1-84	2	—	—
26-1-84	1	—	—
27-1-84	1	—	—
28-1-84	1	—	—
29-1-84	2	4	80.00
30-1-84	1	—	—
फरवरी, 1984			
1-2-84	1	—	—
2-2-84	1	—	—
3-2-84	2	34	680.00
4-2-84	2	—	—
5-2-84	2	—	—
6-2-84	1	—	—

1	2	3	4
7-2-84	1	—	—
8-2-84	1	—	—
9-2-84	1	—	—
10-2-84	2	—	—
11-2-84	1	—	—
13-2-84	1	—	—
14-2-84	1	17	420.00
15-2-84	1	—	—
16-2-84	2	—	—
18-2-84	1	2	40.00
20-2-84	1	—	—
21-2-84	2	—	—
22-2-84	1	—	—
23-2-84	2	—	—
24-2-84	1	—	—
25-2-84	2	—	—
मार्च, 1984			
1-3-84	2	—	—
2-3-84	2	—	—
3-3-84	1	—	—
5-3-84	1	—	—
6-3-84	1	—	—
7-3-84	1	—	—
9-3-84	2	—	—

1	2	3	4
10-3-84	1	—	—
12-3-84	2	—	—
13-3-84	1	—	—
16-3-84	2	—	—
17-3-84	1	2	40.00
18-3-84	1	—	—
19-3-84	1	—	
20-3-84	1	—	—
21-3-84	1	—	—
22-3-84	1	—	—
23-3-84	2	—	—
24-3-84	2	—	—
25-3-84	1	—	—
26-3-84	2	60	3000·00
27-3-84	1	15	550.00
28-3-84	1	42	2100.00
29-3-84	1	28	1240.00
31-3-84	1	9	180.00
	97	222	8555.00

भारतीय सड़क निर्माण निगम और उसकी विदेशी परियोजनाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व

9620. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सड़क निर्माण निगम तथा विभिन्न देशों में उनकी विदेशी परियोजनाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय सड़क निर्माण निगम द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों से सम्बन्धित कुशल/अकुशल ट्रेडधारियों, तकनीशियनों को विदेशों में रोजगार के काफी अवसर प्रदान करने का उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कोटा काफी इकट्ठा हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय सड़क निमांण निगम के कार्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को कार्य के और अधिक अवसर देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और भारतीय सड़क निर्माण निगम के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए क्या उचित पदोन्नति नीति अपनाई जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी नहीं। भारतीय सड़क निर्माण निगम अ० ज०/अ० ज० जा० के उम्मीदवारों को भारत और विदेश स्थित अपनी परियोजना की नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व देता है।

(ख) विदेशों में रोजगार के सम्बन्ध में, भारतीय सड़क निर्माण निगम, सीमा सड़क सगठन से कुशल/अकुशल ट्रेड्समैनों/तकनीशियनों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति आधार पर लेता है। निगम थोड़े से ही कुशल/अकुशल ट्रेड्समैनों की भर्ती खुले बाजार से, जब सीमा सड़क संगठन किसी भी श्रेणी के उम्मीदवारों को प्रतिनियुक्ति भेजने में असमर्थ होता है, तब कोंट्रक्ट आधार पर करती है। विदेश रोजगार के लिए अ० जा०/अ० ज० जा० के उम्मीदवारों के लिए कोंट्रेक्ट कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण/कोटा की कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि, भारतीय सड़क निर्माण निगम में अ० जा०/अ० ज० जा० के उम्मीदवारों को, यदि वे निगम द्वारा गठित चयन समिति द्वारा ली जाने वाली ट्रेड परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, तो उन्हें वरीयता दी जाती है।

(ग) भारतीय सड़क निर्माण निगम के कार्यालयों में अ० जा०/अ० ज० जा० के उम्मीदवारों को पर्याप्त कार्य अवसर दिए जाते हैं और पदोन्नति के लिए उनका कोटा नियमानुसार आरक्षित होता है।

भारत-बंगला देश सीमा पर बाड़ लगाना

9621. **श्री के० प्रधानी :**
श्री दिगम्बर सिंह :
श्री रतन सिंह राजदा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बंगलादेश की सीमा पर प्रस्तावित कांटेदार बाड़ के लिए शून्य रेखा पर ढांचे खड़े करने के परिणामस्वरूप तनाव बढ़ रहा है;

(ख) क्या बड़ी संख्या में बंगलादेशवासी भारत में प्रवेश कर रहे हैं;

(ग) क्या बंगलादेश सरकार ने कांटेदार बाड़ लगाने के विरुद्ध भारत सरकार के समक्ष कोई विरोध प्रकट किया है और यदि हां, तो किन आधारों पर प्रतिरोध किया गया है और उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस समय भारत बंगलादेश सीमा पर तनाव कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) भारत में घुसपैठ रोकने के विचार से आसाम में भारत-बंगलादेश सीमा पर कांटेदार तार की बाड़ लगाने के लिए हमारे सर्वेक्षण दल द्वारा काम शुरू करने के बाद बंगलादेश की सुरक्षा सेनाओं ने हमारे कामगारों को अपना काम करने से रोका। उन्होंने 2 अवसरों पर यानी 20 और 24 अप्रैल, 1984 को गोली भी चलाई। इससे स्वभावतः भारत-बंगलादेश सीमा पर तनाव पैदा हो गया है।

(ग) और (घ) बंगलादेश सरकार ने विरोध-पत्रों के माध्यम से बाड़ लगाने के हमारे फैसले की निन्दा की है। उनका कहना है कि बाड़ लगाना अच्छी प्रतिवेक्षि के अनुरूप नहीं है। उनका कहना है कि लोगों के अवैध रूप से जाने की कोई समस्या है ही नहीं। बंगलादेश सरकार ने यह भी दावा किया है कि बाड़ लगाना 1975 के भारत-बंगलादेश संयुक्त सीमा मार्ग-निर्देशों का उल्लंघन है जिसमें यह कहा गया है कि सीमा के 150 गज के अन्दर कोई भी रक्षा-निर्माण का कार्य नहीं किया जा सकता। भारत सरकार का कहना यह है कि इस बाड़ से बंगलादेश के साथ द्विपक्षीय व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होता क्योंकि यह बाड़ सीमा के हमारी ओर है और हम कांटेदार तार की बाड़ लगाने को रक्षा निर्माण कार्य नहीं मानते। हमें बंगलादेश से लगातार बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी उत्प्रवासन की वजह से, जिससे बंगलादेश के साथ लगे हमारे प्रदेशों में गंभीर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जन-सांख्यिकी समस्याएं पैदा हो गई हैं, मजबूरन यह कदम उठाने का निश्चय करना पड़ा है। अगस्त, 1983 में जब मैं ढाका गया था तो मैंने बंगलादेश के राष्ट्रपति लेफ्टि० जनरल एच० एम० इरशाद से कहा था कि बाड़ लगाना हमारे दोनों देशों के बीच कोई मसला नहीं है। हमने राजनयिक सूत्रों के माध्यम से बंगलादेश सरकार को कहा है कि उसकी हाल की कार्रवाइयों से जो तनाव पैदा हुआ है, उसे उन्हें दूर करना चाहिए और उन्हें अपने प्रदेश के भीतर बाड़ लगाने के हमारे संप्रभुतात्मक अधिकार को स्वीकार करना चाहिए।

भारत सरकार बंगलादेश सरकार के साथ वर्तमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को कायम रखना और मजबूत बनाना चाहती है और उम्मीद करती है कि बंगलादेश सरकार बाड़ लगाने के कारणों को समझेगी और हमारी भावनाओं का आदर करेगी।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल में अनियमितताएं

9622. **श्री रेणुपद दास** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल में अनियमितताओं और अनुचित श्रम प्रथाओं की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो शिकायतें वास्तव में किस प्रकार की हैं;

(ग) क्या शिकायतों की कोई जांच कराई गई थी;

(घ) क्या मंत्रालय को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के कर्मचारियों से दिनांक 2 अप्रैल, 1984 को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) अभ्याबेदन की मुख्य बातें क्या हैं और उन पर मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (ङ) मंत्रालय को भोपाल स्थित पासपोर्ट कार्यालय के कामकाज के बारे में शिकायतें मिली हैं जिनमें बिना हस्ताक्षर और बिना तारीख की एक शिकायत भी शामिल है जो शायद पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल के कर्मचारियों की है।

इस मंत्रालय के एक अधिकारी को जांच-पड़ताल का काम सौंपा गया था और जांच के दौरान उसने यह पाया है कि बहुत थोड़े मामलों में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, लेकिन उस कार्यालय में कोई अनुचित श्रमिक प्रथा नहीं अपनायी जा रही है। मंत्रालय ने पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल के ढांचे में प्रशासनिक परिवर्तन लाने के समुचित उपाय किए हैं। जांच अधिकारी ने यह भी बताया है कि उस कार्यालय में पासपोर्ट सम्बन्धी कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और आवेदकों को पासपोर्ट तथा पासपोर्ट सम्बन्धी विविध सेवाएं मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ही मिल रही है।

अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ द्वारा 6-सूत्री मांगों के लिए आन्दोलन

9623. **श्री अजित बाग** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूरे देश के 450 केन्द्रीय विद्यालयों के लगभग 2500 अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करने वाला अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ अपनी 6 सूत्री मांग को पूरा करवाने के लिए 1982 से शान्ति-पूर्ण ढंग से आन्दोलन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं;

(ग) इन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि मांगों को पूरा करने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) जी, हां । छः सूत्री मांग पत्र में निम्नलिखित 9 मामले निहित हैं :—

(i) (क) अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ को विधितः मान्यता प्रदान करना।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन और इसके शामी बोर्ड में अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संच का प्रतिनिधित्व ।

(ii) सभी स्तरों पर संयुक्त परामर्श तन्त्र बनाना ।

(iii) वेतनमानों का सार्थक संशोधन ।

(iv) अध्यापकों के सभी वर्गों के लिए 8 वर्षों के बाद समयबद्ध प्रवरण ग्रेड प्रदान करना।

(v) (क) आन्तरिक पदोन्नति कोटे में 75% तक वृद्धि करना ।

(ख) सभी वर्गों के लिए उनके सेवाकाल के दौरान 3 पदोन्नतियों की व्यवस्था करना।

(vi) (क) मार्च-मई, 1982 के वेतन की पुनः बहाली ।

(ख) युक्ति-युक्त स्थानान्तरण नीति बनाना ।

(ग) और (घ) प्रत्येक संगठन में कर्मचारियों की मांगों पर विचार करना एक सतत प्रक्रिया है । अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के प्रतिनिधि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विभिन्न प्राधिकारियों से प्रायः मिलते रहे हैं । इस प्रकार की चर्चाओं के परिणामस्वरूप अनेक समस्याओं को पहले से ही निपटा दिया गया है ।

उड़ीसा के बरहामपुर विश्वविद्यालय में शोध परियोजनाओं को भारतीय ऐतिहासिक शोध परिषद से अनुदान

9624. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान बरहामपुर विश्वविद्यालत, उड़ीसा ने भारतीय ऐतिहासिक शोध परिषद् ने किन-किन शोध परियोजनाओं और शोधकर्ताओं के नामों की सिफारिश की है;

(ख) कौन-कौन से विषयों को स्वीकृति प्रदान की गई है तथा प्रत्येक परियोजना के लिए अब तक कितनी धनराशि मंजूर की गई है और कितनी रिलीज की गई है;

(ग) अब तक कौन-कौन-सी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और प्रकाशित हो गई हैं तथा कौन-कौन-सी परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं;

(घ) क्या भारतीय ऐतिहासिक शोध परिषद् ने वर्ष 1983 के दौरान "दि एन्टीक्स आफ कोरापुट" शीर्षक संबंधी शोध प्रस्ताव की मंजूरी दी थी, लेकिन इस परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि अब तक रिलीज नहीं की गई है, हालांकि बरहामपुर विश्वविद्यालय से आगामी पावती बिल भेजे जा चुके हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) (क) सूचना संलग्न विवरण (1) में दी गई है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण (2) में दी गई है।

(ग) सभी अनुमोदित छः परियोजनाओं के सम्बन्ध में पूरी रिपोर्ट अध्येताओं से अभी प्राप्त की जानी हैं।

(घ) जी, हां,। तथापि अनुदान की 2,000 रुपये की पहली किस्त की राशि गुनुपुर कालेज, गुनुपुर उड़ीसा के प्रिंसिपल के माध्यम से पहले ही दे दी गई है यद्यपि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् में कोई पूर्व टिकट लगा बिल प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-1

1. डा० गजेन्द्र नाथ दास द्वारा लिखित "मण्डाला पणजी" के खण्ड "देश खंजा" का आलोचनात्मक संस्करण तैयार करना।

2. डा० बी० सी० राय द्वारा लिखित उड़ीसा में मराठा शासन के दौरान समाज का सामाजिक आर्थिक आधार।

3. श्री एल० एन० रौत द्वारा लिखित उड़ीसा में मुस्लिम शासन के अन्तर्गत सामाजिक आर्थिक जीवन।

4. डा० बी० एम० दास द्वारा लिखित मध्य कालीन उड़ीसा में समाज और संस्कृति सम्बन्धी सेमिनार की कार्यवाहियों के लिए प्रकाशन अनुदान।

5. डा० के० सी० जेना द्वारा लिखित भारत 1900-1950 में समाजवाद।

6. श्री बी० बी० केर द्वारा लिखित गंजम जिले के प्रशासन के कुछ पहलू : 1858-1900

7. श्री दुग्गी राला रत्नागिरि राव द्वारा लिखित कलिंग गंगेज के अन्तर्गत उड़ीसा का सांस्कृतिक विकास।

8. श्री उदय चन्द्र तुलो द्वारा लिखित कोरापुट का पुरावशेष।

9. श्री अराधी रघुनाथ वर्मा द्वारा लिखित उड़ीसा और पल्लव।

विवरण-2

क्रम सं०	पुस्तक	संस्वीकृत राशि	दी गई राशि
1.	"मण्डाला पणजी" के खण्ड "देश खंजा" के आलोचनात्मक संस्करण का निर्माण	वेतन संरक्षण शिक्षावृत्ति+5000 रु० प्रतिवर्ष आकस्मिक व्यय तथा दो वर्षों के लिए 200 रु० प्रतिमास की दर से अंशकालिक टंकक	17,902 रुपये की पहली किस्त देने के लिए संस्वीकृत जारी कर दी गई है।
2.	उड़ीसा में मराठा शासन के दौरान सामाजिक-आर्थिक आधार	1500 रुपये प्रति माह+दो वर्ष के लिए 2000 रुपये प्रति वर्ष	10,000 रुपए की पहली किस्त की संस्वीकृति जारी कर दी गई है।
3.	उड़ीसा में मुस्लिम शासन के अन्तर्गत सामाजिक-आर्थिक जीवन	(क) 3500 रुपये (ख) 600 रुपये प्रति माह+दो वर्षों के लिए 2500 रुपये प्रति वर्ष	3500 रु० देने की संस्वीकृति जारी कर दी गई है।
4.	कलिंग की गंगा के अन्तर्गत उड़ीसा का सांस्कृतिक विकास	2500 रुपये	2500 रुपये देने की संस्वीकृति जारी हो गई है।
5.	कोरापुत के पुरावशेष	2500 रुपये	200 रुपये की पहली किस्त देने के लिए संस्वीकृति जारी हो गई है।
6.	उड़ीसा और पल्लव	2500 रुपये	2000 रु० की पहली किस्त देने के लिए संस्वीकृति जारी हो गई है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्राध्यापक वर्ग

9625. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मन्त्री के पुर्नानियुक्ति न करने के आदेश जारी करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सेवा निवृत्ति के बाद कितने प्राध्यापकों को पुर्नानियुक्त किया गया है;

(ख) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) नियमित ढंग से नियुक्त किए गए प्राध्यापकों द्वारा उनको कब तक बदले जाने की संभावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, अंग्रेजी विभाग और विश्वविद्यालय पोलिटेकिनिक में एक वर्ष की अवधि के लिए एक-एक रीडर फिर से नियुक्त किया गया है। उनकी पुन: नियुक्ति की अवधि क्रमश: जुलाई और नवम्बर, 1984 में समाप्त होगी। विश्वविद्यालय का उनकी पुनः नियुक्ति को और आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मेडिकल इमर्जेंसी में सहायक उपायों का प्रयोग

9626. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को होमियोपैथिक मैडिकल स्टूडेन्ट्स एसोसिएशन, चंडीगड़ पंजाब की ओर से मेडिकल इमर्जेन्सी में सहायक उपायों के प्रयोग के बारे में कोई पत्र मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में किसी 30 शय्याओं वाले होमियोपैथिक मेडिकल कालेज में 'डिहाइड्रेसन' कौमा एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक्यूट हार्ट फेल्योर, एक्यूट डिपेटिक फेल्यूर, डायेबिटिक कौमा, इम्बोलिज्म अन्यूरिया आदि से संबंधित इमर्जेन्सी मामलों की देखभाल की व्यवस्था है :

(ग) क्या इन अस्पतालों में ऐसे मामलों के इलाज की सुविधा नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन अस्पतालों में इन सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) होम्योपैथिक चिकित्सा छात्र संघ पंजाब और चण्डीगढ़ ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखे अपने 22-2-84 के पत्र में अन्य बातों के अलावा यह भी अनुरोध किया है कि होम्योपैथी के चिकित्सकों के लिए इमर्जेन्सी किट की अनुमति दी जानी चाहिए।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकार की पूर्व-स्वीकृति से केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् द्वारा मई, 1983 में जारी किए गये होम्योपैथी (शिक्षा का न्यूनतम स्तर) विनियम, 1983 में यह व्यवस्था है कि होम्योपैथी अस्पताल को चिकित्सा, प्रसूति और स्त्री रोग तथा आपरेशन थियेटर सहित अंतरंग उपचार की सभी सुविधाओं से सुसज्जित करने की जरूरत है। ये सुविधाएं इन विनियमों के लागू होने के पांच वर्षों के अन्दर-अन्दर जुटानी होंगी।

अस्पतालों में योग द्वारा उपचार शुरू करना

9627. **श्री नवीन रावणी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हृदग रोग और रक्तचाप आदि जैसी कुछ बीमारियों के इलाज के लिए अस्पतालों में योग द्वारा उपचार शुरू करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रयोग किए गए हैं, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदबई) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार का एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धतियों के अस्पतालों में योग उपचार पद्धति को आरम्भ करने का कोई विचार नहीं है। केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान का अशोक रोड, नई दिल्ली में 50 पलंगों वाला अस्पताल है जिसमें योग पद्धति द्वारा इलाज किया जाता है। इस संस्थान में अप्रैल, 1980 से मार्च, 1984 तक अति रक्तदान के 667 रोगियों और हृदय रोग के 111 रोगियों का योग द्वारा इलाज किया गया।

इलाज के साथ-साथ रोगियों और स्वस्थ व्यक्तियों के रक्तचाप और हृदय कार्यों पर योग्याभ्यास के प्रभावों के बारे में अनुसंधान अध्ययन किये गए। संस्थान प्राधिकारियों के अनुसार अध्ययन से पता चलता है कि योग से रक्त दाब ब्लड कोलेस्लेरॉल और ट्राइग्लिराइड्स (पुराने हृदय रोग के लिए जोखिम कारक) में कमी आती है।

सोनपुर प्रभाग के रेल कर्मचारियों द्वारा धरना

9628. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोनपुर प्रभाग के रेल कर्मचारियों ने 25 फरवरी, 1984 को धरना दिया था और डिवीजनल रेलवे मैनेजर के कार्यालय के समक्ष एन० सी० आर० के तत्वाधान में प्रदर्शन किया था और रेल कर्मचारियों की समस्याओं पर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा किया है; और

(ग) उनके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

रूस के धार्मिक नेताओं का आगमन

9629. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस के धार्मिक नेताओं के शिष्टमंडल द्वारा हाल ही में दिल्ली का भ्रमण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो भारत का भ्रमण करने वाले सोवियत संघ के धार्मिक नेताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत के नेताओं के नाम और पद (धार्मिक नेताओं सहित) क्या हैं, जिनसे उन्होंने भेंट की तथा विचार-विमर्श किया; और

(घ) क्या भ्रमण करने वाले धार्मिक नेताओं के सम्मान में कोई धार्मिक समारोह किया गया था यदि हां, तो कहां-कहां पर किया गया और समारोह में किन-किन व्यक्तियों ने भाग लिया ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (घ) मार्च, 1984 में सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के तीन धार्मिक नेताओं ने भारत की यात्रा की। वे थे (*i*) क्रासनोदर और क्यूबान के आर्चविशद ब्लादिमीर कोल्लीयरोव (*ii*) सैन्ट्रल बोर्ड आफ बुद्धिस्ट के प्रधान हम्बा लामो शबदायोव और (iii) मध्य एशिया एवं कजाकिस्तान में बोर्ड आफ मुस्लिम के उप प्रधान, शेख अब्दुल गनी अब्दुलेव ।

ये तीनों धार्मिक नेता भारत सरकार के नियंत्रण पर भारत नहीं आए थे इसलिए हमें इन नेताओं के सम्मान में आयोजित किसी धार्मिक समारोह की जानकारी नहीं है। तथापि समझा जाता है कि उन्होंने त्रिवेन्द्रम स्थित सोवियत सांस्कृतिक भवन में कुछ भारतीय धार्मिक नेताओं से मुलाकात की।

वर्तमान तोल प्रणाली को बदलना

9630. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की वर्तमान तोल प्रणाली के स्थान पर इलेक्ट्रानिक उपकरणों वाली नई पिटलैस इन-मोसन तोल प्रणाली अपनाने के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस नई प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इलेक्ट्रानिक विभाग ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(घ) तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा उसके निर्माताओं और सहयोगियों के नाम क्या हैं तथा यह परिवर्तन सम्भवतः किस तारी तक कर दिया जायेगा; और

(ङ) उक्त नई प्रणाली की स्थापना से अनुमानतः कुल कितनी आय होगी।

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) इलेक्ट्रानिक-इन मोशन तुला चौकियों के निर्माण के लिये कुछ फर्मों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) मौजूदा यांत्रिक तोलन तकनीकों की तुलना में इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं कि माल डिब्बों का रेक से अलग किएं बिना गतिशील अवस्था में उनका वजन किया जा सकता है, जिससे वजन करने के लिए माल डिब्बों को रुका नहीं रहना पड़ता। तौलन में बिना कोई गलती हुए वजन की मुद्रित मात्रा प्राप्त की जा सकती है। इससे अति लदान को रोकने में और विषम लदान आदि के मामलों का पता लगाने में सहायता मिलती है।

(ग) रेल मन्त्रालय ने इस मामले में इलेक्ट्रोनिक विभाग से कोई सम्पर्क नहीं किया है क्योंकि स्थानीय निर्माता उपलब्ध हैं।

(घ) रेलों ने दो अदद इलेक्ट्रोनिक-इन-मोशन तुला चौकियों के लिए मैसर्स वार्ने तुलामान मैनु फेक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद (स्वदेशी टेक्नोलोजी) और मैसर्स डयनाक्राफ्ट मशीन कम्पनी लिमिटेड, बम्बई (मैसर्स टेलुवाब, स्वीडन के सहयोग से) को विकाकात्मक आर्डर दिए हैं। इसके अलवा निम्नलिखित फर्मों ने भी इलेक्ट्रोनिक-इन-मोशन तुला चौकियों के निर्माण में दिलचस्पी दिखाई है।

1. मेसर्स आटो मीयरमेटिक्स मिलिटेड, मद्रास मंगूद कारपोरेशन, अमेरिका के सहयोग से।

2. मैसर्स वेमेटिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता मैसर्स स्ट्रीटर अमेट, अमेरिका के सहयोग से। मौजूदा यांत्रिक तुला चौकियों को बदलने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम के सम्बन्ध में आगे कार्रवाई विकासात्मक आर्डरों से खरीदी गई इलेक्ट्रानिक तुला चौकियों के प्राप्त अनुभव के आधार पर की जाएगी।

(ङ) इलेक्ट्रानिक तुला चौकियां स्थापित किए जाने का रेलवे की आमदनी से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। अतः इलेक्ट्रोनिक तुला चौकियों के स्थापन से प्रत्याशित राजस्व की कुल रकम का पता लगाना संभव नहीं है।

कलकत्ता "मैट्रो" परियोजना के कुछ भाग को मिट्टी से भरा जाना

9631. **श्री गुफरान आजम :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "मेट्रो" रेल परियोजना कलकत्ता के रासबिहारी एवन्यू के "क्रासिंग" से टालीगंज के बीच कुछ भाग में सिविल इंजीनियरिंग कार्य में गलती रह जाने के कारण या अन्य कारणों से मिट्टी से भरा गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और गलती करने वाली निर्माण फर्मों के विरुद्ध की गई कार्यवाही सहित उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या परियोजना प्राधिकारी की असावधानी भी उपर्युक्त के लिए एक कारण थी; और

(घ) कुल कितनी राशि की हानि हुई और क्या उपर्युक्त भाग का पुनर्निर्माण होगा और सारी परियोजना के प्रत्येक भाग में भाग-वार कितने प्रतिशत प्रगति हुई है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) पुनर्निर्माण पर हानि का प्रश्न नहीं उठता। इन खंडों पर अब तक हुई प्रगति इस प्रकार है :—

(i) दम दम-बेलगछिया	85%
(ii) बेलगछिया-एस्प्लेनेड	20%
(iii) एस्प्लेनेड-भवानीपुर	90%
(iv) भवानीपुर-टालीगंज	65%

'एन० डी० एम० सी०' और 'डेसू' के फार्मासिस्टों के भत्तों में विषमता

9632. **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका फार्मासिस्टों को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) के फार्मासिस्टों की तुलना में कम भत्ते मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें 'डेसू' फार्मासिस्टों के बराबर बनने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका के फार्मासिस्ट केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार वेतन और भत्ते पाते हैं, जबकि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में शिव शंकरन समिति की रिपोर्ट लागू है।

अण्डमान प्रशासन द्वारा कोचीन से खरीदी गई पर्यटन नौका

9633. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान प्रशासन द्वारा कोचीन से खरीदी गई पर्यटन नौका की कीमत कितनी हैं, उसके परिवहन पर कितना खर्च हुआ है, और उसको किस प्रकार ले जाया गया;

(ख) क्या कोचीन से नौका को एक गैर सरकारी पोत से ले जाया गया;

(ग) यदि हां, तो कोचीन से नौका किस तारीख को रवाना हुई थी, और पोर्ट ब्लेयर कब पहुंची;

(घ) क्या यह भी सच है कि अण्डमान प्रशासन/भारतीय नौवहन निगम के एम० बी० अकबर और ए० वी० चोवरा पोत भी लगभग उसी सयय अर्थात् दिसम्बर के मध्य से जनवरी, 1984 के अन्त तक कोचीन से रवाना हुए थे; और

(ङ) यदि हां, तो अन्डमान प्रशासन की इस पर्यटन नौका को सरकारी पोतों के स्थान पर गैर-सरकारी पोत से ले जाने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) और (ख)

बोट की कीमत	7,60,000 रुपये
परिवहन पर व्यय	3,35,738 रुपये
बोट को जहाज पर चढ़ाने के लिए स्लिग और चोक खरीदने पर खर्च	21,840 रुपये

यह बोट कार नीकोबार की मैसर्ज हिनेंगो लाइन्स लिमिटेड नामक एक कम्पनी द्वारा कोचीन से पोर्ट ब्लेयर तक एम० वी० नीकोट्रेड नाम के एक प्रायवेट जहाज पर लाद कर लाई गयी थी। यह कम्पनी एक जनजाति सहकारी समिति है।

(ग) कोचीन से 9-1-84 को चल कर पोर्ट ब्लेयर 16-1-84 को पहुंचा।

(घ) एम० वी० अकबर और एम० वी० "चोवरा" नामक जहाज जो अन्डमान और नीकोबार प्रशासन के हैं, जनवरी, 1984 के शुरू में कोचीन आये थे। एम० वी० चोवरा कोचीन 2-1-84 को रुका और कोयला पानी लेने के बाद वहां से 3-1-84 को चला था।

(ङ) एम० वी० "अकबर" और एम० वी० "चोवरा" दोनों ही जहाजों में भारी बोटों को ढोने के लिए भारी डेरिक या क्रेन नहीं लगे हैं। अतः इन जहाजों के द्वारा इस बोट को नहीं ढोया जा सका और इसे प्राइवेट जहाज के द्वारा लाना पड़ा।

छात्रों में राष्ट्रीय एकता

9634. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार या कोई भी राज्य सरकार छात्रों को राष्ट्रीय एकता की शिक्षा देने के लिए कोई ठोस कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्य के लिए कोई स्वयंसेवी संस्था आगे आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस प्रकार की किसी भी संस्था ने केन्द्रीय सरकार से किसी प्रकार की कोई सहायता मांगी है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस अनुरोध पर क्या कार्रवाई की गयी है?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) सरकार ने अध्यापकों और छात्रों में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें स्कूल तथा विश्वविद्यालय दोनों स्तरों पर पाठ्य पुस्तकों में देश की एकता के प्रतिकूल सन्दर्भों को हटाने की दृष्टि से उनकी समीक्षा करने के कार्यक्रम; सांस्कृतिक उत्सवों और मेलों का आयोजन राष्ट्रीय एकता के लिए अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण, सामूहिक गान, और राष्ट्रीय एकता और भारत की मिश्रित संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रकाशन प्रकाशित करना शामिल है।

(ग) से (च) मन्त्रालय में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक संगठनों के लिए वित्तीय सहायता की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। फिर भी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय

एकता समिति की अपनी योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए संस्थाओं को सहायता प्रदान करता है :—

(i) प्रदेश के विशिष्ट कार्यक्रमों पर सेमिनार, संगोष्ठियां/संवाद आयोजित करना ।

(ii) विभिन्न प्रदेशों के समाज और संस्कृति के सम्बन्ध में आख्यान, फिल्म शो, प्रदर्शनियां आयोजित करना ।

(iii) अन्य प्रादेशिक भाषाओं में अंशकालिक पाठ्यक्रम आयोजित करना, परन्तु यह डिग्री आदि प्रदान करने के प्रयोजन के लिए नहीं होगा ।

(iv) जहां कहीं सम्भव हो प्रदेश की परम्परागत रूप और विशिष्ट मुद्रा में प्रस्तुत किये जाने वाले संगीत तथा नृत्य कार्यक्रम और मंच नाटक ।

(v) मैत्रीपूर्ण सामूहिक क्रियाकलापों और मिलजुलकर रहने की भावना को प्रेरित करने के लिए विभिन्न प्रदेशों से सम्बन्धित छात्रों के लिए एक अथवा दो सप्ताह के शिविर आयोजित करना ।

(vi) राष्ट्रीय दिवसों, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं और राष्ट्रीय नेताओं की वर्षगांठ मनाना ।

(vii) स्वतन्त्रता आंदोलनों के लिए किए गए संघर्ष में शहीदों द्वारा अदा की गई भूमिका के बारे में युवा पीढ़ी को जानकारी देने के लिए स्मारक आख्यान आयोजित करना ।

ऐसी संस्थाओं को, जो राष्ट्रीय एकता से सम्बन्धित सुपरिभाषित क्रियाकलापों में वास्तविक रूप से रुचि रखती है, विश्वविद्यालयों को प्रतिवर्ष 2400 रु० और कालेजों को प्रतिवर्ष 1200 रु० की राशि दी जाती है ।

रेल कार/वैगन यंत्रीकृत तोलन व्यवस्था

9635. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान रेल कार/वैगन यन्त्रीकृत तोलन व्यवस्था अधिक समय नष्ट करने वाली एक प्रणाली साबित हो चुकी है और यही राजस्व प्राप्तियों के मामले में विलम्ब तथा त्रुटि उत्पन्न करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि विदेशों में सही राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था सहित तोलन की एक अधिक कुशल प्रणाली का विकास कर लिया गया है; और

(घ) वैगन आदि के तोलन की वर्तमान यन्त्रीकृत व्यवस्था को बदलने के लिए इस समय क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि करने के साथ-साथ वैगन के संचालन की कुशलता और इसकी शीघ्र उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) वर्तमान परम्परागत तुला चौकियों का डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि चलती गाड़ियों का वजन करना संभव नहीं है और इसीलिए, प्रत्येक माल डिब्बे को अलग-अलग तोलना आवश्यक हो जाता है। इसमें समय और श्रम दोनों लगते हैं और माल डिब्बों तथा रेल इंजनों के लिए कुछ और अधिक समय लगता है।

(ग) और (घ) तोलन प्रणाली की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए इलेक्ट्रोनिक-इन-मोशन तुला चौकियां बनाई गई हैं। रेलों ने दो अदद इलेक्ट्रोनिक-इन मोशन तुला चौकियों की खरीद के लिए विकासात्मक आदेश दिए हैं, इनकी सप्लाई मिल गयी है और इन्हें चालू किया जा रहा है।

अण्डमान और निकोबार द्वीपों में तीन सरकारी नौकाओं, गोमती, नर्मदा तथा लिटिल अण्डमान की समुद्री क्षमता

9636. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तीन सरकारी नौकाएं एम० वी० नर्मदा, एम० वी० गोमती और एम० वी० लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, मिडिल अंडमान और नार्थ अंडमान के लिए यात्री (फेरी) सेवाएं चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके पास यात्री पोत प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा यात्री सुरक्षा, समुद्री सक्षमता के प्रमाण पत्र हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन्होंने ये प्रमाण पत्र कब प्राप्त किए, उनका अंतिम सर्वेक्षण कब किया गया और इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी कौन है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के पास "चार्टरिंग" व्यवस्था के अन्तर्गत उपलब्ध पोतों की संख्या

9637. **श्री के० लकप्पा** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के पास "चार्टरिंग" व्यवस्था के अन्तर्गत उपलब्ध पोतों की संख्या कितनी है, उनके संचालन के क्षेत्र कौन से हैं, किराए की दर और अदायगी की शर्तें क्या हैं, ऐसे प्रत्येक पोत का सकल कुल टन भार (डी० डब्ल्यू० टी०) कितना है और चार्टरिंग पार्टियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या एक बार में ही अधिक पूंजी निवेश किए बिना कारपोरेशन के राजस्व में वृद्धि करने के लिए "चार्टरिंग" व्यवस्था के अन्तर्गत पोतों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और चीफ चार्टरिंग कन्ट्रोलर, नई दिल्ली के पास सूचीबद्ध घरेलू और विदेशी चार्टरिंग पार्टियों या कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) इस समय भारतीय नौवहन निगम 16 जहाज चार्टर पर दे रखे हैं। इन जहाजों के नाम, परिचालन के क्षेत्र चार्टरिंग दरों और भुगतान की शर्तों, प्रत्येक जहाज की सकल डी० डब्ल्यू० टी० और चार्टरिंग पार्टियों के नामों का विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी० 8318/84]

(ख) और (ग) ये जहाज भारत में या विदेशों में व्यापार संभावनाओं के आधार पर चार्टर कर देने के बजाय विशिष्ट व्यापारिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए चार्टर पर दिए जाते हैं।

बदरपुर ट्रैफिक रिलीविंग मेल (नार्थ फ्रन्टियर रेलवे) में कुक और वाटरमैन के पदों को बहाल करना

9638. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदरपुर ट्रैफिक रिलीविंग मेल (नार्थ फ्रन्टियर रेलवे) में रसोइए (कुक) और पानी पिलाने वाले (वाटर मेन) के पदों को उत्तर सीमान्त रेलवे प्रशासन ने समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बदरपुर ट्रैफिक रिलीविंग मेल में ट्रैफिक रिलीविंग कर्मचारियों को ब्रिटिश-काल से कुक की सुविधाएं उपलब्ध थीं;

(घ) क्या उत्तर सीमान्त रेलवे प्रशासन को इन सुविधाओं को पुनः देने के लिए रिलीविंग स्टाक से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त सुविधा पुनः प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दक्षिण रेलवे एम्प्लाइज यूनियन के त्रिवेन्द्रम डिवीजन द्वारा ज्ञापन

9639. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें दक्षिण रेलवे एम्पलाइज यूनियन के त्रिवेन्द्रम, डिविजन नागरकोइल, से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) उक्त ज्ञापन में क्या-क्या मागें की गई हैं; और

(ग) ज्ञापन के मुद्दों पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा एकत्र किया गया दान

9640. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के अनेक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल दान के रूप में और प्रत्याभूति राशि के रूप में भारी धनराशि एकत्र कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार इसे उचित समझती है;

(ग) यदि नहीं तो इसकी रोक-थाम के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो किन आधारों पर वह इसे उचित समझती है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा इस प्रकार धन संग्रह के कुछ मामले शिक्षा निदेशालय दिल्ली प्रशासन के नोटिस में आए हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 17 में सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा शिक्षा निदेशक, दिल्ली को पूर्व अनुमति के बिना धन एकत्र करने की मनाही है । सहायता प्राप्त

स्कूलों द्वारा तथाकथित अनधिकृत रूप से धन एकत्र किए जाने की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई है।

(घ) उपरोक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

समाचार पत्रों में शिक्षा सम्बन्धी विज्ञापन

9641. **श्री राम लाल राही** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों और अन्य पत्रिकाओं में पास मैट्रिक, इण्टरमीडिएट, बी० ए०, एल० एल० बी०, डायरेक्टली शीर्षक से शिक्षा सम्बन्धी विज्ञापन होते हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे कितने संस्थान हैं और उनके नाम क्या हैं;

(ग) देश में इस प्रकार के कितने जाली संस्थाल चलाए जा रहे हैं; और

(घ) उन संस्थानों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) कुछ ऐसी परीक्षाएं जो विश्वविद्यालय के किसी संघटक/सम्बद्ध कालेज में अध्ययन पाठ्यक्रमों में नियमित रूप से उपस्थित हुए बिना उम्मीदवारों के लिए खुली हैं, उन परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए निजी संस्थाओं द्वारा शिक्षण सुविधाएं देने के विज्ञापन समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं।

(ख) से (घ) क्योंकि इन निजी संस्थाओं के लिए सरकार से मान्यता प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, अतः इस सम्बन्ध में कोई ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

गुजरात से नमक की ढुलाई

9642. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा नमक की ढुलाई न कर पाने के परिणामस्वरूप गुजरात में उसका काफी भंडार इकट्ठा हो गया है; और

(ख) नमक की शीघ्र ढुलाई के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जनवरी से मार्च, 84 की अवधि के दौरान गुजरात क्षेत्र से नमक का कुल लदान 26,922 (ब० ल० और छो० ला०) माल डिब्बे हुआ जो 1983 की तदनुरूपी अवधि के लादे गए 24,820 (ब्र० ला० और मी० ला०) माल डिब्बे की तुलना में 2102 माल डिब्बे अधिक है। गुजरात में एकत्र नमक के स्टाक की मात्रा के

बारे में रेलों को जानकारी नहीं है। गुजरात से नमक की ढुलाई के लिए मार्च, 1984 के अन्त तक रेलों के पास लम्बित पड़े मांग-पत्रों की संख्या 14,757 थी।

(ख) रेलवे लम्बित पड़ी मांगों को शीघ्रता से पूरा करने का प्रयास कर रही है और अप्रैल, 1984 के अंत तक लम्बित पड़े मांग पत्रों की संख्या घटकर 10,692 हो गयी है। उन्हें भी यथाशीघ्र पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अनौपचारिक शिक्षा और सभी को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना

9643. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कक्षा एक से कक्षा आठ के छात्रों को कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल किया गया है/किया जाएगा;

(ख) क्या इन कार्यक्रमों के अंतर्गत छात्रों को विद्यालय जाना पड़ता है अथवा उन्हें घर पर ही अध्ययन करने की अनुमति होती है;

(ग) क्या इन विद्यालयों के छात्रों को अगली कक्षा में जाने के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होना पड़ता है बल्कि उन्हें परीक्षा में बैठे बिना अगली कक्षा में चढ़ा दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो नई प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ङ) किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इन दोनों कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया गया है और कब से;

(च) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कब तक कितने बैचों को इन कार्यक्रमों के अंतर्गत लाया गया है; और

(छ) इन कार्यक्रमों का अन्य ब्यौरा क्या है और लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) जो बच्चे समाजार्थिक कारणों से औपचारिक स्कूलों में नहीं जा सकते उन्हें उनकी आवश्यकताओं तथा सुविधाओं के अनुरूप, स्थानों तथा समय पर गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों में एक जैसे स्तर की प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) पढ़ाई बीच में छोड़े जाने वालों की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकारों की "अनग्रेडिड स्कूल सिस्टम" तथा "कोई फेल नहीं" नीति प्रारम्भ करने का सुझाव दिया गया है जिससे कि प्रत्येक बच्चा हर वर्ष एक कक्षा पूरी कर लेगा और कक्षा VIII पूरी

करने तक उसको अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नत किया जाएगा। साथ-साथ इस बात की भी वकालत की गई है कि सतत् आधार पर आवधिक आंकलन तथा मूल्यांकन के जरिए पर्याप्त उपाय शुरू किए जाने चाहिए।

(ङ) प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण का कार्यक्रम देश के सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रारंभिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए और औपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम जो औपचारिक स्कूली शिक्षा की वैकल्पिक समर्थक प्रणाली है, केरल राज्य के जिसने 1981 से इसे समाप्त कर दिया है, को छोड़कर सभी राज्यों तथा 4 संघ शासित क्षेत्र अर्थात् अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, दिल्ली, चण्डीगढ़ और मिजोरम में विकसित किया जा रहा है।

(च) और (छ) औपचारिक प्रणाली में प्रारम्भिक स्तर (कक्षा 1-8) पर समूचे देश में 1983-84 के अंत तक कुल नामांकन 1,060.75 लाख पहुंच जाने का अनुमान है। आशा है कि इसी अवधि के दौरान समूचे देश में गैर औपचारिक प्रणाली के अंतर्गत 26.64 लाख को शामिल कर लिया जाएगा।

प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिकल्पित तथा उठाए गए विभिन्न कदमों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

स्कूली शिक्षा मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है तथा इसका प्रबन्ध अधिकांशत: उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तथापि, प्रारम्भिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए गैर औपचारिक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय केवल शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए 9 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्रों को चलाने के लिए 50:50 की साझेदारी के आधार पर विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना को 1983-84 से उदार बना दिया गया है जिसके अंतर्गत इन राज्यों को, केवल लड़कियों के लिए गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए 90:10 की साझेदारी के आधार पर सहायता दी जाती है। गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत पठन-पाठन सामग्री तैयार करने के लिए अधिकांश राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को कागज के रूप में वस्तु सहायता दी गई है। लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने के लिए, प्राइमरी स्कूलों में अध्यापिकाओं की नियुक्ति करने के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों को 198:-84 से वित्तीय सहायता दी जा रही है। प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की ओर बढ़ावा देने के लिए तथा लड़कियों की शिक्षा के प्रसार के लिए निष्पादन में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए, प्रोत्साहन/पुरस्कारों की एक योजमा तैयार की गई है तथा 1983-84 से लागू कर दी गई है। 16 राज्यों तथा 5 संघ शासित क्षेत्रों को विभिन्न प्रशासनिक स्तरों अर्थात् पंचायतों/ब्लाकों/जन-जातीय विकास खण्ड/जिला और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पुरस्कार दिए गए थे।

विवरण

प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए परिकल्पित तथा उठाए गए कदम

(i) प्रारम्भिक शिक्षा को, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (न्यू० आ० का०) तथा सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत शासित किया गया है और छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शिक्षा में इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है।

(ii) सभी बस्तियों की आवश्यकताओं को देखते हुए प्राथमिक तथा मिडिल स्कूल ऐसे स्थानों पर खोलना जहां बच्चे आसानी से पैदल चल कर पहुंच सकें।

(iii) स्कूली शिक्षा की वर्तमान सुविधाओं का अधिक उपयोग करना।

(iv) एकल शिक्षक स्कूलों को दो शिक्षक स्कूलों में बदलना।

(v) प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों की भौतिक सुविधाओं को सुधारना।

(vi) काफी बड़े पैमाने पर अनौपचारिक अंशकालिक शिक्षा की व्यवस्था करना।

(vii) महिला-शिक्षकों को बड़े पैमाने पर नियुक्त करना तथा प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के लिए सहायक के रूप में शिशु सदनों/पूर्व स्कूलों की व्यवस्था करना।

(viii) शैक्षिक योग्यता तथा सेवारत प्रशिक्षण के बेहतर स्तरों का प्रयोग करके शिक्षक क्षमता को सुधारना।

(ix) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन श्रमिकों तथा गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग जैसे लक्षित, समूहों तथा लड़कियों की ओर विशेष ध्यान देना।

(x) निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें तथा लेखन-सामग्री, निःशुल्क वर्दियां, विशेष रूप से लड़कियों के लिए, उपस्थिति छात्रवृत्तियां विशेष रूप से लड़कियों के लिए तथा मध्याह्न भोजन की पर्याप्त व्यवस्था करना।

(xi) पाठ्यचर्याओं के विकेन्द्रीकरण के जरिए शिक्षा की कोटि को सुधारना तथा इन्हें विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों में बच्चों की आवश्यकताओं, जीवन स्थिति और पर्यावरण के उपयुक्त बनाना।

(xii) बिना ग्रेड वाली स्कूल प्रणाली शुरू करना तथा गतिरोध को समाप्त करना ताकि प्रत्येक बच्चा एक कक्षा को प्रत्येक वर्ष पूरा कर सके तथा तब तक उसकी कक्षोन्नति होती रहेगी जब तक वह कक्षा VIII पूरी करता है, किन्तु इसके लिए निरन्तर आधार पर आवधिक मूल्यांकन और निर्धारण के जरिए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय होने चाहिए।

(xiii) प्रारम्भिक स्तर पर प्रत्येक कक्षा में बहु बिन्दु प्रयोग की व्यवस्था करना।

(xiv) शैक्षिक रूप से पिछले 9 राज्यों में संकेन्द्रित प्रयास, इन राज्यों तथा प्रत्येक राज्य के पिछड़े क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों में भी अनौपचारिक कार्यक्रम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा बढ़ाया जाना।

(xv) प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में उपस्थिति का निरीक्षण।

(xvi) पर्यवेक्षी तंत्रको सुदृढ़ करना तथा नीचे ब्लाक स्तर तक प्रारम्भिक शिक्षा के प्रशासन को विकेन्द्रित करना।

(xvii) माता-पिता को शिक्षित करना ताकि बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा के प्रति उनकी उदासीनता को समाप्त किया जा सके और विशेष रूप से ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के सभी स्कूलों में स्कूल समितियां गठित करना।

(xviii) शिक्षक-प्रशिक्षण सहित प्रारम्भिक शिक्षा के लिए जन-संचार साधन का अधिकाधिक प्रयोग।

(xix) शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में शिक्षा को व्यापक बनाने के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 16 से संबंधित समिति गठित करना तथा इन राज्यों में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए राज्य कार्यबलों की स्थापना करना।

(xx) प्रारम्भिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के वास्ते अध्यापन तथा अध्ययन सामग्री तैयार करने हेतु सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कागज की केन्द्रीय सहायता।

(xxi) पूरे शैक्षिक वर्ष में अनुवर्ती कारंवाई सहित अभियान अवधि के दौरान नामांकन बढ़ाने तथा उनकी पढ़ाई जारी रखने के संबंध में गहर प्रयासों के लिए, राष्ट्रीय अभियान तैयार करना।

हिन्दी/क्षेत्रीय भाषाओं में आरक्षण चार्ट तैयार करना और प्रदर्शित करना

9644. **श्री रामकृष्ण मोरे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केवल क्षेत्रीय भाषाओं को जानने वाले समुदायों के लाभ हेतु हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में आरक्षण चार्ट तैयार करने और प्रदर्शित करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : वर्तमान अनुदेशों के अनुसार हिन्दी भाषी क्षेत्रों की गाड़ियों के आरक्षण चार्ट तथा "क" क्षेत्र (बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों तथा केन्द्र शासित दिल्ली) तथा "ख" क्षेत्र (गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्यों तथा केन्द्र शासित चण्डीगढ़) के स्टेशनों को जाने वाली या उनसे होकर गुजरने वाली गाड़ियों के आरक्षण चार्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रदर्शित करने अपेक्षित हैं और अन्य क्षेत्रों के लिए केवल अंग्रेजी में प्रदर्शित करना अपेक्षित है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सेण्ट्रल वेल्यूशन स्कीम के कार्य की जांच

9645. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सेण्ट्रल वेल्यूएशन स्कीम के कार्यकरण और भारत में विश्वविद्यालयों द्वारा चलए जा रहे पत्राचार पाठ्यक्रमों की जांच करने का अधिकार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यह कार्यवाही अपने आप करता है अथवा किसी से शिकायत करने पर करता है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 13, आयोग को विश्वविद्यालय से परामर्श करने के पश्चात्, उस विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के स्तरों का पता लगाने के उद्देश्य से इसके किसी विभाग या विभागों की जांच करने का अधिकार प्रदात करती है। इस प्रकार की जांच शिकायत प्राप्त होने या अन्यथा भी की जा सकती है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में पदों का सृजन

9646. **श्री बाबूराव परांजपे** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री के मार्ग निर्देशों के विरुद्ध केन्द्रीय विद्यालय संगठन में हाल ही में काफी बड़ी संख्या में पदों का अर्थात् वरिष्ठ विश्लेषक, सहायक आयुक्त और प्रशासनिक अधिकारियों के पदों का सृजन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में प्रधान मन्त्री के मार्ग निर्देशों का उल्लंघन किया गया है; और

(ग) प्रशासनिक अधिकारी के नये सृजित पद के लिए 840-1200 रुपए का वेतनमान निर्धारित करने के क्या कारण हैं विशेषकर जबकि भारत सरकार के प्रशासनिक ढांचे में इस प्रकार का कोई वेतनमान मौजूद नहीं है और क्या इस प्रकार का वेतनमान निर्धारित करने से केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों की भावी संभावनाओं पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 840-1200 रुपये के वेतनमान वाले पद केन्द्रीय विद्यालय संगठन में पहले ही

विद्यमान हैं; संगठन में अब यह कोई नया वेतनमान शुरू नहीं किया गया है। 840-1200 रु० के वेतनमान में इस पद के सृजन से दीर्घकाल में संगठन के कर्मचारियों के व्यवसाय-भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

सफदरजंग अस्पताल में विच्छिन्न अंगों के लिए विशेष योग्यता प्राप्त कर्मचारी

9647. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अस्पतालों, विशेषकर सफदरजंग अस्पताल में विच्छिन्न अंगों, विशेषकर, 'थेसर' में पीड़ित रोगियों के मामलों में अंगों को जोड़ने के लिए विशिष्टता प्राप्त कर्यचारी नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप विशेषकर प्रोसर के रोगियों को भारी कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विकलांग विज्ञान (आर्थोपडिक्स) संस्थान के दुर्घटना पीड़ितों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विशिष्टता प्राप्त कर्मचारियों के लिए निवेदन किया है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस मामले में सहायता देने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) विच्छिन्न अंगों वाले रोगियों का इलाज सामान्य अथवा विकलांग-विज्ञान शल्य चिकित्सा के किसी भी विशेषज्ञ द्वारा किया जा सकता है। थ्रेसर से घायल रोगियों का इलाज सफदरजंग अस्पताल में स्थित केन्द्रीय विकलांग विज्ञान संस्थान में किया जाता है। वैसे, विच्छिन्न अंगों को जोड़ने की व्यवस्था अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है।

(ग) नहीं।

कच्चे दूध की भण्डारण की अवधि को बढ़ाने के लिए हाइड्रोजन पैरोक्साइड के इस्तेमाल के बारे में फील्ड परीक्षण

9648. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एन० डी० आई०/एन० डी० आर० आई० बी०/आई० डी० सी० जी० सी० एम० एम० एफ० कच्चे दूध की भण्डारण अवधि को बढ़ाने के लिए हाइड्रोजन पैरोक्साइड की इस्तेमाल के बारे में फील्ड परीक्षण कर रहे हैं और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है (क्लैरिरी-दिनांक 6 नवम्बर, 1983);

(ख) क्या यह सच है कि हाइड्रोजन पैराक्साइड का मिलाया जाना गैर-कानूनी है और यदि हां, तो क्या 'फील्ड परीक्षण' के नाम पर मन्त्रालय द्वारा इसकी अनुमति दी गई है और यदि नहीं

तो क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इन परीक्षणों में अब तक हाइड्रोजन पैरोक्साइड की कुल कितनी मात्रा इस्तेमाल की गई है और उसकी प्रतिशतता क्या है; और

(घ) देश में हाइड्रोजन पैराक्साइड (खाद्य स्तर) के उत्पादकों के नाम क्या हैं और उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता और वास्तविक उत्पादन कितना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) से (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबन्धों के अन्तर्गत हाइड्रोजन पर-आक्साइड का दूध में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है।

केन्द्रीय खाद्य मानक समिति की डेरी उप-समिति की सिफारिशों पर स्वास्थ्य की दृष्टि से परिरक्षक के रूप में दूध में थायोसायनेट-हाइड्रोजन परआक्साईड का इस्तेमाल करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द के डाक्टर तनेजा के संयोजकता में एक कार्य दल का गठन किया गया जिसमें भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल का एक-एक प्रतिनिधि तथा सलाहकार (पोषण) शामिल है।

(घ) केवल मैसर्स नेशनल परआक्साईड लिमिटेड, बम्बई ही देश में हाइड्रोजन पर-आक्साईड का निर्माण करता है। यह फर्म खाद्य स्तर (फूड ग्रेड) के हाइड्रोजन परआक्साईड का उत्पादन नहीं करती है।

नागपुर में आरक्षण कोटा

9649. **श्री पी० जे० कुरियन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश ने पूर्वी भागों से आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए केरल जाने वाली गाड़ियों में द्वितीय श्रेणी में नागपुर का आरक्षण कोटा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) केरल समाजम नागपुर से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर यह विनिश्चय किया गया है कि 15-6-84 अप केरल एक्सप्रेस गाड़ी में नागपुर स्टेशन पर दूसरे दर्जे के शयनयान में शायिकाओं का आरक्षण कोटा बढ़ाकर 10 शायिका कर दिया गया है।

दिल्ली परिवहन निगम, बम्बई इलैक्ट्रिक सप्लाई एण्ड ट्रांसपोर्ट और मद्रास शहर के परिवहन निगम की बसों आदि की आय व्यय

9650. **श्री जायनल अबेदिन**: क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य महानगरों में कार्यरत ऐसे निगमों के विपरीत, दिल्ली परिवहन निगम को लगातार घाटा हो रहा है; और

(ख) वर्ष 1980 से 1983 तक दिल्ली परिवहन निगम की वार्षिक आय और व्यय कितना था और उसकी तुलना में बम्बई इलेक्ट्रिक सप्लाई एण्ड ट्रांसपोर्ट और मद्रास में कार्यरत परिवहन निगम का आय और व्यय कितना था और उनके बेड़े के कितनी बसें थीं, प्रतिदिन औसतन कितनी बसें चलीं तथा यात्रियों की संख्या नगर-वार कितनी थी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) यह कहना सच नहीं कि केवल दिल्ली परिवहन निगम ही ऐसी नगर परिवहन सेवा है जो हानि उठा रही है। बम्बई और मद्रास की नगर परिवहन सेवाओं को समय-समय पर भाड़ा बढ़ाये जाने के बावजूद हानि हुई है, जबकि लागत में वृद्धि होने के बावजूद दिल्ली परिवहन निगम के किराये में, 1979 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) अपेक्षित सूचनाएं विवरण में दी हैं।

विवरण

क्रम सं०	विवरण	1980-81 दि०प०नि० (दिल्ली)	1980-81 वी०ई०एस०टी० (बम्बई)	1980-81 पल्लवन (मद्रास)	1981-82 दि०प०नि० (दिल्ली)	1981-82 वी०ई०एस०टी (बम्बई)	1981-82 पल्लवन (मद्रास)	1982-83 दि०प०नि (दिल्ली)	1982-83 वी०ई०एस०टी० (बम्बई)	1982-83 पल्लवन (मद्रास)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	वर्ष के दौरान औसत बसें	3113	1975 (लगभग 60% ड० डेकर)	1731	3363	2092 (लगभग 60% ड० डेकर)	1873	4108	2243 (लगभग 60% ड० डेकर)	2013
2.	बसों का प्रयोग (%)	83.01	91.39	87.60	86.89	91.52	88.90	85.25	87.6	87.6
3.	प्रतिदिन लाये-ले-जानें वाले यात्रियों की संख्या (लाख में)	28.11	42.95	24.82	30.96	40.60	24.29	34.37	36.38	25.59
4.	आय (लाख रु० में)	4302.52	5415.79	3467.91	4896.84	6259.98	4575.13	5675.25	7603.88	5105.82
5.	कार्य व्यय (लाख रु० में)	5387.29	5405.00	3726.77	6865.74	6444.86	4590.08	8857.70	7360.74	4777.40

भीख मंगवाने के लिए बच्चों का अपहरण

9651. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विशेष गिरोह कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, वाराणसी, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक आदि में बच्चों का अपहरण करते हैं और इसके पश्चात् उनको भीख मांगने के लिए बाध्य करते हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में कार्यशील इस प्रकार के गिरोहों की अनुमानित संख्या क्या है और इनमें से उन गिरोहों की संख्या क्या है जिनका पिछले पांच वर्षों के दौरान पता लगाया गया है; और

(ग) इन गिरोहों के चंगुल से कितने भिखारियों को मुक्त कराया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) दिल्ली संघ राज्य को छोड़ असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश तथा सभी संघ राज्यों के बारे में सूचना शून्य हैं। हरियाणा राज्य और दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश के बारे में सूचना दी गई है :—

हरियाणा :

इस समय ऐसा कोई गिरोह सक्रिय नहीं है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, दो गिरोह अम्बाला और जीन्द जिलों में एक-एक ऐसे गिरोह का 1982 में पता लगाया गया था। दोनों मामलों में लड़कों का अपहरण कर उन्हें भीख मांगने को बाध्य किया गया था। अपराधियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए और उन पर मुकदमा चल रहा है।

दिल्ली संघ राज्य :

पिछले पांच वर्षों के दौरान (1979-1983 और 15 मार्च, 1984 तक) दिल्ली पुलिस ने ऐसे किसी संगठित गिरोह का पता नहीं लगाया जो भीख मंगवाने के लिए बच्चों का अपहरण करने में संलग्न हो। परन्तु दिल्ली पुलिस को 3 मामलों की सूचना मिली है। भीख मांगने के लिए अपहृत किए गए 4 बच्चों में से 3 को अपराधियों की चंगुल से मुक्त करा लिया गया था।

शेष राज्यों से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

मध्य प्रदेश में गलगण्ड उन्मूलन

9652. **डा० वसंत कुमार पंडित :**
कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य में कितने व्यक्तियों के गलगण्ड की भयकारी बीमारी की चपेट में आने की आशंका है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की हाल की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि कार्यों पर समेकित नियंत्रण का अभाव, आयोडिस नमक की सप्लाई में विलम्ब और केन्द्र द्वारा समन्वय का अभाव इस समस्या को हल करने में बाधा है; और

(ग) मध्य प्रदेश राज्य से खासतौर से आदिवासी क्षेत्रों से गलगण्ड का पालन करने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) अनुमान है कि मध्य प्रदेश के शाहडोल, सिधि, सरगुजा और रायगढ़ के जिलों में 22.94 लाख लोग इस रोग से पीड़ित हैं।

इस बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय गलगण्ड नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है जिसमें मानव उपभोग के लिए आयोडीकृत नमक की सप्लाई पर जोर दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम राज्य सरकारों (मध्य प्रदेश सरकार सहित) के पूरे सहयोग से चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत केन्द्रीय सर्वेक्षण के जरिए गलगण्ड की स्थानिकमारी वाले इलाकों का पता लगाया जाता है, ऐसे चुनिंदा क्षेत्रों के संबंधित राज्य सरकारों द्वारा गैर आयोडीकृत नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाता है, भारत के नमक आयुक्त की मदद से उक्त चुनिंदा इलाकों में आयोडीकृत नमक पहुंचाया जाता है और केन्द्रीय सरकार द्वारा नमक के आयोडीकरण के खर्च के लिए सहायता दी जाती है। स्थानिकमारी वाले सभी जोनों में इस कार्यक्रम का लागू होना इन सब गतिविधियों के समन्वय पर निर्भर करता है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आयोडीकृत नमक के अतिरिक्त किसी अन्य नमक की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के एकदम बाद मध्य प्रदेश सरकार के प्रभावी जिलों में आयोडीकृत नमक का प्रबन्ध किया गया था।

इस कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को निम्नलिखित परामर्श दिये गये हैं :—

(1) अपने यहां के स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में आयोडीकृत नमक के वाणिज्यिक उत्पादन को प्रोत्साहन देना।

(2) अपने यहां के राज्य स्वास्थ्य निदेशालय में गलगण्ड नियन्त्रण एककों की स्थापना करना।

(3) आयोडीकृत नमक के आबंटित पूरा-पूरा कोटा ले जाना।

(4) गलगण्ड के स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में गैर आयोडीकृत नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों को कड़ाई से लागू करना।

(5) गलगण्ड नियन्त्रण कार्यक्रम को प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन करना।

(6) इस कार्यक्रम पर लगातार नजर रखना और इसका मूल्यांकन करना।

रेल मंत्रालय को भी यह परामर्श दिया गया है कि वे आयोडीकृत नमक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित संख्या में रेलयान उपलब्ध कराते हुए अपना पूरा सहयोग दें।

केन्द्रीय स्तर पर गलगण्ड नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है।

स्कूलों में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच करना

9653. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना मे इस बात पर जोर दिया गया है कि स्कूलों में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों के स्वास्थ्य की जांच करने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में पढ़ने वाले प्रत्येक लड़के और लड़की की आंखों की दृष्टि की जांच करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करने हेतु आदेश देने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन सम्पूर्ण दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम चला रहा है जिसके अन्तर्गत सैकेंडरी स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य की साल में एक बार जांच की जाती है। इसके इलावा, अध्यापक भी अपने दिन प्रतिदिन के कार्य के दौरान बच्चों में स्वास्थ्य सम्बन्धी दोषों और विकारों का पता लगाने के लिए उन पर नजर रखते हैं। दृष्टि की जांच करना और ऐसे लक्षणों पर नजर रखना भी, जिनसे आंखों के रोगों का पता चलता, हो इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

ड्राइवर 'ए' पदों के लिए अंग्रेजी भाषा की लिखित परीक्षा लेने के लिए परिवर्तित नीति

9654. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे प्रशासन ने अकस्मात अपनी नीति में परिवर्तन कर लिया और ड्राइवर 'ए' के पदों के चयन के लिए अंग्रेजी भाषा की लिखित परीक्षा ली गई;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं जिसके कई वरिष्ठ और सक्षम ड्राइवरों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ग) नीति में किए गए इस अकस्मात परिवर्तन से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों सहित कुल कितने कर्मचारियों पर बुरा प्रभाव पड़ा है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं । दक्षिण रेलवे पर विभिन्न कोटियों के लिए ली जाने वाली प्रवरण परीक्षा सदैव अंग्रेजी भाषा में होती है । लेकिन उम्मीदवारों को विकल्प के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं में उत्तर देने की अनुमति दी जाती है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

'प्लेग कैन इरप्ट इन इण्डिया-वारन्स एक्सपर्ट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

9655. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 अक्तूबर, 1983 को लखनऊ के दैनिक 'पायनीर' में 'प्लेग कैन इरप्ट इन इण्डिया-वारन्स एक्सपर्ट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) हिमाचल प्रदेश में इस कारण हुई मौतों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं और क्या यह पहला अवसर है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ङ) क्या उक्त बीमारी इन दिनों विश्व के अन्य देशों में भी पैदा हो गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ङ) सरकार ने यह समाचार देख लिया है । राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के विशेषज्ञों के एक दल ने हिमाचल प्रदेश में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और उसने इस मामले की जांच की थी । इस जांच से प्लेग का कोई सबूत नहीं मिला है । प्रभावित क्षेत्रों में सभी लोगों का उपचार करने, संपर्क के रसायन-रोगनिरोध लोगों को रोग से बचाव का वैक्सीन देने तथा कीटनाशी छिड़काव करने और रोगरोधी उपाय किए गए । इस क्षेत्र में प्लेग के संदिग्ध रोगियों के होने का एक और प्रसंग 1971 में उठाया, लेकिन प्लेग हेतु विज्ञान से यह साबित नहीं हो सका । पिछले कुछ समय से किसी अन्य राज्य से ऐसे मामले की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है । पहले के स्थानिकमारी वाले स्थानों में भी प्लेग निगरानी कार्यकलाप चलाए जा रहे हैं ।

इन दिनों अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमरीका के कुछ देशों तथा एशिया (बर्मा और वियतनाम) में मानव प्लेग होने की रिपोर्टें मिली हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियों में आवश्यक दवाओं का उपलब्ध न होना

9656. डा० कृपासिंधु भोई : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा लाभान्वित होंगे, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियों से आवश्यक दवाएं नहीं मिल रही हैं;

(ख) क्या इन डिस्पेंसरियों में डाक्टर रोगियों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियों के कार्यकरण को सुचारु बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में अनिवार्य औषधियां उपलब्ध हैं। यदि कोई कमी अस्थाई तौर पर हो जाए तो आपातिक जरूरतों की दवाइयां प्राप्त करने की प्रतिष्ठित प्रणाली लागू है।

(ख) और (ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाए, नियमित/आकस्मिक निरीक्षण किए जाते हैं।

टेलीफोन आपरेटरों की वरिष्ठता

9657. **श्री दया राम शाक्य :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वरिष्ठता और अगले ग्रेड में पदोन्नति के सम्बन्ध में 1981 से अब तक दिल्ली डिवीजन के मुख्य टेलीफोन आपरेटरों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं :

(ख) क्या यह सच है कि सरकार को टेलीफोन आपरेटरों की वरिष्ठता के सम्बन्ध में दिल्ली उच्च न्यायालय से भी एक निर्णय प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस निर्णय को कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 1981 से उत्तर रेलवे की दिल्ली मण्डल के टेलीफोन आपरेटरों से लगभग 7 (सात) आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) टेलीफोन आपरेटरों की वरिष्ठता के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय से दो निर्णय प्राप्त हुए थे। पहला निर्णय 23-4-80 का था जिसे 7-8-80 के आदेश द्वारा कार्यान्वित कर दिया गया है। एकल जज के 24-5-83 के दूसरे निर्णय का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका क्योंकि प्रभावित पार्टियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष एक अपील कर दी है और न्यायालय ने एकल जज के निर्णय को लागू करने के संबंध में स्थगन आदेश दे दिया है।

समाज कल्याण संस्थाओं के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की नई योजनाएं

9658. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या **समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में समाज सेवा केन्द्रों तथा अन्य समाज कल्याण संस्थाओं के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नई योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इस प्रकार की कितनी परियोजनाएं/केन्द्र सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) अपंग व्यक्तियों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने की वर्तमान योजना के अन्तर्गत सरकार अपंग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान दे रही है। मंत्रालय अपंग व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास हेतु एक पृथक योजना पर विचार कर रहा है।

(ख) योजना का ब्यौरा अभी तैयार किया जाना शेष है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाकिस्तानी व्यावसायियों को परेशान किया जाना

9659. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह :** क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत के दौरे पर आए पाकिस्तान के 4 व्यापारियों को परेशान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन्हें परेशान किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) घटना का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) व्यापारिक उद्देश्यों के लिए भारत की यात्रा करने वाले चार पाकिस्तानी राष्ट्रिक

विदेशी-आदेश 1948 के पैरा 7 के उल्लंघन के दोषी पाए गए थे जो कि विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के अन्तर्गत दण्डनीय है। उनके खिलाफ लाजपत नगर पुलिस थाना, नई दिल्ली में विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत 14-3-84 को मामला एफ० आई० आर० संख्या 172 दर्ज किया गया और उन्हें उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। ये चारों पाकिस्तानी राष्ट्रिक अदालत के समय दोषी पाए गए और उन पर 4000 रुपये का जुर्माना और जितनी अवधि तक वे न्यायिक हिरासत में रह चुके थे उतनी अवधि की कैद की संजा दी गई। बाद में जुर्माना अदा करने के पश्चात् वे सभी पाकिस्तान चले गए।

नई दिल्ली नगर पालिका के चलते-फिरते औषधालय का कार्यकरण

9660. **श्री निहाल सिंह :**
श्री राम सिंह शाक्य :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका का चलता-फिरता औषधालय कार्य नहीं कर रहा है और केवल खड़ा ही रहता है जबकि इसके कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाता है; और

(ख) औषधालय की यूनिट संख्या 1 और 2 के सम्बन्ध में एक वर्ष के लिए इसके मासिक प्रगति के बारे में निम्नलिखित का ब्यौरा क्या है;

(एक) कितने मरीजों की जांच की गई;

(दो) कितनी मात्रा में दवाइयों का वितरण किया गया है; और

(तीन) कितने दिन वैन को कार्य क्षेत्र में ले जाया गया था ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) नहीं।

(ख) (1) इन दोनों गश्ती गाड़ियों की मासिक प्रगति इस प्रकार है :—

	गश्ती गाड़ी संख्या 1	गश्ती गाड़ी संख्या 2
अवधि	20-10-83 से 22-4-84	15-10-83 से 15-4-84
कितने दिन गश्त लगायी	69 दिन	84 दिन
कितने रोगी देखे	945	2130
मासिक औसत	150 प्रतिमाह	350 प्रतिमाह

(2) इन गश्ती गाड़ियों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की व्यवस्था की जाती है जो रोगी/रोगियों की हालत के अनुसार जारी की जाती है।

रेलवे के विभिन्न कार्यक्रम

9661. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनकी सेवावधि के दौरान माल लदान करने वाली गाड़ियों, यात्रियों को ले जाने वाली गाड़ियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई और कितनी नई लाइनें बिछाई गईं;

(ख) इस अवधि के दौरान रेलवे दुर्घटनाओं की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई और इस प्रकार की दुर्घटनाओं में कमी करना किस सीमा तक संभव हो सका है;

(ग) इस अवधि के दौरान कुल कितने व्यक्तियों को स्थायी अथवा अस्थायी आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया गया; और

(घ) रेलवे विभागों में व्यक्तियों को रोजगार देने का भावी कार्यक्रम क्या है और जोन-वार उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 3-9-1982 को रेल मन्त्रालय का कार्य भार संभाला था। अप्रैल, 1982 और अगस्त, 1982 के बीच की अवधि को आधार मानते हुए यात्री गाड़ियों की दैनिक औसत संख्या माल यातायात की ढुलाई और प्रारम्भिक यात्री यातायात के संबंध में भारतीय रेलों का कार्य-निष्पादन इस प्रकार रहा :—

	अप्रैल, 1982 से अगस्त, 1982	सितंबर, 1982 से मार्च, 1983	अप्रैल, 1983 से दिसंबर, 1983
(i) यात्री गाड़ियां	100	101.84	103.85
(ii) माल यातायात की ढुलाई	100	108.54	101.17
(iii) प्रारम्भिक यात्री यातायात	100	104.09	91.10*

*(अनुमानित)

सितम्बर, 1982 से दिसंबर, 1983 की अवधि के दौरान पांच (5) नयी लाइनें खोली गई थीं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्रम संख्या नई लाइन का नाम	खोले जाने की तारीख
1. आप्ता-पेन (ब० ला०)	21-2-1983
2. गुन्ती-धर्मावरम (ब०ला०)	26-1-1983
3. येलहंका-बैय्यप्पनहल्ली (ब० ला०)	26-1-1983
4. बसई रोड-दिवा (ब० ला०)	12-4-1983
5. भद्राचलम रोड-मानगुरू (ब० ला०)	29-9-1983

(ख) पिछले 19 महीनों की तुलना में सितंबर, 1982 से मार्च, 1984 की अवधि के दौरान गाड़ी दुर्घटनाओं में लगभग 26.5 प्रतिशत की कमी आई थी।

(i) कर्मचारियों की कार्य-कुछलता बढ़ाने के लिए सतत ध्यान देकर।

(ii) रेल पथ चल स्टाक और अन्य परिचालनिक परिसम्पत्तियों के पुनस्थापन कार्य तेज करके सुधार किया गया था।

(ग) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल अपर रख दी जायेगी।

समयोपरि भत्ते पर पाबन्दी

9662. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के कर्मचारी कार्यालय समय के बाद देर तक बैठते हैं;

(ख) क्या एक महीने में समयोपरि भत्ता केवल 20 से 30 घन्टे तक ही लिया जा सकता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अन्य मन्त्रालयों में ऐसी कोई पाबन्दी नहीं है;

(घ) क्या यह भी सच है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर्मचारियों को निर्धारित तीस घन्टे पूरे होने पर भी कार्यालय समय के बाद बैठाया जाता है परन्तु उन्हें केवल 20 से 30 घन्टे के समयोपरि भत्ते की अदायगी की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां, जब कभी काम के लिए आवश्यकता पड़े।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये अनुदेश रेल मन्त्रालय सहित सभी केन्द्रीय मन्त्रालयों/विभागों पर लागू होते हैं।

इन अनुदेशों के अनुसार रेल मन्त्रालय के कर्मचारियों को अधिक से अधिक उनकी परिलब्धियों के 1/3 तक अथवा ड्यूटी के वास्तविक समयोपरि घन्टों के लिए अर्थात् इनमें से जो भी कम हो, समयोपरि भत्ता दिया जाता है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों द्वारा मूल सुविधाओं की मांग

9663. **श्री हरीश रावत** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय के कर्मचारी पेय जल, केन्टीन, मनोरंजन क्लब आदि जैसी मूल सुविधाओं की मांग कर रहे हैं चूंकि उनका कार्यालय नए परिसर में स्थानान्तरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि जब उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, तो उन्होंने 3 और 4 अप्रैल, 1984 को विशेष रूप से पेय जल की अपनी मांग के संमर्थन में, आन्दोलन किया गया था; और

(ग) कर्मचारियों की इन मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) 3 अप्रैल, 1984 को भूमिगत टैंक से ओवर हैड टैंक तक पानी ले जाने वाले बूस्टर पंप के खराब हो जाने के कारण लगभग 2 घन्टे तक पीने के पानी की पूर्ति करने में कुछ समस्या उत्पन्न हुई, जिससे कर्मचारी संघ ने आंदोलन किया। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय के नए परिसर में वस्तुतः पीने के पानी, कैंटीन, मनोरंजन क्लब आदि जैसी मूल सुविधाएं उपलब्ध हैं और संघ की प्रतिक्रिया पूरी तरह से अनुचित थी।

बाल अधिनियम का कार्यान्वयन और बाल अपराधियों के लिए कल्याणकारी उपाय

9664. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति असन्तोषजनक होने के कारण बाल अधिनियम और बाल अपराधियों के लिए कल्याणकारी उपायों को पूरी तरह लागू नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने काफी समय से समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों का गठन नहीं किया है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) बाल अपराधियों के लिए कल्याण उपाय करने और बाल अधिनियम के कार्यान्वियन का कार्य राज्य सरकार का है। प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के मामले में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से बातचीत कर रही है।

(ख) दादर और नगर हवेली संघ राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों ने राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों का गठन कर लिया है।

(ग) जैसा कि ऊपर (क) में बताया गया है।

उत्तर प्रदेश में स्मारकों का परिरक्षण

9665. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में किन-किन स्मारकों और प्राचीन स्मारकों को 1983-84 के दौरान स्मारकों के परिरक्षण की केन्द्रीय योजना के अंतर्गत लाए जाने का प्रस्ताव था;

(ख) क्या भारतीय पुरातत्व विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कुछ पुराने स्मारकों और प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो उनमें से किन-किन स्मारकों और स्थलों का उपर्युक्त केन्द्रीय योजना में शामिल किया जाएगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) वर्ष 1983-84 के दौरान उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में राजामऊ के शिव मंदिर और गाजियाबाद के प्राचीन पुरावशेषों को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के अधीन संरक्षित घोषित किया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) निम्नलिखित संस्मारकों और स्थलों को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के अधीन संरक्षित किये जाने की संभावना का अन्वेषण उनके पुरातत्वीय और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रख कर किया जा रहा है :—

नाम	जिला
1. बारहखंभा नामक प्राचीन गुंबद, आगरा	आगरा
2. किचौरा का प्राचीन स्थल	अलीगढ़
3. ऊंचडीह का प्राचीन स्थल	इलाहाबाद
4. मंडल के पास का शिलालेख	चमोली
5. कन्नौज का प्राचीन टीला	फर्रुखाबाद
6. लखीमपुर का प्राचीन टीला	हरदोई
7. झांसी का किला	झांसी
8. नक्कारखाना	लखनऊ
9. अम्बरीश टीला नामक प्राचीन टीला, मथुरा	मथुरा
10. प्राचीन कटरा का टीला, मथुरा	मथुरा
11. किशोरी रमण कालेज से सटा हुआ प्राचीन टीला	मथुरा
12. जंगल महल का प्राचीन स्थल	मिर्जापुर
13. सोमराज महादेव मंदिर, वाराणसी	वाराणसी

हाल्दिया में ड्रेजर मरम्मत कम्पलैक्स की स्थापना

9666. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हाल्दिया में ड्रेजर मरम्मत कम्प्लैक्स की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) जी, नहीं।

नई दिल्ली में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों का धरना

9667. **श्री सी० चिन्नास्वामी :**
डा० ए० यू० आजमी :

क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने 3 मार्च, 1984 को नई दिल्ली में धरना दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार उनकी जायज शिकायतों को दूर करने के संबंध में क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) समाचार पत्र की खबरों के अनुसार, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने 3 मार्च, 1984 को नई दिल्ली में पूरे दिन धरना दिया था जिसमें कुलपति को हटाने तथा कुछ छात्रों के विरुद्ध निष्कासन आदेश वापिस लिए जाने की मांग की गई थी।

(ग) छात्रों के विरुद्ध निष्कासन आदेश वापिस लिए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सरकार और विदेशों से अनुदान प्राप्त करने वाले सामाजिक संस्थान

9968. **श्री के० ए० स्वामी :** क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले कोई संस्थान विदेशों से भी अनुदान प्राप्त करते हैं;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त की गई धनराशि का संस्थान-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कानून के अन्तर्गत इन सामाजिक धर्मार्थ संस्थानों द्वारा विदेशी से अनुदान प्राप्त करना जायज है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

चरण-दो के अन्तर्गत बकिंघम नहर का विकास

9669. **श्री पुचालापल्ली पेंचालैया :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्देशीय जल परिवहन के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश में नौ-संचालन के लिए चरण दो के अंतर्गत बकिंघम नहर का और विकास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब शुरू किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा फेज II के अन्तर्गत बकिंघम कनाल के सुधार के लिए एक स्कीम पर विचार किया गया था। तथापि छठी पंचवर्षीय योजना में अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए धनराशि के घटा दिए जाने के कारण इस स्कीम को केन्द्र संचालित स्कीम के रूप में शामिल नहीं किया जा सका।

आर० पी० एफ०/आर० पी० एस० एफ० जवानों की संख्या

9670. **श्री कृष्ण चन्द पांडे** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर० पी० एफ०/आर० पी० एस० एफ० की आठ बटालियनें और बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव लम्बे समय से रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है;

(ख) क्या यह भी सच है कि आर० पी० एस० एफ० के जवानों की संख्या काफी कम है और इसलिए रेलवे लाइनों और वर्कशापों की उतनी रक्षा नहीं हो पा रही है, जितनी होनी चाहिए; और

(ग) प्रस्तावित नई आर० पी० एफ०/आर० पी० एस० एफ० बटालियनों की भर्ती करने में कितने महीने लगेंगे और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां। इस समय विभिन्न क्षेत्रीय रेलों द्वारा रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि रेलवे लाइनों और कारखानों की पर्याप्त रूप से सुरक्षा नहीं की जा रही हैं। तथ्य यह है कि उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल के कर्मचारियों से, सर्वत्र रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए, अधिकतम काम लिया जा रहा है।

(ग) रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता, अभी भी रेलों द्वारा जांच के स्तर पर है। इसलिए, अभी से यह कहना संभव नहीं है कि भर्ती कब की जाएगी।

चिकित्सा कालेजों की संख्या बढ़ाना

9671. **श्री आर० प्रभु :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चिकित्सा संस्थानों की संख्या कितनी है;

(ख) चिकित्सा में प्रथम डिग्री के लिए कितने छात्रों को प्रवेश दिया जाता है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष चिकित्सा स्नातक बनकर निकलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने अगले 10-15 वर्षों के दौरान डाक्टरों की आवश्यघताओं से बारे में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चिकित्सा कालेजों और इनसे निकलने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) से (ग) शैक्षिक वर्ष 1980-81 से 1982-83 के दौरान जिन छात्रों ने एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया तथा जिन्होंने एम० बी० बी० एस० की अन्तिम परीक्षा पास की उनकी संख्या का एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) मौजूदा मेडिकल कालेज जिनसे लगभग 13,000 चिकित्सा छात्र प्रतिवर्ष पढ़कर निकलते हैं, देश की वर्तमान जन शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं।

विवरण

शैक्षिक वर्ष 1980-82 से 1982-83 के दौरान भारत में एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले तथा एम० बी० बी० एस० की अन्तिम परीक्षा पास करने वाले छात्रों की संख्या का विवरण

वर्ष	मेडिकल कालेजों की कुल संख्या	छात्रों की संख्या	
		दाखिल हुए	पास हुए
1980-81	106	11067	12170
1981-82	106	10641†	12197*
1982-83	106	11062†	एन० आर०

टिप्पणी : एन० आर० = अप्राप्त

† = 1982-83 में 6 कालेजों से आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

* = 1981-82 में 6 कालेजों से आंकड़ों की प्रतीक्षा थी।

स्रोत : भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद।

उड़ीसा में रेल लाइनों के ऊपर पुल

9672. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा के विभिन्न भागों में रेलवे लाइनों के ऊपर कितने पुल निर्माणाधीन हैं;

(ख) उन उपरि पुलों के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) उनके निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित ऊपरी सड़क पुल निर्माणाधीन हैं। लागत में रेलवे का अनुमानित हिस्सा और इन कार्यों में हुई प्रगति प्रत्येक के सामने दर्शायी गयी है।

क्रम सं०	स्थान		लागत (लाखों रुपये में)	की गयी प्रगति
1.	बोलनगीर में समपार के बदले ऊपरी सड़कपुल	कार्य में रेलवे का भाग	13.68	50 प्रतिशत
2.	बरगढ़ में 603.09 कि०मी० पर समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल	कार्य में रेलवे का भाग	16.68	—
3.	बालासोर में रेमुना समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल	रेलवे का हिस्सा राज्य सरकार का हिस्सा	43.15 50-38	यातायात के लिए खोल दिया है
4.	निरगुण्डी और केन्द्रपाड़ा के बीच 400/7-8 कि० मी० पर ऊपरी सड़क पुल	रेलवे का हिस्सा राज्य सरकार का हिस्सा	26.73 46.7	40%
5.	कटक रेलवे स्टेशन के दक्षिण छोर पर समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल	रेलवे का हिस्सा	130.68 133.63	50%

प्रधान मंत्री की पश्चिम एशियाई देशों की यात्रा पर हुआ खर्च

9673. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्ययन के रूप में कुछ पश्चिम एशियाई देशों, लीबिया और ट्यूनिशिया की यात्रा की थी;

(ख) इस यात्रा पर कितनी धनराशि खर्च हुई थी;

(ग) क्या इन खर्चों की व्यवस्था गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के सचिवालय द्वारा की जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) यद्यपि यह मात्रा मूल रूप से द्विपक्षीय संदर्भ में की गई थी फिर भी प्रधान मंत्री ने इस अवसर का लाभ उठाकर लीबिया और ट्यूनिसिया के नेताओं के साथ गुटनिरपेक्ष आन्दोलन से सम्बद्ध मसलों पर विचार-विमर्श किया ।

(ख) से (घ) इस यात्रा के खर्च का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है तथापि नाम सचिवालय द्वारा खर्च देने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि गुटनिरपेक्ष एक आंदोलन है और उसका कोई सचिवालय नहीं है ।

सुरक्षा नियमों का पालन न करने के कारण दुर्घटनाएं

9674. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983 में कितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं :

(ख) उनमें से कितनी दुर्घटनाएं सुरक्षा-नियमों का पालन न किए जाने के कारण हुईं; और

(ग) क्या अधिकांश मामलों में परिचालन सुरक्षा-नियमों का पालन किएं बिना तथा ब्रेक वैन और गार्डों के बिना कर्मचारियों को गाड़ियां चलाने पर मजबूर करने के लिए परिचालन अधिकारी जिम्मेवार हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) 1983-84 की अवधि में भारतीय रेलों पर 767 गाड़ी दुर्घटनाएं हुईं । 703 गाड़ी दुर्घटनाओं के कारणों का पता चल गया है । इनमें से 532 दुर्घटनाएं गाड़ियों के परिचालन या रेल पथ, चल स्टाक और अन्य उपस्कर के अनुरक्षण में कर्मचारियों की भूल-चूक के कारण और रेल कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा

समपार पार करते समय सावधानी न बरतने के कारण या सवारी डिब्बों में ज्वलनशील पदार्थ ले जाने आदि के कारण हुई।

(ग) जी नहीं। रेल कर्मचारियों को सुरक्षा नियमों की अवहेलना करके गाड़ी चलाने को बाध्य नहीं किया जाता। ब्रेक-यान और गार्ड के बिना मालगाड़ियों का चालन प्रचलित नियमों के अधीन केवल आपवादिक मामलों में किया जाता है और उन नियमों में संरक्षा संबंधी अपेक्षाओं का ध्यान रखा गया है।

देश में तकनीकी कालेजों की राज्यवार संख्या

9675. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में राज्य-वार कितने तकनीकी कालेज हैं और उनमें कितने छात्र हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : तकनीकी शिक्षा सुविधा सम्बन्धी सर्वेक्षण रिपोर्ट, 1983 पर आधारित अवर-स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अनुमोदित तकनीकी कालेजों की राज्यवार संख्या और दाखिले के लिए छात्रों की वार्षिक क्षमता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है :—

विवरण

डिग्री तकनीकी कालेजों की सूची

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	कालेजों की संख्या	वार्षिक दाखिला क्षमता (1983-84)
1	2	3	4
	उत्तरांचल		
1.	दिल्ली	5	827
2.	जम्मू और काश्मीर	1	250
3.	चंडीगढ़	3	365
4.	हरियाणा	2	375
5.	पंजाब	3	485
6.	राजस्थान	5	777
7.	उत्तर प्रदेश	14	2644
		33	5723

1 2	3	4
पूर्वांचल		
8. पश्चिमी बंगाल	13	1832
9. बिहार	7	1384
10. उड़ीसा	2	525
11. असम	3	558
12. त्रिपुरा	1	120
	26	4419
पश्चिम क्षेत्र		
13. महाराष्ट्र	16	2820
14. गुजरात	7	2157
15. मध्य प्रदेश	9	1812
16. गोवा	1	154
	33	6943
दक्षिणांचल		
17. आन्ध्र प्रदेश	10	2060
18. कर्नाटक	13	4051
19. केरल	6	2125
20. तमिलनाडु	15	4884
	44	13120
कुल	136	कुल 30205

अनुमोदित स्नातकोत्तर संस्थाओं की सूची

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	कालेजों की संख्या	वार्षिक दाखिला क्षमता (1983-84)
1	2	3	4
	उत्तरांचल		
1.	दिल्ली	3	409
2.	चण्डीगढ़	2	85
3.	हरियाणा	2	60
4.	पंजाब	2	66
5.	राजस्थान	4	149
6.	उत्तर प्रदेश	10	1120
		23	1889
	पूर्वांचल		
7.	पश्चिम बंगाल	5	856
8.	बिहार	6	292
9.	उड़ीसा	2	67
10.	असम	1	10
		14	1225
	पश्चिम क्षेत्र		
11.	महाराष्ट्र	9	694
12.	गुजरात	5	360
13.	मध्य प्रदेश	3	251
		17	1305

1　2	3	4
दक्षिणांचल		
14. आन्ध्र प्रदेश	8	435
15. कर्नाटक	7	442
16. केरल	3	130
17. तमिलनाडु	12	782
	30	1789
कुल जोड़	84	कुल जोड़ 6208

सरकारी अस्पतालों और मैडिकल कालेजों में डाक्टरों द्वारा नौकरी छोड़ देना

9676. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980, 1981, 1982 और 1983 के दौरान कितने डाक्टरों ने प्रति-नियुक्ति पर, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति और त्याग पत्र देकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था जैसे सरकारी अस्पताल छोड़ दिए हैं;

(ख) इनमें से कितने डाक्टर मैडिकल कालेजों अथवा संस्थानों के थे और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में वे किस-किस विभाग से सम्बन्धित थे; और

(ग) ऐसे केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों, कालेजों और संस्थानों में इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के पैटर्न की केवल एक और संस्था है जिसका नाम स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ है । संस्थान द्वारा जो सूचना दी गई है वह इस प्रकार है :—

उन डाक्टरों की संख्या जिन्होंने निम्नलिखित के कारण संस्थान छोड़ा :

	प्रतिनियुक्ति		स्वेच्छा से सेवा-निवृत्ति		त्याग-पत्र	
	ए० आई० आई० एम० एस०	पी० जी० आई०	ए० आई० आई० एम० एस०	पी० जी०आई०	ए० आई० आई० एम० एस०	पी० जी० आई०
1980	4	2	—	1	—	9
1981	7	2	—	2	4	7
1982	4	1	—	2	5	9
1983	5	4	1	2	3	6

रिक्त पदों को भरने के लिए दोनों संस्थाओं की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर कार्यवाही की जाती रहती है।

सामाजिक कल्याण सम्बन्धी विभिन्न विधानों का कार्यान्वयन न करना

9677. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र में सामाजिक कल्याण सम्बन्धी सलाहकार बोर्डों के न होने अथवा अच्छी प्रकार से कार्य न करने के कारण सामाजिक कल्याण सम्बन्धी विभिन्न विधानों का कार्यान्वित सम्भव नहीं हो सका है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में जरूरतमन्द लोगों के लाभ के लिए समाज कल्याण विधानों का अधिनियमित करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

मरुधर एक्सप्रेस में बाड़मेर से द्वितीय श्रेणी का आरक्षित डिब्बा जोड़ना

9678. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मरुधर एक्सप्रेस का लखनऊ तक विस्तार कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो बाड़मेर जिले, विशेषकर बाड़मेर, पालीटरा और सामदारी कस्बों के यात्रियों के लिए किस प्रकार की सुविधायें प्रदान की जा रही हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बाड़मेर जिले में लोगों की मांग पूरी करने के लिए बाड़मेर रेलवे स्टेशन से द्वितीय श्रेणी का एक आरक्षित डिब्बा मुहैया करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) मेल लेने वाली उपयुक्त गाड़ियां जो इससे पहले उपलब्ध थीं, अब भी उपलब्ध रहेंगी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बरेली और बदायूं स्टेशनों के बीच 'शटल' गाड़ियां चलाए जाने का प्रस्ताव

9679. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने बरेली और बदायूं रेलवे स्टेशनों के बीच 'शटल' गाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह गाड़ियां कब चलाई जाएंगी; और

(घ) इन 'शटल' गाड़ियों के प्रस्थान का समय क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं । फिलहाल बरेली और बदायूं के बीच एक शटल गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा प्रतिबंधित दवाओं के भण्डार जमा किया जाना

9680. **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि स्वास्थ्य के लिए औषधों और दवाइयों, जो कि विकसित देशों में प्रतिबंधित हैं, बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विकासशील देशों में जमा किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रतिबन्धित दवाइयों को भारत में एकत्रित किया जा रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों का कुल उत्पादित दवाइयों के लगभग 78 प्रतिशत पर नियन्त्रण है और आवश्यक और कम कीमत की दवाइयां बनाने में रुचि नहीं रखती हैं; और

(घ) इन कम्पनियों द्वारा भारी लाभ कमाए जाने को रोकने के लिए सरकार द्वारा यदि कोई कदम उठाए गए हैं, तो वह क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) इस मंत्रालय के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियां, जो विकसित देशों में प्रतिबन्धित और निषिद्ध हैं, बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विकासशील देशों में जमा की गई हैं।

(ख) जहां तक भारत का संबंध है, यह सच नहीं है कि प्रतिबन्धित औषधियां देश में जमा की जा रही हैं।

(ग) और (घ) यह सच नहीं है कि ये बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां अनिवार्य और सस्ती दवाइयां तैयार करने की इच्छुक नहीं हैं, और इन औषधियों के कुल उत्पादन में उनका कितना हिस्सा है, इसका ठीक-ठीक निर्धारण नहीं किया गया है। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अधीन बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों समेत समूचे कम्पनी क्षेत्र का लाभ तथा औषध योगों की बिक्री में लाभ जब वह निर्धारित मूल्य से 8 से 18 प्रतिशत तक बढ़ जाये, विनियमित किया जाता है। सरकार ने अनियंत्रित और औषध योगों की कीमतों को भी इसी आदेश के अधीन संशोधित करना मान लिया है।

पूर्वोत्तर रेलवे में चलाई गई गाड़ियां

9681. **श्रीमती ऊषा वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पूर्वोत्तर रेलवे में कोई नई रेलगाड़ी/रेलगाडियां चलाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वहां नई गाड़ियां चलाने के लिए क्या मापदण्ड अपनाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) 1-1-84 से 18-4-84 की अवधि के दौरान तीन जोड़ी यात्री गाड़ियां चलायी गयी हैं। 1 जोड़ी बड़ी लाइन पर और 2 जोड़ियां मीटर लाइन पर।

ये गाड़ियां यात्री जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चलायी गयी हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश

9682. **श्री जी० एस० निहालसिंहवाला :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों में योग्यता के अलावा अन्य बातों पर विचार करते हुए बहुत बड़ी संख्या में अपात्र विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है;

(ख) क्या ऐसे विद्यार्थियों को, जिनके माता-पिता स्थानान्तरणीय पदों पर सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो सभी केन्द्रीय विद्यालयों में गत तीन वर्षों में श्रेणी-वार ऐसे कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखता है।

चिकित्सकों को डिग्रियां प्रदान करने से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वारा सेवा करने को सुनिश्चित करने सम्बन्धी नीति निर्णय

9683. **श्री मनमोहन टुडु :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चिकित्सकों को डिग्रियां प्रदान करने से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वारा कुछ अवधि तक सेवा करने को सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति निर्णय किया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार के नीति निर्णय को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निर्धारित और केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत स्नातकपूर्व चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक चिकित्सा स्नातक को निवारक और सामाजिक आयुर्विज्ञान विषय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्य में अनिवार्य रोटेटिंग इन्टर्नशिप में प्रशिक्षण के दौरान कम से कम छः माह की अवधि तक ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से कार्य करना होगा।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लिपिकीय ग्रेड में पदोन्नत करने के लिए नीति और प्रक्रिया

9684. **श्री रघुनाथ सिंह वर्मा :**
श्री जगपाल सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लिपिकीय ग्रेड में न्यूनतम अर्हता प्राप्त कर लेने प्रर विभागीय कोटे में पदोन्नति देने के लिए अपनाई जाने वाली नीति और प्रक्रिया क्या है;

(ख) विभागीय कोटे में लिपिकीय ग्रेड पर पदोन्नति के लिए होने वाली विभागीय परीक्षाओं में 'गेटमैन' श्रेणी को शामिल न करने के क्या कारण हैं;

(ग) वाल्टेयर डिवीजन में कार्यरत अनुसूचित जाति के गेटमैनों की ओर से लिपिकीय ग्रेड की पदोन्नति परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगने के लिए रेलवे प्रबन्धक वाल्टेयर डिवीजन दक्षिण पूर्व रेलवे को दिए गए सेवा अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) रेल मंत्रालय के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार कार्यालय लिपिकों की कोटि में $33\frac{1}{2}$ प्रतिशत रिक्तियां ग्रुप 'डी' के कर्मचारियों को पदोन्नत करके भरी जाती हैं। पदोन्नति के प्रयोजन के लिए अलग-अलग क्षेत्रीय रेल प्रशासन द्वारा कार्यालय लिपिकों की कोटि को कार्य के व्यापक सम्बन्ध पर निचले ग्रेडों की कोटियों के साथ उपयुक्त रूप से मिलाया जाता है। ग्रुप 'सी' में पदोन्नति के लिए पात्र होने वाले ग्रुप 'घ' के कर्मचारियों को सम्बद्ध पदोन्नति ग्रुप में कम से कम तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी करनी होती है। आयु और शैक्षणिक योग्यताओं का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। ग्रुप 'डी' के कर्मचारियों की ग्रुप 'सी' के पदों, जिसमें कार्यालय लिपिकों की कोटि भी शामिल है, पर पदोन्नति, कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता को परखने के लिए लिखित परीक्षा और बाद में जहां आवश्यक समझा जाता है, साक्षात्कार लेने के बाद चयन के आधार पर की जाती है।

(ख) अराजपत्रित कोटि के कर्मचारियों के सम्बन्ध में पदोन्नति-सारणी का निर्धारण सामान्यतः अलग-अलग क्षेत्रीय रेल प्रशासन द्वारा कर्मचारियों की उनकी मान्यता प्राप्त यूनियनों के परामर्श से किया जाता है। सामान्यतः गेटमैनों को कीमेन और मेट्स के रूप में पदोन्नत करने के लिए गैंगमैनों के ग्रुप में शामिल किया जाता है। उन रेलों पर जहां गेटमैनों को लिपिकीय पदों के लिए पदोन्नति ग्रुपों में शामिल किया जाता है, वहां वे उक्त पदों के लिए विचार किये जाने के पात्र होते हैं।

(ग) वाल्तेरु मंडल में अनुसूचित जाति के एक गैटमैन ने कनिष्ठ लिपिक के रूप में ग्रुप 'डी' ट्रांसपोर्टेशन स्टाक में पदोन्नति के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र दिया था। चूंकि गेटमैन की कोटि को लिपिक संवर्ग में पदोन्नति के लिए पात्र कोटियों में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए उसे आगामी लिखित परीक्षा में बैठने के लिए बुलाया जा रहा है।

यान्बू स्टैवेडोर का ठेका समाप्त करने पर बिलों की अंतिम रूप से अदायगी के समय मैसर्स स्टार नेवीगेटिंग कम्पनी, यान्बू सऊदी द्वारा ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड से दंड स्वरूप वसूल की गई/बिलों से काटी गई/बिलों से काटी गई धनराशि

9685. **श्री जगपाल सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 के दौरान यान्बू स्टेवेडोर सेवा का ठेका समाप्त करने पर बिलों की अंतिम रूप से अदायगी करते समय मैसर्स स्टार नेवीगेटिंग कम्पनी यान्बू सऊदी अरब द्वारा शुरू में ठेके की दोषपूर्ण स्वीकृति और निगम द्वारा ठेका सेवाएं करते समय हुए नुकसान के कारण दण्ड-स्वरूप अथवा अन्य कारणों से कुल कितनी भारतीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा वसूल की गई है, बिलों से काटी गई;

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार का विचार तथ्यों का पता लगाने के लिए और सार्वजनिक धन की हुई हानि को पूरा करने हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने का है; और

(ग) यान्बू पत्तन पर प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी होने के बाद निगम से कितने अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) मैसर्स स्टार नेविगेटिंग कम्पनी, यान्बू द्वारा इस प्रकार की कुछ भी धनराशि की वापसी या कटौती नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) वैयक्तिक कारणों के आधार पर भारतीय ड्रेजिंग कारपोरेशन के एक अधिकारी ने अपने पद से त्यागपत्र दिया है।

हिन्दी भाषी राज्यों में उर्दू का दूसरी भाषा के रूप में मान्यता

9686. **श्री चित्त बसु** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के हिन्दी भाषी राज्यों में उर्दू दूसरी भाषा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

जखपुरा-बांसपानी रेल सम्पर्क के निर्माण का दूसरा चरण

9687. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **रेल मंत्री** जखपुरा बांसपानी रेल सम्पर्क के निर्माण के दूसरे चरण के बारे में 1 दिसम्बर, 1983 के तारांकित प्रश्न संख्या 124 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में देतारी से क्योंझर गढ़ के बीच जखपुरा-बांसपानी रेल सम्पर्क के निर्माण के दूसरे चरण के लिए वित्तीय वर्ष 1983-84 में केन्द्रीय सहायता मंजूर न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यातायात व अन्तिम रूप से निर्धारित स्थल सम्बन्धी सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त रेल सम्पर्क के दूसरे चरण के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए आगे क्या सम्भावित उपाय किए जाएंगे; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) जखपुरा-बांसपानी रेल सम्पर्क के द्वितीय चरण अर्थात् देतारी और क्योंझर गढ़ के बीच निर्माण के लिए एक यातायात एवं अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण चल रहा है। इसलिए दूसरे चरण के निर्माण के लिए धन की व्यवस्था नहीं की गई है। परियोजना का शुरू किया जाना सर्वेक्षण के परिणाम पर निर्भर करेगा बशर्ते इसके लिए योजना आयोग से इसकी स्वीकृति मिल जाये और संसाधन उपलब्ध हों।

कोलार सोना क्षेत्र में श्रमिकों के बीच स्वास्थ्य के लिए हानिकर परिस्थितियां

9688. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार सोना क्षेत्रों में श्रमिकों के बीच स्वास्थ्य के लिए हानिकर स्थितियों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) कोलार सोना क्षेत्र के श्रमिकों को देखकर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या सुरक्षात्मक उपाय अपनाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान ने "कोलार गोल्ड फील्ड्स" में स्वास्थ्य सम्बन्धी कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। उक्त प्रक्रिया में कार्यरत जिन कार्मिकों के स्वास्थ्य को विषैले पदार्थों की मौजूदगी में कार्य करने से क्षति पहुंचने का खतरा होता है उनके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की आवश्यकता के बारे में सरकार को जानकारी है, इसलिए सरकार ने श्रमिकों के स्वास्थ्य की समय-समय पर जांच करने आदि जैसे बुनियादी सुरक्षात्मक उपाय निर्धारित किए हुए हैं।

मुगलसराय में आफिसर्स रेस्ट हाउस पर कब्जा

9689. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या-क्या हैं, जिन्होंने मुगलसराय में अपने परिवारों सहित रेस्ट हाउसों पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने यह कब्जा कब से कर रखा है तथा रेलवे को किराये के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया है; और

(ख) बाहर के अधिकारियों द्वारा रिटायरिंग रूम में और डोमेटरी पर कब्जा करने के कारण वास्तविक यात्रियों को इन सुविधाओं से वंचित करके सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा बंगला/क्वार्टर में न रहने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) उन अधिकारियों के नाम और पदनाम जिन्होंने मुगलसराय में दो विश्रामगृहों का उपयोग किया था, उपयोग की अवधि और 1-12-83 से 31-3-84 तक की अवधि के दौरान किराए के रूप में भुगतान की गई राशि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) अधिकारियों द्वारा मुगलसराय में उनके लिए क्वार्टरों की कमी के कारण विश्रामगृहों और विश्रामवक्षों/डारमेटरी में बिस्तरों का उपयोग किया गया था। मुगलसराय में 34 अधिकारियों के लिए क्वार्टर उपलब्ध हैं, जबकि वहां तैनात किए गए अधिकारियों की संख्या 52 है।

विवरण

I. मुगलसराय में नया अधिकारी विश्रामगृह (दो बिस्तर वाले पांच कमरे)

क्रमांक	अधिकारियों के नाम	पदनाम	कब्जा करने की तिथि से	कब्जा करने की तिथि तक	कुल दिन	कुल बिस्तर	प्रतिदिन प्रति बिस्तर दर	राशि वसूल की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री एम० भटनागर	मण्डल रेल प्रबन्धक	1-12-83	15-12-83	15 दिन	2 बिस्तर	1.20	36.00 रु०
2.	श्री बी० सी० साहा	चिकित्सा अधीक्षक/ मुगलसराय	1-12-83 1-1-84 13-2-84 1-3-84	31-12-83 17-1-84 23-2-84 31-3-84	89 दिन	1 बिस्तर	1.20	106.80 रु०
3.	श्री त्रिपाठी	मण्डल चिकित्सा अधिकारी	1-12-83	31-12-83	31 दिन	1 बिस्तर	1.20	37.20 रु०
4.	श्री गुप्ता	उ० मु० सि० दू० सं० ई० (निर्माण)	1-12-83 1-1-84	31-12-83 16-1-84	47 दिन	2 बिस्तर	1.20	112.80 रु०
5.	श्री डी० वेंकटस्वालू	कार्यकारी इंजीनियर/ पी० डी०	8-2-84 2-3-84 8-3-84	23-2-84 6-3-84 31-3-84	45 दिन	1 बिस्तर	1.20	54.00 रु०

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	श्री एस० के० घोष	वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर	6-2-84	29-2-84	24 दिन	2 बिस्तर	1.20	57.60 रु०
		II. मुगलसराय में पुराना अधिकारी विश्राम-गृह (7 बिस्तर वाला)						
1.	श्री के० के० पाठक	सहा० कार्मिक अधिकारी	1-12-84	31-3-83	122 दिन	1 बिस्तर	1.20	146.40 रुपये
2.	श्री आई० मजूमदार	सहा० कार्मिक अधिकारी	1-12-83	15-2-84	77 दिन	1 बिस्तर	1.20	92.40 रुपये
3.	श्री एन० सी० दास	सहा० कार्मिक अधिकारी	15-2-84	31-3-84	15 दिन	1 बिस्तर	1.20	18.00 रुपये
4.	श्री बी० के० चटर्जी	सहा-मंडल लेखा अधि०	19-1-84 13-2-84 12-3-84 21-3-84	31-1-84 8-3-84 16-3-84 31-3-84	53 दिन	1 बिस्तर	1.20	63.60 रुपये
5.	श्री आर० एन० चक्रवर्ती	सहा० मण्डल लेखा अधि०	1-12-83 11-1-84	3-1-84 18-1-84	42 दिन	1 बिस्तर	1.20	50.40 रुपये
6.	श्री जी० प्रसाद,	सहा० बिजली इन्जी०	1-12-83	31-3-84	122 दिन	1 बिस्तर	1.20	146.40 रुपये

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	श्री ए० के० गुप्ता	सहा० यांत्रिक इन्जी०	1-12-83	7-3-84	98 दिन	1 बिस्तर	1.20	117.60 रुपये
8.	श्री एन० राकेश	सहा० यांत्रिक इन्जी०	15-12-83	7-3-84	83 दिन	1 बिस्तर	1.20	99.60 रुपये
9.	श्री एल० पी० सिंह	सहा० सि० दू० सं० इन्जी० (पी०)	7-12-83	14-12-83	8 दिन	1 बिस्तर	1.20	9.60 रुपये
10.	श्री बी० के० अग्रवाल	आई० आर० एस० ई० (पी०)	6-12-83	9-12-83	4 दिन	1 बिस्तर	1.20	4.80 रुपये
11.	श्री डी० बी० सुर्रे	सहा० इन्जी- (आई०)	10-12-84 23-2-84	16-2-84 19-3-84	33 दिन	1 बिस्तर	1.20	39.60 रुपये

हजारीबाग रोड के गैंगमैनों की मंजूरी में अनधिकृत कटौती

9690. **श्री ए० के० राय** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम प्रवर्तन अधिकारी (सी) कोदरमा ने पी० डब्ल्यू० आई० हजारी बाग रोड के अन्तर्गत 9 गैंगों के गैंगमैनों की मंजूरी में अनधिकृत कटौती के लिए रेलवे प्राधिकरण, धनबाद के विरुद्ध दावा मामला शुरू किया है,

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले के शीघ्र निपटान के लिए मन्त्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, क्योंकि विलम्ब से इन गरीब श्रमिकों को भारी मुसीबत उठानी पड़ रही है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दरभंगा-जयनगर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

9691. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेल मन्त्री** दरभंगा जयनगर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में 15 मार्च, 1984 के तारांकित प्रश्न संख्या 274 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार सकरीहसनपुर लाइन के लिए मिट्टी के काम का खर्च वहन करने के लिए सहमत है; और

(ख) यदि हां, तो दरभंगा जयनगर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की शेष लागत को कौन देगा ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता । दरभंगा से जयनगर तक मीटर, लाइन से बड़ी लाइन के आमान परिवर्तन की अनुमानित लागत 15.37 करोड़ रुपये है ।

'स्माल पाक्स केस अलेज्ड इन दानापुर' शीर्षक से समाचार

9692. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 मार्च, 1984 के टाइम्स आफ इण्डिया में स्माल पाक्स केस अलेज्ड इन दानापुर शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मामले की जांच की है और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) हां।

(ख) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा इस मामले की पूरी जांच की जा चुकी है। की गई जांच से पता चला है कि दानापुर में चेचक का कोई रोगी नहीं पाया गया। वैसे, छोटी माता और खसरा के कुछेक रोगियों का पता चला है।

दिल्ली में सिगनल दूरसंचार कर्मचारियों में से अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति

9693. **श्री रामविलास पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे मन्त्रालय के अधीन दिल्ली स्थित सिगनल और दूरसंचार विभाग के अन्तर्गत सिगनल दूरसंचार संवर्ग के कुछ कर्मचारियों की पदोन्नत्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत कितने कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के श्रेणीवार कितने कर्मचारी हैं;

(ग) क्या इन पदोन्दतियों में कोई अनियमितताएं सामने आई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

विभिन्न कोटियों में पदोन्नत किए गए अनु० जाति/जनजाति के उम्मीदवार

क्र० सं०	कोटि	ग्रेड रुपये	सामान्य	अ० जा०	अ० ज० जा०	जोड़
1.	सिगनल निरीक्षक	840-1040 (सं० वे०)	—	2	—	2
2.	सिगनल निरीक्षक	700-900 (सं० वे०)	24	3	1	28
3.	सिगनल निरीक्षक	550-750 (सं० वे०)	28	2	—	30
4.	दूरसंचार निरीक्षक	700-900 (सं० वे०)	10	1	—	11
	(अ० जाति के दो उम्मीदवारों, जिन्हें 700-900 (सं० वे०) रुपये के ग्रेड में पदोन्नत करने के लिए पेनल में रखा गया है, के आदेश जारी किए जा रहे हैं।)					
5.	दूरसंचार निरीक्षक	550-750 (सं० वे०)	20	3	—	23
	(अ० जा० और अ० ज० जाति के दो उम्मीदवारों को 550-750 रुपये (सं० वे०) में पदोन्नत करने के लिए उनके मामलों पर विचार किया जा रहा है।)					
6.	ई० एस० एम०	380-560 (सं० वे०)	40	3	—	43
7.	ई० एस० एम०	330-480 (सं० वे०)	35	3	—	38
8.	ई० एस० एम०	260-400 (सं० वे०)	41	12	—	53
9.	एम० एस० एस०	380-560 (सं० वे०)	10	2	—	12
10.	एम० एस० एम०	330-480 (सं० वे०)	19	6	—	25
11.	एम० एस० एम०	260-400 (सं० वे०)	13	3	—	16
12.	टी० सी० एम०	380-560 (सं० वे०)	12	—	—	12
13.	टी० सी० एम०	330-480 (सं० वे०)	9	—	—	9
14.	टी० सी० एम०	260-400 (सं० वे०)	—	—	—	—
15.	एस० आई०	425-700 (सं० वे०)	12	1	—	13
16.	हैमरमैन	260-400 (सं० वे०)	7	3	—	10
17.	लीवरमैन	260-400 (सं० वे०)	3	1	—	4
18.	ब्लैकस्मिथ	380-560 (सं० वे०)	2	—	—	2
19.	ब्लैकस्मिथ	330-480 (सं० वे०)	2	1	—	3
20.	ब्लैकस्मिथ	260-400 (सं० वे०)	3	2	—	5
21.	वायरलैस मेन्टेनर	260-400 (सं० वे०)	4	1	—	5

(शालीमार दक्षिण पूर्व रेलवे)पर माल और पार्सलों के रखरखाव के लिए खुले टेंडर

9694. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शालीमार दक्षिणी रेलवे में माल पार्सल के रखरखाव के लिए खुले टेंडर मांगे गए थे और उन्हें 19 सितम्बर, 1983 को खोला गया था और क्या उन पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है, यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या रेलवे द्वारा 'टेंडरों के लिए अनुदेश' के खण्ड 4 में दी गई पात्रता की शर्तों के अनुसार विलम्ब से प्राप्त टेंडरों को अस्वीकृत किया जाना था; और

(ग) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के वाणिज्य विभाग के अधिकारियों ने सक्षम प्राधिकारियों की मंजूरी के बिना विलम्ब से प्राप्त टेंडर पर अन्य टेंडर के साथ विचार करने हेतु बाह्य कारणों से विशेष मंजूरी लेने के लिए रेलवे बोर्ड का अन्तर्ग्रस्त कर लिया और इस प्रकार रेल मंत्रालय द्वारा ऐसे टेंडरों को पूरी तरह अस्वीकृत करने के बारे में 1 अगस्त, 1981 को सभी महा प्रबन्धकों को बताई गई नीति का उल्लंघन किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) से (ग) शालीमार में माल और पार्सलों की सम्हलाई के ठेके देने के लिए अगस्त, 1983 में खुली निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं । मैसर्स सरस्वती ट्रेडिंग एजेंसी और मैसर्स हवड़ा डिस्ट्रिक्ट शालीमार लारी और टम्पो एसोसियेशन की ओर से निर्धारित समय के भीतर दो निविदाएं प्राप्त हुई थीं । चूंकि बाद वाले निविदा दाता ने 20,000 रुपये की निर्धारित पेशगी राशि जमा कराने के स्थान पर केवल 10,000 रुपये की पेशगी राशि जमा कराई थी, इसलिए उच्च स्तरीय निविदा समिति ने इसे वैध निविदा के रूप में स्वीकार नहीं किया था ।

एक अन्य निविदा, निविदा बक्स बन्द करने के पश्चात् मैसर्स कैपीटल रोडवेज की ओर से प्राप्त हुई थी । निविदाओं की जांच करने पर, उच्च स्तरीय निविदा समिति ने पाया कि यदि कूड़े-करकट की सफाई के कार्य को छोड़ दिया जाए, (यह कार्य निविदा में सम्मिलित था) तो, मैसर्स कैपीटल रोडवेज की दरों की तुलना में मैसर्स सरस्वती ट्रेडिंग एजेंसी की दरें काफी अधिक हो जाएंगी, और इसलिए समिति ने महसूस किया कि दोनों फर्मों के बीच स्पर्धा लाना सम्भव हो सकता है और ऐसा करके दरों में कमी कराई जा सकती है यदि मैसर्स कैपीटल रोडवेज की बाद में प्राप्त होने वाली निविदा पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाए कि यद्यपि उन्होंने अपनी निविदा निर्धारित समय के पश्चात् प्रस्तुत की थी इसलिए उन्हें अन्य निविदादाताओं की दरें जानने का अवसर नहीं मिला था और यह कि उन्होंने अपेक्षित 20,000 रुपये की पेशगी राशि भी जमा करा दी थी जो उनकी उत्सुकता दर्शाता है ।

इसलिए, दक्षिण पूर्व रेलवे ने इस देरी से प्राप्त होने वाली निविदा पर इस मामले की विशेष परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए विचार करने के लिए रेलवे बोर्ड से उनका अनुमोदन प्राप्त करने हेतु पत्र-व्यवहार किया यद्यपि रेलवे बोर्ड के दिनांक 1-8-1981 के पत्र के अनुसार देरी से प्राप्त होने वाली निविदा को रद्द किया जाना चाहिए था, किन्तु रेलवे बोर्ड ने इस मामले के विशेष पहलुओं को ध्यान रखते हुए केवल इस विशिष्ट मामले में छूट की अनुमति प्रदान कर दी।

निविदादाताओं के साथ पहले दौर की बातचीत 21-4-1984 को हुई थी और उन्हें नयी दरों वाली संशोधित निविदायें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। निविदाएं जिनमें संशोधित घटी हुई दरें दी गयी थीं, 27-4-1984 को रेलवे को प्रस्तुत की गयीं जिन पर विचार किया जा रहा है।

हवड़ा स्टेशन पर पार्सल ढोने का ठेला

9695. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पार्सल ढोने वाले मजदूरों ने 1982/1983 के वर्ष के दौरान कई बार हड़ताल की, यदि हां, तो हड़ताल की अवधि के दौरान कितनी संख्या में विभागीय मजदूर लगाए गए तथा रेल विभाग को टूट-फूट के कारण हुए नुकसान के लिए मुआवजा दावों का भुगतान सहित अन्य क्या लागत उठानी पड़ी;

(ख) क्या रेल विभाग द्वारा हड़ताल की अवधि के दौरान किए गए खर्चे तथा उठाई गई अन्य लागतों की राशि को ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों से वसूल किया गया, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मजदूरों को "उचित मजदूरी" न दिये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; यदि हां, तो मजदूरों के उचित भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या हावड़ा पार्सल क्षेत्र में अक्तूबर, 1982 से पार्सलों की चोरी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों में पार्सल ढोने वाले मजदूर शामिल थे ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 16-9-1982 से 28-10-1982 तक की अवधि के दौरान पार्सल श्रमिकों ने हड़ताल की थी। हड़ताल के दौरान कुल 7586 श्रमिकों को लगाया गया था जो औसतन 176 श्रमिक प्रति दिन बैठता है। काम को चालू रखने के लिए 1,29,705 रुपये की धनराशि खर्च की गयी थी जिसमें पर्यवेक्षण कर्मचारी और मेटों की लागत शामिल है। परेषणों के खो जाने तथा खराब हो जाने के लिए क्षतिपूर्ति के दावों के रूप में रेल प्रशासन द्वारा 22-9-1982 तक 1.79 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया था।

(ख) ठेकेदार से इस राशि की वसूली करना आवश्यक नहीं समझा गया था क्योंकि ठेकेदार न तो हड़ताल के लिए उत्तरदायी था और न ही हड़ताल की परिस्थितियां उसके नियन्त्रण में थीं।

(ग) श्रमिकों से इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) उठाईगीरी के दो मामलों का पता लगाया गया था और जिन परेषणों की उठाई-गीरी की गयी थी उन्हें बरामद कर लिया गया था। दोषी श्रमिकों को निकाल दिया गया था।

कम्प्यूट्रीकरण कार्यक्रम

9696. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अपने यात्री यातायात के लिए कम्प्यूट्रीकरण कार्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना पूंजी परिव्यय होगा और किस प्रकार के कम्प्यूटर लगाए जाएंगे और किस एजेंसी के माध्यम से लगाए जाएंगे; और

(घ) रेलवे कम्प्यूट्रीकरण में आरम्भ करने के लिए यदि कोई चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) दिल्ली क्षेत्र में लाइन पर/सही-समय कम्प्यूटर से यात्री स्थान आरक्षण प्रणाली विकसित करने तथा कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। यह योजना दो चरणों में शुरू की जायेगी और इसके कार्य योग्य होने में लगभग दो वर्ष लगेंगे। पहले चरण में नयी दिल्ली से चलने वाली गाड़ियों में प्रथम श्रेणी तथा दूसरी श्रेणी के सभी आरक्षण इस प्रणाली द्वारा किये जाएंगे। दूसरे चरण में, दिल्ली तथा हजरत निजामुद्दीन से चलने वाली गाड़ियां भी शामिल की जाएंगी तथा शहर में दस अन्य चुनिन्दा स्थानों पर कम्प्यूटर टर्मिनलों की स्थापना की जाएगी। किसी अन्य शहर के लिए अभी कोई योजना नहीं बनायी गयी है।

(ग) दिल्ली की कम्प्यूटर योजना पर लगभग 9.0 करोड़ से 12.0 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। लोहे के सामान की खरीद के लिए ठेका देने तथा प्रणाली के विकास के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(घ) उपर्युक्त योजना के अलावा रेलों के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल हैं :—

(i) जून, 1985 तक सभी क्षेत्रीय रेलों, रेलवे बोर्ड तथा उत्पादक यूनिटों पर मौजूदा आई० बी० एम—1401 प्रणाली का लाइन प्रक्रिया में समर्थ उन्नत जनत्रिय कम्प्यूटर से बदलाव।

(ii) अनुसंधान तथा डिजायन विकास के लिए 1985-86 तक अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन में लाइन पर/सही समय कम्प्यूटर प्रणाली की व्यवस्था। इसके लिए इलेक्ट्रानिक विभाग द्वारा सार्वदेशिक निविदाएं पहले ही मांगी गयी हैं।

(iii) 1984-85 तक पहिया एवं धुरा संयंत्र में तथा 1986-87 तक डीजल पुर्जा कारखाना, पटियाला में कम्प्यूटर प्रणाली की स्थापना (पहिया एवं धुरा संयंत्र के लिए देशी निविदाओं को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है)

(iv) मंडलों, मरम्मत कारखानों तथा भंडार डिपुओं में चरणबद्ध तरीके से मिनी कम्प्यूटरों/माइक्रो प्रोसेसरों की स्थापना।

(v) भारतीय रेलों के लिए लाइन पर सही समय कम्प्यूटरीकृत भाड़ा परिचालन सूचना नियंत्रण प्रणाली की स्थापना—इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन रेलवे वार चरणबद्ध तरीके से किया जायेगा।

हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज की स्थापना किया जाना

9697. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में अथवा सातवीं पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज खोलने की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार द्वारा भूमि का अर्जन आदि जैसे आवश्यक कार्य कर दिए गए हैं;

(ग) क्या पाठ्यक्रम के स्वरूप तथा अवधि और संबंधित मामलों, कार्यों के बारे में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की कोई समिति गठित की गई है और उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट के अनुसार कुल कितना परिव्यय होगा?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) राज्य में क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज खोलने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

रेलवे द्वारा नांगल-भाखड़ा बांध परियोजना रेलवे का अधिग्रहण

9698. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के लोग भाखड़ा में बड़ी रेल लाइन के स्टेशनों की सुविधा प्राप्त करने के लिए रेल प्रशासन द्वारा नांगला बांध भाखड़ा बांध परियोजना रेलवे के अधिग्रहण किए जाने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मांग पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) रेल प्रशासन द्वारा इसका संभवत: किस तारीख पर अधिग्रहण कर लिया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण और इस तथ्य के कारण कि इस परियोजना को अपने हाथ में लेना वित्तीय दृष्टि से सक्षम नहीं होगा, फिलहाल इस प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव नहीं हुआ है।

शिक्षा की औपचारिक और अनौपचारिक पद्धति के बीच तालमेल स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव

9699. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिक्षा की औपचारिक और अनौपचारिक (प्रौढ़ शिक्षा की भांति) पद्धति के बीच उचित तालमेल स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ताकि अतिरिक्त क्षमता का अपव्यय न हो और लोगों को अधिकतम लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विशेष रूप से इस प्रस्ताव पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है कि सभी बेरोजगार प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों (ग्रेजुएट और मैट्रिकुलेट) को प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में उस समय तक नियुक्त किया जाये जब तक कि स्कूलों में उन्हें नियमित रोजगार प्राप्त न हो

(ग) यदि हां, तो किस तारीख से, यह पद्धति कार्यान्वयन के लिए मंजूर कर ली गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी तथा इस संबंध में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से परामर्श करेगी और ऐसा किस तारीख तक कर लिया जाएगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। प्रारंभिक आयु वर्ग (9-14 वर्ष) के जो बच्चे आर्थिक-सामाजिक कारणों से स्कूल में दाखिला नहीं ले सकते और स्कूल नहीं जा सकते, उनके लिए औपचारिक स्कूल शिक्षा की वैकल्पिक समर्थक पद्धति के रूप में अनौपचारिक अंशकालिक शिक्षा का विकास किया जा रहा है। अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के अंतर्गत आने वाले छात्रों को प्राथमिक और मिडिल स्तर की परीक्षाओं में बैठने के योग्य बनाया जाता है। बच्चों को इस योग्य भी बनाया जाता है कि वे अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं के अनुसार अपने शिक्षा के माध्यम को पूर्ण-कालिक से अंशकालिक और अंशकालिक से पूर्णकालिक में बदल सकें।

प्रौढ़ शिक्षा आर्थिक रूप से सक्रिय 15-35 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए है।

प्रारंभिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा दोनों ही औपचारिक पद्धति से क्योंकि बाहर हैं और इन दोनों का दृष्टिकोण लचीला और नया है, इसलिए संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने और लाभों में अधिकतम वृद्धि करने हेतु इन कार्यक्रमों में सम्भव सम्पर्क स्थापित करने के लिए सतत आधार पर समीक्षा की जा रही है।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन, बेरोजगार प्रशिक्षित स्नातकों और मैट्रिक उत्तीर्ण व्यक्तियों को प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशकों, पर्यवेक्षकों आदि के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करने के सम्बन्ध में समुचित रूप से विचार करते हैं।

उत्तर रेलवे के फिरोजपुर और दिल्ली डिवीजनों में गाड़ियों सम्बन्धी 'कैप्टेन्सी' योजना का पुनरीक्षण

9700. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे की फिरोजपुर और दिल्ली डिवीजनों में पैसेन्जर मेल एक्सप्रेस गाड़ियों पर कोच अटेन्डेन्स, कन्डक्टर्स और टी० टी० ई० एस० सम्बन्धी कैप्टेन्सी योजना के कार्यकरण का पुनरीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षण के क्या परिणाम रहे और क्या उत्तर रेलवे के अन्य डिवीजनों तथा अन्य जोनल रेलवेज में इस योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया गया हैं;

(ग) यदि हां, तो यह योजना किस तारीख से लागू कर दी गई है अथवा करने का विचार किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी० खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) फिरोजपुर और दिल्ली मंडलों में यह योजना संतोषजनक रूप से चल रही है। यह योजना 1981 से उत्तर रेलवे के दूसरे मंडलों और अन्य क्षेत्रीय रेलों में भी पहले से ही चल रही है।

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा

9701. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात सरकार से पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक प्रस्ताव को राष्ट्रीय राजमार्गों में शामिल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) वित्तीय संकटों के कारण अभी किसी भी राज्य में किसी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में स्वीकार करने में भारत सरकार असमर्थ है और यही स्थिति गुजरात की सड़कों के लिए भी लागू होती है। तथापि लखपत-अम्बरगोव के बीच तटीय राजमार्ग को यातायात के लायक बनाने के लिए इस खण्ड में सुधार कार्यों के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सड़क निधि और आर्थिक महत्व या केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अधीन राज्य की सड़कों के लिए धन में से 31-3-1980 तक 760.31 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस तटीय राजमार्ग के कुछ चुने गये खण्डों पर सुधार कार्यों के लिए छठी योजना में राज्य सरकार के खर्च के आधार पर 50 लाख रुपये की ऋण सहायता की सहमति भी हुई है।

विवरण

क्रम संख्या	सड़क के नाम
1.	सूरत-कलकत्ता सड़क वारास्ता धुलिया—नागपुर
2.	अहमदाबाद-भोपाल सड़क वारास्ता इन्दौर।
3.	कांडला-वम्बई (तटीय राजमार्ग)
4.	तटीय राजमार्ग—कच्छ जिला में लखपत उम्बेरगांव से महाराष्ट्र के बलसाड़ जिला की सीमा तक।

'कैपीटेशन फीस' प्रणाली को समाप्त करने के लिये किये गये उपाय

9702. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने शैक्षाणिक संस्थाओं, विशेषकर देश में विभिन्न चिकित्सा कालेजों में विभिन्न रूपों में प्रचलित 'कैपीटेशन फीस' को समाप्त करने की दिशा में कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय पर राज्य सरकारों की क्या राय है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रणाली को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं और क्या कर्नाटक सरकार भी इस प्रस्ताव से सहमत हो गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) भारत सरकार मेडिकल कालेजों में छात्रों के दाखिले के लिए कैपीटेशन फीस वसूल करने की प्रथा के खिलाफ है और उसने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे इस प्रथा को बन्द कर दें। 9 जुलाई, 1983 को हुई बैठक में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद के संयुक्त सम्मेलन ने इस आशय का एक संकल्प भी पारित किया था कि "सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र चिकित्सा संस्थाओं में छात्रों के दाखिले के लिए कैपीटेशन फीस वसूल करने की प्रथा को समाप्त करने के लिए कदम उठाएं।"

कर्नाटक सरकार ने बताया है कि उन्होंने अधिक से अधिक पांच वर्षों की अवधि के अन्दर कैपीटेशन फीस लेने की प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से कर्नाटक शैक्षिक संस्थान (कैपीटेशन फीस निषेध) अध्यादेश, 1983 लागू किया है।

भारत में विदेशी विशेषज्ञों द्वारा मच्छरों पर अनुसन्धान

9703. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुछ विदेशी विशेषज्ञों द्वारा मच्छरों पर अनुसन्धान किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पुणे और बम्बई के बीच चलने वाली गाड़ियों के छूटने के समय में परिवर्तन

9704. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे और बम्बई के बीच चलने वाली कुछ गाड़ियों के छूटने के समय में हाल ही में कुछ परिवर्तन किया गया है अथवा परिवर्तन किये जाने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन गाड़ियों के नाम क्या हैं और उनके समय में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, मध्य रेलवे को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) पुणे-बम्बई खंड पर 3 गाड़ियों के पुणे से प्रस्थान के समय में 1-4-1984 से मामूली परिवर्तन हुआ है । दूसरी दिशा में लोनावला से चलने वाली 2 गाड़ियों के प्रस्थान समय में मामूली परिवर्तन हुआ है । यह परिवर्तन 129/130 उद्यान एक्सप्रेस के समय में किये गये परिवर्तन से अलग है जो कि इस समय दादर और बेंगलूर के बीच एक अलग गाड़ी के रूप में चल रही है ।

(ख) परिचालनिक कारणों से गाड़ियों के समय में परिवर्तन किया गया था जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) लोनावला से चलने वाली एल-13 लोनावला लोकल गाड़ी का समय 16.00 बजे से बदल कर 17.00 बजे करने के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसे परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

विवरण

गाड़ी संख्या और 1-4-1984 से पहले उनका समय

130 बम्बई, बेंगलुरु सिटी उद्यान एक्सप्रेस	एल-22	एल-12	303 दक्कन क्वीन	स्टेशन	एल-3	एल-7	129 बम्बई बेंगलुरु सिटी उद्यान एक्सप्रेस
16.15	23.25 01.10	13.15 15.40	7.10 08.07	छू० पुणे प० प० लोनावला	8.05 6.15	13.05 11.20	8.09 (छू० दादर)

गाड़ी संख्या और 1-4-1984 से उनका समय

130 दादर बेंगलुरु सिटी एक्सप्रेस	एल-22	एल-12	302 दक्कन क्वीन	स्टेशन	एल-3	एल-7	129 बेंगलुरु सिटी एक्सप्रेस
3.20	23.20 1.10	13.40 15.37	7.15 8.07	छू०पुणे प० प० लोना-वला छू०	8.10 6.20	13.05 11.15	19.50 (छू दादर)

धनबाद, गोमोह और कटरासगढ़ का रिमाडलिंग कार्य

9705. **श्री ए० के० राय :** क्या **रेल मंत्री** धनबाद, गोमोह और कटरासगढ़ के नवीकरण संबंधी निर्माण कार्य के बारे में 24 मार्च, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4324 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद यार्ड का नवीकरण संबंधी निर्माण कार्य निर्धारित तिथि 31 मार्च, 1983 तक पूरा हो गया था;

(ख) गोमोह और कटरासगढ़ में की गई समीक्षा के बाद तैयार की गई कार्य संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) गोमोह, धनबाद और कटरासगढ़ यार्डों में नवीकरण संबंधी निर्माण कार्यों की मूल योजना का ब्यौरा क्या है तथा इन कार्यों को पूरा करने की निर्धारित तिथियां क्या थीं और 1977-78 से लेकर मार्च, 1984 तक वर्षवार कितना कार्य हुआ, तथा पूरे किए गए कार्य और शेष बचे कार्य के लिए बजट प्रावधानों का वर्ष-वार विवरण क्या है;

(घ) क्या संशोधित अनुमान पहले ही पूरे कर लिए गए कार्य के लिए तैयार किये जा रहे हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उपरोक्त निर्माण कार्य के बिलों का मार्च, 1984 में ही भुगतान करने के लिए मुख्य अभियन्ता (निर्माण), पूर्व रेलवे कलकत्ता, ने वास्तव में कितनी धनराशि प्रदान की और वास्तव में भुगतान किए गए बिलों का ब्यौरा क्या है तथा अन्य बिलों का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

डी० आर० एम० कार्यालय, धनबाद में कथित भ्रष्टाचार

9706. **श्री ए० के० राय** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान डी० आर० एम० कार्यालय, धनबाद में घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए चार व्यक्तियों के बारे में 3 मार्च, 1984 के 'जनमत' में 'सी० बी० आई० द्वारा वैज्ञानिक ढंग से चार व्यक्तियों की गिरफ्तारी" से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां तो घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 2-3-1984 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो/धनबाद ने जाल बिछाकर मंडल रेल प्रबन्धक, पूर्व रेलवे, धनबाद के अधीन कार्यरत दो रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था । उसी दिन दो अन्य कर्मचारियों को, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कार्य में बाधा डालने के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था । तदनन्तर, 6-3-84 को एक और कर्मचारी गिरफ्तार किया गया । सभी कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है । इस मामले में, के० जांच ब्यूरो द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

ओल्ड कालना रोड पर फ्लाई ओवर बनाना

9707. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें वर्धमान रेलवे स्टेशन से एक किलोमीटर दूर ओल्ड कालना रोड पर फ्लाई ओवर के न होने के कारण वर्धमान में हो रही जन हानि का पता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या रेल विभाग का विचार 7वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में वहां एक फ्लाई ओवर बनाने का है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) वर्तमान व्यस्त समपारों के बदले उपरी सड़क पुलों के निर्माण का प्रस्ताव राज्य सरकारों/सड़क प्राधिकरणों द्वारा, अपने हिस्से की लागत वहन करने के वचन के साथ प्रायोजित किया जाता है । वर्धमान में मौजूदा समपार के बदले उपरी सड़क पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव अभी तक राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया है ।

वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए किया गया आबंटन और उस संबंध में हुआ कार्य

9708. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान देश में राज्यवार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए किए गए आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में विशेष रूप से पश्चिमी राज्यों में उस संबंध में किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1984-85 के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है तथा किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचनाएं क्रमशः विवरण 1, 2 और 3 में दी गई हैं ।

विवरण-1

1983-84 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए किए गए आबंटन का विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य	किया गया आबंटन
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	879.51
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.00
3.	असम	590.00
4.	बिहार	1022.56
5.	दिल्ली	178.56
6.	गोवा	194.11
7.	गुजरात	780.00
8.	हरियाणा	430.80
9.	हिमाचल प्रदेश	330.00
10.	जम्मू और कश्मीर	252.00
11.	कर्नाटक	865.60
12.	केरल	599.60
13.	मध्य प्रदेश	987.11
14.	महाराष्ट्र	937.60
15.	मनीपुर	104.39
16.	मेघालय	230.00
17.	नागालैंड	10.00
18.	उड़ीसा	497.00

1	2	3
19.	पंजाब	527.70
20.	राजस्थान	677.16
21.	तमिलनाडु	677.60
22.	उत्तर प्रदेश	1250.50
23.	पश्चिम बंगाल	600.00
	बी० आर० डी० बी०	900.00
	कुल	13587.00 रुपये

विवरण-2

देश और देश के पश्चिमी राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए 1983-84 के दौरान योजनावार प्रत्याशित उपलब्धियों का विवरण

क्रम सं०	मुख्य योजनाएं	देश में 1983-84 के दौरान प्रत्याशित योजनाएं	देश के पश्चिमी राज्यों अर्थात् राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र और गोवा में 1983-84 के दौरान प्रत्याशित उपलब्धियां
1	2	3	4
1.	मिसिंग लिंक का निर्माण	9 कि० मी	—
2.	एक लेन से दो लेनों में चौड़ा और मजबूत करना	500 कि० मी०	11 कि० मी०
3.	केवल दो लेनों में चौड़ा करना	600 कि० मी०	91 कि० मी०
4.	वर्तमान कमजोर डबल लेन पेंवमेंट को मजबूत बनाना	500 कि० मी०	235 कि० मी०
5.	सड़क को चार से छह लेनों में चौड़ा करना	25 कि० मी०	7 कि० मी०

1	2	3	4
6.	बाइपासों का निर्माण	3	—
7.	मिसिंग बड़े पुलों/सबमर्सीवल बड़े पुलों/कमजोर और तंग पुलों का निर्माण	18	5
8.	छोटे पुलों का निर्माण	91	24

विवरण-3

1984-85 के राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए की गई व्यवस्था का विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य	आबंटन
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1000.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.00
3.	असम	650.00
4.	बिहार	1130.00
5.	दिल्ली	295.00
6.	गोवा	255.00
7.	गुजरात	850.00
8.	हरियाणा	500.00
9.	हिमाचल प्रदेश	380.00
10.	जम्मू और कश्मीर	280.00
11.	कर्नाटक	995.00
12.	केरल	770.00

1	2	3
13.	मध्य प्रदेश	970.00
14.	महाराष्ट्र	1120.00
15.	मनीपुर	285.00
16.	मेघालय	290.00
17.	नागालैंड	10.00
18.	उड़ीसा	565.00
19.	पांडिचेरी	25.00
20.	पंजाब	600.00
21.	राजस्थान	770.00
22.	तमिलनाडु	840.00
23.	उत्तर प्रदेश	1295.00
24.	पश्चिम बंगाल	1000.00
25.	बी० आर० डी० बी	1200.00
	कुल	161,00.00

धनराशि को चालू कार्यों और कुछ नए कार्यों पर व्यय किये जाने का प्रस्ताव है, जिसके विवरण को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

रेल कर्मचारियों के बारे में रेल सुधार समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन

9709. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि रेल कर्मचारियों की बेहतरी के लिए रेल सुधार समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : रेल कर्मचारियों से सम्बन्धित मामलों के बारे में, जिनमें कर्मचारियों की बेहतरी की बात भी शामिल है, रेलवे सुधार समिति द्वारा की

गयी सिफारिशें रिपोर्ट के भाग IX में दी गयी हैं, और यह मंत्रालय उन पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है ।

रक्षित बिजली केन्द्र

9710. **श्री के० मालन्ना** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा कितने रक्षित बिजली केन्द्रों की योजना बनाई गई है तथा गत दो वर्षों के दौरान उनमें से कितने केन्द्र चालू किए गए हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों में कोई निजी बिजली संयंत्र चालू नहीं किया गया है । विद्युतीकृत स्टेशनों के लिए नियमित बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए शुरू में वर्ष 1978 में 3 निजी बिजली संयंत्रों की स्थापना करने पर विचार किया गया था । लेकिन, राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बिजली की बेहतर सप्लाई को देखते हुए रेलों ने निजी बिजली संयंत्रों की स्थापना करने का विचार छोड़ दिया है ।

बहरहाल, कारखानों, लोको शेडों, कालोनियों की जल सप्लाई, प्लेटफार्म पर रोशनी और अन्य सामान्य सेवाओं की आपातिक जरूरतों के लिए भारतीय रेलों के लिए 936 वैकल्पिक डी० जी० सैटों की व्यवस्था की गयी है ।

मंगलौर और गुलबर्ग विश्वविद्यालयों को मान्यता

9711. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मंगलौर और गुलबर्ग विश्वविद्यालयों को मान्यता दे दी है और उस संबंध में आवश्यक अनुदानों को मंजूरी भी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके अन्तर्गत राज्य अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त करना अपेक्षित हो । तथापि ऐसे विश्वविद्यालयों को, यदि 17 जून, 1972 के बाद स्थापित हुआ हो, वि० अनु० आ० अधिनियम की धारा 12-क के अन्तर्गत केन्द्रीय स्रोत से सहायता लेने के लिए उपयुक्त घोषित करना होगा । ऐसी घोषणा वि० अनु० आ० अधिनियम की धारा 12-क के अन्तर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर ही की जा सकती है ।

मंगलौर और गुलबर्ग विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए अभी तक उपयुक्त घोषित नहीं किया गया है। अतः इन विश्वविद्यालयों के लिए कोई अनुदान अनुमोदित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के टन भार में वृद्धि

9712. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के बेडों की संख्या या कुल टन भार (डी० डब्लू० टी०) में वृद्धि करने के लिए और प्रयास किए गए हैं ताकि शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया और इस उद्योग के लाभ में वृद्धि हो सके;

(ख) क्या सरकार/शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया को पिछले तीन महीनों से विदेशी शिपयार्डों से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें टाइम चार्टर कम सेल और/या "बेयर बोट कम सेल" आधार पर आधुनिक और नवीनतम पोत देने की पेशकश की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी और प्रस्तावित देशों के नाम, अदायगी की शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) छठी योजना में प्रथम चरण के जहाज खरीद कार्यक्रम के रूपों में भारतीय नौवहन निगम ने 11 एल० आर०-1 टैंकर्स, 4 प्रोडक्ट टैंकर्स और 10 ओ० एस० वी० जलयानों की खरीद के लिए आर्डर दिया है। इसने कोचीन शिपयार्ड को तीन बल्क कैरियर्स की खरीद के लिए आशय पत्र भी जारी किया है। प्रथम चरण के खरीद कार्यक्रम के अधीन भारतीय नौवहन निगम आठ बल्क कैरियर्स की खरीद का प्रस्ताव भी किया है जिसमें से चार के बारे में विकल्प रखा गया है।

छठी योजना के अधीन भारतीय नौवहन निगम ने जलयानों की खरीद के लिए दूसरे चरण का कार्यक्रम भी बनाया है। इसमें 23 जलयानों की खरीद की व्यवस्था है जिसमें खाद्य तेल कैरियर्स, फौस्फेरिक एसिड कैरियर, अमोनिया कैरियर्स, सेलुलर जलयान और फ्लोटिंग ड्राई डाक शामिल हैं।

(ख) किसी भी विदेशी शिपयार्डों से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) उपरोक्त (ख) के संदर्भ में, प्रश्न ही नहीं उठते।

ग्रामीण तथा गन्दी बस्ती दोनों में प्रथक बाल स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव

9713. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तथा गन्दी बस्ती क्षेत्रों में पृथक बाल स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) देश में बाल कल्याण की वर्तमान व्यवस्था क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रत्येक गांव में प्रशिक्षित दवाइयों, स्वास्थ्य गाइडों तथा उपकेन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं । ये उपकेन्द्र प्रत्येक 5,000 ग्रामीण आबादी (आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में 3000 आबादी) के लिए खोले जा रहे हैं । इस समय देश में ग्रामीण और शहरी औषधालयों और अस्पतालों के अतिरिक्त 65,643 उपकेन्द्र और 5,959 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं ।

मैट्रो रेलवे वर्कर्स यूनियन की मांग

9714. **श्री रेणुपद दास** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय ने मैट्रो रेलवे वर्कर्स यूनियन की मांगों के बारे में कोई मांग पत्र प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो मैट्रो रेलवे वर्कर्स यूनियन की क्या मांगें हैं; और

(ग) सरकार द्वारा मैट्रो रेलवे वर्कर्स की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) से (ग) मैट्रो रेलवे वर्कर्स यूनियन की मांगें हैं—यूनियन को मान्यता देना, नैमित्तिक

श्रमिकों को नियमित करना, नैमित्तिक श्रमिकों को अस्थायी हैसियत प्रदान करना, चालू लाइन रेलवे से नियमित कर्मचारियों की भर्ती को बन्द करना आदि।

मांगों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया है। मैट्रो रेलवे परियोजनाएं अस्थायी प्रकृति की हैं और कार्य समाप्त होने के बाद इनको बन्द कर दिया जाएगा। मैट्रो रेलवे परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारी या तो अधिकांश नैमित्तिक श्रमिक हैं अथवा क्षेत्रीय रेलों से लिये गये हैं। वर्तमान नीति के अनुसार निर्माण परियोजनाओं में यूनियनों को मान्यता नहीं दी गई है। बहरहाल, प्रत्येक क्षेत्रीय रेलों पर दो मान्यता प्राप्त यूनियनें मैट्रो रेलवे परियोजनाओं के कर्मचारियों से सम्बन्धित मामलों में प्रतिनिधित्व करती हैं।

मैट्रो रेलवे परियोजनाओं में कार्यरत सभी नैमित्तिक श्रमिकों को, जिन्होंने 180 दिन की लगातार सेवा कर ली है, पहले ही मासिक दर पर वेतन दिया जा रहा है और वर्ष में 9 सवेतन छुट्टियों का लाभ दिया गया है। परियोजना के पूर्ण होने पर पात्र नैमित्तिक श्रमिकों को उनकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए, आवश्यकतानुसार अनुरक्षण और परिचालनिक स्थापनाओं में नियमित रूप से समाहित करने पर भी विचार किया जाएगा। मैट्रो रेलवे परियोजनाओं में कार्यरत चौथी श्रेणी के नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या के 40 प्रतिशत तक अस्थायी पद प्रदान करने के आदेश भी मौजूद हैं। जब कभी आवश्यक होता है तो परियोजना चालू रहने के दौरान काम करने के लिए अपेक्षित संख्या में चालू लाइन रेलों से अपेक्षित अनुभव और योग्यता वाले कर्मचारी लेने पड़ते हैं।

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट पेन्शनर्स एसोसिएशन, मद्रास की ओर से अभ्यावेदन

9715. **श्री रेणुपद दास** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मद्रास पोर्ट ट्रस्ट पेन्शनर्स एसोसिएशन मद्रास के दिनांक 12 अक्तूबर, 1983 और 5 मार्च, 1984 के अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या मांगें हैं; और

(ग) सरकार ने उनकी मांगों पर क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) एसोसिएशन ने मांग की है कि 17-12-1982 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय 1980 का याचिका संख्या 5939-41 को मद्देनजर रखते हुए 31-3-79 के पहले के पत्तन पेन्शनरों को

31-3-79 को या उसके बाद अवकाश प्राप्त करने वाले के लिए उदार पेंशन योजना प्राप्त करने की अनुमति दी जाय जो पहले लागू थी। इस एसोसिएशन ने यह भी मांग की है कि उदार पेंशन योजना को मद्देनजर रखते हुए पत्तन कर्मचारियों को अंशदान भविष्य निधि स्कीम को त्यागकर पेंशन स्कीम को प्राप्त करने का अधिकार दिया जाए।

(ग) चूंकि पत्तन न्यास कानूनी निकाय हैं, अतः उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में जारी किए गए। वित्त मंत्रालय के आदेश इस पर अपने आप लागू नहीं होते जब तक कि विशेष आदेश द्वारा विधिवत इन्हें लागू नहीं किया जाता। इस सम्बन्ध में सभी प्रमुख पत्तन न्यासों की टिप्पणियां मांगी गई हैं।

लक्ष्मीपुर-रायगडा रेल लाइन का सर्वेक्षण

9716. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 में लक्ष्मीपुर से रायगडा तक रेल लाइन के निर्माण के लिए स्थल सर्वेक्षण करने हेतु क्या उपाय किये गये हैं; और

(ख) परियोजना रिपोर्ट के अनुसार कोरापुट से रायगडा तक रेल लाइन का निर्माण विभिन्न चरणों में किस तारीख तक पूरा होने की संभावना है और उनके मंत्रालय ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) कोरापुट-रायगडा परियोजना के लक्ष्मीपुर से रौली तक के (34.50 कि० मी०) खंड का अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट की तकनीकी जांच की जा रही है। शेष लाइन के लिए सर्वेक्षण चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि सर्वेक्षण यथासंभव शीघ्र पूरा हो जाए।

(ख) इस परियोजना का प्रथम चरण अर्थात कोरापुट से मचिलीगुडा तक (19.65 कि०मी०) का काम जून, 1985 तक पूरा हो जाने की आशा है। मचिलीगुडा से आगे रायगडा तक शेष लाइन का निर्माण समय-समय पर धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

हृदय रोगियों और कैंसर के उपचार के लिए इन्टेंसिव केयर यूनिट की सुविधाओं वाले संस्थान

9717. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हृदय रोगियों के लिए इन्टेंसिव केयर यूनिट की सुविधा वाले संस्थानों की संख्या कितनी है तथा इन यूनिटों में बिस्तरों की कुल संख्या कितनी है तथा ऐसे एक बिस्तर के रख-रखाव की लागत कितनी है;

(ख) देश में कैंसर के उपचार की सुविधाओं वाले संस्थानों की संख्या कितनी है; उनमें बिस्तरों की कुल संख्या कितनी है तथा प्रत्येक बिस्तर की क्या लागत बैठती है;

(ग) क्या ये संस्थान रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए पर्याप्त हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा चालू योजना में इन सुविधाओं के विस्तार के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) देश भर में हृदय रोगियों के लिये गहन परिचर्या यूनिटों के बारे में कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वैसे हृदय रोगियों के उपचार की सुविधाएं अधिकांश प्रमुख अस्पतालों में उपलब्ध हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में ऐसे 150 अस्पताल हैं जिनमें कैंसर के इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं और इन अस्पतालों में 2422 पलंग हैं। प्रति पलंग लागत भिन्न-भिन्न अस्पतालों में अलग-अलग होती है।

(ग) और (घ) सरकार उपलब्ध संसाधनों के भीतर इन सुविधाओं को बढ़ाने के लिये निरन्तर प्रयास कर रही है।

मातृ भाषा के माध्यम से शिक्षा

9718. **श्री अर्जुन सेठी : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें छात्रों को उनकी मातृ भाषा में शिक्षा देना आरम्भ किया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : जम्मू और काश्मीर तथा सिक्किम राज्यों तथा अरुणाचल प्रदेश संघ शासित क्षेत्र, जिनमें मातृ भाषा के अलावा अन्य भाषा (भाषाएं) शिक्षा का माध्यम हैं, को छोड़ कर सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृ भाषा को स्वीकार किया है और जहां कहीं सम्भव होता है उसके लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं।

सुदूर क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन

9719. **श्री अर्जुन सेठी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सुदूर क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कोई नीति अपनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आदिवासी क्षेत्रों में इस बारे में क्या उपलब्धियां हुई हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए जो बुनियादी कार्य नीति अपनाई गई है वह यह है कि संवर्धन संबंधी प्रयासों के जरिये इस कार्यक्रम की जानकारी और स्वीकार्यता में वृद्धि की जाए और लोगों को उनके घरों के नजदीक सेवाएं उपलब्ध की जाएं। आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अधिक गहन बुनियादी ढांचे की बात कही गई है।

(ग) परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में उड़ीसा राज्य की जिलावार उपलब्धि अनुबंध-I और II में दी गई है। आदिवासी क्षेत्रों के बारे में विशेष सूचना उपलब्ध नहीं है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8319/84]

गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में की गई अनाप-शनाप खरीद की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

9720. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों के दौरान अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपचार के लिए गठित कक्ष हेतु अपेक्षित उपकरणों और औषधियों की चार-पांच गुणा यात्रा का क्रियादेश देकर डा०राम मनोहर लोहिया अस्पताल द्वारा कई करोड़ रुपये की गई अनाप-शनाप खरीद की केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कोई जांच की थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या ऐसी सम्भावित कटौतियों और छूटों का कोई अनुमान लगाया गया है, जो कुछ लोगों की जेबों में चली गयी बताते हैं, यदि हां, तो क्या;

(घ) उपरोक्त अस्पताल को इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि आबटित की गई थी तथा जिसके आदेश से अस्पताल की प्राधिकारियों द्वारा प्राधिकृत धनराशि से कहीं अधिक मात्रा में उपकरणों और औषधियों की खरीद की गई थी; और

(ङ) दोषी अधिकारियों और डाक्टरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा उन उपकरणों और औषधियों का किस प्रकार निपटान करने का विचार किया गया है जो समय गुजरने के बाद कालातित हो सकती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान उपकरण खरीद में हुई कथित अनियमितताओं का मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा दिया गया है।

"सिन्थेटिक ड्रैस हार्म्स हार्ट" शीर्षक से समाचार

9721. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 9 अप्रैल, 1984 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'सिन्थेटिक ड्रैस हार्म्स हाट' शीर्षक के प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सिन्थेटिक कपड़ों के प्रयोग से मानव शरीर को होने वाले सम्भावित खतरों का पता लगाने के लिए भारत में भी कोई अनुसन्धान किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या कपड़ों के निर्माण में सिन्थेटिक धागे का अनिवार्य प्रयोग करने सम्बन्धी सरकारी नीति को ध्यान के रखते हुए सरकार इस पहलू पर कोई विशेषज्ञ अध्ययन कराएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) हां।

(ख) नहीं।

(ग) और (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कुष्ठ रोग उन्मूलन

9722. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे वैज्ञानिकों ने कुष्ठ रोग के नियंत्रण में कोई सफलता प्राप्त की है, यदि हां, तो क्या वर्ष 2000 तक इसके उन्मूलन का राष्ट्रीय लक्ष्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य सरकारों को विशेष रूप से उन राज्यों में जहां कुष्ठ रोग का प्रकोप है, इस रोग की रोकथाम के लिए क्या भूमिका सौंपी गई है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) हां, वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नई विधि तैयार की है जिससे संक्रामक रोगी शीघ्र ही गैर-संक्रामक हो जाते हैं और रोग का फिर से होना रुक जाता है तथा इससे ऐसे रोगी भी निरोगी हो जाते हैं जिन पर दवाइयों का कोई असर नहीं होता हो। यह एक संयुक्त औषधि उपचार है जिसे बहु-औषधि उपचार कहते हैं तथा इनमें डैप्सोन, रिफम्पिसिन और क्लोफाजीमाइन या प्रोथायनामाइड का उपयोग किया जाता है। कुष्ठ उन्मूलन की एक विधि के रूप में बहुत से लोगों को इलाज की सुविधाएं देने के लिए जिला-वार बहु-औषधि अभियान शुरू किया गया है।

इस रोग के बचाव के लिए एक वैक्सीन के रूप में बैक्टीरिया नाशी सामग्री का विकास किया गया है जो ऐसे संक्रामक रोगियों के शरीर में निरोधक शक्ति भी पैदा कर सकती है जिनमें साधारणतया इसकी कमी होती है। इस पर परीक्षण किए जा रहे हैं और इसके उत्साहजनक निष्कर्ष निकले हैं।

नये औषधि विधानों का इस्तेमाल शुरू हो जाने से भारत के 40 लाख रोगियों में से 30 लाख रोगियों का प्रशिक्षित डाक्टरों तथा परा-चिकित्सा स्टाफ द्वारा इलाज किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम एक शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम है जो मुख्य रूप से राज्य सरकारों के जरिए लागू किया जाता है और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को इसके खर्च के लिए सहायता दी जाती है तथा औषधियां, वाहन, माइक्रोस्कोप आदि सप्लाई की जाती हैं। इसके साथ ही उन्हें एक हद तक पूंजीगत लागत संबंधी सहायता भी दी जाती है। राज्य सरकारों की सिफारिशों पर स्वैच्छिक संगठनों को भी अनुदान दिए जाते हैं। राज्य सरकारों के जरिए प्रशिक्षणार्थियों को केन्द्रीय धन में से वजीफे दिए जाते हैं।

वर्ष 1983 में रद्द की गई गाड़ियों की संख्या

9723. **श्री नवीन रावणी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 में अनेक गाड़ियां रद्द की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में कितनी गाड़ियां रद्द की गईं और इन रेलगाड़ियों के रद्द किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में गाड़ियां रद्द न करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) 1983 में कुछ गाड़ियां अस्थायी रूप से रद्द कर दी गयी थीं। टूट-फूट, वर्षा, बाढ़ आदि के कारणों से, जो कि रेलवे के

नियंत्रण के बाहर थे, सौराष्ट्र क्षेत्र में 62 गाड़ियां रद्द की गयी थीं। ये सभी 60 गाड़ियां पुनः चला दी गयी हैं।

गरहारा के अस्थायी रेलवे कामगारों को नियमित करना

9724. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेल मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के गरहारा ट्रांसशिपमेंट रोड को शीघ्र ही 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं;

(ख) क्या गरहारा के 1203 ट्रांसशिपमेंट कामगारों को पिछले दस वर्षों से विभागीय अस्थायी कामगारों के रूप में माना जाता रहा है;

(ग) क्या ट्रांसशिपमेंट कामगारों को रेलवे सेवा में अन्तिम रूप से खपाने के पूर्व गठित की गई स्क्रीनिंग कमेटी की अनुमति प्राप्त की गई थी और क्या वर्ष 1975-76 के दौरान उनकी चिकित्सा जांच की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो गरहारा के अस्थायी कामगारों की सेवाओं को नियमित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) पूर्वोत्तर रेलवे से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गरहारा ट्रांसशिपमेंट के नैमित्तिक श्रमिकों का नियमितीकरण

9725. **श्री रामाववार शास्त्री** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्थायीकरण योजना के अन्तर्गत 2000 और 3000 दिनों तक के सेवाकाल के हजारों श्रमिकों को नियमित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो गरहारा ट्रांसशिपमेंट के 1032 अस्थायी श्रमिकों को जिन्होंने लगातार 3700 दिनों से अधिक अवधि तक नौकरी की है, स्थानीय करने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर रेलवे से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गरहारा स्थित रेलवे हाई स्कूल का दर्जा बढ़ाया जाना

9726. **श्री रमावतार शास्त्री** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे हाई स्कूल गरहारा का दर्जा बढ़ाकर इसे इन्टर-मीडिएट कालेज कर दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि गरहारा में पूर्वोत्तर रेलवे कालेज नाम से एक अनधिकृत प्राइवेट कालेज भी चलाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इस प्राइवेट कालेज के लिए पट्टे पर रेलवे भूमि का आबंटन करने की मांग भी की गई है और यदि हां, तो उस पर रेलवे प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेल कर्मचारियों के एक समूह ने पूर्वोत्तर रेलवे कालेज के नाम से निजी प्रबन्ध में एक कालेज स्थापित किया है। जहां तक ज्ञात है, बिहार सरकार ने इस कालेज को मान्यता/सम्बद्धता प्रदान नहीं की।

(घ) प्रबन्ध समिति ने रेल प्रशासन को पट्टे पर भूमि देने के लिए लिखा है और इस अनुरोध की जांच की जा रही है।

टिकट चैक करने वाले कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर

9727. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : भारतीय रेलवे में टिकट चैक करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसरों के बारे में वर्तमान नीति क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : सामान्यतः अराजपत्रित कर्मचारियों की कोटि के संबंध में पदोन्नति सरणि के बारे में विनिश्चय अलग-अलग क्षेत्रीय रेलों द्वारा अपनी-अपनी सम्बद्ध मान्यता प्राप्त यूनियनों के परामर्श से किया जाता है।

टिकट जांच कर्मचारियों के लिए मूल ग्रेड पद 260-400 रुपये (सं० वे०) के ग्रेड में टिकट कलक्टर का पद है जिसके रिक्त पद अंशतः सीधी भर्ती द्वारा और अंशतः ग्रुप "घ" के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। मोटे तौर पर उनकी आगे पदोन्नति की सरणि में 330-560 रुपये, 550-750 रुपये और 700-900 रुपये वेतनमान वाले पद आते हैं। 330-560 रुपये और 550-750 रुपये के वेतनमान वाले पदों पर वरिष्ठता-एवं-उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति की जाती है तथा 425-640 रुपये और 700-900 रुपये के वेतनमान वाले पदों पर चयन के जरिए पदोन्नति की जाती है। कर्मचारी समय-समय पर लागू आदेशों के अनुसार ग्रुप "ख" के पदों पर पदोन्नति के भी पात्र हैं।

ठेकेदारों को काम सौंपना

9728. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा रेल लाइनों की मरम्मत और कुशनिंग से संबंधित कार्य ठेकेदारों सौंपा गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुरक्षा नियमों के प्रतिकूल नहीं है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) पूर्वोत्तर रेल प्रशासन द्वारा कुछ खंडों पर जिम्मेदार रेलवे अधिकारियों के सीधे पर्यवेक्षण के अंतर्गत ठेकेदारों की एजेंसियों के माध्यम से केवल मिट्टी गद्दी बिछाने का कार्य करवाया जा रहा है ।

(ख) जी नहीं ।

सोनपुर डिवीजन के रेलवे कामगारों को बकाया आर० एल० टी० का भुगतान

9729. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोनपुर डिवीजन के गार्डों, पार्सल वेन लिपिकों, पार्सल हमाल्स, दोहरी प्रमुख रेलगाड़ियों के बुकिंग लिपिकों तथा सैकड़ों यार्ड कामगारों को आर० एल० टी० की बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) संभवतः आशय दोहरे कर्मचारियों वाली गाड़ियों के गार्डों, पार्सल यान लिपिकों, पार्सल हमालों, बुकिंग क्लर्कों से है न कि "दोहरी प्रमुख रेल गाड़ियों" के कर्मचारियों से। सोनपुर मंडल के गार्ड कर्मचारियों सहित ऐसे कर्मचारियों की आर० एल० टी० की बकाया राशि का कोई भुगतान नहीं किया जाना है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास और कुष्ठ रोग केन्द्रों का रख-रखाव

9730. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में चालू योजना अवधि के दौरान कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास और कुष्ठ रोग के शब्दों के रख-रखाव के लिये योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी धनराशि मंजूर की गई है।

(ख) उस राज्य में कुष्ठ रोग की रोकथाम तथा कुष्ठ रोग से मुक्त हुए रोगियों के पुनर्वास के लिये अब तक क्या विभिन्न उपाय किये गये हैं; और

(ग) छठी योजना के दौरान उड़ीसा में खोले गये कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास और उपचार केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) चालू योजना के दौरान उड़ीसा के लिए मंजूर की गई धनराशि इस प्रकार है :—

वर्ष	नकद	सामग्री	कुल
1980-81	4.35	7.20	11.55 (50 प्रतिशत)
1981-82	27.00	9.10	36.00
1982-83	22.02	44.75	66.77
1983-84	30.50	18.33	48.83
1984-85	46.00	35.00	81.00

(ख) कुष्ठ के रोगियों का शुरू में पता लगाने और उनके नियमित इलाज के लिए सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुष्ठ नियंत्रण एककों/केन्द्रों की स्थापना की है। जिला-वार अभियान के जरिए और अस्पतालों में भरती करके कुष्ठ रोगियों का मुफ्त इलाज करने के लिए रिफेम्पिसिन और क्लोफेजमाइन जैसी अधिक प्रभावकारी औषधियों का उपयोग भी शुरू किया गया है। उड़ीसा के गंजम जिले में बहु औषध विधान परियोजना शुरू की गई है। उड़ीसा को औषधियों, उपकरणों और वाहनों आदि की सप्लाई की जा चुकी है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	डी० डी० एस० टनों में	वाहन	माइक्रोस्कोप	शिक्षा सहायता सामग्री
1980-81	2.47	8 (मोटर साईकिल)	8	—
1981-82	2.43	—	—	—
1982-83	3.15	4 (जीपें)	3	1
1983-84	4.44	—	—	—

(ग) छठी योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में निम्नलिखित एकक खोले गए हैं —

	लक्ष्य	उपलब्धि
1. कुष्ठ नियंत्रण एकक	5	1
2. सर्वेक्षण शिक्षा और उपचार	15	5
3. शहरी कुष्ठ केन्द्र	6	6
4. अस्थाई अस्पताली वार्ड	9	6
5. जिला कुष्ठ अधिकारी एकक	10	6
6. जिला पुनर्वास प्रोन्नति एकक	1	1
7. स्वैच्छिक कुष्ठ पलंगों का रख-रखाव	400	400

दिल्ली में मक्खी और मच्छरों का प्रकोप

9731. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में, विशेष कर नार्थ एवेन्यू में, मक्खी और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में संक्रामक तथा अन्य रोग फैलने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) राजधानी में मक्खियों और मच्छरों के प्रकोप में असाधारण वृद्धि नहीं हुई है। उनकी संख्या का अन्तर मौसमी पहलुओं पर निर्भर करता है।

इस संबंध में निम्नलिखित विशेष पग उठाये गये हैं :—

(1) कूडाकरकट, गन्दगी/मल और गाय के गोबर को समय पर एकत्र करके उसका व्ययन करना तथा खुले इलाकों की नियमित रूप से सफाई करना।

(2) कीटनाशी दवाइयों द्वारा व्यस्क मक्खियों का नाश करना।

(3) शहरी इलाकों में मच्छरों को उनके पैदा होने के स्थान पर ही मारने के लिये मच्छरों के लार्वा को मारने वाले तेल, फेन्थियन, पायरोजेन आयल, रेम्फ़ॉस, पैरिस-ग्रीन के उपयोग से साप्ताहिक लार्वा रोधी उपाय करना ।

(4) ग्रामीण इलाकों, निर्माण कार्य के मजदूरों की झुग्गियों तथा झुग्गी झोपड़ियों के बचे-खुचे इलाकों में बी० एच० सी० का तीन बार छिड़काव करना ।

(5) मलेरिया के निश्चित रोगियों के घरों में तथा उनके आस-पास के घरों में पाइरेथम का छिड़काव करना ।

(6) कृत्रिम तालाबों आदि में लार्वानाशक मछली के जरिए जैव-वैज्ञानिक नियंत्रण करना ।

(7) बुखार वाले रोगियों/मलेरिया के निश्चित रोगियों के इलाज हेतु और रक्तालेप एकत्र करने उनकी जांच करने के लिये राजधानी में 126 मलेरिया क्लीनिक, 319 ज्वर उपचार डिपो और 551 औषधि वितरण केन्द्र कार्य कर रहे हैं ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी में पदोन्नति के लिए परीक्षा

9732. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर सीमांत रेलवे, कटिहार ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी में पदोन्नति के लिए परीक्षा ली है;

(ख) कितने उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं ;

(ग) इस परीक्षा में कितने सफल उम्मीदवारों को 25 सितम्बर, 1983 को हुई मौखिक परीक्षा में अयोग्य ठहराया गया;

(घ) क्या उम्मीदवारों का चयन करते समय वरिष्ठता को ध्यान में रखा गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) 78 (अठहत्तर) उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे ।

(ग) 55 (पचपन) उम्मीदवारों को 24-9-83 तथा 25-9-83 को हुई मौखिक परीक्षा में योग्य नहीं पाया गया ।

(घ) जी हां ।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी में कार्यरत अधिकारियों का स्थानान्तरण

9733. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी में कुछ अधिकारी गत पांच वर्षों से और कुछ गत दस वर्षों से कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) अधिकारियों के संबंध में रेलवे विभाग की स्थानान्तरण नीति क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) प्रचलित आदेशों में किसी भी पद की समयावधि 4 वर्ष निर्धारित की गयी है। किन्तु, किसी स्थान या संगठन में तैनाती की अवधि की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। एक पद पर 4 वर्ष की समयावधि पूरा करने के पश्चात किसी अधिकारी के स्थानान्तरण के संबंध में आदेश प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर कार्यान्वित किये जाते हैं।

शिक्षा के अभाव के कारण पिछड़ापन

9734. **श्री मनोहर लाल सैनी** :
श्री भीम सिंह :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री मोतीभाई आर० चौधरी :

क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अल्पसंख्यक आयोग के सचिव के इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि मुसलमानों में पिछड़ेपन का प्रमुख कारण शिक्षा का अभाव है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी, हां। गृह मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, अल्पसंख्यक आयोग के भूतपूर्व संयुक्त सचिव को दी गई राय, 5-6 अगस्त, 1983 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

तथा व्यापार और रोजगार ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित एक सेमिनार में अपनी व्यक्तिगत हैसियत में, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए निबन्ध में निहित है। अल्पसंख्यक आयोग ने इस मामले पर अभी तक कोई दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। तथापि, सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों से संबधित छात्रों के शैक्षिक स्तर में सुधार करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं बनाई हैं :

(i) विश्वविद्यालयों में अनवरत शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण कक्षाएं शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता;

(ii) विश्वविद्यालयों में कमजोर छात्रों के लिए उपचारी ब्रिज पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए वित्तीय सहायता;

(iii) पिछड़े क्षेत्र जहां अल्पसंख्यक अधिक संख्या में हैं, में नए आई० टी० आई० और पालिटेक्निक खोलना;

(iv) उर्दू सुलेखन केन्द्र खोलना :

(v) मदरसा शिक्षा की पाठ्यचर्या में सुधार करना :

(vi) अरबी तथा फारसी जैसी श्रेष्य भाषाओं के अध्येयताओं के लिए कोष की व्यवस्था।

बल्हारशाह जंक्शन पर प्रथम श्रेणी के पासों का कथित दुरुपयोग

9735. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल रेलवे के अन्तर्गत बल्हारशाह जंक्शन पर प्रथम श्रेणी के पासों के दुरुपयोग किए जाने के बारे में सरकार को शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या सरकार ने कथित दुरुपयोग का पता लगाने के लिए कोई जांच की है :

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) इसके वित्तीय आशय क्या हैं; और

(ङ) सरकार का विचार इस घाटे को किस प्रकार पूरा करने का है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां। श्री आर० टी० चिवाडे, भूतपूर्व शंटर, बल्हारशाह द्वारा नागपुर से बल्हारशाह तक पहले दर्जे के कार्ड पास नं० 044841 का दुरुपयोग करने के संबंध में रेल प्रशासन को एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ख) जी हां।

(ग) श्री चिवांडे दोषी पाये गये और 19.12.1983 को उन्हें सेवा से हटा दिया गया था ।

(घ) वित्तीय निहितार्थ 75 रुपये था, जो नागपुर से बल्हारशाह तक का किराया था ।

(ङ) नागपुर से वर्धा ईस्ट तक, जहां उसे गाड़ी से उतरते हुए पाया गया था, की यात्रा के लिए प्रभार के रूप में 64 रुपये वसूल किये गये थे ।

गांधीनगर के गांवों में तपेदिक का प्रबल प्रकोप

9736. **श्री रामकृष्ण गोरे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर (अहमदाबाद) के आसपास के कई गांवों में तपेदिक का प्रबल प्रकोप है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि सोनीपुर नामक एक गांव की समस्त पुरुष जनसंख्या तपेदिक से पीड़ित है, और

(घ) इस क्षेत्र के तपेदिक से पीड़ित गरीब लोगों को चिकित्सा व अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) गुजरात की राजधानी गांधीनगर (अहमदाबाद) के आस-पास के गांवों में क्षय रोग का असामान्य प्रकोप नहीं है ।

(ख) और (ग) जिला क्षय रोग केन्द्र के स्टाफ ने बी० एम० ए० की मदद से 2 जनवरी, 1984 को रोगियों का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया था और जिला क्षय रोग केन्द्र, गांधीनगर में 11 संदेहास्पद रोगी लाये गये थे । उन 11 रोगियों की जांच करने पर केवल चार के एक्सरे से उनके रोग की पुष्टि हुई और केवल एक को बलगम में क्षय रोग के रोगाणु पाये गये । इन सबका इलाज शुरू कर दिया गया है । 16 मार्च, 1984 को घर-घर जाकर किए गये सर्वेक्षण के दौरान गांव सोनीपुर में क्षय रोग के केवल 22 रोगियों का पता चला । इनमें से क्षय रोग के सात निश्चित रोगी गांधीनगर जिला क्षय रोग केन्द्र, गांधीनगर में अपना इलाज करवा रहे हैं । 15 रोगियों के बारे में यह निश्चित करने के लिए कि उन्हें क्षय रोग है या नहीं आगे और अधिक जांच करने की जरूरत है ।

(घ) जिला क्षय रोग अधिकारी, गांधीनगर को क्षय रोगियों की आगे और जांच करने और उनका इलाज करने का निर्देश दिया गया है। क्षय रोग सुपरवाइजर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अदालज से कहा गया है कि वह अनुवर्ती कार्रवाई के लिए नियमित रूप से सोनीपुर का दौरा करें। साथ ही गांव सोनीपुर से आधा किलोमीटर की दूरी पर रूपाल में और गांव सोनीपुर से केवल एक किलोमीटर की दूरी पर गांव सरधाव में दो उपचार केन्द्र भी खोले गये हैं। सरधाव में क्षय रोग के निदान हेतु एक्सरे की सुविधायें सुलभ हैं। इस गांव में गहन स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि लोगों को निदान के लिए शीघ्र आने और निर्धारित अवधि तक नियमित इलाज कराने के बारे में जानकारी दी जा सके।

कंजूर मार्ग और खिरौली के उच्च आरटेरियल गुड्स साईडिंग्स

9737. डा० **सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे का बम्बई में कंजूर मार्ग और निखरोली के बीच आरटेरियल गुड्स साईडिंग, बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि निखरोली (पूर्व) अर्थात् हरियाली गांव में प्रस्तावित लाइनों के मार्ग में काफी संख्या में दुकानें और मकान हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकतर 'स्ट्रक्चर' रेलवे की भूमि पर है और सरकार ने उनको बेदखली के सोटिस जारी किए हैं;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार की नीति के अनुसार इसके लिए क्षति पूर्ति दी जानी चाहिए और उपयुक्त स्थल आबंटित किए जाने चाहिए;

(ङ) यदि हां, तो परियोजना से कितने 'स्ट्रक्चर' प्रभावित हुए हैं; और

(च) उनके पुनर्वास के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) साइडिंग बनाने के लिए भूमि का अधिग्रहण एक अनुमोदित कार्य है और यह प्रगति पर है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) मुआवजे और वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था के बारे में नियमों के अंतर्गत यथा अनुमेय राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया जायेगा।

(ङ) 1982 में जब पिछली बार गणना की गई थी, तो कुल 1365 झुग्गी-झोंपड़ी थीं। इनमें से कुछ रेलवे भूमि पर और कुछ अभिग्रहण की जानी वाली भूमि पर हैं।

(च) नियमों के अनुसार इन विस्थापित झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों के पुनर्वास काम राज्य सरकार द्वारा किया जाना है ।

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड की नाजुक वित्तीय स्थिति

9738. **श्री बाबू राव परांजपे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान लेटेक्ट लिमिटेड कागजों पर तो भारी मुनाफा घोषित करता रहा है जबकि वास्तव में इसकी वित्तीय स्थिति बड़ी नाजुक है तथा इस पर एक करोड़ से अधिक का ओवरड्राफ्ट है; और

(ख) क्या कम्पनी ने बोर्ड की स्वीकृति के बिना और सरकार तथा सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा निर्धारित सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए 27 प्रतिशत के बोनस की घोषणा की थी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड पिछले तीन वर्षों से मुनाफे में चालू रही है, हालांकि भारी सम्पत्ति-सूची के कारण इनके कई बार रोकड़ संबंधी कठिनाई अनुभव की होगी ।

(ख) कम्पनी ने बोनस अधिनियम की अदायगी के अनुसार वर्ष 1982-83 के लिए केवल 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस की घोषणा की है । कर्मचारियों को उस वर्ष के दौरान अच्छा कार्य करने के फलस्वरूप वेतन के 18.67 प्रतिशत की दर से पुरस्कार भी दिया गया गया है ।

नैमित्तिक और करुणामूलक आधार पर बच्चे की नियुक्ति

9739. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के लिए क्या सिद्धांत अपनाये जा रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कार्य पर रहते हुए मरने वाले कर्मचारियों के अवयस्क बच्चों को इस आधार पर रोजगार देने से इंकार किया जा रहा है कि कर्मचारियों की मृत्यु के बाद पांच वर्ष बीत चुके हैं;

(ग) क्या यह सच है कि नैमित्तिक आधार पर कार्य करने वालों के बच्चों की ऐसी परिस्थितियों में करुणामूलक आधार पर रोजगार नहीं दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों आदि में जो कर्मचारी अपने सेवाकाल में मृत्यु को प्राप्त होते हैं अथवा शारीरिक दृष्टि से अक्षम हो जाते हैं उनके आश्रिमों (पत्नी/पति/पुत्र/पुत्री) को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देने के लिए एक योजना मौजूद है। मोटे तौर पर निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसी नियुक्तियां की जा सकती हैं :—

(i) जब रेल कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है।

(ii) जब रेल कर्मचारियों की उनके सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है।

(iii) जब रेल कर्मचारी सेवाकाल में अपंग हो जाते हैं अथवा उन्हें हृदय रोग, कैंसर आदि जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं अथवा जिस कार्य को वे कर रहे हैं उसके लिए शारीरिक दृष्टि से विकोटीकृत हो जाते हैं और उन्हें उन्हीं परिलब्धियों पर कोई वैकल्पिक कार्य नहीं दिया जा सकता, और यदि ऐसे कर्मचारी सेवानिवृत्ति को चुन लेते हैं।

(iv) जहां शारीरिक दृष्टि से विकोटीकृत कर्मचारी को उन्हीं परिलब्धियों पर वैकल्पिक कार्य प्रदान किया जाता है परन्तु वह उसे स्वीकार नहीं करता है और सेवानिवृत्ति को चुन लेता है तो उसके आश्रित को स्व-विवेक के मामले के रूप में, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति दी जा सकती है बशर्ते कि कर्मचारी को अधिवर्षिता से पूर्व तीन वर्ष से कम कार्य करना हो, इसके लिए महाप्रबन्धक का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाना चाहिए।

(v) जहां 7 वर्ष तक किसी कर्मचारी का पता-ठिकाना विदित न हो सके और इस आधार पर उसके परिवार को उसके अन्तिम पावने का भुगतान कर दिया जाता है।

(vi) कतिपय परिस्थितियों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ निकट के संबंधी को भी दिया जा सकता है।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां आमतौर पर यथासम्भव शीघ्र कर दी जाती है। आश्रित के नाबालिग होने की दशा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाती है, जिसकी गिनती सम्बद्ध घटना की तारीख से की जाती है। बहरहाल, विशेष परिस्थितियों में उपयुक्त मामलों पर पांच वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी विचार किया जाता है। ऐसे मामलों में, मामले की प्रकृति के अनुसार प्रत्येक मामले में सम्बन्धित महाप्रबन्धक और/या रेल मन्त्रालय का अनुमोदन अपेक्षित है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के पत्र उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस समय अनुक्रमण के आधार हर नियुक्ति केवल नियमित कर्मचारियों के आश्रितों/बच्चों के लिए अनुज्ञेय है।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के कर्मचारियों के साथ वार्ता करने हेतु व्यवस्था

9740. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के श्रमिकों और कर्मचारियों के आह्वान पर सी० एस० डब्ल्यू० संघ ने अपनी 12 सूत्री मांगों के संदर्भ में हड़ताल की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मांगों के समाधान के सरकार के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सी० एल० डब्ल्यू० कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए बातचीत की वर्तमान व्यवस्था क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (ग) : चितरंजन रेल इंजन कारखाना मजदूर यूनियन जो कि एक गैर मान्यता प्राप्त निकाय है, ने चि० रे० का० के महाप्रबन्धक को 10-4-1984 को दो दिन की सांकेतिक हड़ताल करने का एक नोटिस दिया था। किन्तु, हड़ताल नहीं हुई।

चि० रे० का० श्रमिक यूनियन ने उपर्युक्त हड़ताल के नोटिस में 12 मांगें पेश की थीं। इन सभी मांगों की चि० रे० का० प्रशासन ने गुण दोष के आधार पर जांच की थी और जहां कहीं आवश्यक पाया गया था, कार्रवाई की थी। चि० रे० का० प्रशासन ने कर्मचारियों की प्रत्येक मांगों की स्थिति के बारे में समझा दिया था। चि० रे० का० श्रमिक यूनियन द्वारा उठाया गया एक मुद्दा उनकी यूनियन को मान्यता देना था। किन्तु यह मुद्दा किसी औद्योगिक विवाद की परिधि के भीतर नहीं आता।

चि० रे० का० सहित रेलवे की उत्पादन इकाइयों में कर्मचारियों की शिकायतों को निपटाने के लिए कर्मचारी परिषदें बनाई गई हैं। कर्मचारी परिषद, कर्मचारियों और प्रशासन के बीच एक सीधे सादे सम्पर्क की व्यवस्था करता है। कर्मचारी परिषद के सदस्यों का चुनाव कर्मचारियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। चूंकि उत्पादन इकाइयों में सभी कर्मीदल एक ही स्थान पर कार्य करते हैं किंतु इसके विपरीत क्षेत्रीय रेलों पर ऐसा नहीं है, वहां भिन्न-भिन्न स्थानों पर कर्मचारी वृहद क्षेत्र में फैले हुए हैं, इसलिए उत्पादन इकाई में कर्मचारी परिषद की व्यवस्था बिलकुल व्यावहारिक है।

उत्पादन इकाइयों के महाप्रबन्धक कर्मचारी परिषद् के सदस्यों के साथ आवधिक बैठकें करते हैं जिनमें कर्मचारियों से संबंधित सभी मामलों पर विचार किया जाता है और वहां किए गए निर्णयों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। जो मामले कर्मचारी परिषद् के साथ महाप्रबन्धकों के स्तर पर हुई बैठकों के दौरान अनसुलझे रह जाते हैं, उनका रेलवे बोर्ड स्तर पर सदस्य कार्मिक के साथ हुई बैठकों में हल किया जाता है।

बहरहाल, चि० रे० का० कर्मचारी परिषद् की बैठक, इस समय अदालती मामलों के कारण नहीं बुलाई जा रही है। किन्तु, चि० रे० का० प्रशासन द्वारा, कर्मचारियों से सम्बन्धित सभी मामलों पर निर्णय करने से पहले अनौपचारिक रूप से चि० रे० का० श्रमिक यूनियन से विचार-विमर्श किया जाता है।

कलकत्ता-हल्दिया और हल्दिया-फरक्का के बीच यात्री फेरी सेवाएं शुरू करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का प्रस्ताव

9741. **श्री जायनल आबेदिन** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता-हल्दिया और हल्दिया फरक्का के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग पर यात्री फेरी सेवा शुरू करने के बारे में एक प्रस्ताव पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल की सरकार से अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पश्चिम ज्योति नगर (शाहदरा) दिल्ली की सड़कों की मरम्मत

9742. **श्री सज्जन कुमार** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम ज्योति नगर (एक मान्यता-प्राप्त कालोनी) लोनी रोड, शाहदरा दिल्ली को जोड़ने वाली सड़कें अत्यंत खराब स्थिति में हैं;

(ख) क्या सरकार ने किसी भी स्तर पर यह पता लगाने का प्रयास किया था कि किन कारणों से पिछले तमाम वर्षों से इन सड़कों की मरम्मत नहीं की गई है; और

(ग) इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है और यह कार्य कब तक किया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) जी हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि पश्चिम ज्योतिनगर, लोनी रोड (शाहदरा) से मिलने वाली सड़क की स्थिति ठीक नहीं है। अभी हाल ही में इस कालोनी को नियमित किया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण मरम्मत कार्य शुरू करने में असमर्थ हैं क्योंकि इस कालोनी के निवासी अभी तक आवश्यक विकास शुल्क जमा नहीं करा पाए हैं।

बंगलादेश में त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स के मुख्यालय की स्थापना

9743. **श्री चित्त बसु** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि भूमिगत त्रिपुरा नेशनल वालन्टियर्स आर्गेनाइजेशन (टी० एन० बी०) ने अपना सामरिक मुख्यालय बंगलादेश में चयांव की साजक पहाड़ियों में सिंहभूम में स्थापित किया है और त्रिपुरा के सीमान्त क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि त्रिपुरा के विद्रोहियों का संगठन "त्रिपुरा नेशनल वालेंटियर्स" का मुख्यालय बंगलादेश के चटगांव पहाड़ी इलाके के मयानी बन क्षेत्र में अलिंदिम्वारी में है। सरकार ने इन विद्रोहियों द्वारा हाल ही में त्रिपुरा में की गई हिंसक कार्रवाइयों से निपटने के लिए समुचित सुरक्षा उपाय किया है और सीमावर्ती क्षेत्रों में निरन्तर चौकसी रखी जा रही है। भारत सरकार ने बंगलादेश के क्षेत्र के अड्डों से कार्रवाइयां करने वाले भारतीय विद्रोहियों के मामले को भी बंगलादेश सरकार के साथ कई अवसरों पर उठाया है। बंगलादेश सरकार ने इस बात से इन्कार किया है कि वे इन विद्रोहियों को कोई सहायता दे रहे हैं।

बम्बई समुद्र तट पर "फ्लोटिंग ड्राई डाक" के निर्माण का काम करने वाली कम्पनी

9744. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक गैर सरकारी/सरकारी लिमिटेड कम्पनी को बम्बई समुद्र तट पर एक 'फ्लोटिंग ड्राई डाक' के निर्माण का काम करने की अनुमति दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कम्पनी की वित्तीय क्षमता का पता लगा लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स

9745. **श्री वसुदेव आचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में श्रेणी गत दो वर्षों के दौरान कितने कर्मचारी सेवा-निवृत हुए, कितने डाक्टरी दृष्टि से अक्षम घोषित किए गए व कितने स्वैच्छिक सेवानिवृत हुए;

(ख) चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में श्रेणी चार और श्रेणी तीन वर्गों में वर्ष 1983-84 के दौरान कुल कितने कर्मचारी भर्ती किए गए;

(ग) चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में कर्मचारियों की वर्तमान संख्या क्या है; और

(घ) क्या चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का विस्तार किए जाने वाला है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मन्जूर मार्ग को रेलवे लाइन से जोड़ना

9746. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में कन्जूर मार्ग रेलवे स्टेशन के यात्रियों की ओर से इस द्वीपीय प्लेटफार्म को पूर्व से जोड़ने तथा पूर्व में एक नयी टिकट खिड़की की स्थापना करने की भारी मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि रेलवे ने इसका निर्माण करने का निर्णय कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) मौजूदा ऊपरी पैदल पुल का पूर्व की ओर विस्तार करने तथा उसी तरफ एक नया बुकिंग कार्यालय बनाने के एक प्रस्ताव को भावी निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए विचार किया जा रहा है।

मुलुन्द में ठाणे से बम्बई वी० टी० के लिए सीजन टिकट जारी किया जाना

9747. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में मुलुन्द ईस्ट रेजीडेन्टस एसोसिएशन और मुलुन्द के अन्य यात्री तथा सामाजिक संगठनों ठाणे से बम्बई वी० टी० तक की उपनगरीय सीजन टिकट मुलुन्द में ही जारी किए जाने की मांग करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि ठाणे से वी० टी० बम्बई तक का किराया वही है जो मुलुन्द से बम्बई वी० वी० तक का है; और

(ग) यदि हां, तो इस मांग को पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सीजन टिकट नियमित दैनिक यात्रियों को या तो प्रारम्भिक स्टेशनों से या गतव्य स्टेशनों से जारी किये जाते हैं। ऐसे टिकट मध्यवर्ती स्टेशनों से जारी किये जाने की व्यवस्था नहीं है।

माल डिब्बा निर्माण यूनिटों में संकट

9748. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में माल डिब्बा निर्माण यूनिटों में नया संकट उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संकट के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा संकट दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) 1984-85 में चल स्टाक के लिए, जिसमें माल डिब्बे शामिल हैं, समग्र आबंटित धनराशि को ध्यान में रखते हुए, चालू वर्ष में माल डिब्बा निर्माण यूनिटों को दिए गए आदेश 1983-84 में प्राप्त वास्तविक उत्पादन से कम है। जबकि इससे उद्योग पर निस्संदेह कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किन्तु इनमें से अधिकतर यूनिटें वैकल्पिक उत्पादन करती हैं, जिनमें अवसंरचना और कर्मचारी सामान्यतः माल डिब्बा उत्पादन में लगे रहते हैं, इनका लाभप्रद उपयोग किया जा सकता है।

(ग) वर्ष के दौरान धन की स्थिति का मध्यावधि मूल्यांकन करने और इसके साथ-साथ पहले किए गए आबंटनों के आधार पर अतिरिक्त धन की मांग की जाती है। यदि अतिरिक्त धन आबंटित कर दिया जाता है, तो माल डिब्बा उत्पादन सहित चल स्टाक कार्यक्रम में पहले की गई कटौती को सम्भव सीमा तक फिर से पूरा कर दिया जाता है।

रत्नगिरी, उड़ीसा में स्थल संग्रहालय का निर्माण

9749. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व विभाग ने उड़ीसा में रत्नगिरी में एक स्थल संग्रहालय के निर्माण के लिए मंजूरी दी थी;

(ख) क्या उस स्थल संग्रहालय का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) उड़ीसा में रत्नगिरी में स्थल संग्रहालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) जी हां। 1980 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उड़ीसा में रत्नगिरी में एक स्थल संग्रहालय बनाने की स्वीकृति दे दी है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने अगस्त, 1982 में रत्नगिरी में स्थल संग्रहालय हेतु भवन बनाना शुरू कर दिया है और स्थल की दुःसाध्य परिस्थिति तथा अगम्यता के बावजूद कार्य अच्छी प्रगति पर है।

स्तन-पान की प्रतिक्रिया जानने के लिए सर्वेक्षण

9750. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्तन-पान को लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए उपायों की प्रतिक्रिया जानने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो स्तन-पान कार्यक्रम के प्रति जाग्रत हुई संधि का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) स्तन-पान को लोकप्रिय बनाने के सरकार के प्रयासों की प्रतिक्रिया जानने के लिए कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। बच्चे को काफी लम्बे समय तक स्तन-पान कराना समेकित बात विकास सेवा परियोजनाओं में स्वास्थ्य और पोषाहार शिक्षा का एक

महत्वपूर्ण पहलू है। खाद्य (भोजन की) आदतों और परिवर्तन सम्बन्धी टिप्पणियां योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किए समेकित बाल विकास सेवा के मूल्यांकन अध्ययन का ही एक अंश थीं। 1976 में आधारभूत सर्वेक्षण कराया गया और 1977-78 में फिर सर्वेक्षण कराया गया था। 1978 के सर्वेक्षण में स्तन-पान करने वाले बच्चों का अनुपात अधिक था। मूल्यांकन अध्ययन में यह पाया गया कि 0-1 वर्ष तक की आयु वर्ग के लगभग सभी बच्चों तथा 1-3 वर्ष तक की आयु वर्ग के लगभग 59 प्रतिशत बच्चों का पोषण मां के दूध से ही होता था।

रेल सेवा आयोग के विरुद्ध जांच

9751. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :**
श्री मनोहर लाल सैनी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री भीम सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतर्कता विभाग द्वारा कुछ रेल सेवा आयोगों के विरुद्ध जांच की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इन रेल सेवा आयोगों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध की जा रही जांच का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां

(ख) इस समय इलाहाबाद, बम्बई, गुवाहाटी, मुजफ्फरपुर, पटना और सिकन्दराबाद के रेल सेवा आयोगों के विरुद्ध उत्तर पुस्तकाओं के खोने/गढ़ने प्रतिरूपण, रिकार्डों में हेरा फेरी आदि अनियमितताओं के आरोपों के बारे में जांच की जा रही है।

(ग) जांच के निष्कर्ष के अनुसार उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

राज्य-वार मेडिकल कालिजों का ब्यौरा तथा प्रावंशिक शुल्क

9752. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1984 को सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित देश में राज्य-वार चिकित्सा कालिजों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गैर-सरकारी मेडिकल कालिजों की राज्य-वार संख्या क्या है, जिनको अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में मान्यता प्राप्त है;

(ग) क्या ये अल्पसंख्यक संस्थाएं "केपिटेशन" शुल्क वसूल करती हैं;

(घ) क्या ये कालिज राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार से प्रत्यक्ष रूप से अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं; और

(ङ) इन अल्पसंख्यक कालिजों की प्रवेश सम्बन्धी क्या-क्या क्षमता है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) पहली अप्रैल, 1984 की स्थिति के अनुसार देश के मेडिकल कालेजों (सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थाओं का राज्य-वार विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में किसी संस्थान को मान्यता देने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 में कोई प्रावधान नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

पहली अप्रैल, 1984 की स्थिति के अनुसार देश के सरकारी अथवा गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों का राज्य-वार विवरण :

राज्य का नाम	सरकार द्वारा संचालित मेडिकल कालेज	गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित मेडिकल कालेज	योग
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	8	—	8
असम	3	—	3
बिहार	9	—	9
दिल्ली	4	—	4
गुजरात	5	—	5
जम्मू एवं काश्मीर	2	—	2

1	2	3	4
केरल	4	—	4
पाण्डिचेरी सहित तमिलनाडु	9	—	10
मणीपुर	1	—	1
मध्य प्रदेश	6	—	6
महाराष्ट्र	13	1	14
कर्नाटक	4	5	9
उड़ीसा	3	—	3
पंजाब	3	2	5
हरियाणा	1	—	1
हिमाचल प्रदेश	1	—	1
राजस्थान	5	—	5
उत्तर प्रदेश	9	—	9
पश्चिम बंगाल	7	—	7

नोट : इसके अलावा, कर्नाटक में तीन प्राइवेट मेडिकल कालेज, आंध्र प्रदेश में एक प्राइवेट मेडिकल कालेज तथा केरल में एक सरकारी मेडिकल कालेज केन्द्रीय सरकार/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की पूर्वानुमति के बिना खोले गये हैं। "सरकार" शब्द में विश्वविद्यालय और नगर निगम भी शामिल हैं।

प्रधान मंत्री की अरब देशों की यात्रा

9754. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री पी० एम० सईद :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने अप्रैल, 1984 के दौरान अरब देशों की यात्रा की थी;

(ख) क्या इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ईरान-इराक युद्ध समाप्त करने में मदद करना था;

(ग) यदि हां, तो प्रधान मंत्री ने कितने देशों की यात्रा की और उनका क्या परिणाभ रहा; और

(घ) ईरान-इराक युद्ध समाप्त करने के प्रयास कहां तक सफल हुए ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रधान मंत्री ट्यूनिसिया और लीबिया की यात्रा पर गई थीं। इस यात्रा के परिणामस्वरूप भारत और इन देशों के बीच के संबंध और अधिक सुदृढ़ हुए हैं। प्रधान मंत्री ने इन यात्राओं का लाभ उठाकर हमारे क्षेत्र की प्रमुख घटनाओं, जिनमें ईरान-इराक युद्ध शामिल है, के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया।

भारत स्वत: अपनी ओर से और गुट-निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष की हैसियत से भी ईरान और इराक के बीच दुर्भाग्यपूर्ण संघर्ष को समाप्त करने के लिए निरन्तर प्रयत्न कर रहा है।

भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सहायता

9755. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को विशिष्ट क्षेत्रों में विशेष रूप से शिशु और मातृ कल्याण के सम्बन्ध में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सहयोग के रूप में सहायता देने का वचन दिया है;

(ख) यदि हां, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत को क्या मदद और सहायता देने हेतु सहमत हुआ है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत को जच्चा-बच्चा परिचर्या सहित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सहयोगात्मक मदद दे रहा है। 1982-83 के दो वर्षों के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए 3,43,700 अमरीकी डालर की सहायता दी। इसी प्रकार इन सेवाओं के लिए 1984-85 के दौरान 9,12,400 अमरीकी डालर की राशि रखी गई है। इसके अतिरिक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन इन कार्यों के लिए भारत को अपने अंतरदेशीय या मुख्यालय से भी फंड प्रदान कर रहा है।

उपर्युक्त सहायता सदस्य देशों पर लागू होने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन के सामान्य नियमों और विनियमों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

परिवार नियोजन/कल्याण में अनुसंधान के लिए डाक्टरों को सुविधाएं

9756. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा डाक्टरों और चिकित्सा प्राधिकारियों को परिवार नियोजन/कल्याण में अनुसंधान करने के लिए कुछ सुविधाएं दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो परिवार नियोजन के प्रयोजनों के लिए एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डाक्टरों द्वारा की गई प्रगति/परीक्षण और खोज यदि कोई हो तो, ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसंधानकर्ताओं द्वारा सुविधाओं, विशेषकर औषध आदि में और आगे अनुसंधान करने में वित्तीय समस्याओं के बारे में कोई शिकायत की गई है अथवा विरोध प्रकट किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान आदि जैसे विभिन्न अनुसंधान संस्थानों के जरिए अनुसंधान सुविधाएं जुटाने के लिए फंड उपलब्ध करती है। बहुत-सी अनुसंधान परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

(ग) और (घ) इस प्रकार की कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

कुष्ठ और क्षय रोग पर नियंत्रण के लिए योजनाएं

9757. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुष्ठ और क्षय रोग पर नियंत्रण के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कोई योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) क्या वे योजनाएं उड़ीसा राज्य में भी शुरू की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मामले में उड़ीसा के लोगों को अब तक क्या लाभ दिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) हां।

(ख) हां।

(ग) **राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम :**

राज्य को नकद औषधियों, गाड़ियों और उपकरणों के रूप में सहायता दी गयी थी। इसके अलावा, एक केन्द्रीय संस्थान की स्थापना की गयी थी जिसमें 50 पलंगों और उपचार सुविधाओं की व्यवस्था है। कुष्ठ रोग की स्थानिकमारी वाले गंजम नामक एक जिले में इस रोग को फैलने से रोकने के लिए उस जिले को एक मल्टी ड्रग अभियान हेतु विदेशी सहायता देने की योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

उड़ीसा राज्य को सप्लाई की गई औषधियों और अन्य उपकरणों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	डी० डी० एस० की मात्रा टनों में	रिफेम्पीसिन (150 मि० ग्रा०) कैप्सूलों की संख्या	क्लोफाजिमायन (100 मि० ग्रा०) कैप्सूलों की संख्या	गाड़ियों की संख्या	सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की संख्या	शिक्षण साधनों के सैटों की संख्या
1980-81	2.47	12800	72000	8 मोटरसाईकिलें	8	—
1981-82	2.43	24000	20000	—	—	—
1982-83	3.15	10000 — रिफेम्पीसिन (300 एम० जी०)	1740000	4 जीपें	3	1
1983-84	4.44	225000 रिफेम्पीसिन (150 एम० जी०)	305000	—	—	—

उपर्युक्त सप्लाई के अलावा, वर्ष 1983 के दौरान राज्य को प्रोस्थायनामाइड की चार लाख गोलियां भी दी गयी थीं। डेमियन फाऊंडेशन तथा लेप्रोसी मिशन से प्राप्त हुई औषधियां भी स्वयंसेवी संगठनों के इस्तेमाल के लिए राज्य सरकार को सप्लाई की गयी थीं।

राज्य को दी गई धनराशि

वर्ष	नकद	वस्तु रूप में	योग
1980-81	6.00 (सूचित)	7.96	13.96
1981-82	26.91	9.02	33.93
1982-84	22.02 (रिलीज की गई)	44.75	66.77
1983-84	45.00 (रिलीज की गई)	21.61	66.61

1983-84

1. रिकार्ड किये गये रोगी	200194
2. जितने रोगियों ने इलाज करवाया	199948
3. वर्ष के दौरान कितने नए रोगियों का पता लगाया	19307
4. वर्ष के दौरान कितने नये रोगियों का इलाज शुरू किया गया	19061
5. कितने रोगियों को निरोगी हो जाने पर या रोग पर नियंत्रण हो जाने पर छुट्टी दे दी गई।	3582

गंजम जिले में मल्टी ड्रग अभियान के अंतर्गत 4665 संक्रमक रोगियों ने 14 दिन तक दैनिक इलाज करवाया और 4148 नए रोगी अब अनुवर्ती इलाज प्राप्त कर रहे हैं ताकि अगले वर्ष तक उनका इलाज पूरा हो जाए। इसी वर्ष के दौरान इस जिले में 18 और संक्रामक रोगियों का बहु औषधि उपचार शुरू किया गया।

राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम

उड़ीसा के सभी 13 जिलों में जिला क्षय रोग केन्द्र खोले गये हैं जो साज-सामान और स्टाफ से पूरी तरह लैस हैं। गंभीर रूप से पीड़ित क्षय रोगियों की इलाज सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न संस्थाओं में 801 क्षय रोग पलंगों की व्यवस्था की गयी है।

छठी योजना अवधि में राज्य के क्षय रोग केन्द्रों को सामग्री तथा उपकरण/क्षय रोग रोधी औषधियां सप्लाई की जा रही हैं और छठी योजना अवधि के प्रथम 4 वर्षों के दौरान की गयी सप्लाई की लागत इस प्रकार है :

1980-81	7.21 लाख रुपये
1981-82	5.59 लाख रुपये
1982-83	5.36 लाख रुपये
1983-84	19.98 लाख रुपये

1983-84 के दौरान राज्य को ओडेल्का कैमरा सहित एक्सरे यूनिट के दो सेट उन पुराने सेटों के स्थान पर सप्लाई किए गए जो मरम्मत के योग्य नहीं रह गये थे। 1983-84 के दौरान पुरी जिले में प्रायोगिक आधार पर क्षय रोग रोधी नवीनतम औषधियों वाले रसायन

चिकित्सा अल्पकालिक औषध विधान शुरू किए गए। वर्ष 1982-83 के दौरान राज्य में क्षय रोग के 20581 नये रोगियों का पता लगाया गया और प्रबल क्षय रोधी औषधियों से उनका इलाज शुरू किया गया। वर्ष 1983-84 में राज्य में क्षय रोग 22198 (अनन्तिम) रोगियों का पता लगाया गया बतलाया जाता है। इसके अलावा, वर्ष 1983-84 के दौरान राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 30,374 (अनन्तिम) व्यक्तियों के बलगम की जांच की गयी।

इलाहाबाद में मवेशियों की बुकिंग

9758. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**

श्री सूरज भान :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए सिविल प्रतिबन्धों के बावजूद हावड़ा और इसके उपनगरों के लिए (सम्भवतः बूचड़खानों हेतु) दिसम्बर, 1981 और जून, 1983 के बीच की अवधि में इलाहाबाद से 572 वैगन और नैनी स्टेशन से 4 वैगन, जिनमें गायों और बछड़ों सहित 5800 मवेशी बुक किए गए थे;

(खं) लगाए गए सिविल प्रतिबन्धों का मूल पाठ क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों में ऐसे प्रतिबन्ध लगे हुए हैं और उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक ऐसे राज्य से इस प्रकार कितने पशु बाहर भेजे गए; और

(घ) प्रत्येक ऐसे राज्य में इस अपराध के लिए कितने रेल कर्मचारियों को दंडित किया गया ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किए गए सिविल प्रतिबन्धों के अनुसार, कोई गाय या सांड या बैल को रेलवे बुकिंग के लिए स्वीकार करने से पहले राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए परमिट की आवश्यकता पड़ती है। गाय और बछड़ों के गैर-कानूनी परिवहन की शिकायतों पर रेलों द्वारा की गई जांच-पड़ताल से पता चला है कि दिसम्बर, 1981 और जून, 1983 के बीच इलाहाबाद से 572 माल डिब्बे और नैनी से 4 माल डिब्बे, जिनमें गाय और बछड़ों सहित, 5805 पशु थे, हवड़ा और इसके उपनगरों के लिए बुक किए गए थे। यह भी पता चला है कि इनमें से कुछ परेषण अनुचित कागजात के आधार पर बुक किए गए थे, जिसके लिए 11 रेल कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

(ग) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्रीलंका द्वारा "ट्रिनकोमाली" को पट्टे पर दिए जाने का निर्णय

9759. **श्री के० प्रधानी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने श्रीलंका द्वारा सामरिक महत्व के "ट्रिनकोमाली" में तेल टैंक को सिंगापुर स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संघ को, जिसका अस्तित्व अत्याधिक संदेहास्पद है, पट्टे पर देने के निर्णय पर गम्भीर चिंता व्यक्त की है;

(ख) क्या यह संघ "ट्रिनकोमाली" में संयुक्त राज्य अमेरिका को अनधिकार प्रवेश देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान के हितों के लिए एक "अंग्रेजी कम्पनी" के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार के साथ इस मामले को उठाया है और श्रीलंका के राष्ट्रपति के सहयोगी के साथ, जिसने हाल ही में भारत का दौरा किया था चर्चा की थी; और

(घ) उसका क्या परिणाम रहा ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क और (ख) सरकार ने तीन निजी कंपनियों के संघ, जिसमें सिंगापुर की "ओरोलियम", जेनेवा, स्विट्जरलैंड की "ट्रेंडीनैफ्ट" और पश्चिम जर्मनी की "आयल ट्रेकिंग" कम्पनियां शामिल हैं, को तृणकोमली स्थित तेल भंडारों को पट्टे पर देने सम्बन्धी श्रीलंका सरकार के हाल ही के निर्णय पर गौर किया है। बताया जाता है कि यह करार 15 से 20 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। सिलोन पेट्रोलियम कारपोरेशन भी इस संघ में भागीदार होगा।

(ग) सरकार ने इस घटना के बारे में अपनी चिंता और गहरी निराशा से श्रीलंका सरकार को अवगत करा दिया है।

(घ) श्रीलंका सरकार ने बताया है कि यह निर्णय व्यापारिक आधार पर लिया गया है और इस टैंक फार्म का इस्तेमाल सैनिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा।

ऐतिहासिक ताम्रालिपत्य मिदनापुर, पश्चिम बंगाल की खुदाई

9760. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐतिहासिक ताम्रालिपत्य (मिदनापुर, पश्चिम बंगाल) की खुदाई कराने का कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी नहीं। पश्चिमी बंगाल में ताम्रालिपत्य (ताम्रलिप्ति) अथवा आधुनिक तमलुक की ख़ुदाई का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा तमलुक, जिसे प्राचीन तम्रलिप्ति कहा जाता है, जिला मिदनापुर, पश्चिमी बंगाल के प्राचीन स्थल पर वर्ष 1954-55 और 1973-74 के कार्य मौसमों में उत्खनन कराया गया था। इन उत्खननों के आधार पर स्थल की सांस्कृतिक क्रमबद्धता पहले ही स्थापित हो चुकी है, इसलिए इस स्थल पर आगे और उत्खनन कराना आवश्यक नहीं समझा गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-41 का निर्माण

9761. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-41 (मेचेडा-हल्दिया, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल) का निर्माण पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग का हल्दिया के आखिर से 1.6 किलोमीटर लम्बे भाग की अभी भी बहुत खस्ता हालत है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या करण हैं; और

(ङ) इस राष्ट्रीय राजमार्ग का यह 1.6 किलोमीटर लम्बा टुकड़ा कब तक पूरा हो जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग 41, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर स्थित कोलाघाट से हल्दिया पत्तन की बाहरी सीमा पर समाप्त होता है, यह 50.79 किलोमीटर लम्बा है और इसका निर्माण कार्य समाप्त हो चुका है और यह यातायात योग्य स्थिति में है।

(ग) से (ङ) हाल ही में सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग 41 की हल्दिया पत्तन की वर्तमान सीमा से बढ़ा कर हल्दिया पत्तन के मुहाने तक बढ़ाने का निश्चय किया है और राज्य सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग 41 के इस भाग को पत्तन न्यास से अपने हाथ में लेने का अनुरोध किया है।

राज्य सरकार द्वारा इस भाग को औपचारिक रूप से अपने हाथ में लिए जाने के बाद इसकी कमी का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कार्य किए जाएंगे। उचित सुधार कार्य इसके बाद ही शुरू किए जाएंगे।

गुजरात में अवैतनिक परिवार नियोजन शिक्षा अध्यापक

9762. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ अवैतनिक परिवार नियोजन शिक्षा अध्यापक काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनसे सम्बन्धित ब्यौरा क्या है, गुजरात में उनकी संख्या क्या है तथा उनके क्या-क्या काम हैं और

(ग) उन्हें क्या वित्तीय सहायता दी जाती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियों में समयबद्धता तथा खान-पान और जल सुविधाएं प्रदान करने को सुनिश्चित करना

9763. **श्री छीतूभाई गामित** :
श्री जी० वाई० कृष्णन :
श्री के० ए० राजन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रीष्म काल में यात्रियों की भीड़ को निपटाने के उद्देश्य से हाल ही में कुछ विशेष रेलगाड़ियां शुरू करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह पता है कि ये विशेष रेलगाड़ियां अपने गन्तव्य स्थलों पर समय पर नहीं पहुंचतीं और यात्रियों को उन गाड़ियों में खान-पान की सुविधाओं की कमी और पीने के पानी की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण काफी कठिनाइयां होती हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या रेल अधिकारियों का विचार इन समस्याओं पर ध्यान देने तथा इन रेलगाड़ियों की समयबद्धता सुनिश्चित करने और मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियों के चालन की निगरानी क्षेत्रीय मुख्यालय

स्तर पर की जाती है ताकि इन गाड़ियों का समय पालन सुनिश्चित किया जा सके। सभी रेलवे स्टेशनों पर पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए काफी प्रबन्ध किये जाते हैं। किये गए प्रबन्धों की समीक्षा की जाती है और गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले, जहां कहीं आवश्यक होता है, इनमें उचित रूप से वृद्धि की जाती है। इन गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों की खान पान सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से खान-पान और वेंडिंग सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाती है।

विदेशों से प्रत्यार्पण के किए गए निवेदन

9764. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी सरकार ने 1980 से अब तक अन्य देशों को प्रत्यार्पण के कोई निवेदन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके क्या परिणाम रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

प्रत्यार्पण के लिए किए गए अनुरोधों का ब्यौरा

क्रम संख्या	जिस देश से अनुरोध किया गया है उसका नाम	किए गए अनुरोधों की संख्या	परिणाम
1.	नेपाल	7	उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।
2.	कनाडा	1	अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया।
3.	जर्मन संघीय गणराज्य	1	जर्मन संघीय गणराज्य के कानूनों के अनुसार कार्यवाही चल रही है।

अपराधियों के विरुद्ध प्रत्यार्पण की कार्यवाही

9765. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से विदेशों में चले गये अभियुक्तों और अपराधियों के प्रत्यार्पण के लिए 1980 से अब तक कोई कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

अपराधियों के खिलाफ प्रत्यार्पण की कार्रवाई

क्रम संख्या अनुरोधकर्ता देश का	जिन व्यक्तियों पर कार्रवाई चल रही है उनकी संख्या	स्थिति
1. बेल्जियम	एक	बेल्जियन सरकार द्वारा अनुरोध वापिस ले लिया गया है।
2. थाईलैंड	दो	आरोपों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एक व्यक्ति की हाल में मृत्यु हो गई है।
3. संयुक्त राज्य अमरीका	एक	आरोपों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक नये प्रकार के कम्प्यूटर की स्थापना

9766. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक नये प्रकार की कम्प्यूटर प्रणाली स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो स्थापित किये जाने वाले कम्प्यूटर के प्रकार का ब्यौरा क्या है और उसका मूल्य क्या है;

(ग) क्या कम्प्यूटर का चयन करने के पूर्व कोई अध्ययन किया गया था यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस नये कम्प्यूटर को चलाने और इसके रख-रखाव के लिए क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इसकी मौजूदा संगणक पद्धति को बदलने के सम्बन्ध में इसके प्रस्ताव की जांच करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। समिति ने विश्वविद्यालय के छात्रों और संकाय के उपयोग के लिए एक सुदृढ़ केन्द्रीय संगणक सुविधा सुलभ करने की सिफारिश की है, समिति द्वारा सिफारिश की गई विशिष्टताओं के अनुसार 30-35 लाख की लागत के अन्दर एक संगणक पद्धति प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय को अनुमोदन सूचित कर दिया गया है।

(घ) संगणक के रखरखाव के लिये पर्याप्त व्यवस्था संगणक को प्राप्त करने के समय सुनिश्चित की जाएगी।

जवाहरलाल नेहरू और अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में विदेशी राष्ट्रिकों की नियुक्ति

9767. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सहित अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को उन संस्थानों में विदेशी राष्ट्रिकों की नियुक्ति के संबंध में कोई निदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस निदेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में इस प्रकार कितने विदेशी राष्ट्रिक नियुक्त किये गये;

(घ) उनकी नियुक्ति की विशिष्ट तारीख और वे इस समय किस केन्द्र विभाग/विद्यालय में नियुक्त हैं; और

(ङ) इस निदेश को कार्यान्वित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) सरकार की यह राय है कि विश्वविद्यालयों को स्थायी आधार पर विदेशी राष्ट्रिकों को नियुक्त नहीं करना चाहिए। यदि उपयुक्त रूप से योग्य भारतीय राष्ट्रिक उपलब्ध न हों तो अपवादस्वरूप परिस्थितियों में ऐसी नियुक्तियां की जाएं। जहां भी विदेशियों को नियुक्त किया जाता है वहां इस प्रकार के रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त भारतीय कार्मिक का पता लगाने का हर प्रयास किया जाना चाहिए। सरकार ने समय-समय पर सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को उपरोक्त विचार सूचित किए हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से आशा की जाती है कि किसी विदेशी राष्ट्रिक को नियुक्त करने से पहले वे केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लें। विश्वविद्यालयों से प्राप्त इस प्रकार के प्रस्तावों पर प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित बातों को ध्यान में रख कर योग्यता के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्रवाई की जाती है।

मुआवजे के दावे के लिए दायर किये गये मामले

9768. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता ने मुआवजे के लिए रेलवे के विरुद्ध वर्ष 1981-82, 1982-83 और दिसम्बर, 1983 तक पृथक-पृथक सिविल न्यायालयों में कितने मुकदमे दायर किये और प्रतिवर्ष पृथक-पृथक डिग्री जारी की गई;

(ख) रेलवे ने प्रतिवर्ष मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि की अदायगी की;

(ग) ऐसे एक मामले को निबटाने में सामान्य तौर पर कितना समय लगता है; और

(घ) रेलवे के प्रत्येक मामले पर औसतन कितना खर्च उठाना पड़ा ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 1981-82, 1982-83 और 1983-84 (अप्रैल से दिसम्बर) के दौरान रेलों के विरुद्ध दायर किये गये मुकदमों की कुल संख्या और जिन मामलों में डिग्रियां की गयीं, उनकी संख्या इस प्रकार थी :

	1981-82	1982-83	1983-84 (अप्रैल से दिसम्बर)
1. दायर किये गये मुकदमों की कुल संख्या	25,497	30,627	24,094
2. जिन मामलों में डिगरी की गयी उनकी संख्या	7,575	7,548	7,020

(ख) रेलों द्वारा अदा की गयी क्षतिपूर्ति की कुल राशि इस प्रकार थी :

	1981-82	1982-83	1983-84 (अप्रैल से दिसम्बर)
	(लाख रुपये में)		
1. डिगरियों के भुगतान की राशि	390.88	458.48	443.67
2. डिगरियों सहित अदा की गयी कुल राशि	1989.65	2192.63	2085.81

(ग) ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती ।

(घ) लगभग 234 रुपये ।

पी० जी० आई० चंडीगढ़ और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वरिष्ठ संकाय के सदस्यों को विदेशों में नियुक्ति पर विदेश जाने की अनुमति

9769. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० सी० आई०, चंडीगढ़ और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में वरिष्ठ संकाय के अधिकांश सदस्यों को सम्मेलनों में भाग लेने अथवा विदेशों में नियुक्ति पर विदेश जाने की अनुमति देने के क्या कारण है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान ये पद कितनी बार रिक्त रहे;

(ग) संकाय के सदस्य को प्रति वर्ष कितनी विदेश यात्राओं की अनुमति है;

(घ) क्या इन यात्राओं के लिए बारी-बारी से भेजने की व्यवस्था है, इनकी वित्तीय स्रोत क्या है;

(ङ) कनिष्ठ संकाय के सदस्यों के विदेश यात्राओं पर जाने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान, चंडीगढ़ और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के संकाय सदस्यों को सम्मेलनों में भाग लेने अथवा विदेशों में नियुक्ति पर विदेश जाने की अनुमति सम्बन्धित संस्थान

निकायों द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार दी जाती है। सम्मेलनों और नियुक्तियों के दौरान संकाय सदस्यों को विदेशी वैज्ञानिकों के साथ काम करने से अपने अनुभवों और ज्ञान को अद्यतन बनाने में सहायता मिलती है।

संकाय पदों पर विदेशों में नियुक्तियों/प्रतिनियुक्तियों के फलस्वरूप होने वाली रिक्तियों को प्रायः अस्थाई आधार पर भरा जाता है।

कुछ संकाय सदस्यों को अपने क्षेत्रों में ख्याति के कारण अन्तर्राष्ट्रीय और दूसरी एजेंसियों/संस्थाओं द्वारा आमंत्रित किया जाता है और वे संगठन ही उनके विदेशी दौरों का खर्च वहन करते हैं। संस्थान भी ऐसे सम्मेलनों में भाग लेने के लिए संकाय सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। कनिष्ठ संकाय सदस्यों को भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/बैठकों में भाग लेने के अवसर प्रदान किये जाते हैं।

सेवानिवृत्ति के पश्चात अधिकारियों की सेवा अवधि में वृद्धि किया जाना

9770. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की घोषित नीति के अनुसार सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी की सेवावधि में वृद्धि पर पूर्ण रोक लगाई गई है;

(ख) क्या रेलवे के कुछ अधिकारियों के सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवा अवधि में वृद्धि मंजूर की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) वर्तमान नीति के अनुसार अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने के बाद सामान्यतः सेवा काल बढ़ाया नहीं जाता है; सिवाय उन व्यक्तिगत मामलों को छोड़कर जहां सरकारी हित में ऐसा करना औचित्यपूर्ण होता है।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

प्रस्तावित "कोच फैक्ट्री" के लिए रेल इंडिया टेक्निकल एन्ड इकानामिक सर्विसेस लिमिटेड द्वारा सर्वेक्षण

9771. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित "कोच फैक्ट्री" के निर्माण के लिए "राइट्स" रेल इंडिया टेक्निकल एन्ड इकानामिक सर्विसेस लिमिटेड द्वारा कराए जा रहे सर्वेक्षण के संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) अब तक किन-किन स्थानों का सर्वेक्षण हो चुका है और क्या उसका पूर्ण ब्यौरा सभा पटल पर रखा जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जिन राज्यों ने प्रस्तावित नये सवारी डिब्बा कारखाने की स्थापना के लिए अपनी रुचि दिखायी थी, मेसर्स राइट्स ने उन्हें उपयुक्त स्थान का सुझाव देने के लिए पत्र लिखे हैं। अभी तक सभी राज्यों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) अभी तक किसी स्थान का सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

दिल्ली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और पुस्तकों की लागत का वितरण न किया जाना

9772. **श्री रामविलास पासवान** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और पुस्तकों पर आने वाली लागत के लिए दी जाने वाली धनराशि का वितरण न किये जाने के बारे में कोई जांच होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि विद्यालय प्राधिकारियों की उपेक्षा और प्रबंध के कारण विभिन्न विद्यालयों और राजकीय बाल/बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पालम कालोनी, नई दिल्ली के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित सैंकड़ों, विशेष रूप से 45 विद्यार्थियों को, अपनी छात्रवृत्ति और पुस्तकों की लागत आदि से वंचित रहना पड़ा है जिसके कारण वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इन कमियों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) जी, हां। प्रत्येक स्कूल को छात्रवृत्ति के लिए प्राप्त राशि तथा बांटी गई राशि का हिसाब रखना होता है जिसकी लेखा परीक्षा की जाती है।

(ग) पालम स्थित सीनियर माध्यमिक स्कूल सहित कुछ स्कूल प्राधिकारियों द्वारा छात्रवृत्ति की राशि के छदावा न करने तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि वितरित न किए जाने के बारे में कुछ मामले दिल्ली प्रशासन के ध्यान में आए हैं।

(घ) दिल्ली प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है। एक स्कूल के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

ग्रान्ड ट्रंक मार्ग का विद्युतीकरण

9773. **श्री आर० प्रभु** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास से नई दिल्ली ग्रान्ड ट्रंक मार्ग का कहां तक विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) इस सम्बन्ध में अभी भी लंबित कार्य क्या हैं और उन्हें कब पूरा किए जाने की संभावना है;

(ग) इस सम्बन्ध में इस समय क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इन उपायों के परिणामस्वरूप मद्रास से दिल्ली के बीच यात्रा का समय कम हो जायेगा और यदि हां, तो कितने घंटे कम हो जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) मद्रास से नयी दिल्ली तक के ग्रांड ट्रंक मार्ग पर निम्नलिखित खंडों का विद्युतीकरण कर दिया गया है :—

(i) दिल्ली-मथुरा-बाद (183 मार्ग कि० मी०)

(ii) मद्रास-विजयवाड़ा (435 मार्ग कि० मी०)

(ख) और (ग) शेष निम्नलिखित खंडों पर विद्युतीकरण का कार्य हो रहा है;

खंड	मार्ग कि० मी०	समापन की संभावित तारीख
विजयवाड़ा-बल्लहरशाह	454	31-3-87
बल्हारशाह-वर्धा	133	31-3-87
वर्धा-नागपुर	79	31-3-87
नागपुर-इटारसी	298	31-3-88
इटारसी-झांसी	381	31-3-86
झांसी-बाद	260	31-3-85

(घ) किसी कमी का अनुमान नहीं है।

मद्रास में द्रुत परिवहन प्रणाली

9774. **श्री आर० प्रभु** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास शहर में कोई द्रुत परिवहन प्रणाली आरम्भ करने का विचार है;

(ख) इस परियोजना की कुल परियोजना लागत क्या है और इसे कब क्रियान्वित करने का विचार है;

(ग) इस परियोजना के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) क्या इस प्रस्ताव में भूमिगत रेल भी शामिल है ?

रेल मन्त्री (श्री० ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) मद्रास-मद्रास बीच से लुज तक द्रुत परिवहन प्रणाली की स्वीकृत परियोजना की लागत 53.46 करोड़ रुपये है। यह कार्य योजना आदि के प्रारम्भिक चरणों में है। इस परियोजना के पूरे होने की तारीख धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी थी। बहरहाल, मद्रास में दैनिक यात्रियों की विशेष समस्याओं को देखते हुए इस परियोजना की 1 करोड़ रुपये के परिव्यय से 1983-84 के बजट में शामिल किया गया था। वित्तीय वर्ष 1984-85 में इस परियोजना के लिए 0.75 करोड़ रुपये आबंटित किये गए हैं।

(घ) जी नहीं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उनमें डाक्टरों की राज्य-वार संख्या

9775. **श्री आर० प्रभु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 दिसम्बर, 1983 को प्रत्येक राज्य में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे और उनमें डाक्टरों की संख्या कितनी-कितनी थी; और

(ख) क्या सरकार, डाक्टरों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रोजगार पाने हेतु अपने नाम रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत करने के लिए राजी करने के लिए कोई विशेष अभियान चलाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 31.12.1983 को 5,959 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 29 में डाक्टर

नहीं थे। शेष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक या इससे अधिक डाक्टर कार्य कर रहे थे। बिना डाक्टरों वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डाक्टर राज्य सरकारों के कर्मचारी होते हैं और उनके द्वारा ही उनकी नियुक्ति की जाती है। वैसे, भारत सरकार ने डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों के विचारार्थ बहुत से प्रोत्साहन सुझाए हैं।

विवरण

31-12-1983 को बिना डाक्टरों वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का राज्यवार विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	5
2.	असम	—
3.	बिहार	अप्राप्त
4.	गुजरात	0
5.	हरियाणा	0
6.	हिमाचल प्रदेश	0
7.	जम्मू व काश्मीर	0
8.	कर्नाटक	9
9.	केरल	0
10.	मध्य प्रदेश	2
11.	महाराष्ट्र	0
12.	मणिपुर	0
13.	मेघालय	0
14.	नागालैंड	0
15.	उड़ीसा	अप्राप्त

1	2	3
16.	पंजाब	0
17.	राजस्थान	0
18.	सिक्किम	0
19.	तमिलनाडु	0
20.	त्रिपुरा	0
21.	उत्तर प्रदेश	10
22.	पश्चिम बंगाल	अप्राप्त
23.	अन्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0
24.	अरुणाचल प्रदेश	0
25.	चण्डीगढ़ प्रशासन	0
26.	दादर व नगर हवेली	0
27.	दिल्ली	0
28.	लक्षद्वीप	0
29.	गोवा दमन व द्वीप	0
30.	मिजोरम	3
31.	पांडिचेरी	0
	योग	29

टिप्पणी : सूचना अपूर्ण है

**स्वास्थ्य यूनिट ।

0 शून्य सूचना ।

प्रौढ़ शिक्षा के लिए दूरदर्शन तंत्र

9776. **श्री आर० प्रभु** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन तंत्र का प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रयोग करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या लक्ष्य प्राप्त करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में साफ्टवेयर के निर्माण के लिए, आवश्यक व्यवस्थाएं शैक्षणिक प्रौद्योगिक कार्यक्रम के अन्तर्गत की जा रही हैं। इस समय कुछ दूरदर्शन केन्द्र अपने मौजूदा कार्यक्रमों में प्रौढ़ शिक्षा से सम्बन्धित विषयवस्तु शामिल कर रहे हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों और कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी माना जाना

9777. **श्रीमती प्रमिला दंडवते :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों और कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या फायदों के संबंध में उन्हें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष माना जाता है; और

(ग) क्या सरकार फायदों के सम्बन्ध में उन पर लागू योजना के बारे में वर्तमान नियमों और विनियमों में उन सभी असमानताओं को दूर करने के बारे में विचार करेगी जिनके कारण केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों में असन्तोष व्याप्त है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों की वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

देश में आंखों के डाक्टर और सर्जन

9778. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंधता के उपचार की मांग को पूरा करने के लिए देश में नेत्र संबंधी डाक्टरों और सर्जनों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) हां, अपर्याप्त है ।

(ख) देश में नेत्र सर्जनों/डाक्टरों की कमी को दूर करने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तैनात चिकित्सा अधिकारियों को मेडिकल कालेजों और क्षेत्रीय संस्थानों में, नेत्र-परिचर्या प्रदान करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । इस समय, शिविर लगाने की नीति अपनाकर नेत्र विज्ञान सर्जनों की कमी की समस्या से निबटा जा रहा है । देश के मेडिकल कालेजों से अनुरोध किया गया है कि वे नेत्र-विज्ञान विषयक डिप्लोमा और डिग्री कोर्सों के लिए प्रवेश क्षमता बढ़ाएं । जिन संस्थाओं में ऐसी सुविधाएं नहीं हैं, उन्हें ऐसे कोर्स शुरू करने की सलाह दी जा रही है ।

साहुपुरी पावर कन्ट्रोल स्टेशन में आग लगने के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में रेल सेवाओं का अस्त-व्यस्त होना

9779. **श्री राम लाल राही** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहुपुरी पावर कंट्रोल स्टेशन में हुए भारी विस्फोट के कारण लगी आग के परिणामस्वरूप पूर्वी उत्तर प्रदेश में रेल सेवाएं पूर्णतः अस्त-व्यस्त हो गई थीं;

(ख) यदि हां, तो विद्युत चालित रेलगाड़ियां कितने घंटे देर से चलीं; और

(ग) सरकार को इससे कितनी क्षति हुई है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) जी नहीं । क्योंकि जिगना स्थित निकटस्थ सब स्टेशन से कर्षण के लिए वैकल्पिक बिजली सप्लाई प्राप्त कर ली गई थी । बहरहाल, जिगना ग्रिड सब-स्टेशन के बीच-बीच में खराब हो जाने के कारण 27-3-84 को 3 अप हावड़ा-बम्बई मेल, 156 डाउन तिनसुखिया मेल, 1 अप कालका मेल और 192 डाउन मगध एक्सप्रेस की क्रमशः 10 मिनट, 17 मिनट, 7 मिनट और 30 मिनट की रुकौती हुई ।

रतलाम में आरक्षण कोटा

9780. **श्री भीखा भाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रतलाम स्टेशन पर इससे लगे राजस्थान के जिलों और रतलाम से जुड़े मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले यात्रियों की जबर्दस्त भीड़ रहती है;

(ख) क्या सरकार ने रेलवे आरक्षण कोटे के मसले पर फिर से विचार शुरू करने की वांछनीयता की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) रतलाम में विभिन्न गाड़ियों के लिए आरक्षण कोटा पहले ही लागू है और आवधिक रूप से इनकी समीक्षा की जाती है ।

रेलवे बोर्ड कार्यालय में अनुसूचित जनजातियों के लिए कोटा

9781. **श्री भीखा भाई** : क्या **रेल मन्त्री** रेलवे बोर्ड कार्यालय में अनुसूचित जनजातियों के लिए कोटे के बारे में 5 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6532 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1974 से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित जिन अवर श्रेणी लिपिकों को पदोन्नत कर दिया गया उनको स्थायी नहीं किया गया है;

(ख) इन कर्मचारियों को किन-किन प्रशासनिक प्रतिबन्धों तथा अवरोधों का सामना करना पड़ेगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में रेलवे के निगरानी कार्यालय अथवा कार्मिक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं । 1971 और 1973 में भर्ती किए गए अनुसूचित जाति के तीन उम्मीदवारों सहित 25 निम्न श्रेणी को लिपिकों को सितम्बर, 1983 में स्थायी कर दिया गया था ।

(ख) चूंकि 10 वर्ष की सेवा के बाद स्थाई पेंशनीय लाभों का हकदार है, इसलिए जिस कर्मचारी का स्थायी पेंशनीय पद पर लियन नहीं होता वह 20 वर्ष की अन्यून अस्थाई सेवा करने के बाद पेंशनीय लाभों का हकदार होता है ।

(ग) संदर्भाधीन कर्मचारी स्थायी रिक्तियों के उपलब्ध होने पर स्थायी किये जायेंगे। स्थायीकरण से सम्बन्धित स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ।

विदेश भेजे गए सांस्कृतिक दल

9782. **श्री भीखा भाई** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1981-82 और 1983 के दौरान सांस्कृतिक प्रयोजनों से सांस्कृतिक दल विदेश भेजे गए थे;

(ख) क्या प्रत्येक दल/मंडली पर किए गए व्यय का कोई हिसाब नहीं रखा गया है;

(ग) इसमें चयन किए गए व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(घ) वे किन राज्यों के थे; और

(ङ) चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए थे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (ङ) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्कूली अध्यापकों के वेतनमानों को केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों के समकक्ष करना

9783. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने अपने स्कूल कायम किए हुए हैं;

(ख) क्या 1964 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दी विश्वविद्यालय के स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों के समकक्ष लाने का निर्णय किया था;

(ग) क्या 1974 में सरकार ने पूर्व प्रभावी तौर पर 1 जनवरी, 1971 से केन्द्रीय विद्यालयों में चयन ग्रेड लागू किया था जिसके अनुसार 20 प्रतिशत अध्यापकों को चयन ग्रेड में रखा गया था;

(घ) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1967 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को 1 जनवरी, 1973 से प्रभावी कर चयन ग्रेड का निदेश दिया था;

(ङ) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने इन निदेशों को कार्यान्वित किया है और क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अध्यापकों को चयन ग्रेड देने के लिए इसका कार्यान्वयन नहीं किया है यद्यपि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कार्यकारी समिति ने इसे कार्यान्वित करने के लिए 1977 में एक संकल्प पारित किया था; और

(च) उक्त निदेशों को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) तथा (ख) जी, हां ।

(ग) नवम्बर, 1971 में सरकार ने प्रभावी तौर पर 5 सितम्बर, 1971 से संघ शासित क्षेत्रों के स्कूलों तथा केन्द्रीय विद्यालयों में 15 प्रतिशत अध्यापकों के लिए चयन ग्रेड आरंभ करने का अपना निर्णय सूचित किया था। 1-1-1973 से चयन ग्रेड को प्रतिशतता को बढ़ा कर 20 करने के आधार के निर्णय से उनको, बाद में मार्च, 1976 में अवगत करा दिया गया था ।

(घ) अक्तूबर, 1976 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के अध्यापकों के सम्बन्ध में 1-1-1973 से 20 प्रतिशत चयन ग्रेड पदों के सृजन किए जाने का अपना निर्णय सूचित किया था ।

(ङ) तथा (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की पुर्ननियुक्ति

9784. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से कितने अध्यापक (विश्वविद्यालय-वार और फेकल्टी-वार) पुर्ननियुक्तियों पर काम कर रहे हैं और कब से ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पुनः नियुक्त अध्यापकों की संख्या संकायवार नीचे दी गई है :—

दिल्ली विश्वविद्यालय

विज्ञान	8
भाषा	7
कला	10
विधि	2
ललित कला	2
शिक्षा	2
वाणिज्य	1
कुल	32

हैदराबाद विश्वविद्यालय	
कला	3
कुल	3
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	
अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन	1
सामाजिक विज्ञान	2
भाषा	1
कुल	4
उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय	
शिक्षा	2
अन्य	4
़ल	6
विश्वभारती	
ललित कला	6
कला	5
विज्ञान	2
शिक्षा	3
भाषा	1
स्कूल	2
कुल	19
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	
अंग्रेजी विभाग	1
पोलिटेकनिक	1
कुल	2

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में इस अवधि के दौरान कोई भी अध्यापक पुनः नियुक्त नहीं किया गया था।

हज के लिए अनुमति दिए गए व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या

9785. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हज के पिछले पांच सीजनों और आने वाले हज "सीजन" के दौरान प्रत्येक राज्य से मक्का की तीर्थयात्रा पर जाने के लिए कितने (राज्य-वार) हाजियों को अनुमति दी गई;

(ख) "हज" तीर्थयात्रा पर जाने के लिए अन्य देशों द्वारा अपने कोटा में वृद्धि करने के बावजूद भारत द्वारा सऊदी अरब जाने वाले हाजियों के कोष में वृद्धि न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) चालू "सीजन" के दौरान जम्मू और कश्मीर के कोटा में कमी के क्या कारण हैं और यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति के कारण भारत से हाजियों का कोटा बढ़ाना संभव नहीं हो सका है।

(ग) वर्ष 1984 के लिए हज-यात्रियों का कुल कोटा 1983 के समान ही है। चूंकि इस वर्ष इन तीर्थयात्रियों के लिए केवल एक स्टीमर उपलब्ध है इसलिए समुद्र द्वारा यात्रा करने वाले सभी राज्यों के तीर्थयात्रियों के लिए कोटा कम किया गया है, जिसमें जम्मू और काश्मीर भी शामिल है। लेकिन वायुयान द्वारा यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सभी मामलों में कोटे को इस प्रकार बढ़ाया गया है कि तीर्थयात्रियों का कुल कोटा 21,000 रखा जा रहा है।

विवरण

	1979	1980	1981	1982	1983	1984
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	1450	1082	870	1196	1193	1231
असम आदि	650	1167	1167	1291	1288	1329
बिहार	1016	2334	1876	2580	2574	2655
गुजरात आदि	902	691	555	764	762	786

1	2	3	4	5	6	7
दिल्ली	276	81	65	89	89	92
जम्मू और काश्मीर	1232	1200	1150	1035	1032	1064
कर्नाटक	1408	957	769	1057	1055	1089
केरल/लक्षद्वीप	3407	1323	1070	1424	1421	1465
मध्य प्रदेश	481	559	450	617	616	636
महाराष्ट्र आदि	2159	1311	1054	1150	1446	1492
उड़ीसा	85	100	80	111	111	115
राजस्थान	693	546	439	604	602	621
तमिलनाडु	1247	655	527	724	722	745
उत्तर प्रदेश	3693	4203	3378	4646	4635	4780
पश्चिमी बंगाल आदि	915	2789	2242	3082	3075	3173
हरियाणा/पंजाब	दिल्ली के आंकड़ों में शामिल हैं	176	141	195	194	202
सरकार	454	550	585	630	680	525
कुल*	20068	19724	16418	21495	21495	22000

*इन आंकडों में समुद्री मार्ग और वायुयान मार्ग दोनों के यात्री शामिल हैं।

नालन्दा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करना

9786. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास नालन्दा जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों को पुनर्जीवित करने के लिए कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

युगोस्लाविया द्वारा भारत को जलपोतों की सप्लाई

9787. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युगोस्लाविया भारत को जलपोतों की सप्लाई करने को तैयार है;

(ख) यदि हां, तो युगोस्लाविया द्वारा कितने जलपोत सप्लाई किए जाएंगे;

(ग) इन जलपोतों की माल वाहन क्षमता कितनी है;

(घ) युगोस्लाविया को जलपोतों के बदले कितना लौह अयस्क सप्लाई किया जाएगा; और

(ङ) दोनों देशों के बीच हुए समझौते की शर्तों का ब्यौरा क्या है और दोनों पक्षों की ओर से इस पर किसने हस्ताक्षर किए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) युगोस्लाविया ने खाद्य तेल के छह टैंकर, जिनमें से प्रत्येक 25,000 डी० डब्लू० टी० का है और 12 बल्क कैरियर, जिनमें से प्रत्येक 40,000 डी० डब्ल्यू० टी० का है, सप्लाई करने की पेशकश की है।

(घ) यदि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो इन जहाजों की कीमत की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान कच्चा लोहा/भारतीय माल देकर किया जाएगा।

(ङ) दोनों देशों के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है।

वर्ष 1980-83 के दौरान खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत चलाए गए अभियोग

9788. **श्री के० ए० स्वामी** क्या : **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत वर्ष 1980-83 के दौरान कितने अभियोग चलाये गये हैं;

(ख) उनमें से कितने मामले दोषमुक्त कर दिये गये हैं;

(ग) उनमें से कितने मामलों में कैद तथा जुर्माना किया गया तथा इस संबंध में राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) कितनी अपीलें, यदि कोई हैं, लम्बित हैं और राज्य-वार उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :

(क) वर्ष 1980 से 1982 के दौरान दायर किए गये मुकदमों की कुल संख्या इस प्रकार है :

1980	17041
1981	16976
1982	15006

(ख) इन मुकदमों में जिन व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया उनकी कुल संख्या इस प्रकार है :

1980	4760
1981	4946
1982	5321

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	दोषसिद्धि मामलों की संख्या 1980	1981	1982
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	131	86	56
2.	असम	—	1	—
3.	बिहार	*	*	*
4.	गुजरात	355	178	75

1	2	3	4	5
5.	हरियाणा	416	527	651
6.	हिमाचल प्रदेश	286	153	82
7.	जम्मू और कश्मीर	370	36	23
8.	कर्नाटक	71	14	17
9.	केरल	143	151	84
10.	मध्य प्रदेश	910	745	509
11.	महाराष्ट्र	193	155	125
12.	मणिपुर	—	—	—
13.	मेघालय	6	14	*
14.	नागालैंड	—	—	—
15.	उड़ीसा	*	32	32
16.	पंजाब	178	151	164
17.	राजस्थान	549	438	300
18.	सिक्किम	**	**	—
19.	तमिलनाडु	725	681	521
20.	त्रिपुरा	—	2	—
21.	उत्तर प्रदेश	821	2334	853
22.	पश्चिम बंगाल	106	122	49
23.	अं० और नि० द्वीप समूह	—	*	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	**	**	**
25.	चंडीगढ़	84	45	80
26.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—
27.	दिल्ली	17	24	17

1	2	3	4	5
28.	गोआ दमन और दीव	7	3	—
29.	लक्षद्वीप	—	—	*
30.	पांडिचेरी	12	*	*
31.	मिजोरम	**	**	**

— शून्य सूचना

* अनुपलब्ध

** अधिनियम लागू नहीं

आदिवासी क्षेत्रों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग

9789. **श्री भीखाभाई :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग आदिवासी क्षेत्रों के कुल कितने क्षेत्र से होकर गुजरते हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : सम्भवतः माननीय सदस्य का प्रश्न आदिवासी क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में है। समयबद्ध सूचना विवरण में दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी० 8320/84]

प्रतीम को रेल लाइन द्वारा राजधानी से जोड़ा जाना और एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाना

9790. **श्रीमती ऊषा वर्मा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में प्रतीम को एक रेल लाइन द्वारा राजधानी से जोड़ने और एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह भी स्पष्टतः विदित नहीं है कि जिस स्थान को जोड़ने का प्रस्ताव है वह कहां पर है।

पश्चिम रेलवे के गोंडा-मैलानी-लखनऊ और गोंडा-मैलानी-बरेली सैक्शनों में चलाई गई रेलगाड़ियां

9791. **श्रीमती ऊषा वर्मा** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के गोंडा-मैलानी-लखनऊ और गोंडा-मैलानी-बरेली सैक्शनों में कोई नई रेल गाड़ी चलाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) वर्ष 1983-84 के दौरान इन खण्डों पर एक जोड़ी गाड़ी 201/202 मैलानी-सीतापुर सवारी गाड़ी आरम्भ की गई है। इसके अतिरिक्त, ग्रीष्मकालीन भीड़भाड़ को कम करने के लिए 93/94 गोंडा-मैलानी सवारी गाड़ी को बरेली तक, 61/62 सीतापुर-मैलानी सवारी गाड़ी को पीलीभीत तक और 25/26 मैलानी एक्सप्रेस को भी अस्थायी तौर पर काठगोदाम तक बढ़ा दिया गया है।

मेडिकल काउन्सिल बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को प्रतिनिधित्व देना

9792. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भारतीय मेडिकल काउन्सिल बोर्ड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कोई प्रतिनिधि नहीं है;

(ख) यदि हां, तो मेडिकल काउन्सिल बोर्ड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मेडिकल काउन्सिल बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद में विशेष प्रतिनिधित्व देने की व्याख्या नहीं है। तथापि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद में आठ सदस्यों को मनोनीत करते समय केन्द्रीय सरकार इस पर ध्यान देगी जिससे कि इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कम से कम एक प्रतिनिधि हो। इस

परिषद में अनुसूचित जाति का एक सदस्य पहले से ही है जो स्नातकोत्तर समिति का अध्यक्ष भी है।

खुर्दा रोड-पुरी रेलवे लाइन को दोहरा करना

9793. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में खुर्दा रोड और पुरी के बीच रेलवे लाइन को दोहरा करने की मांग लगातार की जाती रही है;

(ख) यदि हां, तो मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) खोरधा रोड और पुरी के बीच दोहरी लाइन बिछाने की मांग को प्राप्त हुई है, लेकिन खोरधा रोड-पुरी खंड पर यातायात की मात्रा को देखते हुए फिलहाल दोहरी लाइन बिछाने का औचित्य नहीं है। जब कभी यातायात बढ़ेगा तो इस प्रश्न की पुनरीक्षा की जाएगी।

जयपुर-क्योंझर रोड स्टेशन पर उपरि पुल

9794. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में जयपुर क्योंझर रोड स्टेशन पर एक उपरि तुल के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जाजपुर-क्योंझर रोड स्टेशन पर वर्तमान समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का एक प्रस्ताव पहले उड़ीसा राज्य सरकार ने भेजा था। रेलवे ने राज्य सरकार से कहा था कि अपने हिस्से की लागत और करार की अन्य मानक शर्तों के बारे में अपनी स्वीकृति दे। बहरहाल, तब उड़ीसा राज्य सरकार ने अपने 2-3-84 के पत्र संख्या 2078/टी/टी रेलवे/24/82 द्वारा सूचित किया है कि फिलहाल इस काम को शुरू करने की स्थिति में नहीं है।

तलचेर-संबलपुर रेल सम्पर्क के लिए भूमि का अधिग्रहण

9795. **श्री हरिहर सोरन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा में प्रस्तावित तलचेर-संबलपुर रेल सम्पर्क के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) उक्त भूमि अधिग्रहण कार्य के पूरा होने में कितना समय लगने की आशा है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) तलचेर-सम्बलपुर नयी बड़ी लाइन का निर्माण हाल ही में 1984-85 के बजट में अनुमोदित किया गया है। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए अवश्य कार्रवाई की जा रही है। भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा करने के लिए अभी लक्ष्य तारीख नियत नहीं की गई है और यथासमय राज्य सरकार से परामर्श करके तय की जायेगी।

"मलेरिया मिनेस आन दि राईज" शीर्षक से समाचार

9796. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान दिनांक 17 अप्रैल, 1984 "इंडियन के एक्सप्रैस" में "मलेरिया मिनेस आन दि राईज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में तथा देश के अन्य स्थानों पर मलेरिया महामारी की रोकथाम करने के लिए सरकार द्वारा उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या मलेरिया कर्मचारियों को इस प्रकार के कोई अनुदेश हैं कि वे घर-घर जाकर रक्त के नमूने लें और यदि नहीं, तो क्या कर्मचारियों को ऐसा करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) सरकार ने यह समाचार देख लिया है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से 31-3-1984 तक मिली सूचना के अनुसार 47063 व्यक्ति मलेरिया से बीमार हुए जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से 55450 लोगों के मलेरिया से पीड़ित होने की सूचना मिली थी। इस प्रकार इस वर्ष राजधानी में मलेरिया की घटनाओं में मामूली-सी बढ़ोतरी हुई है।

देश में मलेरिया रोग पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाये जा रहे हैं :—

(1) बुखार वाले रोगियों का पता लगाने, रक्त लेप एकत्र करने तथा सम्भावित इलाज करने के लिए निगरानी कार्यकर्ता द्वारा इस पखवाड़े प्रत्येक गांव का दौरा किया जाता है।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थिति प्रयोगशालाएं बुखार वाले रोगियों के रक्त लेपों की तत्काल जांच करती हैं और जिन रोगियों को मलेरिया होता है उनका रेडिकल उपचार किया जाता है।

(3) औषध वितरण केन्द्र और ज्वर उपचार डिपो गांवों में काम कर रहे हैं ताकि बुखार वाले रोगियों को समय खोये बिना दवा उपलब्ध की जा सके।

(4) जिन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष एक हजार लोगों के पीछे दो या इससे अधिक रोगी पाये जाते हैं, उन सभी में कीटनाशी छिड़काव किया जाता है।

(5) इसके अतिरिक्त, पी० फाल्सीपरम संक्रमण को, जिसके कारण प्रमस्तिष्कीय मलेरिया होता है, फैलने से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन/स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी की सहायता से देश के रोगग्रस्त इलाकों में पी० फाल्सीपरम नियन्त्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

राजधानी में मलेरिया के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से स्थानीय प्राधिकरण निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं :—

(1) हर सप्ताह नगरीय क्षेत्रों में मच्छर लार्वा-नाशी तेल फैंथियान, पायरोसीन आयल टेम्सफास, पेरिस्ग्रीन का इस्तेमाल कर लार्वारोधी कार्य करना।

(2) राजधानी के ग्रामीण क्षेत्रों और निर्माण कार्य स्थलों पर मजदूरी की झोंपड़ियों तथा झुग्गी-झोंपड़ियों में बी० एच० सी० कीटनाशी दवाओं का तीन बार छिड़काव करना।

(3) जिन घरों में मलेरिया के पाजिटिव रोगी पाये जाते हैं, उनके अन्दर या उनके आस-पास पाइरेथम की फोकल स्प्रे करना।

(4) टिफा फागिंग मशीनों वाली गाड़ियों से 5 प्रतिशत मैलेथियन का समय-समय पर धुआं छोड़ना।

(5) लार्वानाशक मछली के जरिए जैविक नियंत्रण करना। इसके अतिरिक्त दिल्ली में रक्त लेप लेने/जांच करने और बुखार वाले मलेरिया रोगियों का इलाज करने के लिए 126 मलेरिया क्लीनिक, 219 ज्वर उपचार डिपो तथा 551 औषध वितरण केन्द्र काम कर रहे हैं।

राजधानी में मलेरिया के प्रकोप की समीक्षा करने के लिए मुख्य सचिव/स्वास्थ्य सचिव, दिल्ली प्रशासन की अध्यक्षता में पाक्षिक बैठकें भी बुलाई जाती हैं।

संशोधित कार्य योजना में यह व्यवस्था है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया रोगियों का पता लगाने के लिए नियमित पखवाड़ों का आयोजन किया जाए। लेकिन नगरीय क्षेत्रों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां स्थानीय निकायों/ज्वर उपचार डिपुओं, औषधालयों आदि द्वारा परोक्ष निगरानी की जाती है।

आयुर्वेदिक फर्मों द्वारा मानकीकृत उत्पाद

9797. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार कितनी फर्म मानकीकृत उत्पाद तैयार कर रही हैं;

(ख) उनमें से कितनी फर्मों के पास मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक संस्थाओं से प्राप्त मानकीकृत तरीके अथवा परामर्श उपलब्ध हैं, इन फर्मों के नाम क्या हैं तथा इन संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनसे परामर्श मांगा गया है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इन कार्यों को प्रोत्साहित किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) पहली अप्रैल, 1983 की स्थिति के अनुसार आयुर्वेदिक/सिद्ध/यूनानी औषधियों का निर्माण और बिक्री के लिए औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के अधीन 4,614 लाइसेंस प्राप्त फर्म हैं।

राज्य-वार आकड़ों का विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के नियम 157 के आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण सक्षम तकनीकी स्टाफ के निदेशन और पर्यवेक्षण के अधीन करना होता है। परामर्शदायी सेवाएं प्राप्त करने के लिए कोई प्रतिबंध अथवा विनियम नहीं है। वैसे निर्माताओं को समय-समय पर यथासंशोधित औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट आयुर्वेद के प्रमाणिक पुस्तकों में निर्माण के लिए निर्धारित तौर-तरीकों को अपनाया होता है अथवा राज्य औषध नियत्रंकों द्वारा विशेष रूप से स्वामित्व वाले नुस्खों के लिए दिये गये लाइसेंस के अनुसार तैयार करना होता है।

विवरण

1-4-1983 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में आयुर्वेदिक सिद्ध/यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के लिए दिये गये लाइसेंसों की संख्या :

1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	185
2.	असम	—
3.	बिहार	221
4.	गुजरात	399
5.	हरियाणा	59
6.	हिमाचल प्रदेश	—
7.	जम्मू और कश्मीर	—
8.	कर्नाटक	127
9.	केरल	450
10.	मध्य प्रदेश	169
11.	महाराष्ट्र	757
12.	मणिपुर	—
13.	मेघालय	—
14.	नागालैंड	—
15.	उड़ीसा	54
16.	पंजाब	95
17.	राजस्थान	239
18.	सिक्किम	—
19.	तमिलनाडु	312
20.	त्रिपुरा	—

1	2	3
21.	उत्तर प्रदेश	868
22.	पश्चिम बंगाल	571
23.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	—
25.	चंडीगढ़	1
26.	दादर व नगर हवेली	—
27.	दिल्ली	101
28.	गोवा, दमन व द्वीप	—
29.	लक्षद्वीप	—
30.	मिजोरम	—
31.	पांडिचेरी	6
	योग :	4614

1-4-1982 की स्थिति के अनुसार आंकड़े।

उड़ीसा में केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त स्वास्थ्य परियोजनाएं

9799. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में छठी योजनावधि के दौरान केन्द्र द्वारा सहायता से कितनी स्वास्थ्य परियोजनायें क्रियान्वित की गई हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : छठी योजना (1980-85) में, उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित केन्द्र प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं को कार्यान्वित किया गया है :—

1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम
2. राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम
3. राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम

4. क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम
5. दृष्टहीनता निवारण एवं नियंत्रण
6. बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण
7. जड़ी-बूटी उद्यानों सहित भारतीय चिकित्सा पद्धति फार्मेसी का विकास
8. भारतीय चिकित्सा पद्धति में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा
9. चिकित्सा शिक्षा को समयानुकूल बनाना ।
10. जन स्वास्थ्य रक्षक योजना (केन्द्र से शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता के आधार पर 1982-83 से परिवार कल्याण क्षेत्र को स्थानांतरित)
11. परिवार कल्याण कार्यक्रम ।

उड़ीसा में रेल लाइन का विद्युतीकरण

9800. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में कुल कितने किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) उड़ीसा में शेष कितने किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण होना है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) छठी योजना में उड़ीसा में विद्युतीकरण के अन्तर्गत लायी गयी रेलवे लाइन कुल 159 मार्ग किलोमीटर है ।

(ख) इस समय उड़ीसा में और अधिक विद्युतीकरण शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कर्मचारी संघ का पत्र

9801. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद प्रशासनिक कर्मचारी संघ का दिनांक 26 मार्च, 1984 का पत्र मिला है;

(ख) यदि हां, तो उनके पत्र में मुख्य मांगें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने, संघ द्वारा 30 मार्च, 1983 को पेश किए गए मांग पत्र के संबंध में वर्ष 1983 में संघ के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी;

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि जब से उन्होंने मांग-पत्र प्रस्तुत किया था तब से लगभग एक वर्ष का समय हो गया है;

(ङ) क्या उपरोक्त संगठन की योजना, उनके मांगों का समाधान न होने की स्थिति में शांतिपूर्ण आंदोलन करने की है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने मांगों पर विचार-विमर्श और समाधान करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य मांगें इस प्रकार हैं :—

1. समय मान पदोन्नति अर्थात पांच वर्ष बाद अपने आप आगे का वेतन मान दिया जाए।

2. मकान किराया 25 प्रतिशत दिया जाए, जैसा पहले दिया जा रहा था।

3. 80 प्रतिशत 20 प्रतिशत की रेशो लागू की जाए। जैसे कि डाइरेक्टोरेट आफ औडिट में स्वीकार हुआ है।

4. कन्वर्शण (रूपांतरण) की मांग जो संघ ने पहले कर रखी है उसको स्वीकार किया जाये अन्यथा किसी भी पद में कन्वर्शण न की जाए।

5. भर्ती नियम सबके लिए एक जैसी हों, अर्थात 75 प्रतिशत सीनियार्टी से तथा 25 प्रतिशत परीक्षा द्वारा।

6. डेलीबेजर कर्मचारियों को स्थाई किया जाए।

7. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा चालकों की वर्दी संघ की मांग के अनुसार दी जाए।

(ग) इस आशय को दर्शाने वाला कोई रिकार्ड नहीं है कि 30-3-1983 को अपना मांग-पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद संघ के प्रतिनिधियों से कोई बातचीत हुई।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एक स्वायत्त संगठन है। संघ की मांगों पर उनके द्वारा विचार किया जाना है तथा उन्हें निपटाया जाना है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद प्रशासनिक कर्मचारी संघ से प्राप्त हुए पत्र के अनुसार उन्हें 26-3 1984 से शांतिपूर्ण आंदोलन करने का निर्णय किया था। संघ ने अपना आंदोलन 28-3-1984 से किया। तथापि, रा० शै० अनु० प्र० परिषद के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत के परिणामस्वरूप आंदोलन 4-4-84 को वापिस ले लिया गया था।

नई दिल्ली नगर पालिका की डिस्पेंसरी (एलोपैथिक) के लिए अपर्याप्त स्थान

9802. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पार्लियामेंट स्ट्रीट में नई दिल्ली नगर पालिका की डिस्पेंसरी (एलोपैथिक) एक छोटे से कमरे में चल रही है और इसमें आवश्यक औषधियों का अभाव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त डिस्पेंसरी को इसी भवन में नई दिल्ली नगर पालिका की अन्य डिस्पेंसरी की तरह पर्याप्त स्थान देने और पर्याप्त मात्रा में आवश्यक औषधियां उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि वे पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित अपने औषधालय (एलोपैथिक) में अधिक स्थान की व्यवस्था करने के लिए उपाय कर रहे हैं। इस औषधालय में अनिवार्य औषधियों की कोई कमी नहीं है।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रधान मन्त्री के निदेश की अवज्ञा

9803. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय को प्रधान मन्त्री के इस निदेश की अवज्ञा करते पाया गया है कि सेवा काल को बढ़ाने में उदारता तथा सेवा-निवृत्त व्यक्तियों के पुन: नियोजन की प्रवृत्ति को तुरन्त रोका जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो प्रधान मंत्री के निदेश को कार्यान्वित कराने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिनियम, सांविधियों और अध्यादेशों में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों और गैर-शिक्षण स्टाफ का सेवा काल बढ़ाने अथवा

पुनः रोजगार के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि, विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में यह व्यवस्था है कि किसी भी विख्यात अध्यापक को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, कुल मिलाकर अधिक से अधिक पांच वर्ष की अवधि के लिए पुनः रोजगार दिया जा सकता है किन्तु यह उसको 65 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद नहीं दिया जा सकता। विश्वविद्यालय के अनुसार शिक्षकों के पुनः रोजगार के सभी मामले विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उच्च शैक्षिक स्तरों को ध्यान में रखकर तय किए जाते हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों आदि के पदों पर सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद अधिकारियों की सेवा अवधि बढ़ाने/पुनः रोजगार से सम्बन्धित प्रधान मन्त्री के निर्देश सूचना और कार्यान्वियन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के ध्यान में ला दिए गए थे।

इतिहास की पुस्तकों में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाना

9804. **श्री अब्दुल रशीद काबुली** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इतिहास की पुस्तकों में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने, जो धर्मान्धता और बहुसंख्यक समुदाय में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध आक्रोश को बढ़ावा देते हैं और स्कूल, कालेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली युवा पीढ़ी के दिमाग में जहर भरते हैं, से मुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इतिहास और भाषा की स्कूली पाठ्य-पुस्तकों का मूल्यांकन करने के लिए सरकार ने एक कार्यक्रम आरम्भ किया है। पाठ्य-पुस्तकों की समीक्षा निम्नलिखित पूर्वाग्रहों और प्रोवृत्तियों को ध्यान में रखकर की जाती हैं:—

(1) साम्प्रदायिकता

(2) जातिवाद और छुआछूत

(3) क्षेत्रीयता और भाषावाद

(4) प्रजातिवाद

(5) रूढ़िवाद और अंधविश्वास

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने पाठ्य-पुस्तकों के मूल्यांकन का कार्यक्रम आरम्भ किया है जो विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वित किया जा रहा है।

कालेज स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने फरवरी, 1982 में सभी विश्वविद्यालयों को मार्गदर्शी रेखाएं परिचालित की थीं जिनमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वे इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पाठ्य-पुस्तकों का मूल्यांकन करें कि इस प्रकार की पुस्तकों में कोई ऐसी सामग्री न हो जिससे विभिन्न सम्प्रदायों में असामंजस्य पैदा हो।

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड द्वारा एक टेस्टिंग मशीन की खरीद

9805. **श्री राजेश कुमार सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड ने अत्यधिक ऊंची दर पर लगभग 35 लाख रुपए की एक टेस्टिंग मशीन स्थानीय रूप से खरीदी है, जबकि इस प्रकार की मशीन उसके आधे मूल्य पर खरीदी जा सकती है; और

(ख) क्या यह सच है कि यह खरीद बहुत जल्दी में की गई थी ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड ने बताया है कि उन्होंने 36.70 लाख रुपए की कीमत की एक इलेक्ट्रोनिक टेस्टिंग मशीन खरीदी थी। यह खरीद काफी सोच-विचार के बाद की गई थी और इस सम्बन्ध में बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की मंजूरी ली गई थी।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कार्यकरण पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिवेदन

9806. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की जांच करने के लिए गठित समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में उसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनको क्रियान्वित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की सिफारिशों के ब्यौरे रिपोर्ट में दिए गए हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में सदस्यों के प्रयोग तथा संदर्भ के लिए रखी गई हैं।

(ग) रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड द्वारा प्रबंध निदेशक तथा वित्तीय सलाहकार के बिना कार्य करना

9807. **स्वामी इन्द्रवेश :**
श्री कमला मिश्र मधुकर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड में कुछ वर्षों तक प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई;

(ख) क्या उसके परिणामस्वरूप एकक का पूरा प्रशासन अस्त-व्यस्त है; और

(ग) क्या कम्पनी के वित्तीय सलाहकार की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं और कम्पनी पिछले दो वर्षों से बिना वित्तीय सलाहकार के कार्य कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड का अध्यक्ष अप्रैल, 1982 से इसके प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्य कर रहा है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वित्तीय सलाहकार की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं. वैसे यह मामला न्यायाधीन है ।

उच्च शिक्षा के गिरते हुए मूल्य

9808. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च शिक्षा में गिरते हुए मूल्यों को रोकने के लिए कोई उपाय किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मूल्योन्मुख उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक उपायों पर विचार कर रहा है। इसमें मूल्योन्मुख पुस्तकों का निर्माण और चुनिन्दा विषयों पर पत्तन सामग्री तैयार करना, मूल्यपरक फिल्मों, कैसेट-टेपों आदि का निर्माण और मूल्योन्मुख शिक्षा से सम्बन्धित बुलेटिन का प्रकाशन शामिल है। इसके अतिरिक्त, अवर स्नातक शिक्षा के पुनर्गठन के कार्यक्रम में, छात्रों को स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास की मौलिक जानकारी, हमारी सांस्कृतिक

विरासत, विज्ञान का विकास और विचारों के विकास आदि की जानकारी देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को बुनियादी पाठ्यक्रम शामिल करने की सिफारिश की है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अशांति

9809. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यालयों का बहिष्कार करने के कारण जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अशांति जारी है (टाइम्स ऑफ इण्डिया दिनांक 7 फरवरी, 1984) और क्या वर्तमान वाइस चांसलर द्वारा पद भार संभालने से लेकर इस प्रकार की व्यापक अशांति के कारणों का सरकार द्वारा पता लगाया गया है और यदि हां, तो सरकारी मूल्यांकन के क्या प्रमुख मुद्दे हैं; और

(ख) क्या उनका इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, छात्रों तथा वाइस चांसलर संकाय के प्रतिनिधियों को आमने-सामने बातचीत के लिए बुलाने और इस समस्या को हल करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी नहीं। तथापि, फरवरी, 1984 के प्रारंभ में एक मामूली घटना हुई थी जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के एक पदधारी को कार्यकारी परिषद द्वारा तैयार किए गए कार्य संचालन के मानदण्डों का उल्लंघन करने के लिये निलंबित किया गया था। इस अनुसरण में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का एक वर्ग 3 से 8 फरवरी, 1984 तक कार्य से गैर-हाजिर रहा। बाद में, कर्मचारी संघ ने एक लिखित आश्वासन दिया कि वह मानदण्डों का अनुपालन करेगा और इस आश्वासन के आधार पर निलम्बन आदेश वापिस ले लिया गया था।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में तृतीय श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत पदोन्नतियां

9810. **श्री नारायण चौबे** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समझौते और नियम के अनुसार बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में 1971 से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से 13 प्रतिशत कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी में पदोन्नत किया जाएगा;

(ख) क्या 1982 से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से 20 प्रतिशत कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी में पदोन्नत किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या उपरोक्त समझौते को लागू कर दिया गया है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के उपयुक्त कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए अवर श्रेणी लिपिक के पदों में रिक्तियों के 10 प्रतिशत आरक्षण का अनुमोदन कार्यकारी परिषद् ने अगस्त, 1978 में किया था। अप्रैल, 1982 में यह प्रतिशतता 20 प्रतिशत तक संशोधित कर दी गई थी।

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता का पालन किया जा रहा है।

"ट्राइबल कल्चर नोट प्रोटेक्टेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

9811. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान हैदराबाद से प्रकाशत होने वाले 16 फरवरी, 1984 के "डेली न्यूजटाईम" में "ट्राइबल कल्चर नोट प्रोटेक्टेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने भारत में विभिन्न आदिवासी समूहों की संस्कृति की सुरक्षा और संवर्धन के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) देश में विभिन्न राज्यों में आदिवासी भाषा केन्द्रों और इस प्रयोजन के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जनजातीय कला और संस्कृति के परिरक्षण और प्रोन्नति के लिए संस्कृति विभाग और इसके संगठनों द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।

संगीत नाटक अकादमी ने लोक और परम्परागत कलाओं सहित कलाओं के परिरक्षण और प्रोन्नति की एक उपयुक्त योजना भी आरम्भ की है। भारत में संगीत समारोहों के आयोजन की उनकी योजना से देश के विभिन्न ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में समारोहों को सहायता प्रदान करके लोक अभिनय कलाओं को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अतिरिक्त जनजातीय/ग्रामीण और अन्य

लोक कलाओं के परिरक्षण और प्रोन्नति में कार्यरत संस्थाओं को उनके कार्यकलापों में सहायता प्रदान करने के लिए अनुदान दिए जाते हैं। लोक और परम्परागत कलाओं के दुर्लभ स्वरूपों को प्रोन्नति करने के लिए अकादमी अधिछात्रवृत्ति की योजना कार्यान्वित करती है, जिसके अंतर्गत उन गुरुओं को, जिन्होंने इन स्वरूपों में ख्याति प्राप्त कर ली है, चुने हुए शिष्यों को अपनी कलाओं में शिक्षा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। शिष्यों को वजीफे भी दिये जाते हैं।

नृत्य, नाटक और थिएटर मण्डलियों को वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत, संस्कृति विभाग ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित कलाओं सहित परम्परागत कलाओं के क्षेत्र में अभिनय दलों को अनुदान देता है।

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर जो शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय को एक अधीनस्थ कार्यालय है, जन-जातीय भाषाओं के विस्तृत भाषाई अध्ययन में लगा हुआ है। इसने भाषाई वर्णन और सामग्री उत्पदान के लिए 52 जन-जातीय भाषाओं/बोलियों का पता लगाया है।

भारत सरकार के अन्तर्गत अथवा राज्य सरकार के जनजातीय विकास विभाग के अन्तर्गत कोई जनजातीय भाषा केन्द्र अलग से नहीं है। तथापि, कुछ राज्यों में कुछ जनजातीय अनुसंधान संस्थान अनुसंधान, मूल्यांकन और प्रशिक्षण जैसे जनजातीय विकास के अन्य नियमित कार्य के अलावा जनजातीय भाषा के पहलुओं की देखभाल करता है।

विश्वविद्यालयों और कालेजों में फिल्म सोसाइटियों का खोला जाना

9812. **श्री निहाल सिंह** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और उनके अधीनस्थ कालेजों में फिल्म सोसाइटियों के खोले जाने सम्बन्धी योजना को पुनर्जीवित करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) किन-किन बिश्वविद्यालयों और कालेजों में ये सोसाइटियां खोले जाने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) आयोग ने फिल्म क्लबों के क्रियाकलापों का स्वरूप तथा उनके द्वारा आरंभ की जाने वाली फिल्म की जानकारी संबंधी पाठ्यक्रमों के ब्यौरे तैयार करने और उनके कार्यकलापों का निरीक्षण करने के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार करने के लिए समिति नियुक्त की है। समिति का कार्य चल रहा है।

(ख) इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निम्नलिखित 21 संस्थाओं का पता लगाया गया है :—

1. काश्मीर विश्वविद्यालय
2. पंजाब विश्वविद्यालय
3. जामिया मिलिया विश्वविद्यालय
4. इलाहाबाद विश्वविद्यालय
5. रांची विश्वविद्यालय
6. जादवपुर विश्वविद्यालय
7. उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय
8. डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय
9. उत्कल विश्वविद्यालय
10. भोपाल विश्वविद्यालय
11. आन्ध्र विश्वविद्यालय
12. हैदराबाद विश्वविद्यालय
13. अन्नामलाई विश्वविद्यालय
14. कालीकट विश्वविद्यालय
15. मंगलौर विश्वविद्यालय
16. एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय
17. राजस्थान विश्वविद्यालय
18. सरदार पटेल विश्वविद्यालय
19. पूना विश्वविद्यालय
20. डी० एम० कालेज, इम्फाल
21. अमरीकन कालेज, मदुरै

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सेवा मुक्त (इमेरिट्स) प्रोफेसरों की पुर्ननियुक्ति/नियुक्ति

9813. **श्री ए० नीललोहितदसन नाडार** : क्या **शिक्षा और संस्कृत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1980 से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सेवामुक्त (इमेरिट्स) प्रोफेसरों की पुर्ननियुक्ति/नियुक्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) किस प्रक्रिया और मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन किया गया; और

(ग) किन-किन व्यक्तियों की नियुक्ति की गई और उनकी अर्हताएं क्या हैं तथा उनकी नियुक्ति की शर्तें क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार प्रोफेसर इमेरिट्स की उपाधि निम्नलिखित विशिष्ट अध्येताओं को प्रदान की गई है जो विश्वविद्यालय से सेवा-निवृत्त हो चुके हैं :—

अध्येता का नाम	अर्हता
(i) प्रोफसर अबरत मुस्तफा खान	एम० एस० सी०, पी० एच० डी० (मिन) एफ० एन० ए०
(ii) प्रोफेसर (कल०) एम० ताजुद्दीन	एम० बी० बी० एस०, एम० डी० डी० टी० एम० और एच०
(iii) प्रोफेसर एस० नूरूल हसन	एम० ए० (इलाहाबाद) डी० फिल (आक्सन) एफ० आर० इतिहास एस०, एफ० आर० ए० एस० (लंदन)
(iv) प्रोफेसर (कु०) हमीदा सईदुज्जफर	एम० बी० बी० एस०,एम० एस० (नेत्र विज्ञान), डी० ओ० एम० एस० (लन्दन), पी० एच० डी० (नेत्रविज्ञान) (लंदन)

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन), अधिनियम 1981 की धारा 5(4) में विश्वविद्यालय को विशिष्ट अध्येताओं को सम्मानार्थ डिग्रियां तथा अन्य उपाधियां देने का अधिकार दिया गया है।

राज्यों द्वारा नसबन्दी संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति

9814. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्यों के लिये नसबन्दी संबंधी लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों ने जोर-जबरदस्ती के ढंग अपनाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है तथा कितने व्यक्तियों, पृथक-पृथक रूप से पुरुषों और महिलाओं की राज्यवार नसबन्दी की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम को पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है। 1983-84 के दौरान नसबंदी आपरेशन के लक्ष्यों और उपलब्धियों की सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1983-84 के लिए नसबन्दी के लक्ष्यों तथा 1983-84 के दौरान किये गये पुरुष नसबन्दी, महिला नसबन्दी तथा कुल नसबन्दी आपरेशनों की संख्या का विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र/एजेंसी	1983-84 के लिए नसबंदी आपरेशनों के लक्ष्य (हजारों में)	पुरुष नसबंदी	महिला नसबंदी	उन मामलों की संख्या जिनका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है	कुल नसबंदी आपरेशन
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	530	32,439	324,803	—	357,242
2.	असम	125	64,503	33,470	20,770	118,743
3.	बिहार	571	35,242	360,740	—	395,982

1	2	3	4	5	6	7
4.	गुजरात	284	36,841	198,853	—	235,694
5.	हरियाणा	108	6,739	95,150	—	101,889
6.	हिमाचल प्रदेश	36	7,275	26,527	22	33,824
7.	जम्मू व काश्मीर	48	3,129	20,338	—	23,467
8.	कर्नाटक	417	4,996	235,197	—	240,193
9.	केरल	190	19,454	153,949	—	173,403
10.	मध्य प्रदेश	522	25,341	264,769	39,820	329,930
11.	महाराष्ट्र	501	126,913	365,009	138,078	630,000
12.	मणिपुर	13	2,055	2,950	688	5,693
13.	मेघालय	11	13*	395*	—	408*
14.	नागालैंड	0.4	4*	110*	—	114*
15.	उड़ीसा	238	16,048	158,112	—	174,160
16.	पंजाब	129	8,701	99,389	32,156	140,246
17.	राजस्थान	294	5,053	123,870	54,587	183,510
18.	सिक्किम	1	165	311	—	476
19.	तमिलनाडु	399	23,589	472,935	—	496,524
20.	त्रिपुरा	14	2,714*	925*	—	3,639*
21.	उत्तर प्रदेश	849	9,212	368,203	—	377,415
22.	पश्चिम बंगाल	488	76,666	278,692	—	355,358
23.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	219	945	—	1,164
24.	अरुणाचल प्रदेश	0.4	39	298	—	337
25.	चण्डीगढ़	4	702	2,615	—	3,317
26.	दादरा व नगर हवेली	·1	360	1,063	—	1,423

1	2	3	4	5	6	7
27.	दिल्ली	26	3,502	20,816	2,682	27,000
28.	गोवा, दमन व द्वीप	10	23	4,198	—	4,221
29.	लक्षद्वीप	1	47	12	—	59
30.	मिजोरम	3	43	2,299	—	2,342
31.	पांडिचेरी	4	364	5,484	12	5,860
32.	रक्षा मंत्रालय	30	7,868	12,394	—	20,262
33.	रेलवे मंत्रालय	52	2,420	17,006	2,848	22,274
	अखिल भारतीय	5,900	522,679	3,651,827	291,663	4,466,169

*आंकड़े फरवरी 1984 तक के हैं।

आंकड़े अनन्तिम हैं।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता

9815. **प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लम्बे समय से व्यापप्त अनुशासनहीनता को समाप्त करने के लिए कुछ कदम उठाने हेतु अभ्यावेदन मिला है;

(ख) वर्तमान छात्र संगठन में सुधार होने तक दाखिले बंद करने के लिए दिए गए सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या सामान्य निदेश जारी किए जा रहे हैं कि विश्वविद्यालय का वातावरण उस राजनीति से मुक्त हो जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता और अराजकता के जारी रहने का मूल कारण लगता है; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विश्वविद्यालय परिषद् से लापरवाही और उच्छृंखलता समाप्त हो, क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां। इस आशय के सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(ख) सरकार के पास, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिला बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) तथा (घ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण के पुनरीक्षण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुशासन की सामान्य स्थिति तथा समय-समय पर होने वाली गड़बड़ियों के कारणों की जांच की है। समिति ने, परिसरों को राजनीति से मुक्त करने सहित स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ उपायों की सिफारिश की है। सिफारिशों के ब्यौरे रिपोर्ट में उपलब्ध हैं, जिसकी प्रतियां, सदस्यों के प्रयोग तथा संदर्भ के लिए संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं। सरकार से इन सिफारिशों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है ।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य की देख-रेख सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था

9816. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल राज्य में स्वास्थ्य की देख-रेख संबंधी कौन-कौन-सी विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था की गई है; और

(ख) उन योजनाओं में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा पश्चिम बंगाल राज्य को चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष-वार इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) पश्चिम बंगाल राज्य में चालू छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान निम्नलिखित केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं चलाई जा रही हैं :—

1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ।
2. फारलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम ।
3. कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम ।
4. क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम ।
5. दृष्टिहीनता निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम ।
6. भारतीय चिकित्सा पद्धति में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण विभाग और अनुसंधान केन्द्रों का दर्जा बढ़ाना ।

7. जड़ी-बूटी उद्यानों और औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं सहित भारतीय चिकित्सा पद्धति की फार्मेसियों का विकास ।

8. चिकित्सा शिक्षा को समयानुकूल बनाना ।

9. जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता ।

10. बहु-उद्देश्यीय कार्यकर्ता ।

11. परिवार कल्याण कार्यकर्ता ।

(ख) पश्चिम बंगाल में विभिन्न केन्द्रीय - प्रायोजित योजनाओं के बारे में वर्ष-वार दो विवरण :—

1. पश्चिम बंगाल में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों का विवरण; और

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8321/84]

2. छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान आबंटन और वास्तविक खर्च का विवरण संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8321/84]

नाबालिग लड़कियां बंधुवा वेश्याएं

9817. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **समाज कल्याण मन्त्री** वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में 9 अप्रैल, 1984 के "स्टेट्समैन" में माइनर गर्ल्स बान्डेड प्रोस्टीट्यूटस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में हिजड़ों द्वारा नाबालिग लड़कियों को बंधुआ वेश्याओं के रूप में बंद करके रखा जाता है;

(ग) एक स्वतन्त्र पत्रकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में किन राज्यों के विरुद्ध याचिका दायर की गई है;

(घ) क्या सरकार नाबालिग लड़कियों की वेश्यावृत्ति और छोटे लड़कों के बधियाकरण की रिपोर्टों के बारे में कोई जांच करवायेगी और ऐसे मामलों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी; और

(ङ) सरकार का विचार इन शर्मनाक गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों से सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) और (घ) बम्बई की एक स्वच्छन्द (फ्री लान्स) पत्रकार कुमारी शीला बर्से ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के विरुद्ध एक सिविल रिट याचिका संख्या 608/84 दावर की है। उपर्युक्त रिट सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन है।

(ङ) नाबालिगों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने वाले स्थायी कानूनों के उपबन्धों के अतिरिक्त स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक पणन दमन अधिनियम, 1956 (1978 में यथासंशोधित) के तहत वैश्यावृत्ति के लिए स्त्रियों और लड़कियों का उपयोग करना निषेध है। अधिनियम में अनैतिक पणन को, वैश्यालयों को समाप्त करने और अन्य प्रकार के बाजारू कुधन्धों को बन्द करने के लिए क्रमबद्ध उपाय करने की व्यवस्था है। इसके अलावा, अधिनियम का आशय अपहरण, बिक्री, भगा कर ले जाने, प्रलोभन देकर ले जाने तथा अवैध काम करवाने के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों को सशक्त बनाना है। तथापि अधिनियम को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। अधिनियम के प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से लिखा-पढ़ी कर रही है।

पूर्वोत्तर रेलवे में पदों का भरा जाना

9818. **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में सेवानिवृत्त के कारण होने वाले रिक्त स्थानों की समय पर सूचना दी जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस चूक के कारण मुजफ्फरपुर रेलवे सेवा आयोग द्वारा अक्तूबर, 1982 में ली गयी परीक्षा में सफल हुए काफी उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं हो सकी;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय करने का है; और

(घ) यदि (क) भाग का उत्तर नकारात्मक है तो पूर्वोत्तर रेलवे में गत तीन वर्षों के दौरान कितने लोग सेवानिवृत्त हुए तथा इस प्रकार रिक्त हुए स्थानों को भरने के लिए कितने रिक्त स्थानों की सूचना दी गई ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पत्तन और गोदी श्रमिकों की हड़ताल का अखबारी कागज की ढुलाई पर असर

9819. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :**
श्री मनोहर लाल सैनी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री भीम सिंह :

क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोदी श्रमिकों की हड़ताल के कारण अखबारी कागज की ढुलाई में बाधा पड़ी है;

(ख) क्या बाजार में अखबारी कागज की अनुपलब्धता के कारण प्रकाशन कार्य में भारी कठिनाई महसूस की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं ?

(घ) क्या इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) पत्तन और गोदी श्रमिकों की हाल की हड़ताल के दौरान जहाजों से अखबारी कागज नहीं उतारा जा सका, परन्तु इसके कारण किसी समाचार पत्र-पत्रिका के प्रकाशन के बन्द किये जाने की कोई सूचना सरकार को नहीं मिली है ।

(घ) और (ङ) सरकार ने अखबारी कागज की कमी को पूरा करने के लिए उपाय किये हैं । इसमें कुछ इस प्रकार हैं :—

(1) अखबारी कागज ढोने वाले जहाजों को पत्तनों में प्राथमिकता के आधार पर घाट पर लगने देना ।

(2) बांगलादेश से मौजूदा 75 टन प्रतिदिन की दर से आने वाले अखबारी कागजों की मात्रा को बढ़ाकर 150 टन प्रतिदिन या यदि संभव हो तो इससे भी अधिक करने के लिए राज्य व्यापार निगम से कहा गया है । राज्य व्यापार निगम से यह भी कहा गया है कि 1984-85 के पहले छमाही में 25,000 टन प्रतिमास की दर से अखबारी कागजों के आयात को सुनिश्चित करें ।

(3) आने वाले महीने में अपनी तीनों घरेलू मिलों से अधिकतम उत्पादन की प्राप्ति के विशेष प्रयास करने को कहा गया है । इन तीनों मिलों में अधिकतम उत्पादन की प्राप्ति के लिए

सभी सम्बन्धित एजेंसियों से अनुरोध किया गया है। जिससे अखबारी कागज की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के कर्मचारियों पर समूह-बीमा योजना का लागू न होना

9820. **श्री भुवनेश्वर भूयन** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह है कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के कर्मचारी समूह-बीमा योजना और सेवा-निवृत पेंशन योजना के लाभों के हकदार नहीं हैं जबकि एन० सी० आर० टी० जैसे अन्य स्वायत्त-शासी निकायों में ये योजनाएं लागू होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी बीमा योजना और सेवा-निवृत्ति पेंशन योजना स्वायत्त संगठनों पर लागू नहीं होती । ऐसे संगठन अपने कर्मचारियों के लिए अपनी योजानाएं तैयार करते हैं। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बोर्ड, इसके कर्मचारियों को इस समय सुलभ विद्यमान अंशदायी भविष्य निधि एवं उपदान योजना के स्थान पर अपने कर्मचारियों के लिए ग्रुप बीमा योजना और एक पेंशन सम्बन्धी योजना भी लागू करने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमत हो गया है।

हिन्दी का प्रचार और प्रसार

9821. **श्री शिव शरण वर्मा** :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 मार्च, 1984 की "जनसत्ता" के पृष्ठ 8 में "उसने हिन्दी में परीक्षा दी इसलिए नतीजा रोक लिया गया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में हिन्दी के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है; और

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में हिन्दी को अनिवार्य विषय और अंग्रेजी को वैकल्पिक विषय घोषित करने का है और यदि हां, तो उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या

हैं जिनमें ऐसा किया जा चुका है और उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिनमें अभी ऐसा होना है और यदि इस दशा में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार विश्वविद्यालय, शिक्षा तथा परीक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं को उत्तरोत्तर अपना रहे हैं। जहां तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय, विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के प्रयोग की अनुमति देते हैं। विश्व भारती में, हिन्दी में पाठ्यक्रमों को छोड़कर, अनुमत्य क्षेत्रीय भाषा बंगला है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों को कुछ विषयों में अपने शोध-प्रबंध अथवा शोध निबन्ध हिन्दी में लिखने की अनुमति है।

सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में हिन्दी को शिक्षा का अनिवार्य माध्यम बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लखनऊ और मुगलसराय लोको शेड में नैमित्तिक मजदूरों को रोजगार

9822. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ लोको शैड में लगभग 700 जाली नैमित्तिक मजदूर हैं, जो रोजगार की मांग कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि मुगलसराय डीजल शैड में कुछ लोगों ने उन व्यक्तियों के स्थान पर, जिन्हें 1999 तक सेवा-निवृत्त होना है, अपने आश्रितों और सम्बन्धियों के लिए रोजगार प्राप्त कर लिया है;

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 700 नैमित्तिक श्रमिकों के मामलों में, जिनका दावा है कि वे पहले लोको शैड लखनऊ में काम कर चुके हैं, अब उनके दावे की सत्यता की छानबीन की जा रही है।

(ख) से (घ) महाप्रबन्धक के अनुमोदन से उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल द्वारा क्लीनरों के पद के लिए एक विशेष भर्ती की गयी थी। मुगलसराय डीजल शैड में कार्यरत रेलवे कर्मचारियों

के पुत्रों के, जो इसके पात्र थे, आवेदन पत्रों पर भी विचार किया गया था। इस प्रकार, कोई अनियमितता नहीं हुई।

दिल्ली में विद्यालय फीस में वृद्धि

9823. **श्री एन० ई० होरो :**
श्री जी० एस० निहालसिंहवाला :

क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विद्यालयों में फीस में वृद्धि करने के कुछ मामले सरकार के ध्यान में लाये गये हैं;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि संगत सुविधाओं में कोई वृद्धि किये बिना विद्यालयों द्वारा बच्चों के माता-पिताओं से अन्य कई प्रकार के शुल्क लिए जाते हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा फीस के अतिरिक्त अन्य शुल्कों जैसे भवन शुल्क लाइब्रेरी, खेलकूद; प्राथमिक चिकित्सा आदि शुल्क, जो छात्रों से मांगा जाता है और जिसे विद्यालय फीस में सम्मिलित नहीं किया जाता है, पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार दिल्ली में गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल-शुल्क तथा अन्य प्रभारों में वृद्धि के कुछ मामले उनके ध्यान में आए हैं।

(ग) और (घ) सरकार दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम/नियमावली, 1973 के उपबन्धों के अन्तर्गत ऐसे मामलों में निरीक्षण रखती है। यदि अधिनियम/नियमावली के किसी प्रकार के उल्लंघन की रिपोर्ट की जाती है तो उक्त अधिनियम/नियमावली में सुझाई गई कानूनी कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए उसकी जांच की जाती है।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड योजना

9824. **श्री शिव शरण वर्मा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण जनता के लाभ के लिए उत्तर प्रदेश में कोई ग्रामीण व्यवसाय गाइड योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो वह योजना कब से चल रही है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) हां।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य गाइड योजना उत्तर प्रदेश सहित देश में 2-10-.977 से कार्यान्वित की जा रही है। 30-9-1983 तक प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 55,495 स्वास्थ्य गाइडों को प्रशिक्षित किया गया है और उन्हें गावों में तैनात कर दिया गया है। स्वास्थ्य गाइड योजना के कार्यान्वयन के लिए 1983-84 और 1984-85 के दौरान उत्तर प्रदेश को क्रमशः 826.19 लाख रुपये और 748.29 लाख रुपये की राशि आबंटित की गयी है।

पारादीप पत्तन पर लोह अयस्क की लदान क्षमता बढ़ाना

9825. **श्री चिन्तामणि जैना :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा का पारादीप पत्तन देश का ऐसा पहला पत्तन है, जहां निर्यात हेतु लौह अयस्क के मशीनीकृत लदान संबंधी सुविधा की व्यवस्था की गई थी;

(ख) यदि हां, तो प्रारम्भ में इस पत्तन की लौह अथवा लदान क्षमता क्या थी;

(ग) लदान क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि विशाखापत्तनम मद्रास पत्तन का भारी पूंजी निवेश से लौह अयस्क का निर्यात करने के लिए विकास किया गया है और पारादीप पत्तन की उपेक्षा की गई है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा पारादीप पत्तन का विकास न करने के क्या कारण हैं;

(च) क्या पारादीप पत्तन के विकास का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कार्य के कब तक शुरू हो जाने की आशा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) 2 मिलियन टन प्रति वर्ष।

(ग) 11.74 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जनवरी, 1984 में 4 मिलियन टन की क्षमता का लक्ष्य कर आयरन और हैंडलिंग प्लाट में सुधार और संशोधन कार्य पूरा किया गया है।

(घ) यह सच है कि विशाखापत्तनम और मद्रास पत्तनों को लौह धातु के निर्यात के लिए विकसित किया गया है परन्तु यह सच नहीं है कि पारादीप की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं होता।

(च) और (छ) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में पारादीप की विकास स्कीमों के लिए 60.81 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। छठी योजना में पारादीप में महत्वपूर्ण विकास स्कीमों, जिन पर कार्रवाई की गई/की जा रही है, का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	कार्य की संस्वीकृति जारी किये जाने की तारीख
1. आयरन और हैंडलिंग प्लांट में सुधार और संशोधन कार्य	11.74	फरवरी, 1976
2. 2 सेकेण्ड जनरल कारगो बर्थ	12.63	जुलाई, 1978
3. थर्ड जनरल कारगो बर्थ	13.34	जुलाई, 1981
4. उर्वरक बर्थ	15.50	29-1-62

सातवीं योजना में शामिल स्कीमों की जानकारी योजना को अंतिम रूप दिये जाने के बाद ही मिल सकेगी।

तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज के लिए गुजरात में बड़े पत्तनों का विकास

9826. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस तथा तट दूर ड्रिलिंग के लिए राज्य के बड़े पत्तनों के विकास के लिए कोई अभ्यावेदन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

12.00 म० प०

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, मैं इस अत्यन्त लोक महत्व विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हम आज सवेरे दो, तीन साथियों के साथ, माननीय वर्मा जी, प्रो० अजित कुमार मेहता जी आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज गये थे, श्री भोला पासवान शास्त्री को देखने के लिए । वह पिछले दो दिनों से अनकान्सेश, बेहोश अवस्था में हैं और हमको नहीं लगता कि 1, 2 दिन से ज्यादा सरवाइव कर सकेंगे । हमारी कामना है कि वह स्वस्थ हो जायें । कल राज्य सभा में भी यह मामला उठाया गया था और सरकार की ओर से कहा गया कि पूरी तत्परता के साथ वह उनके स्वास्थ्य के लिए चिंतित है । लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उनके परिवार के लोग कल के भूखे हैं···

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो पता लगा है कि प्रधान मन्त्री ने उनको 5,000 रु० का चैक भेजा है।

श्री रामविलास पासवान : आपकी बात ठीक है । राष्ट्रपति जी ने भी 10,000 रु० भेजा है । लेकिन जब वह बेहोश हैं, चैक पर दस्तखत नहीं कर सकते हैं तो उस पैसे का क्या मतलब है ?···

अध्यक्ष महोदय : यह तो मामूली बात है, कोई भी जो आदमी होगा या बैंक मैनेजर जो होगा वह मौके पर जाकर के स्वयं देख सकता है और इस समस्या को हल कर सकता है । पैमेंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए । मेरे ख्याल में वह इसे देख लेगा ।

मंत्री जी आप देख लें कि उनको पैसे की कोई दिक्कत न हो ।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : आप जो कुछ भी कह रहे हैं, करेंगे···

(व्यवधान)

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मान्यवर, चौधरी चरण सिंह के नाम से···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने देखा है। लुधियाना में भी ऐसा कराया गया है।

(व्यवधान)

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : स्पीकर साहब, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह आज गिरफ्तारी दे रहे हैं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : पंजाब में बिगड़ती हुई स्थिति के कारण श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री चरण सिंह ने मजबूरन बोट क्लब पर अपनी गिरफ्तारी दी। क्या किया जाना चाहिए ? सरकार को इस बारे में अपना वक्तव्य देना चाहिए।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, 82 साल की आजादी की लड़ाई के सिपहसालार और जनरल जिन्होंने जंगे आजादी की लड़ाई की और आज 82 साल के हैं अब हैश टूट रहा हो और उसकी टूटन को बर्दाशत न करके आज भी जो जेल जाने के लिए तैयार हो, चौधरी चरण सिंह और अटल जी 5,000 आदमियों के साथ···

अध्यक्ष महोदय : यह तो सरकार के देखने की बात है।

श्री मनीराम बागड़ी : आप सुन तो लें। और उसके मुकाबले में दूसरी तरफ हालत बड़े परिवर्तित हो रहे हैं, पंजाब के अन्दर जिस किस्म का प्रचार इस वक्त चल रहा है वह देश को बिल्कुल खतरनाक मोड़ पर ले जा रहा है। अगर किसी बेकसूर आदमी की जिन्दगी, चाहे कोई भी क्यों न हो···

(व्यवधान)

पंजाब के अन्दर अगर बेकसूर आदमियों को कोई उकसा करके मरने के लिए तैयार करता हो, सरकारी या गैर-सरकारी गोली से मारता हो तो इसके देश की टूटन होती है···

अध्यक्ष महोदय : अब देखिये कल भी उनका था और मुझसे तो जितनी दफा आपने कहा मैंने इस विषय पर विस्तारपूर्वक पूरी चर्चा करायी। और यह देश का मसला है और उसकी तो उसी हिसाब से···

श्री रामविलास पासवान : लेकिन सरकार की विफलता के कारण यह लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं। पंजाब की स्थिति सम्भालने में यह सरकार बिल्कुल विफल रही है, उसके लिए आन्दोलन कर रहे हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है, हल्के ढंग से नहीं लेनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, हल्के ढंग से नहीं लेंगे।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : पंजाब में जो कुछ हो रहा है वह निश्चित रूप से काफी गम्भीर बात है तथा इस हिंसा को रोकने के लिए सर्व सम्भव प्रयास किए जाएं। लेकिन यह

गिरफ्तारियां और आन्दोलन जोकि लोक दल, भारतीय जनता पार्टी द्वारा मिलकर चलाया गया है, से साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा···

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री रशीद मसूद : यह क्या बातकर रहे हैं ? इसको रिकार्ड से निकालिये, ऐक्सपंज कीजिए। यह कम्युनल हैं···

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : इससे साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा।

श्री सतीश अग्रवाल : नहीं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है, देखिए मेरी बात सुनिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपस में क्यों बात कर रहे हैं ? बैठिये।

प्रो० के० के० तिवारी : देश में पूरी तरह से गड़बड़ी फैली हुई है। वह एक इस स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं। मैं श्री बागड़ी से इस बात से सहमत हूं कि देश की अखंडता खतरे में है। इसलिए हमें अवश्य ही इसकी निन्दा···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए साहब, कोई भी ऐसी बात, ऐसी चर्चा मैं तो देश हित में नहीं समझता और ना ही हमें करनी चाहिए। यही तो कुछ लोग चाहते हैं कि इस किस्म का दंगा हों तो देश तबाह हो। वह हम नहीं करने देंगे और ना ही हमें सबको मिलकर ऐसा करना चाहिए। ना ही हमारी ऐसी भावना हो सकती है।

जो इन्सान इन्सान में फर्क समझता है, मेरे ख्याल में उसकी आत्मा में गिरावट आ जाती हैं, वह आत्मा से मर जाता है। जो इन्सान इन्सान से फर्क समझता है, याद रखिये चाहे किसी भी मजहब का हो, धर्म का हो, वह इन्सान नहीं है, वह शैतान हो सकता है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को भी अनुमति नहीं दी है। कुछ भी रिकार्ड नहीं होगा। श्रीमती शीला कौल।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे । श्रीमती शीला कौल ।

भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ और ललित कला अकादमी, नई दिल्ली की 1982-83 के वार्षिक लेखे, प्रतिवेदन आदि

शिक्षा, संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं निम्नलिखित पटल पर रखती हूं—

(1) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 8275/84]

(3) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 8276/84]

(5) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 8277/84]

(7) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8278/84]

(9) भारतीय उच्चतर अध्ययन संस्थान, शिमला, के वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82 और 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा-वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8279/84]

(10) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, दुर्गापुर, के वर्ष 1982-83 के लेखापरीक्षित लेखाओं* के शुद्धि-पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8280/84]

(11) (एक) राष्ट्रीय संस्कृति संस्थान, दिल्ली, के वर्ष 1982-83 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8281/84]

(13) (एक) रामपुर रजा लाइब्रेरी, अधिनियम 1975 की धारा 22 की उपधारा (2) के अंतर्गत, रामपुर रजा लाइब्रेरी रामपुर, के वर्ष 1982-83 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

*लेखापरीक्षित लेखे 29 मार्च, 1984 को सभा पटल पर रखे गये थे।

(दो) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर, के वर्ष 198.-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8282/84]

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : परसों भी मेरा वही था, आज भी वही है। बाहर जो कुछ हो रहा है,

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात पर ठीक हैं। आप जो कह रहे हैं कि हमारी कोई मंशा ऐसी नहीं है, आप ठीक हैं।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, एक बात मेरी बीच में रख लें।

अध्यक्ष महोदय : क्या चाहते हैं आप ?

श्री मनीराम बागड़ी : पंजाब के लोगों ने आपकी सरकार से टेलीफोन से बात की है और सरदार बूटा सिंह से और गृह मंत्री से···मामूली बात नहीं है···

अध्यक्ष महोदय : आप लोग शोर क्यों करते हैं ?

श्री मनीराम बागड़ी : इसके बड़े खराब नतीजे आगे निकलेंगे।

(व्यवधान)

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : सरदार लोंगोवाल से जो बातचीत की है, उसमें गृह-मंत्री जो ने अपने आपको सरेंडर कर दिया है। उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर फोर्सेज नहीं हटाई गई तो निश्चित रूप से वहां 48 घंटे के बाद सुसाइड स्क्वैड्स चलेंगे। गृहमंत्री जी इस पर वक्तव्य दें।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

एक तरफ चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में हजारों लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं, आप उसको कोई मान्यता नहीं दे रहे हैं कि लोग उनके नेतृत्व में क्यों गिरफ्तारियां दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आपकी पोलिटिकल बात है, मैं क्या करूंगा। अपना-अपना दृष्टिकोण है।

(व्यवधान)

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या बात हुई है, इसका स्पष्टीकरण तो दें मंत्री महोदय।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : गृह मंत्री यहां मौजूद हैं। वह स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते तो हैं नहीं। मैंने कहा कि आप लिखकर देंगे तो मैं करवा दूंगा।

श्री राजेश कुमार सिंह : गृह मंत्री जी यहां हैं, हम चाहते हैं कि वह वक्तव्य दें।

(व्यवधान)

श्री जगदीश टाइटलर : महोदय, अनुपूरक प्रश्न के रूप में मैं कुछ पूछना चाहता था। दिल्ली स्कूल आफ इंजीनियरिंग के टीचर्स हड़ताल पर हैं। इसलिए जो परीक्षाएं 2 तारीख को आरंभ होनी थीं, अब तक आरंभ नहीं हुईं। इसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों का अपने-अपने उद्योग में व्यावसायिक कैरियर का एक वर्ष खराब हो जाएगा।

श्री मनीराम बागड़ी : यह टीचर की बातें करते हैं, यहां आदमी मर रहे हैं।

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर) बागड़ी जी सुनिए, बच्चों की पढ़ाई की बात है, दिल्ली की बात है। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है आपको।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग आपस में बातें क्यों करते हैं ? यह कैसे चलेगा ? आपको हाफ एन अवर डिस्कशन दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह आपके जिले का मामला है। आप जरा सोच लें कि आज नहीं तो कल ये घटनाएं घटने वाली हैं। फिर आप कहेंगे कि वक्त पर चेतावनी नहीं दी। यह काम सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपका विचार बिल्कुल सही है। मैं आपसे सहमत हूं।

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : अध्यक्ष महोदय, लैंड एक्वीजीशन (एमेंडमेंट) बिल कब आएगा ?

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब बैठे हैं। क्या एक्वीजीशन वाला बिल आ रहा है या नहीं ? मिनिस्टर साहब कहते हैं कि आ रहा है।

श्री दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, 17 जुलाई, 1980 को कृषि मन्त्री ने कहा, 16 फरवरी, 1981 को प्रधान मन्त्री ने कहा। उसके बाद आपने कई दफा कहा। हमारे जो मन्त्री हैं, उन सबने कहा। लेकिन लैंड एक्वीजीशन (एमेंडमेंट) बिल अभी तक नहीं लाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि आ रहा है।

श्री दिगम्बर सिंह : तीन दफा बुलिटन में निकल चुका है। हर सत्र में कहा जाता है, लेकिन उसको पेश नहीं किया गया है। (**व्यवधान**)

श्री मनीराम बागड़ी : इस वक्त यह इस्यु नहीं है। इस वक्त इस्यु पंजाब का है। इस वक्त देश की अखण्डता का सवाल है। चौधरी चरण सिंह 82 साल की उम्र में जेल में जा रहे हैं। आखिर यह पार्लियामैंट किस वास्ते है ? मासूम लोग मारे जा रहे हैं। अगर उनकी जिन्दगी नहीं बचा सकते, तो तोड़ दो पार्लियामेंट को। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे क्या चाहते हैं ?

श्री मनीराम बागड़ी : मल्होत्रा ने हिन्दू रक्षा समिति को रोका। हमने खुद कहा कि इस आंदोलन को न चलने दो, रोको। आज मैं चाहता हूं कि होम मिनिस्टर आज बयान दें। उन्होंने चंडीगढ़ जाकर टास्क फोर्स बनाई है। वह क्या होती है ?

अध्यक्ष महोदय : हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए यह करना पड़ता है।

श्री मनीराम बागड़ी : ये सांप को छेड़ कर छोड़ आते हैं। अब यह सांप फीरोजपुर और मोगा में छोड़ा गया है और हरियाणा को डसने के लिए इधर आ रहा है, यह मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है।

श्री मनीराम बागड़ी : मन्त्री महोदय क्यों नहीं वक्तव्य देते ?

(**व्यवधान**)

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : सरकार क्या चाहती है ? आखिर पंजाब की समस्या का कोई निदान होगा या नहीं ? क्या यह सब इस तरह चलता रहेगा ?

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : आप सरकार से कहिए कि वह वक्तव्य दे ।

(**व्यवधान**)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : गेहूं की कीमत बहुत तेजी से गिर रही है । मैं कालिंग एटेन्शन नोटिस दे चुका हूं । आप कुछ तो करवाइए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं करवा रहा हूं ।

श्री हरिकेश बहादुर : यहां विभाग में फैले भ्रष्टाचार के कारण स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन नहीं मिल रही है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा ।

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : मैंने 1000 टन चरबी के आयात के बारे में नोटिस दिया है···।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास रूल 222 में आ गया है। मैंने पहले ही इसका उल्लेख किया है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय बैठे हैं । मैं बात करता हूं ।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र—जारी

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1973 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वार्षिक लेखे रिपोर्टें आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1973 की धारा 33 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) होम्योपैथी (डिप्लोमा पाठ्यक्रम) विनियम, 1983, जो 11 मई, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 7-183 सी० सी० एच० में प्रकाशित हुए थे तथा

उनका एक शुद्धि-पत्र, जो 6 फरवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 7-1/83 सी० सी० एच० में प्रकाशित हुआ था।

(दो) होम्योपैथी (ग्रेडिड डिग्री पाठ्यक्रम) विनिमय, 1983, जो 11 मई, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 7-1/83 सी० सी० एच० में प्रकाशित हुए थे तथा उनका एक शुद्धि-पत्र, जो 6 फरवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 7-1/83 सी० सी० एच० में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) पोम्योपैथी (डिग्री पाठ्यक्रम) विनिमय, 1983, जो 11 मई, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 7-1/83 सी० सी० एच० में प्रकाशित हुए थे तथा उनका एक शुद्धि-पत्र, जो 6 फरवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 7-1/83 सी० सी० एच० में प्रकाशित हुआ था।

(चार) होम्योपैथी (शिक्षा के न्यूनतम स्तर) विनिमय, 1983, जो 11 मई, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 7-1/83/ सी० सी० एच० में प्रकाशित हुए थे तथा उनकाएक शुद्धि-पत्र, जो 6 फरवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 7-1/83/ सी० सी० एच० में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (निरीक्षक और विजिटर) विनियम, 1982, जो 17 जून, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 7-1/83 सी० सी० एच० में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8283/84]

(2) (एक) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एकविवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8284/84]

(4) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, के वर्ष 1982/83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8285/84]

खाद्य अपमिश्रण निवारण (नवां संशोधन) नियम, 1983

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : मैं खाद्य खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, खाद्य अपमिश्रण निवारण (नवां संशोधन) नियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 19 नवम्बर, 1983 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 848 (5) में प्रकाशित हुए थे तथा उनका एक शुद्धि-पत्र, जो 4 फरवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 113 में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8286/84]

सभा पटल पर रखती हूं।

12.14 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 2 मई, 1984 को हुई अपनी बैठक में जीवन बीमा निगम विधेयक, 1985 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में राज्य सभा के सदस्यों को नियुक्त किए जाने के बारे में निम्न प्रस्ताव स्वीकार किया है :—

"कि राज्य सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत हुई कि राज्य सभा, जीवन बीमा निगम विधेयक, 1983 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में श्री ईरा सेजियन द्वारा उक्त संयुक्त समिति की सदस्यता से त्याग पत्र दिये जाने तथा श्री बी० इब्राहिम के राज्य सभा से सेवा निवृत्त हो जाने के कारण रिक्त हुए स्थानों पर, राज्य सभा के दो सदस्य नियुक्त करें और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में रिक्त स्थानों को भरने के लिए डा० शांति जी० पटेल तथा श्री रामेश्वर ठाकुर, राज्य सभा सदस्य को नाम निर्दिष्ट किया जाय।"

———

12-15 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि नीलांचल एक्सप्रैस रेलगाड़ी ठीक समय पर तथा प्रतिदिन चले

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : 175 अप/176 डाउन नीलांचल एक्सप्रेस जो सप्ताह में तीन बार चलने वाली एक तेज जोड़ी रेलगाड़ी है तथा नई दिल्ली और उड़ीसा राज्य के पुरी के बीच चलती है और राज्य की राजधानी भुवनेश्वर को जोड़ती है। यद्यपि आरंभ में इसे सुपर फास्ट रेलगाड़ी के रूप में चलाने के लिए सोचा गया था लेकिन रेलवे प्रशासन ने इसे केवल फास्ट ट्रेन ही रहने दिया। पुरी से नई दिल्ली तक की 3900 किमी तक की दूरी निर्धारित समय अनुसार यह लगभग 36 घंटों में तय करती है। लेकिन कुछ समय से शायद ही ऐसा समय आता हो तब यह गाड़ी समय से चल रही हो और इसके लिए यात्री अपने को भाग्यशाली समझें। बल्कि यह गाड़ी साधारणतया उसे 5 घंटे तक लेट चल रही है। कुछ महानों से यह आम बात होती जा रही है। इस रेलगाड़ी के नई दिल्ली पहुंचने और नई दिल्ली से रवाना होने का समय रेल प्रयोक्ताओं के लिए न केवल असुविधाजनक है अपितु यदि रेलगाड़ी लेट हो रही हो तथा यह नई दिल्ली

रात्रि 10.00 बजे के बाद पहुंचती हो तो यात्रियों को अपने-अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में भी उतनी ही कठिनाई होती है क्योंकि ऐसे समय टैक्सी और स्कूटर चालक भी काफी तंग करते हैं। यात्रा कर रही सवारियों को पहले की सुविधाएं प्रदान की जाती थीं, उनमें भी काफी अधिक गिरावट आई है।

रेल प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं को सामान्य रूप से तथा उड़ीसा राज्य के प्रयोक्ताओं की जरूरतों को विशेष रूप से देखते हुए, मैं रेल मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस रेल गाड़ी को हर रोज चलाने, इसको समय पर चलाने तथा इलाहाबाद-बनारस सेक्शन रूट को इस-मार्ग से हटाने, जिसकी वजह से यह सब असुविधा होती है, के लिए कार्यवाही करें। साथ ही साथ लोगों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, उड़ीसा में भादोक रेलवे स्टेशन पर इसका स्टाफ बनाना चाहिए।

(दो) आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी० तथा आर० एल० ई० जी० पी० योजनाओं को विदिशा संसदीय चुनाव क्षेत्र में बुघुरी तहसील के अमीन गांव में आरम्भ करने की आवश्यकता

श्री भानुप्रताप शर्मा (विदिशा): उपाध्यक्ष महोदय, विदिशा संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत सुघनी तहसील के गांव अमीन में विगत 18 अप्रैल को भीषण अग्निकाण्ड हुआ था जिसके कारण ग्रामवासियों को एक करोड़ 50 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक क्षति हुई है। लगभग 120 कच्चे एवं पक्के मकान तथा 95 परसेन्ट कृषि उत्पादन जल कर नष्ट हो गए हैं और आज यह गांव वीरान-सा लगता है।

सरकार ने ग्रामवासियों की सहायतार्थ तत्काल राहत कार्य तो प्रारम्भ कर दिए हैं परन्तु प्राकृतिक प्रकोप से ध्वस्त हुए इस ग्राम की स्थिति देखते हुए इसे एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना आवश्यक है। अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि आवास एवं निर्माण मंत्रालय की ओर से अमीन ग्राम के लिए ग्रामीण आवासीय तथा पेयजल योजनाओं को विशेष रूप से स्वीकृत किया जाना चाहिए। इसी प्रकार ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा भी आई० आर० डी० पी० एन० आर० ई० पी० तथा आर० एल० ई० जी० पी० योजनाओं को उक्त गांव के लिए विशेष रूप से लागू करने के निर्देश दिए जाने चाहिए।

(तीन) केरल में कुरियाकुट्टी-कारपयारा बहुप्रयोजनीय परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने की आवश्यकता

श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट): **कुरियाकुट्टी-कारापयारा बहु प्रयोजनीय

**मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

परियोजना बीस वर्ष पहले शुरू की गई थी। इस परियोजना के लिए कुल परिव्यय 48 करोड़ रु० आना था। लेकिन इस समय यह परियोजना अनिश्चय की स्थिति में है।

केरल के वन विभाग का यह मत है कि अगर इस परियोजना को कार्यान्वित किया जाए तो 200 एकड़ वन भूमि डूब जाएगी। लेकिन अब विशेषज्ञों की यह राय है कि अगर सिंचाई को ज्यादा महत्व देते हुए, इस परियोजना में कुछ परिवर्तन किए जाएं तो वन भूमि के डूबने का खतरा नहीं रहेगा। अभी हाल ही में केन्द्रीय सिंचाई विभाग द्वारा भेजे गए एक दल द्वारा इस क्षेत्र का दौरा किया गया तथा उन्होंने यहां एक सर्वेक्षण किया। केरल सरकार द्वारा 1965 में तैयार कर प्रस्तुत की गई योजना के अनुसार सूखा ग्रस्त लगभग 48,000 एकड़ क्षेत्र कोजिनपारा सहित चित्तूर तालुक, तथा पालघाट जिले में अर्थेमपाथी और वेदात्तपाथी पंचायत क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी। यदि इस परियोजना को कार्यान्वित किया जाता है तो एक इंच जमीन पर पानी नहीं आएगा।

इसलिए, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह सिंचाई को विशेष महत्त्व देते हुए इस परियोजना को लागू करने के लिए तुरंत कदम उठाए। इससे माला बार के सूखे से प्रकाशित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

(चार) बिहार में फारबिसगंज हवाई अड्डे की भूमि का समुचित उपयोग करने की आवश्यकता

श्री डूमर लाल बैठा (अररिया) : उपाध्यक्ष महोदय, फारबिसगंज (पूर्णिया) बिहार में एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा है जो यूं ही पड़ा हुआ है। उसके निर्माण काल में किसानों की अत्यन्त उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किसानों की आपत्ति के बावजूद किया गया था और लोगों को आशा दी गई थी कि कालान्तर में रक्षा कार्य के बाद इसे नागरिक हवाई अड्डे के लिए भी उपयोग किया जायेगा।

यह स्थान नेपाल सीमा पर अवस्थित है। पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, पश्चिम बंगाल, कटिहार, भागलपुर के अलावा नेपाल के हवाई यात्रियों के लिए भी इस स्थान से कलकत्ता, दिल्ली, बनारस आदि स्थानों की यात्रा करना अत्यन्त सुगम होगा। इसके अलावा कई व्यापारिक एवं सामरिक महत्व के स्थान जैसे सहरसा, लहेरिया सराय, मधुबनी, कटिहार, भागलपुर, बहादुरगंज, किसनगंज आदि भी इस क्षेत्र में स्थित होने के कारण यात्रियों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती ही जायेगी और यह एक मुनाफा देने वाली सेवा होगी।

जानकारी के लिए यह भी कहा जा सकता है कि काफी पहले इस स्थान से निजी हवाई सेवा का संचालन होता था और यह काफी मुनाफा का व्यवसाय था। परन्तु सरकार ने इसे बन्द करवा दिया था।

अतः नागरिक उड्डयन विभाग से अनुरोध है कि फारबिसगंज के हवाई अड्डा को हवाई सेवा से जोड़ दिया जाए। यदि यदि सम्भव नहीं हो तो हवाई अड्डे के अन्तर्गत ली गई भूमि को अनुसूचित जातियों/जनजातियों एवं अन्य भूमिहीनों में खेती के लिए बन्दोबस्त कर दी जाए ताकि इस राष्ट्रीय सम्पति का उचित उपयोग हो।

(पांच) कार्क उद्योग को बन्द होने से बचाने के लिए इसके कच्चे माल पर सीमा शुल्क को घटाने की आवश्यकता

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

12-31-1984 को मैंने सरकार के सामने हमारे देश की कार्क इन्डस्ट्री की बिगड़ती हालत स्टेटिस्टिक्स के साथ पेश की थी और सरकार के सामने नीति बदलने का प्रस्ताव रखा था। उस प्रस्ताव में मैंने कहा था कि कच्चे माल पर पक्के माल से कर आधा होना चाहिए। तब ही यह इन्डस्ट्री देश में चल सकती है। अगर यह न हुआ तो देश की सारी कार्क की फैक्ट्रियां बन्द हो जायेंगी।

21-4-1984 को गजट नंबर 111/84-कस्टम से कच्चे माल पर कर घटाया तो गया था, परन्तु मुझे खेद है कि कर की घटाई इतनी थोड़ी है कि यह इंडस्ट्री को बचा नहीं सकती। पक्के माल पर कर 119% है और कच्चे माल पर 98% है। जैसे कि मैंने 12.2.1984 के प्रस्ताव में बताया था, कार्क हल्का माल है और कच्चे माल पर जिसकी कीमत 150 डालर है और जहाज का किराया 210 डालर है और कर इस सारे 360 डालर पर लगाया जाता है। ऐसे कच्चे माल पर किसी भी हालत में पक्के माल से आधे से ज्यादा कर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि कच्चे माल पर कर आधा कर दिया जाए तथा अगर यह कार्यवाही तुरन्त नहीं की गई तो कार्क फैक्ट्रियां किसी भी हालत में चल नहीं सकतीं जिससे हजारों आदमी बेकार हो जायेंगे तथा हमारे देश की जरूरी इण्डिस्ट्रियां जैसे दवाई बनाने वाले, स्कूटर, ट्रैक्टर, कार ट्रांसफार्मर तथा दूसरी भारी इंडिस्ट्रियां, जिनका माल देश में बहुत जरूरी है और जो विदेश में भी माल भेज रहे हैं उनके लिए विदेश से पक्का माल मंगवाना पड़ेगा जिससे देश को करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा का नुकसान होगा।

(छः) निर्माण और आवास मंत्रालय के लोधी रोड स्थित बैरकों को नागर विमानन विभाग से लेने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की आवश्यकता

श्री भीखा भाई (बांसवाड़ा) : नागर विमानन विभाग देश के प्रमुख विभागों में से है। पालम हवाई अड्डे पर नियुक्त कर्मचारी, एयर लाइंस के सुरक्षित तथा कुशल कार्यचालन में दिन-रात लगे हुए हैं। विमानन सुरक्षा में दिन-रात कठोर परिश्रम में संलग्न इन कर्मचारियों के लिए

घर पर होने वाले तनाव से दूर रखने हेतु सामुदायिक जीवन-यापन की सुविधा जुटाना आवश्यक है। अपने कर्मचारियों को सामुदायिक जीवन यापन की सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग ने अपने कार्यचालन कर्मचारियों को लोधी रोड बैरकों में क्वार्टर आबंटित करता है। ये बैरक पिछले 40 वर्षों से नागर विमानन विभाग के कब्जे में हैं तथा लगभग 9 एकड़ भूमि में बने हुए हैं। नागर विमान मंत्रालय, नागर विमानन कर्मचारियों के कल्याणार्थ इस क्षेत्र में अपनी संस्था बनाना चाहता है, जबकि निर्माण तथा आवास मंत्रालय इसकी अनुमति नहीं दे रहा है क्योंकि वह कुछ निजी पार्टियों को इस भूमि को पुनः आबंटित करना चाहता है।

नागर विमानन विभाग, अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए अपने क्वार्टरों का निर्माण क्यों नहीं कर रहा है यह विदित नहीं है। इन बैरकों में रह रहे कर्मचारियों को हटाकर दूरस्थ क्षेत्रों में भेजा जा रहा है तथा उस क्षेत्र के क्वार्टर कर्मचालन कर्मचारियों के लिए स्तर की अपेक्षा निम्न स्तर के हैं।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नागर विमानन विभाग को इस पर दोबारा सोचना चाहिए तथा निर्माण तथा आवास मंत्रालय से इस मामले पर पुनः विचार के लिए अनुरोध करें।

(सात) आवड़ी (मद्रास) स्थित आयुध वस्त्र कारखाने के कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने की आवश्यकता

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : मैंने मार्च, 1982 में माननीय रक्षा मन्त्री से आयुध वस्त्र कारखान, आवड़ी, मद्रास के समुचित कार्यकरण तथा विस्तार पर अधिक ध्यान देने हेतु अनुरोध किया था। उन्होंने अपनी सहृदयता का परिचय देकर रक्षा कार्मिकों के लिए बनियानों के निर्माणार्थ आवश्यक उपस्करों के अधिष्ठापन की मंजूरी प्रदान कर दी थी। परन्तु श्रमिकों के लिए कई अन्य जरूरी सुविधाएं उन्हें अभी तक प्रदान नहीं की गई हैं। इनमें से एक अनावश्यक विलंब से बचने के लिए, भविष्य निधि ऋणों का भुगतान कलकत्ता की बजाए मद्रास में ही करने की व्यवस्था करने के बारे में है। रिक्तियों को पदोन्नति द्वारा भरा जाना चाहिए तथा कल्याण मंडप का किराया कम किया जाना चाहिए। सिलाई मशीनों के फालतू पुर्जों की क्वालिटी में सुधार किया जाना चाहिए तथा उत्तम किस्म के फालतू पुर्जे ही खरीदे जाने चाहिए। सी० एस० डी० कैंटीन में बाहर के विक्रेताओं को माल बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, तथा दिन में काम करने वाले सभी श्रमिकों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। सेवा तथा पदोन्नति से संबंधित सभी नियमों को स्थानीय भाषा—तमिल में प्रकाशित किया जाना चाहिए जिससे कई समस्याएं हल होंगी तथा अनावश्यक पत्राचार से बचा जा सकेगा। कटिंग अनुभाग को समुचित साज-सामान सहित रखा जाना चाहिए ताकि दूसरे अनुभागों में धूल न जाने पाए। मुझे आशा है कि माननीय रक्षा मन्त्री इन मांगों पर गौर करेंगे तथा शीघ्र यथा आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

(आठ) रेशम उद्योग को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता

श्री ईरा अनबारासु (चिंगलपट्टु) : भारत में रेशम उद्योग उतना ही पुराना है जितना कि हमारी परम्परा तथा संस्कृति। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस उद्योग ने 100 करोड़ रुपये का निर्यात लक्ष्य प्राप्त किया है। अलग रेशम संवर्धन परिषद की स्थापना करना, रेशम की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में बुद्धिमत्तापूर्ण कदम है। निर्यात बढ़ाने के लिए रेशम उद्योग को हर संभव सहायता प्रदान की जानी चाहिए, रेशम उद्योग का बड़ा भाग हथकरघा क्षेत्र में है जिससे देश के लाखों लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है। रेशम उद्योग को विभिन्न प्रोत्साहनों तथा सहायता द्वारा मदद करने तथा इसे केवल हथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत लाने से हमारे समाज के दलित वर्ग को राहत मिलेगी। आयातित रेशम के धागे की कीमतों में बार-बार उतार-चढ़ाव से भी रेशम उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

भारत में रेशम उद्योग के लिए सबसे बड़ी अड़चन रेशम के धागे का तथा जरी का अभाव है। कांचीपुरम तथा अन्य केन्द्रों में रेशम के धागे के बैंक खोलने से छोटे रेशम यूनिटों तथा बुनकरों को बड़ी राहत मिलेगी तथा रेशम के धागे की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव नहीं होगा। आकर्षक प्रोत्साहन तथा बैंक ऋण प्रदान करके पिछड़े क्षेत्रों में रेशम-उत्पादन का विकास करने से कृषकों की आर्थिक दशा सुधरेगी।

अत: मैं माननीय वाणिज्य मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि कांचीपुरम, जो कि रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जैसे स्थानों पर जरी उत्पादन यूनिट तथा रंगाई-घर स्थापित करने हेतु कदम उठाए जाएं।

(नौ) देश में वनस्पति तेलों का उत्पादन बढ़ाने तथा समुचित अनुसंधान करने के प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता

श्री टी० एस० नेगी (टिहरी गढ़वाल) : इस वर्ष 1500 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा के वनस्पति तेल के रिकार्ड आयात की संभावना है। विश्व बैंक की भविष्यवाणियों के अनुसार 1990 तक यह 3,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इसके बावजूद वनस्पति की किस्मों के भारी उत्पादन के दावे करके खुशफहमी पैदा की जाती रही है। यह वैज्ञानिक पर्यावरण के अभाव के परिणामस्वरूप हुआ है। मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे देश में तेलों के उत्पादन में वृद्धि करने तथा अनुसंधान प्रयास में तेजी लाने के लिए समुचित कदम उठाए जाएं।

(दस) पूर्वी चम्पारन जिले (बिहार) के तीन चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को गन्ने के मूल्यों की बकाया राशियों का भुगतान किया जाना

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के पूर्वी चम्पारन जिले की तीन चीनी मिलें बाराचकिया, मोतीहारी और सुगाली गन्ना उत्पादक किसानों का बकाया

भुगतान नहीं कर रही हैं। इससे लाखों किसानों को अपार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

इनके घरों में शादी-ब्याह के लिये पैसा नहीं है। कर्ज भी समय पर नहीं मिल रहा है। सरकारी ऋणों का भुगतान ये किसान नहीं कर पा रहे हैं। अपने परिवार के गहनों को इन्हें बेचना पड़ रहा है। खेती के आगे के कामों में पैसे के अभाव में प्रगति नहीं हो रही है।

बाराचकिया तथा सुगाली चीनी मिलों का पिछला बकाया भी पूरा भुगतान नहीं हुआ है।

किसान जब आन्दोलन करते हैं तो मिल राज्य सरकार के सिर पर अपना दोष थोप देती है और राज्य सरकार केन्द्र सरकार पर। इस तरह किसान बेल-तर के बारे बबूल-तर में भटक रहे हैं।

अस्तु मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार किसानों की दुरावस्था को दूर करने में बिहार सरकार पर दबाव डाले या कोई दूसरी राह निकाले कि गन्ना किसानों का भुगतान अविलम्ब हो।

(ग्यारह) सैनिक स्कूल कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन को चौथे वेतन आयोग द्वारा स्वीकार न किया जाना

श्री अजित बाग (सीरमपुर) : महोदय, मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि सैनिक स्कूल कर्मचारी एसोसिएशन सतारा (मध्य प्रदेश) तथा कोरुकुडा (आन्ध्र प्रदेश) आदि द्वारा चौथे वेतन आयोग को प्रस्तुत ज्ञापन पर इस आधार पर विचार नहीं किया गया है कि सैनिक स्कूल स्वायत्तशासी निकाय हैं तथा वे आयोग के क्षेत्र में नहीं आते हैं। इन स्कूलों में खर्च की जाने वाली एक-एक पाई या तो राज्य सरकारों से आती है या केन्द्रीय राजस्व से। इनकी भूमि, भवन तथा रख-रखाव की व्यवस्था राज्य तथा केन्द्र दोनों के द्वारा की जाती है। अतः उन्हें स्वायत्तशासी निकायों द्वारा संचालित बताया जाना ठीक नहीं है। वस्तुतः केन्द्रीय विद्यालय भी तथाकथित स्वायत्तशासी निकायों द्वारा संचाचित है। परन्तु इन विद्यालयों के शिक्षक तथा कर्मचारी वे सब सुविधाएं पाते हैं जो कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलती हैं। केन्द्रीय विद्यालय तथा सैनिक स्कूल दोनों में ही कक्षा 10+2 तक शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त सैनिक स्कूलों का एक और महत्वपूर्ण दायित्व है—विद्यार्थियों को रक्षा सेवाओं के लिए तैयार करना। यहां तक कि शिक्षा मन्त्रालय द्वारा शिक्षकों को गणतन्त्र दिवस पर दी जाने वाली रियायतें, सैनिक स्कूल के अध्यापकों को नहीं दी जाती हैं। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह चौथे वेतन आयोग सैनिक स्कूलों के मामले पर विचार करे तथा सैनिक स्कूल शिक्षकों को संगठन बनाने का अधिकार प्रदान करने तथा अपनी शिकायतों को सामूहिक रूप से प्रबन्ध के समक्ष रखने की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए।

12.31½ म० प०

कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 1984—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधायी कार्य पर विचार करेंगे। कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 1984 पहले से ही विचाराधीन है। कल श्री राजेश कुमार सिंह भाषण दे रहे थे तथा उनका भाषण पूरा नहीं हुआ था। इस विधेयक के लिए कुल निर्धारित समय 2 घंटे है जिसमें से 30 मिनट पहले ही खर्च हो चुके हैं। अब हमारे पास एक घण्टा तीस मिनट शेष है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह अपने वक्तव्य संक्षिप्त रखें।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, कल जो मैं एक चर्चा में भाग ले रहा था, तो मैं यह कह रहा था कि मृत्यु होने पर जो 20 हजार की रकम है, यह बहुत कम है।

"···जहां घायल होने के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाए।"

ऐसे केसेज में 20 हजार रुपए देने की बात है। यह एमाउन्ट बहुत कम है क्योंकि हवाई जहाज की दुर्घटना में अगर कोई मर जाता है, तो एक लाख रुपया दिया जाता है और रेल के एक्सीडेंट में अगर कोई मर जाए, तो 50 हजार, 70 हजार रुपए तकरीबन मिल जाता है। फैक्ट्री में अगर कोई दुर्घटना में मर जाता है, तो उसके लिए 20 हजार रुपए देने की बात है। तो एक तो यह मुद्दा है, जिसके बारे में मैं कहना चाहता था। नेशनल लेबर कमीशन ने कहा है :

"···अधिनियम के अंतर्गत जो मंजूरी सीमा है क्या उसे हटा दिया जाए।"

जहां इस तरफ लिमिट हटाने वाली बात कही है, वह दूसरी तरफ एक हजार रुपए की सीमा बांध दी है। आप देखेंगे कि जो सीमा बांधी गई है, वह इस तरह है :

"जहां किसी श्रमिक की मासिक मजूरी एक हजार रुपये से अधिक है, खंड (क) तथा (ख) के प्रयोजनार्थ उसकी मासिक मजूरी केवल एक हजार रुपये समझी जाएगी।"

बोनस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन की है, उसके अनुसार 1600 रुपए तक की बात कही गई है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहूंगा कि यह जो बिल है, यह अधूरा बिल है और इसके स्थान पर एक सम्पूर्ण बिल लाएं। एक बहुत लम्बे समय के बाद यह संशोधन ला रहे हैं। 1976 में इसका संशोधन हुआ था और अब 15 वर्ष के बाद आपको मजदूरों की याद आई तो आपने कुछ संशोधन कर डाले। 4-6 महीने के बाद फिर याद आएगी, तो और संशोधन कर देंगे। इसलिए मेरा कहना है कि मंत्री जी इस मामले को गंभीरता से लें। इसमें कहीं आपने देने की बात कही है और कहीं आपने सीमा फिक्स कर दी है तो यह नहीं होना चाहिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि यह वाजिब बात नहीं है। आपका जो नेशनल लेबर कमीशन था, उसकी जो रिकमण्डेशंस थीं,

जिनको कि इसमें लागू किया गया, वे भी सही मायनों में लागू नहीं हो पा रही हैं। मैं मन्त्री जी से, इस संदर्भ में, यह भी जानना चाहूंगा कि कमीशन की जो संस्तुतियां या रिकमण्डेशंस थीं, क्या उन पर सरकार विचार कर रही है ? अगर कर रही है तो क्या उन्हें अमलीजामा पहनाने का प्रयास किया जाएगा ?

मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। आपके पार्लियामेंट में बहुत से हिन्दी में विधेयक और अंग्रेजी में बिल पेश होते हैं। मैं हिन्दी के इस विधेयक को और अंग्रेजी के इस बिल को देख रहा था, दोनों में मुझे कुछ अंतर नजर आया। आपके हिन्दी के विधेयक में लिखा है—

> "मृत कर्मकार की मासिक मजदूरी को सुसंगत गुणक से गुणा करके प्राप्त रकम के 50% के समतुल्य रकम, या पच्चीस हजार रुपये की रकम, जो भी अधिक हो।"

इस तरह की छोटी-छोटी गलतियां आपके हिन्दी के विधेयकों में रह जाती हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हिन्दी के जो विधेयक हमें आप पढ़ने को भेजते हैं उनमें त्रुटियां न हों जिनसे कि लगे कि हिन्दी की कोई अवहेलना हो रही है। आपके अंग्रेजी के बिल में यह रकम 24 हजार रुपए दी हुई है। अगर आप इसे 25 हजार कर देते तो भी हिन्दी वाली बात जम जाती।

आप इस बिल को बहुत देर से लाए हैं, इससे आपने मजदूरों का अहित किया है और पूंजीपतियों का हित किया है। लेकिन आपका जो देने का क्राइटेरिया है उसमें रद्दोबदल होनी चाहिए। उसमें आपको बोनस ऐक्ट की बात को भी रखना चाहिए।

मैं एक और बात रखना चाहूंगा। आपका जो प्रतिकार मिलने का प्रोसीजर है वह बड़ा कम्पलीकेटिड है। किसी की मृत्यु होने के बाद उसके परिवार के लोगों को पैसा लेने के लिए जाना पड़ता है, वहां लोगों से सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है। अगर कोई परमानेंटली डिसएबल हो गया है तो बीच में एक आदमी पड़ता है और एक लम्बा समय पैसा लेने में निकल जाता है। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री जी इसका ख्याल रखेंगे कि उचित समय पर लोगों को पूरा मुआवजा मिल जाए। अगर वह समय पर उन्हें नहीं मिलता है तो यह भी उनके लिए अहितकर बात है। कभी-कभी देखने में यह भी आता है कि मालिक कहता है कि इंश्योरेंस कम्पनी पैसा देगी और इंश्योरेंस कम्पनी कहती है कि मालिक पैसा देगा। इसी में वर्षों निकल जाते हैं। अगर केस कोर्ट में चला गया तो एक डिसएबल्ड आदमी कोर्ट में कैसे केस को फेस कर पायेगा। यह जो आपकी मुआवजा देने की प्रक्रिया है इसमें रद्दोबदल होनी चाहिए।

मैं एक और कानूनी पहलू की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। जहां आपने परमानेंटली डिसएबल होने की बात कही है—

"श्रमिक की मासिक मजूरी के पच्चीस प्रतिशत की राशि के समतुल्य (राशि की) अर्ध-मासिक अदायगी, उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।"

आपने 25 परसेंट की बात कही है जो कि आपके जमाने में मुझे कुछ समझ में नहीं आती है। आज की स्थिति को देखते हुए आपको इसे उचित बनाना चाहिए। मान लीजिए कि कोई काम पर नहीं जाता है। काम पर आदमी तभी नहीं जाता है जबकि वह बाध्य हो जाता है, मजबूर हो जाता है, बीमारी से या किसी चोट की वजह से। उसमें भी आपने तीन दिन की अवधि की बात लिख दी है। इसमें तीन दिन की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आए दिन फैक्ट्रियों में और खास तौर से कोयला खानों में खतरनाक घटनाएं घटती रहती हैं और जिनकी वजह से मजदूरों को कम्नसेशन देने की बात तक आ जाती है। कभी-कभी ऐसे कानूनी पहलू आड़े आ जाते हैं जिनसे कि मजदूर को प्रतिकार नहीं मिल पाता है। कानून में कोई खामी न रहे, जैसी कि परमानेंट डिसएबल्ड वाली बात है, इस पर आप विचार करें। मुझे तो आपकी 25 परसेंट वाली बात समझ में नहीं आती है। जब आप मजदूर के हित की बात करते हैं तो आज की स्थिति को भी आपको सोचना चाहिए।

लेबर इंस्पेक्टर के बारे में आम शिकायत है, मैं सबकी बात नहीं कहता हूं, लेकिन जनरली लोगों की शिकायत है कि अगर उसको रिश्वत न दी जाए तो वह गलत रिपोर्ट देता है, मालिकों के साथ उसकी साठ-गांठ बनी रहती है। इसलिए कुछ इसको भी कड़ा करने की जरूरत है।

साथ ही साथ जो नेगलीजेंश होता है, नेगलीजेंस के लिए कभी-कभी कह दिया जाता है कि मजदूर ने जानबूझकर हाथ डाल दिया, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मालिकों की नेगलीजैंश से जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। आपको फैक्ट्री एक्ट ढीला-ढाला है, उसको भी मजबूत बनाने की जरूरत है। वह बहुत पहले बना था। आजकल फैक्ट्रियों में मोडरेनाइजेशन हो रहा है, मशीनों का युग चल रहा है, उनमें ज्यादा जोखिम की बात है। इसलिए आपको फैक्ट्री एक्ट में संशोधन करना चाहिए जिससे कि कोई उद्योगपति जिसके यहां कोई मजदूर काम कर रहा है, उसको कोई क्षति या हानि हो जाती है, वह डिसएबल्ड हो जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति करने से उद्योगपति बच न सके। इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसके लिए सख्त कानून सरकार को लाने की कोशिश करनी चाहिए जिससे मजदूरों को जोखिम भरे काम करने में भी दिलचस्पी हो। अन्त में मैं बोनस कमीशन के बारे में कहना चाहता हूं कि इसके सुझावों पर अमल करना चाहिए और 1000 से बढ़ाकर 1600 रुपए कर देना चाहिए। इसमें डियरनेस अलाउंस वगैरह को भी जोड़ना चाहिए। सब जोड़कर कंपंसेशन मिलना चाहिए तभी मजदूर का आप कुछ भला कर पाएंगे। नहीं तो कोई मजदूरों के हित की ज्यादा बात इसमें नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, वर्कर्समैन कंपंसेशन बिल 1984 का मैं

समर्थन करता हूं। श्रीमन्, मैं इस सदन में बराबर देख रहा हूं जब से मैं सदस्य लोकसभा बना हूं और पाटिल साहब मन्त्री हैं तब से बराबर मजदूरों के हित के लिए कानून प्रस्तुत हो रहे हैं। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे इम्मीग्रेंट्स के बारे में, लेबरर्स के बारे में, उस कानून को भी संशोधन करके स्ट्रांग बनाया गया है। इसी प्रकार यह जो वर्क्समैन कंपंसेशन बिल मजदूरों का है, इसके तहत पहले मजदूर की मृत्यु होने पर 10 हजार रुपए दिया जाता था और अपंग होने पर 7200 रुपए दिया जाता था। अब इस 7200 को बढ़ाकर 20 हजार कर दिया गया है और 10 हजार की जगह 24 हजार कर दिया गया है। यह कानून युवकों के विशेषकर हित में है, इसलिए मैं इसकी विशेष तौर से प्रशंसा करना चाहता हूं। जितने भी युवक होंगे, जिनकी उम्र कम होगी, उनको अधिक मिलेगा। यह बिल्कुल ठीक चीज होने जा रही है। नेशनल लेबर कमीशन ने जो राय दी है वह वाकई में बिलकुल सही है। अगर कोई जवानी में अपंग हो जाता है तो पूरा जीवन उसको निकालना पड़ता है। इस संबंध में अधिक अमाउंट देने का प्रावीजन किया गया है। यंग परसंस को करीब एक लाख रुपए तक दिया जा सकता है और 80 हजार रुपए तक जोखिम भरे कारखानों में काम करते समय दुर्घटना होने पर दिया जा सकता है।

इस तरह से जो कानून में परिवर्तन लाया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। यहां पर जो सुझाव दिया गया है कि 1000 की जगह 1600 रुपया कर दिया जाए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। 1000 रुपए का जो प्रावधान है और उसके आधार पर कंपंसेशन दिया जाना है, इनको वर्क्समैन लेबरर की डेफीनेशन में लिया गया है। इससे मैं सहमत हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि वर्क्समैन कंपंसेशन एक्ट 1923 में बना और इसमें काफी अमेंडमेंट्स हुए। 1976 में अमेंडमेंट हुआ। यह समझ में नहीं आया कि हिज-मैजेस्टी डोमिनियम एटसेट्रा प्रोविजन कैसे रह गए? इस सम्बन्ध में आपने जो सुझाव प्रस्तुत किए हैं, वह बिल्कुल सही हैं। पिसमील लेजिस्लेशन की बजाय विस्तृत लेजिस्लेशन लाना चाहिए। अगर इसमें देरी होती है तो पिसमील से यह लाभ हो जायेगा कि जो 7200 प्राप्त कर रहे हैं उनको बीस हजार का लाभ मिल जायेगा। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि लेबर और लॉ डिपार्टमेंट की जो एक्जीक्यूटिव मशीनरी है, वह ठीक से काम नहीं करती। यह, बहुत डिले करती है जिसकी वजह से विस्तृत लेजिस्लेशन नहीं लाया जाता। इसलिए, आपकी जो मशीनरी है उसको मजबूत कीजिए। एक्जीक्यूटिव मशीनरी के ठीक ढंग से काम न करने के कारण जो बहुत से लोगों को लाभ मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता। लेजिस्लेशन के बारे में जो कमेटीज फंक्शन करती हैं, अगर उसमें डिसकस करके प्रस्तुत कर दिया जाए तो उचित रहता है। हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं इसलिए मजदूरों के प्रति विशाल दृष्टिकोण रखना चाहिए और उनके हित में सोचना चाहिए। जितने भी कारखाने हैं, उनमें उनकी पार्टनरशिप और कंट्रीब्यूशन हो ताकि वह महसूस करें कि यह हमारे ही कारखाने हैं जिससे कि वे पूरी ताकत और योग्यता के साथ राष्ट्र की उन्नति में योगदान दे सकें। इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं इस बिल का स्वागत करता हूं, लेकिन कुछ संशोधन के साथ। अभी जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि यह कोई काम्प्रीहेन्सिव बिल नहीं हैं। छोटे पैमाने पर इन्होंने सुधार किया है जबकि इनके पास समय काफी था। 1969 में नेशनल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पबलिश की थी। पन्द्रह साल का पीरियड कुछ कम नहीं होता है। यदि, चाहते तो इस बिल को पहले भी ला सकते थे और काम्प्रीहेन्सिव बिल भी आ सकता था। औद्योगिक जगत में दुनिया काफी आगे बढ़ रही है और हम अपने वर्क्स को जोकि इस जगत की रीढ़ है, उनको थोड़ी-सी भी सुविधा नहीं दे सकते तो यह बड़े आश्चर्य की बात है। इस बिल को लाने से थोड़ी-सी राहत हुई है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि आप जितना जल्दी हो सके इस सम्बन्ध में कोई काम्प्रीहेन्सिव बिल लाएं। आप उस बात को छोड़िए कि रवीन्द्र वर्मा जी क्या लाए थे और आप लोग अपनी सरकार में क्या कर रहे हैं। मैं इस बिल के सम्बन्ध में अपनी बात कर रहा हूं। जब तक इसकी पूरी व्यवस्था में चेंज नहीं आता, स्थिति सुधर नहीं सकती। यदि हम इस बिल की मूल भावना को देखें तो वह अच्छी है और इसीलिए मैंने कहा कि मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन यह बिल अभी व्यापक नहीं है। जैसा मेरे साथियों ने भी कहा कि इसके औब्जैक्ट्स सम्बन्धी स्टेटमैंट में सारे एम्पलाईज को नहीं जोड़ा गया है। मैं नहीं समझता कि भविष्य में आप क्या कर सकेंगे, लेकिन दिल्ली में ही देख लीजिए कि जितनी यहां फैक्ट्रियां हैं, उनमें काफी संख्या में मजदूर काम करते हैं परन्तु उनके लिए इसमें कोई विधान नहीं है। मेरी कान्स्टीट्यूऐंसी में ही दो आदमी थे, जिनमें से एक की डैथ हो गई और दूसरे का हाथ कट गया। लेकिन वह एक प्राइवेट फैक्ट्री में था, उसे कुछ नहीं मिला। मैंने सब जगह लिखा, लेकिन उसके बाविजूद आज तक उसे कोई पैसा नहीं दिया गया है। ऐसे आदमियों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए मेरा कहना है कि जिन लोगों के लिए इस बिल में प्रावधान किया गया है, उनको फायदा होगा, लेकिन उसमें अड़चनें सामने आयेंगी, कहीं प्रशासनिक अड़चनें आएंगी, कहीं दूसरी बाधायें आएंगी। अभी हमारे साथी ने लेबर इंसपैक्टर के रोल के बारे में बताया, उसके अलावा भी कई दूसरी बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं। लेकिन ऐसे लोगों के सम्बन्ध में भी आपको विस्तारपूर्वक विचार करके कोई प्रावधान रखना चाहिए जिनके साथ इस तरह की कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। वे लोग सरकारी कर्मकारों से ज्यादा काम करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनका शोषण होता है और उनके लिए किसी तरह के कम्पैन्सेशन की व्यवस्था विधान में नहीं है। प्राइवेट फैक्टरियों में उनसे बीस-बीस घण्टे काम लिया जाता है परन्तु काम करते समय यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है तो उसके वास्ते उचित मुआवजे की व्यवस्था नहीं है। यदि हम लोगों के नौलेज में बात आ जाती है तो भले ही लिखा-पढ़ी करके उनको दो-चार या पांच हजार रुपया मिल जाए। इसलिए आप सबसे पहले तो सभी तरह के एम्पलाइज को इसमें जोड़िए। दूसरे कम्पैंसेशन राशि आपने बहुत कम रखी है। वैसे तो आपने कहा है कि यह सीमा एक लाख बारह हजार रुपए तक है, लेकिन उसमें तक शब्द का प्रयोग है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपने हवाई जहाज में मरने वालों के लिए एक लाख रुपया क्षतिपूर्ति के तौर पर देना स्वीकार किया है, रेलवे दुर्घटना में मरने वालों को भी लगभग इतनी ही राशि दी जाती है, उसी तरह जितने हमारे कर्मकार

काम करते समय मर जाते हैं तो उन परिस्थितियों में भी आप उनके लिए एक लाख रुपए की राशि देना निश्चित कर दीजिए ताकि उसको हर हालत में इतनी राशि मिल सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थितियां आने पर हमेशा कोई न कोई टैक्निकल प्वाइंट ढूंढ़ा जाता है कि वह काम पर नहीं मरा, घर जाते समय मरा या ऐसा ही कोई दूसरा प्वाइंट उसके लिए लगाया जाता है। मैं चाहता हूं कि इससे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। वह अपने सर्विस पीरियड में मरा, भले ही घर आ रहा था या घर से जा रहा है, लेकिन काम करने के लिए ही तो घर आ रहा था या जा रहा था, फिर आपके जितने कानून बने वे सब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउण्ड्स पर बने हुए हैं, इसी तरह आपको इनके सम्बन्ध में भी मानवीय एप्रोच को ध्यान में रखते हुए कानून बनाने चाहिए, न कि टैक्निकल आधार पर। यह नहीं देखना चाहिए कि वह काम के पीरियड में मरा या उस समय क्या कर रहा था। हमें ऐसा टैक्निकैलिटीज में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि इसके कारण हम लोगों को भी परेशानी होती है। इसलिए इस बिल के सम्बन्ध में मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहां मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, वहीं मेरा आपसे आग्रह है कि जितना जल्दी हो सके आप मजदूरों के हित में एक व्यापक बिल इस सदन में लायें ताकि जो लोग छूटे हुए हैं, उनको भी लाभ मिल सके और जो बेचारे किसी प्राइवेट फैक्टरी में काम करते हैं, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, उनके लिए भी सरकार को कोई व्यवस्था कानून में करनी चाहिए ताकि उनको भी उचित कम्पेन्शेसन मिल सके और उनका शोषण न हो तो मैं आपका बहुत अनुग्रहीत हूंगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल की भावना का समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): उपाध्यक्ष जी, मैं वर्कमैन कम्पेन्सेशन बिल का समर्थन करता हूं। यह बिल स्वागत योग्य है और इसको पहले आ जाना चाहिए था और जल्दी से इसका फैसला होना चाहिए था। मगर देर आयद दुरुस्त आयद। जिस प्रकार के प्रोवीजन इस द्वारा किये गये हैं और जिस तरीके के मजदूरों को शामिल किया गया है वह भी स्वागत योग्य कदम है। पहले इसमें 1,000 रु० से ऊपर के लोगों इनक्लूड नहीं किया जाता था। लेकिन अब हजार से ऊपर वाले लोगों को भी कम्पेन्सेशन की श्रेणी में लाया गया है, यह अच्छा कदम है। मगर इसमें कम्पेन्सेशन जितने हजार रुपये से ऊपर उस मजदूर को मिलते थे तो भी उसको हजार रुपये पर कम्पनसेशन मिलता उतना ही रुपया उसको कम्पेन्सेशन के रूप में मिलेगा, यह ठीक नहीं। क्योंकि ज्यादा पैसा मिलने वाले आदमी को उतना ही मिले जितना कि 1,000 वाले को मिलता था तो उससे लोगों में असंतोष होगा।

दूसरे कि जो कम्पेन्सेशन अकाउन्ट तय किया गया है डेथ के मामले में 7,200 रु० की जगह 20,000 रु० रखा गया है और परमानेंट डिसएबिलमेंट के लिए 10,000 रु० की जगह 24,000 रु० रखा गया है, यह कम लगता है रुपये की वैल्यू को देखते हुए। आज के रुपये की वैल्यू को देखते हुए कम्पेन्सेशन देना चाहिए। कम्पेन्सेट के लिए केवल पे ही नहीं, बल्कि सारे

अलाउन्सेज जोड़ करके कम्पेनसेट किया जाय तो मजदूर को ज्यादा कम्पेन्सेशन मिल पायेगा। ऐसी व्यवस्था आपको जरूर करनी चाहिए।

एक प्रश्न और है काम करते वक्त जो औक्यूपेशनल डिजीजेज मजदूरों को हो जाती हैं, जैसे माइका में काम करने वालों को टी० बी० बहुत होती है और स्थाई रूप से उस बीमारी से क्योर नहीं हो पाते हैं, उसकी लिस्ट आपने इनक्लूड की है, मगर जो लोग बिल्कुल डिसएबिल हो जायें इन बीमारियों से उनको कितना कम्पेन्सेशन मिलेगा, किस प्रकार से तय किया जाएगा इस सम्बन्ध में शैड्यूल 4 में जो दिया हुआ है उसी हिसाब से तय किया जाएगा या और कोई व्यवस्था की जाएगी, इसको भी आपको साफ करना चाहिए। वरना छोटी छोटी जगह पर कम्पेंसेशन कमिश्नर के आफिस में जब मुकदमा चलते हैं तो बड़ी-बड़ी कम्पनियों द्वारा अच्छे वकील खड़े कर दिये जाते हैं जो तरह-तरह की कानूनी खामिया बता कर दिक्कतें पैदा करते हैं और बेचारा मजदूर परेशान होता है। हमारे यहां भीलबाड़ा में मेवाड़ टैक्सटाइल्स में एक मजदूर के काम करते वक्त 4 उंगलियां कट गईं उसकी वर्कमैन कम्पेन्सेशन कमिश्नर ने 20,000 रु० का अवार्ड दे दिया। लेकिन चूंकि मेवाड़ टैक्सटाइल मिल का मालिक बड़ा पैसे वाला आदमी है उसने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सभी जगह हार जाने के बाद भी आज तक उसने एक पैसा नहीं दिया। तो इस तरह का भी कोई प्रावधान करना चाहिए कि अगर कम्पेन्सेशन कमिश्नर उसके सम्बन्ध में कोई फैसला कर दे तो वह पैसा मालिक को सरकार के खजाने में जमा कराना होगा उसके बाद ही वह अपील में जा सकता है। अगर ऐसा प्रावधान नहीं होता है तो मालिक गरीब मजदूर को थका देगा।

1.00 म० प०

वह कहां कोई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अन्य स्थानों में लड़ेगा? इसलिए इस प्रकार का प्रावधान कानून में होना चाहिये कि जब कम्पेंसेशन का एमाउन्ट कम्पेंसेशन कमिश्नर तय कर दे तो वह फौरन कचहरी में जमा करा दे। इसकी निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि मजदूर को बाद में कोई झंझट न हो।

वर्कमैन कम्पेंसेशन कमिश्नर के बहुत से अधिकार आपने लेकर डिपारटमैंट के अधिकारियों को दे रखे हैं, जैसे हमारे भीलवाड़े में लेबर वैलफेयर आफिसर रहता है, उसको आपने यह अधिकार दे रखे हैं, एसिस्टेंट लेबर कमिश्नर अजमेर में रहता है, उसको भी आपने ये अधिकार दे रखे हैं, मगर बहुत-सी जगह आपके डिपार्टमैंट के अधिकारी मौजूद नहीं रहते हैं। भीलवाड़े में वैलफेयर आफिसर के पद पर एक साल से किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। लोग कम्पेंसेशन के केसेज लेकर कहां जायें, कौन उनके डिसाइड करेगा? एसिस्टैंट लेबर कमिश्नर वहां पर बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए जहां आपने वर्कमैन कम्पेंसेशन कमिश्नर के कुछ अधिकार लेबर आफिसर को दे रखे हैं वह अधिकारी ही अगर वहां पर न हो तो उस हालत में आपको ध्यान रखना चाहिए कि वहां अधिकारी नियुक्त हों और जल्दी से जल्दी इन मुकदमात के फैसले हों।

भीलवाड़े में एक साल से लेबर आफिसर की नियुक्ति नहीं हुई है और वहां इतने मजदूर हैं कि अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। वहां पर माइका की माइन्स हैं, सोप-स्टोन, एसैबस्टोज, स्टोन, सैंड स्टोन, खड़िया मिट्टी की खानें, जिक, फास्फेट की बहुत खाने हैं जिनमें एक लाख से ज्यादा मजदूर उस जिले में काम करते हैं। एसिस्टैंट लेबर कमिश्नर के दफ्तर होने से मजदूरों को फायदा मिल सकता है, वह वहां पर नियुक्त होना चाहिए लेकिन एक साल से लेबर आफिसर ही गायब है। आप बतायें किस तरह से वहां के मजदूरों को सहूलियत मिल सकती है ?

आज आपने इस कानून में बहुत से सैंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज को भी इनक्लूड कर लिया है। आपने इसमें मिकदार को बढ़ा दिया है कि 1 हजार से ऊपर पाने वालों को भी कम्पैंसेशन दिया जा सकेगा। आज लाखों सैंट्रल गवर्नमेंट के एम्पलाई हैं जिनको 1 हजार से ज्यादा मिलता है, उसी प्रकार के मजदूर भी इसमें शामिल हो गये हैं। आज इस तरह से बहुत बड़े तबके को इस कानून से फायदा मिलेगा।

इस कानून को लाने का आपने अच्छे ढंग से प्रयास किया है। इसमें आज कम्पेन्सेशन बढ़ाने की आवश्यकता है।

कुछ लोगों का टैम्परेरी डिसएवलमैंट हो जाता है, जिन कारखानों में मजदूर काम करते हैं, वहां ई० एस० आई० लागू है, उसके जरिये अगर किसी की छोटी उंगली कट गई या छोटा डिसएवलमैंट हो जाये तो उसका फैसला वहां के लोकल ई० एस० आई० के अधिकारी कर देते हैं और उसको पेमैंट कर सकते हैं, मगर आपको देखना चाहिए कि जो ई० एस० आई० स्कीम आपने चालू कर रखी है, उसमें वहां पैसे की व्यवस्था नहीं हैं। वहां लोगों को न दवाई मिलती है और न कम्पेंसेशन का पैसा मिलता है। मजदूर इसके लिये मारे-मारे फिरते हैं। इसके संबंध में आप तवज्जह दीजिये कि अगर छोटे-छोटे एक्सीडैंट्स हो जाते हैं तो उसके बारे में तुरन्त मजदूर को पैसा मिले और इस प्रकार की स्कीम को आपको मजबूत करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने इस सुझाव में कोई संशोधन अतर्विष्ट करने हेतु दिया है ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : वह इस समय भी सुझाव दे सकते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इस कानून से लोगों को काफी राहत मिलेगी। आपको यह भी देखना चाहिए कि जिसकी डैथ हो जाती है या परमानेन्ट डिसएवल हो जाते हैं, इस प्रकार के लोगों को टाइमली रिलीफ इससे मिलता है या नहीं ?

क्या मंत्री महोदय एक काम्प्रिहेंसिव बिल में यह प्रावधान करेंगे कि जो एमाउन्ट डिसएबलमैंट या डैथ के संबंध मे बनता है, पहले वह एकाउन्ट उस दफतर में जमा हो जाए और उसके बाद आपोजिट पार्टी का लड़ने की अधिकार हो।

संगठित लेबर के संबंध में ट्रेड यूनियन्ज काम करती हैं, लेकिन असंगठित लेबर कंट्रेक्ट लेबर और इम्मीग्रेन्ट लेबर के बारे में भी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। लेबर इन्स्पैक्टर की यह ड्यूटी होनी चाहिए कि अगर किसी के हाथ-पांव कट जाते हैं या डैथ हो जाती है, तो उसका केस दर्ज कराए और पेमेंट दिलाए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। जो कठिनाइयां मैंने रखी हैं, मंत्री महोदय उनको दूर करने का प्रयत्न करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री इस पर बोले। जिन माननीय सदस्यों ने इस पर बोला है कम से कम वे तो मंत्री के उत्तर देने तक उपस्थित रहें।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : वे किसलिए ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक औपचारिक सुझाव है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको यह पता होना चाहिए कि सरकार आपके सुझाव को किस हद तक स्वीकार करती है, इसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। आप मानें या न मानें, मैं कहूंगा कि जो भी माननीय सदस्य वक्तव्य देते हैं, मंत्री द्वारा उत्तर देते समय उन्हें यहां रहना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रमजीवी मुआवजा (संशोधन) विधेयक, 1984 का मैं एक संशोधन के साथ समर्थन करता हूं। यह कानून 1923 में बनाया गया। इसका पहला संशोधन 1976 में हुआ और दूसरा संशोधन हम लोग अब कर रहे हैं। मेरी भी राय है कि अगर मजदूरों के जीवन से सम्बन्धित तमाम मसलों को लेकर एक विस्तृत विधेयक बनाया जाता, तो ज्यादा अच्छा होता। टुकड़ों-टुकड़ों में विधेयक बनाना ठीक नहीं होता है। इसी दृष्टिकोण से एक विस्तृत विधेयक लाने की आवश्यकता है, जिसमें तमाम बातों को समाहित किया जा सके।

इस विधेयक में आकुपेशनल डिजीजिज या उपजीविका-जन्य रोगों की चर्चा की गई है, जिनमें 34 रोगों का उल्लेख है। उनमें कारखानों में काम करने की वजह से होने वाली करीब-करीब सभी तरह की बीमारियां आ जाती हैं। मजदूर की बीमारी ठीक तरह से पकड़ी जा सके, इसका पता लगाने के लिए सरकार की मशीनरी बड़ी चुस्त और दुरुस्त होनी चाहिए। ताकि सचमुच में जो बीमार है उसका पता चल जाए और अगर अंग-भंग हो गया या मृत्यु हो गई तो हम जान लें कि इस वजह से मृत्यु हुई। तो इसके लिए कोई-न-कोई विधि आपको निकालनी होगी।

तीसरी बात यह है कि आपने मजदूरी की सीमा हटा दी है। पहले आपने एक सीमा बांध रखी थी कि उससे ज्यादा मजदूरी पाने वाले को मुआवजा नहीं देंगे लेकिन अब आपने सीमा हटा दी जोकि स्वागत-योग्य है।

इसी के साथ-साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा। क्लाज (4) में जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें कहा गया है :

"जहां किसी श्रमिक की मासिक मजूरी एक हजार रुपये से अधिक हो, खंड (क) तथा (ख) के प्रयोजनार्थ उसकी मासिक मजूरी को एक हजार रुपये ही समझा जाए।"

इसका अर्थ यह हुआ कि दो हजार जिसकी तनख्वाह है उसके लिए भी एक हजार ही मानेंगे तो मैं समझता हूं यह मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूं इस एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है, इसको आप डिलीट कर दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको 1000 रु० के स्थान पर 1600 रु० का सुझाव दे सकते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : मेरा संशोधन यह है कि खंड (चार) के लिए स्पष्टीकरण को हटा दिया जाए। अधिकतम सीमा समाप्त कर दी गई है। यह बहुत अच्छा है। तो भी मुआवजे को मासिक मजूरी की 1000 रु० की अधिकतम सीमा तक सीमित रखा जाएगा। यदि सरकार को यह सुझाव मान्य नहीं है तो मासिक मजूरी की अधिकतम सीमा 1000 रु० के स्थान पर 1600 रु० होनी चाहिए। 1600 रु० सरकार द्वारा विभिन्न कानूनों में निर्धारित मासिक मजूरी की मानक अधिकतम सीमा है। विभिन्न कानूनों में आपने 1600 तक रखा है तो इस कानून में आप 1000 क्यों करना चाहते हैं? आप अपने रास्ते से पीछे क्यों जा रहे हैं? आगे आने का समय है, पीछे जाने का नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार कर लेंगे तो श्रमजीवियों को नुकसान नहीं होगा और आपकी मंशा भी यही है कि उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे। मरने पर उनके परिवारजनों को और जिन्दा रहने पर, यदि अंग-भंग हो जाते हैं, तो उस स्थिति में सरकार सहानुभूतिपूर्वक उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करे—इस दृष्टिकोण से इस एक्सप्लेनेशन को हटा देना आवश्यक है।

मुआवजे की रकम के बारे में मुझे यह कहना है कि जान सबकी बराबर है। कोई हवाई जहाज में मरे, ट्रेन में मरे या कारखाने में काम करते हुए किसी अकूपेशनल डिजीज का शिकार होकर मरे—जान सभी की बराबर है। और आप तो समाजवाद की बात करते हैं, समाजवाद में जान एक ही होती है इसलिए मुआवजे की रकम भी सभी के लिए एक लाख होनी चाहिए।

आप कहते हैं कि छोटे कारखानेदार कहां से देंगे तो इसमें बड़े-बड़े कारखानेदार हैं, बिड़ला जी हैं, उनकी रौरौ माइन्स हैं जहां एस्बेस्टास शीट्स का काम होता है। इसी तरह से इसमें ज्यादातर इजारेदार ही होंगे, कारखानों को चलाने वाले फिर उनके साथ रियायत क्यों ? जब रेलवे में एक लाख, हवाई जहाज में एक लाख है तो इन कारखानेदारों को भी एक लाख देना चाहिए—यह मेरा सुझाव है।

आखिरी बात मैं कम्पैंसेशन यानि मुआवजे के बारे में कहना चाहता हूं। इसकी अदायगी में बहुत विलम्ब होता है, मेरी दृष्टि में विलम्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मरने वाला तो मर जाता है, उसके बाद में उसके परिवार के लोगों को परेशान होना पड़ता है। घूमते-फिरते चक्कर लगाते, कम्पैंसेशन कमीशन्स का दफ्तर खोजने में, बड़े बाबुओं को पकड़ने पर उसको पता नहीं कितनी घूस देनी पड़ती है। मैं चाहता हूं कि आप एक सीमा बांध दीजिए कि इतने दिनों के बाद कम्पैंसेशन मिल जाएगा। मरने के बाद या उंगली कट जाए या अंग कट जाए या शरीर अंग-भंग हो जाए—हर स्थिति में एक सीमा निर्धारित करना जरूरी है। यदि आप सीमा निर्धारित नहीं करेंगे तो वह बेचारा गरीब चक्कर लगाते-लगाते मर जाएगा और उसको जितनी कम्पैंसेशन की राशि जितनी मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलेगी। मिलने के पहले ही उसको कितनी राशि अपनी जेब से खर्च करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि क्लाज-4 के एक्सप्लेनेशन को हटा दें, नहीं तो कम से कम एक हजार रु० के बदले 1600 रु० कर देने चाहिए।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक खराब विधेयक है। लेकिन, मैं जानबूझकर यह नहीं कहना चाहता कि यह एक अच्छा विधेयक है, क्योंकि मैं इस विषय के सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक चाहता हूं।

जहां तक इस प्रतिपूर्ति का सम्बन्ध है कि मेरे विचार से यह प्रतिपूर्ति आयु विशेष पर आधारित होना चाहिए और किसी भी मामले में यह एक लाख से कम नहीं होना चाहिए। 30 वर्षों तक यदि कोई व्यक्ति विकलांग हो जाता है, उसे डेढ़ लाख रुपये दिया जाना चाहिए। 30 और 50 वर्ष के मध्य यह सवा लाख रुपये और 50 वर्ष के अधिक में यह एक लाख रुपये होना चाहिए। यह मेरा सुझाव है और मैं माननीय मंत्री महोदय से इसे देखने तथा तदनुसार मजदूरों की सहायता करने का प्रयास करने का अनुरोध करना चाहूंगा।

एक रेल दुर्घटना में यदि कोई व्यक्ति मर जाता है, जैसा कि बहुत से सदस्यों ने बताया है, उसके उत्तराधिकारी को प्रतिपूर्ति के रूप में एक लाख रुपये मिलेगा। लेकिन यदि रेलवे का कोई मजदूर उसी दुर्घटना में मर जाता है उसे उतनी धनराशि नहीं मिलती है। अतः इस प्रकार के

अन्तर को दूर किया जाना चाहिए और मजदूरों को भी उतनी ही प्रतिपूर्ति देने के लिए कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी प्रकार, हवाई जहाज जैसी अन्य दुर्घटनाओं में भी कोई अन्तर नहीं होना चाहिए और कर्मचारियों को भी उतनी ही धनराशि दी जानी चाहिए जो यात्रियों को दी जा रही है।

अब श्रीमन्, विधेयक में यह उपबन्ध होना चाहिए कि यदि कोई कर्मचारी कार्य करते हुए मरता है, उसके परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाना चाहिए। मान लीजिए उसके बच्चे छोटे हैं तो उस मामले में उनमें से किसी एक को उसके वयस्क होने पर रोजगार दिया जाना चाहिए। इस किस्म का उपबन्ध होना चाहिए। मुझे एक मामले के बारे में पता है, जिसे मैंने इस देश के पांच पूर्ववर्ती वित्त मंत्रियों को वर्ष 1977 से अब तक लिखा है, लेकिन व्यक्ति को अब तक रोजगार नहीं मिला है। एक व्यक्ति इम्पीरियल बैंक में कार्य करता था। उसकी उसके सेवा काल में ही मृत्यु हो गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पांच पूर्ववर्ती वित्त मंत्रियों के एक ही मामले को उठाते आए हैं। बेहतर था आप वित्त मंत्री बन जाते और योजना को कार्यान्वित करते।

श्री हरिकेश बहादुर : मुझे यह पता नहीं है कि क्या होगा, क्या यह इस सरकार के कार्यकाल में भी होगा या नहीं। मैंने श्री एच० एम० पटेल, चौधरी चरण सिंह, श्री एच० एन० बहुगुणा, श्री आर० वेंकटरमण तथा पांचवें वित्त मन्त्री श्री प्रणव मुखर्जी को लिखा है। मैंने इस मामले को इन सभी के पास भेजा। उसका पिता इम्पीरियल बैंक में कार्य कर रहा था। उसकी मृत्यु सेवाकाल में ही हो गई थी। उस समय उसका लड़का छोटा था। उसे नौकरी नहीं मिली। इम्पीरियल बैंक के प्राधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि वयस्क होने पर उसे निश्चय ही नौकरी मिल जाएगी। इसी बीच, इम्पीरियल बैंक को भारतीय स्टेट बैंक में मिला दिया गया। अब भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकारी उस व्यक्ति को रोजगार देने में निरंतर आनाकानी कर रहे हैं। इस प्रश्न के बारे में बातचीत करते समय उसने उन्हें मामला दिया है और कुछ उदाहरण भी दिए। लेकिन वे कुछ सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि वह उस लड़के के लिए अवश्य ही कुछ करेंगे। लेकिन उन्होंने भी आज तक कुछ भी नहीं किया है। पिछले दो वर्षों से वह प्रयास करते रहे हैं। वह अधिकारियों से बात करते हैं। अधिकारी आते हैं और कुछ स्पष्टीकरण देते हैं। मैं यह नहीं जानता कि वित्त मंत्री महोदय संतुष्ट होते हैं या नहीं। मैंने प्रत्येक वित्त मंत्री से कुछ बातें की हैं। लेकिन किसी ने इस समस्या को हल नहीं किया। मैं इस मामले में किसी में भी भेद नहीं समझता।

उपाध्यक्ष महोदय : आप निरंतर मामले को उठाते रहिए।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं इस मामले में पिछले सात वर्षों से लगा हुआ हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : अनुकम्पा के आधार पर वे कोई नौकरी दे सकते हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : रेलवे जैसे बहुत से संगठनों में इस प्रकार का उपबन्ध है। वे अनुकम्पा के आधार पर रोजगार देते हैं। सरकार के प्रत्येक विभाग में इस प्रकार का एक अनिवार्य उपबन्ध होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके सूचनार्थ एक भूतपूर्व कर्मचारी होने के नाते मैं यह जानता हूं कि यदि कोई कर्मचारी सेवा में रहते हुए मर जाता है और उसका कोई लड़का सरकारी सेवा में नहीं है, उसके एक लड़के को नौकरी दी जाती है। यह डाक तथा तार विभाग में होता है।

श्री रामावतार शास्त्री : आजकल, यह व्यवहार में नहीं लाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई कर्मचारी बेकार हो जाता है या उसकी आंख खराब हो जाती है या उसका ओंठ कट जाता है जैसे मामले में भी यदि उसके परिवार का कोई सदस्य नौकरी में नहीं है। उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाती है। मैंने स्वयं नौकरी दिलाने में उनकी सहायता की थी। मैंने स्वयं इसे उस समय करवाया था जब मैं मजदूरों का नेता था। आप भी उस पर जोर डालिए। आप जो सुझाव दे रहे हैं वह एक अच्छा सुझाव है।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं हमेशा अच्छे सुझाव देता रहा हूं। उन्हें स्वीकार करना सरकार का कार्य है।

उस प्रकार का एक उपबंध होना चाहिए। जब कभी किसी भाग में किसी व्यक्ति की सेवा काल में ही मृत्यु होती है। उसके परिवार के एक सदस्य को चाहे वह लड़का या लड़की या उसकी पत्नी हो 15 से 20 वर्षों के पश्चात भी नौकरी दी जानी चाहिए। रेलवों में कुछ ऐसा है। उत्तर पूर्व रेलवे में यह 20 वर्ष है। हमने अनुकम्पा के आधार पर बहुत लोगों को रोजगार दिलाने में सहायता की।

उन दैनिक कर्मचारियों के बारे में भी जो विभिन्न विभागों में विशेष रूप से रेलवे में कार्य कर रहे हैं, यह सुविधा दी जानी चाहिए। जहां वह ठेका मजदूर तथा देश से बाहर जाने वाले मजदूरों का सम्बन्ध है उनके लिए भी यह उपबंध होना चाहिए। इसीलिए हमने एक व्यापक विधेयक की मांग की है। इसके अतिरिक्त यदि कोई कर्मचारी नियोक्ता की लापरवाही के कारण करता है क्योंकि नियोक्ता समुचित सुरक्षा उपाय उपलब्ध नहीं करते हैं, उस मामले में नियोक्ता को दंड मिलना चाहिए। उसके लिए भी उपबन्ध होना चाहिए।

अंत में मैं श्री रामावतार शास्त्री जी द्वारा प्रस्तावित संशोधन का समर्थन करता हूं और

यह आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय उन सभी सुझावों पर विचार करेंगे जो यहां दिये गये हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री एस० टी० के० जक्कायन (पेरियाकुलम) : * माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कामगार प्रतिपूर्ति (संशोधन) विधेयक, 1984 के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मूल अधिनियम में वर्ष 1976 में संशोधन किये गये थे और 8 वर्षों के बाद श्रम मंत्री महोदय द्वारा यह संशोधन लाया गया है। श्रम, आयोग ने वर्ष 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यह खेदजनक है कि श्रम आयोग की बहुत सी उद्देश्यपूर्ण सिफारिशों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। यह विधेयक जो श्रम आयोग की सिफारिशों में से एक सिफारिश को कार्यान्वित करना चाहता है। वह सरकार के शिथिल कार्यकरण का एक उदाहरण है जो कल्याण के नाम से शपथ ग्रहण करती है। सरकार को श्रम आयोग की सिफारिशों को विधायी समर्थन देने में इतना अधिक समय क्यों लगती है, हमने बहुत पहले अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन पर हस्ताक्षर किये थे। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने दुर्घटना में हुई मृत्यु अंग भंग के लिए विभिन्न प्रतिपूर्ति की कुछ दरें निर्धारित की हैं। इन दरों को अब इस संशोधन विधेयक में शामिल किया जा रहा है। किसी भी तरह सरकार श्रम आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने तथा श्रम की भलाई के लिए श्रम आयोग सम्मेलन में अन्तर्विष्ट सुझावों के लिए बहुत देर तक चलने वाली कार्यवाही की है। देश के मजदूरों की ओर से मैं इस विधेयक का तहेदिल से समर्थन करता हूं और मुझे यह विश्वास है कि इस विधेयक को सभा की सर्वसम्पति से स्वीकृति प्राप्त होगी। मैं श्रम मंत्री को अपना आधार व्यक्त करता हूं कि मंत्री महोदय ने मूल अधिनियम, जिसे वर्ष 1923 में ब्रिटिश सरकार ने पास किया था, में भी कुछ अन्य आवश्यक संशोधन करने के लिए यह अवसर लिया है। इन वर्षों में अधिनियम में महामहिम राज्य या अन्य किसी देश में शब्द अन्तर्विष्ट थे। हमें इस अधिनियम में "महामहिम के राज्य" आपत्तिजनक के तथा भद्दे संदर्भ को हटाने के लिए 36 वर्ष नहीं लगाने चाहिए जो स्वतंत्र भारत में कार्यान्वियन के अन्तर्गत है। मुझे आश्चर्य है। कि हमें ब्रिटेश शासन के कानूनों को अब तक अपने देश में चालू कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कानून को कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम 1948 मानने में क्या कठिनाई है। ब्रिटिश शासन काल में पारित किये गये सभी अधिनियमों को वर्ष 1947 के बाद की तारीख का मानना चाहिए। उनमें आधुनिक समय के अनुसार संशोधन भी किये जाने चाहिए। मैं श्रम मंत्री महोदय का इस समस्या की ओर ध्यान देने तथा आवश्यक कार्यवाही करने का निवेदन करता हूं।

संगठित क्षेत्र में रोजगार अवसर कम किया जा रहा है। केन्द्र तथा राज्य सरकारें संगठित क्षेत्र में मजदूरों की भलाई के लिए हर बात करती रही हैं। अभी-अभी हमारी प्रधान मंत्री ने कहा

*तमिल में दिये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

था कि मजदूर राष्ट्र का आधार है। हमें राष्ट्र के आधार को मजबूत करने के लिए प्रत्येक कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा राष्ट्र कृषि प्रधान देश है आर्थिक विकास कृषि विकास पर आधारित होता है। हमारे 25 करोड़ कृषि मजदूर हैं जो अपना खून पसीना बहाकर कृषि कार्य करते हैं। इन वर्षों में उनके भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

श्रम मंत्री महोदय कहेंगे कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से उनकी भलाई की जायेगी। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इस विधेयक में प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होने के लिए 1000 रुपये की सीमा को हटा दिया गया है। इसका स्वागत करते समय मुझे यह कहना पड़ता है कि एक कृषि मजदूर की मासिक आंय 100 रुपये भी नहीं है। देश में कृषि मजदूरों के 10 प्रतिशत से ज्यादा संगठित क्षेत्र में मजदूर नहीं है। जब हम 10 प्रतिशत मजदूरों के लिए हर बात करते हैं तब हम देश के 30 प्रतिशत मजदूरों के हितों की अवहेलना कर देते हैं जब खेतिहर मजदूर प्राकृतिक आपदाओं अथवा दुर्घटनाओं के कारण मर जाते हैं या कार्य करते हुए विकलांग हो जाते हैं उनको कोई प्रतिपूर्ति नहीं मिलती है। मैं श्रम मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उन्हें खेतिहर मजदूरों की हालत सुधारने के लिए भी अपना ध्यान देना चाहिए।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे का उल्लेख करूंगा जब तक हमारे देश में ठेका मजदूर प्रथा और दैनिक मजदूरी प्रथा बनाये रखने की अनुमति दी जाती है तब तक श्रम कल्याण कानूनों का कोई अर्थ तथा उद्देश्य ही नहीं है। मुआवजा लाभ हमारी रेलवे में 2 लाख दैनिक मजदूरों को नहीं मिलेगा। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपनाई जा रही ठेका श्रम प्रथा के लिए भी मुआवजा कानून लागू नहीं होगा। यदि सरकार देश के मजदूरों की भलाई सुनिश्चित करना चाहती है तो ठेका मजदूरी प्रथा और दैनिक मजदूर प्रथा को तत्काल ही समाप्त किया जाना चाहिए। जब सरकार ही ठेके पर मजदूर तथा दैनिक मजदूरी पर मजदूर लगाती है तो निजी क्षेत्र के उद्योगपति इन दो प्रथाओं का पूरा लाभ उठाते हैं। अतः मैं ठेका मजदूर प्रथा और दैनिक मजदूर प्रथा के उन्मूलन की मांग करता हूं

कारखानों में भीषण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। उद्योगपति सुरक्षा कानूनों को कारगर रूप से कार्यान्वित नहीं करते हैं। वे अग्निशमन उपकरणों की भी व्यवस्था नहीं करते हैं।

यद्यपि यह एक कानूनी आवश्यकता है। वे उन मजदूरों के आश्रितों को मुआवजे का तत्काल भुगतान करने की भी परवाह नहीं करते हैं, जिनकी दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई हैं और इस प्रकार की दुर्घटनाओं में विकलांग हुए हैं। श्रम निरीक्षकों को इस प्रकार के अनुशासनहीन नियोक्ताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए जाने चाहिए। श्रम निरीक्षकों को श्रम कल्याण कानूनों के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं के सम्बन्ध में मजदूरों के आश्रितों की सहायता करने के भी निदेश होने चाहिए। उनको अनेक प्रकार के बहुत से पशुओं को चरने में भी सहायता दी जानी चाहिए। सभी श्रम कानून अंग्रेजी तथा हिन्दी में हैं और विधि मंत्री ने बताया है कि उन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में

किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जब तक इन श्रम कानूनों को क्षेत्रीय भषाओं में उपलब्ध नहीं किया जाता इनसे मजदूरों के अशिक्षित परिवारों को लाभ नहीं होगा। उनको बिचौलियों द्वारा ठगा जाता है। वे लाभ प्राप्त करने में असाधारण विलंब के बारे में भी पूछ नहीं सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : तमिलनाडु सरकार ने सभी श्रम कानूनों का तमिल में अनुवाद कर लिया है।

श्री एस० टी० के० जक्कायन : मैं सभी क्षेत्रीय भाषाओं का हवाला दे रहा हूं। श्रम मन्त्री महोदय को सभी श्रम कानूनों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कराने के लिए विशेष धन उपलब्ध करना चाहिए।

मैं यह नहीं चाहता हूं कि इस कानून का भी उद्योगपति मनमाने ढंग से उपयोग करें, मुझे यह बताया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत उद्योगपतियों की ओर 200 करोड़ रुपए से भी अधिक रुपये देय हैं। वे मजदूरों की राशि का अपने व्यक्तिगत काम में उपयोग कर रहे हैं। मैं यह चाहता हूं कि कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम को कारगर रूप से लागू किया जाए क्योंकि यह उन मजदूरों के निःसहाय आश्रितों के लिए लागू होता है, जिनकी मृत्यु हो गई हो और जो विकलांग हो गए हैं। केन्द्रीय सरकार को दोनों नियोक्ताओं का जबावतलब करना चाहिए।

प्रतिवर्ष हमें मन्त्रालय द्वारा तैयार की गई श्रम आंकड़ों की छोटी पुस्तक की एक प्रति मिलती है। इस पुस्तक में जो लिखा गया है वह समझ से बाहर है। मैं यह चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इसे देखें और इस पुस्तक में सुधार लायें ताकि यह समझ में आने योग्य बन सके।

बहुत से माननीय सदस्यों ने इस तथ्य का हवाला दिया है कि यह एक अधूरा उपाय है। मंत्री महोदय ने भी अपनी प्रारम्भिक टिप्पणी में यह बताया था रि एक व्यापक कानून तैयार किया जा रहा है। मैं उनसे इस कानून को शीघ्र तैयार करने का अनुरोध करता हूं जिससे हमारे मजदूरों तथा उनके परिवारों की भलाई सुनिश्चित हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अपनी सीट पर आसीन होता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : विधेयक में तीन बुनियादी प्रस्ताव अन्तर्विष्ट हैं और ये स्वागत योग्य प्रस्ताव हैं। हमारा प्रस्ताव उन व्यक्तियों की मुआवजे के लिए मान्यता के सम्बन्ध में कानूनी अड़चनों को दूर करना है जिनकी आमदनी 1000 रुपये से अधिक है। यह एक स्वागत योग्य प्रस्ताव है। विधेयक का दूसरा प्रस्ताव मुआवजे को आयु से जोड़ने का है। यह भी कुल मिलाकर स्वागत योग्य प्रस्ताव है। तीसरा प्रस्ताव व्यवसायिक बीमारियों की सूची को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अनुसूची के अनुसार अद्यतन बनाना है। विचारार्थ विधेयक के ये तीन बुनियादी प्रस्ताव हैं।

जहां तक इन प्रस्तावों का सम्बन्ध है मेरा कोई वैचारिक भेद नहीं है। लेकिन चर्चा में भाग लेने का कारण यह है कि यह मान लिया गया है कि सुरक्षा सम्बन्धी विनियमों का स्थानापन्न मुआवजे की अधिक राशि है। हमारे देश में कोई भी मजदूर ऐसी कार्य स्थिति, जो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है, के स्थान पर मुआवजे की भारी राशि लेने का इच्छुक नहीं होगा। मेरा आरोप है कि हमारे देश में जानबूझकर सुरक्षा उपायों की अवहेलना की जा रही है और सरकार की भूमिका निष्क्रिय कर रही है। उदाहरणस्वरूप समस्या की गंभीरता का अनुमान लगाने के लिए मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। समस्या का मतलब सुरक्षा नियमों या सुरक्षा विनियमों के कार्यान्वयन न करने के कारण स्थाई या कुछ समय के लिए विकलांग होने से है। इकानामिक्स टाइम्स के द्वारा इकठ्टा किए गए आकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष 2.5 लाख मजदूर अपंग, विकलांग या किसी अन्य कारण से विकलांग हो जाते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 2.5 लाख मजदूर अपंग विकलांग या शारीरिक रूप से अपंग हो जाते हैं। लगभग 1500 या इससे कुछ कम इस प्रकार के मजदूर मर जाते हैं। मैं गैर संगठित क्षेत्र के बारे में नहीं कह रहा हूं। यह समस्या की गंभीर स्थिति है। औद्योगिक उपक्रमों में लगे हुए हमारे लगभग 2.5 लाख मजदूर प्रतिवर्ष इस प्रकार से विकलांग हो जाते हैं। यह स्थिति हमारे देश के वर्तमान यांत्रिकरण के स्तर की मुझे खुशी है कि देश की प्रधान मंत्री ने यह वक्तव्य दिया है कि हमें और अधिक यांत्रिकरण करना चाहिए। यदि हम समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है। मेरी आशंका है कि तेजी से यांत्रिकरण करने से सुरक्षा खतरों से प्रभावित होने वाले मजदूरों की संख्या में वृद्धि होगी। इस समय क्या स्थिति है ?

श्रीमन, रसायन उद्योग में एक अध्ययन किया गया था और उस सरसरे अध्ययन से यह पता चला कि केवल रसायन उद्योग में 47 प्रतिशत कारखानों में उचित प्राथमिक चिकित्सा नहीं थी। उन कारखानों में उचित उपकरण युक्त प्राथमिक चिकित्सा प्रबन्ध नही थे। उनमे से 30 प्रतिशत कारखानों में चिकित्सा नियम ही नहीं थे। उनमें से 73 प्रतिशत कारखानों में कर्मचारियों की कोई आवधिक स्वास्थ्य जांच नहीं करायी गयी थी।

अत: श्रीमन, मेरी टिप्पणी तथा निष्कर्ष है कि वर्तमान सुरक्षा विनियमों का अनुपालन करने की अपेक्षा उनका अधिक उल्लंघन किया जाता है। यदि हम अन्य उद्योगों को लेते हैं, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान कोयला खानों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे मित्र श्री ए० के० राय मेरी अपेक्षा इस सम्बन्ध में अच्छी तरह वता सकते हैं, कोयला खानों में कोई सुरक्षा उपाय नहीं है। मैं आपको चासनाला कोयला खान दुर्घटना की याद दिलाना चाहूंगा जिसमें 400 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु अपनी गलती के कारण नहीं हुई अपितु इसका कारण यह था कि प्रबंधकों ने कानूनों के तहत प्रावधान किए गए सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया। यह समस्या की गंभीरता है। यदि आप यह चाहते हैं कि मुआवजे की राशि में वृद्धि की जाए तो क्या चासनाला कोयला खान में दुर्घटना के शिकार खनिकों के परिवारों को मुआवजे की अधिक राशि पाकर खुशी होगी ? सभी देशवासियों और यहां तक कि सभा को भी अत्यधिक खुशी होगी यदि कोयला खानों में सुरक्षा विनियमों को कुशलतापूर्वक कार्यान्वित किया जाता है। अत: यह

मुआवजा देने का ही प्रश्न नहीं है परन्तु वर्तमान सुरक्षा उपायों को कार्यान्वित करने तथा उनमें सुधार लाने की दिशा में अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। यह मेरी सामान्य टिप्पणी है। जहां तक अन्य प्रश्नों का सम्बन्ध है उन पर मेरे बहुत से मित्रों ने विचार किया है। स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के सोचने का यह एक पैमाना है। लेकिन जब आपने यह निर्णय कर लिया है कि जो 1000 रुपए से अधिक कमाते हैं उन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत लाना चाहिए तो इसके पीछे क्या तर्क है ? मुझे खुशी होगी यदि आप दूसरों को मुआवजा पाने के हकदार न बनने तक स्पष्टीकरण दें।

क्या यह उनको उपलब्ध किए गए वास्तविक केक के आधार पर है। आपका तर्क क्या है ? मैं इसके तर्क इसके औचित्य को समझने में असमर्थ हूं। अतः श्रीमन, मुझे खुशी होगी यदि वह 1,000 रुपए से अधिक आय अर्जित करने वालों को इससे बंचित रखने और इन्हें इनकी आय के अनुरूप मुआवजे का हकदार न बनाने का तर्क बताएं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह तर्क किस प्रकार निर्धारित किया गया है।

श्री चित्त बसु : अपनी तरफ से मैं यह कहता हूं कि तर्क यह है कि नियोक्ता की सहायता की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे नहीं बल्कि मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

श्री चित्त बसु : यदि आप मेरी तरफ से जानना चाहते हैं तो मैं यह कह सकता हूं कि उन्होंने नियोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक मजदूरों को इसके अंतर्गत लाया है। वे देय मुआवजे को कम करके उनकी सहायता करना चाहते हैं। अतः मैं उन पर आरोप नहीं लगाता हूं। यह एक दूध में मिले पानी की तरह का एक मिश्रित समाजवाद है। यह समाजवाद और उनके दर्शन पर चर्चा करने का समय नहीं है।

श्रीमन, मैं अपना भाषण यह कहते हुए समाप्त करता हूं कि सुरक्षा उपायों में सुधार करने की आवश्यकता है। एक कानून होना चाहिए और यह देखने के लिए एक निगरानी एजेंसी होनी चाहिए कि क्या सुरक्षा उपायों का ठीक प्रकार से कार्यान्वयन किया जा रहा है और एक व्यापक विधेयक यथाशीघ्र सभा के विचारार्थ लाया जाना चाहिए जिसमें सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव शामिल हों।

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन, मुझे अत्यन्त प्रसंन्नता है कि जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है उनमें से लगभग सभी ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस विधेयक का स्वागत किया है। यह एक छोटा और विवादरहित

विधेयक है । यह विधेयक मजदूरों के हित में है । बहुत से सदस्य इस विधेयक को लाने में विलंब के कारण जानना चाहते थे । मैं विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं समझता लेकिन मैं सभा को बताना चाहता हूं कि पुन: स्थापित तथा विचार करने के लिए विधेयक के साथ इस सभा में आने से पहले हमें अनेकों औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है और अनेक स्तरों पर प्रस्तावों की जांच करनी पड़ती है तथा अंत में विधेयक तैयार करना विधायी विंग का कार्य है । माननीय सदस्य यह जानते हैं—मैं किसी भी सदस्य को दोष नहीं देना चाहता हूं कि विधायी विंग के पास बहुत काम है और विधेयक तैयार करने के लिए समुचित कर्मचारी नहीं हैं और प्रत्येक मंत्रालय यह चाहता है कि उनके प्रस्तावों को प्राथमिकता देकर एक विधेयक के रूप में प्रारूप तैयार किया जाये । अत: कुछ विलंब हुआ है और मुझे उसके लिए खेद है ।

यदि मैं एक व्यापक विधेयक की प्रतीक्षा करता तो इसमें और विलंब होता । अत: मैंने सोचा था कि विलंब के कारण मजदूरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और मैंने मजदूरों की भलाई के लिए यह सोचा था कि जो संशोधन तत्काल स्वरूप के हैं उन्हें सभा के सामने लाया जाना चाहिए और उन्हें स्वीकृत कराया जाना चाहिए ।

लगभग सभी माननीय सदस्यों ने यथाशीघ्र सभा के समक्ष एक व्यापक विधेयक लाये जाने की मांग की । मैंने अपनी प्रस्तावना टिप्पणी में यह स्पष्ट कर दिया था कि मैं एक व्यापक विधेयक ला रहा हूं और इसमें अधिक से अधिक 50 स 60 संशोधन हैं । व्यापक विधेयक का अब प्रारूप तैयार किया जा रहा है और मैं संसद के अगले मानसून सत्र में विधेयक को पुर:स्थापित करने का भरसक प्रयास करूंगा ।

श्रीमन, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, वे कर्मचारी जो जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य कर रहे हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा लेकिन कुछ माननीय सदस्य उन कर्मचारियों के बारे में जानना चाहते थे जो उन अन्य स्थापनाओं में कार्य कर रहे हैं जो जोखिमपूर्ण नहीं है । मैं केवल यह कह सकता हूं कि जोखिमपूर्ण न समझे जाने वाले अन्य स्थापनाओं में कार्य कर रहे कर्मचारियों को यदि कर्मचारी राज्य बीमा में शामिल किया जाता है तो उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा के अन्तर्गत मुआवजा मिलेगा और कर्मचारी राज्य बीमा के अन्तर्गत मुआवजे की दर उस दर से कहीं ज्यादा है जिसे हम अब निर्धारित करने जा रहे हैं ।

अनेक माननीय सदस्यों ने यह महसूस किया कि विधेयक में मुआवजे की जिस राशि की मात्रा का सुझाव दिया गया है वह बहुत कम है । मैंने अपनी प्रस्तावना टिप्पणी में पहले ही इसे स्पष्ट कर दिया है कि जहां तक मुआवजे की मात्रा का सम्बन्ध है, मुआवजे की दरें सामाजिक सुरक्षा के न्यूनतम स्तर से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन में विनिर्दिष्ट दरों पर आधारित हैं ।

यह अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन में विनिर्दिष्ट दरों पर आधारित है और हमने

मुआवजे की गणना करते समय जो कुछ भी परिवर्तन किया है, है वह 1,000 रुपये की वेतन सीमा लगाया जाना। मेरे मित्र श्री रामावतार शास्त्री यह महसूस करते हैं कि मजदूरी सीमा की परिभाषा करते हुए इस सीमा या स्पष्टीकरण को हटाया जाना चाहिए। मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि हमने यह सीमा क्यों लगायी है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन भी यह कहता है कि मुआवजा निर्धारित करते समय कुछ प्रतिबंध लगाये जायें। कुछ माननीय सदस्यों ने अपना लगभग पूरा जीवन ही मजदूर संघों में लगा दिया है और वे इन बातों को अच्छी तरह जानते हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह वह मुआवजा है जिसकी नियोक्ता से दिये जाने की आशा की जाती है। सरकार ही मुआवजा नहीं दे रही है। मैं इस विचार का समर्थन नहीं करता हूं। देश में प्रत्येक नियोक्ता लखपति, करोड़पति है और प्रत्येक मजदूर कंगाल या गरीब या दबा हुआ और पददलित है और पीड़ित है। मैं इस विचार को नहीं मानता हूं। उनके बारे में क्या है जिनके लघुउद्योग हैं और उनमें 10 या 12 व्यक्ति रखे गये हैं। हम यह नहीं जानते कि वह उद्योग कैसे चल रहा है। क्या इसमें लाभ हो रहा है या नहीं। यह नियोक्ता को चुकाने की क्षमता पर निर्भर है। अचानक ही हमने राशि की मात्रा बहुत अधिक बढ़ाई है; स्थायी रूप से पूर्ण विकलांगों के मामलों में राशि 10,800 रु० से बढ़ाकर 24,000 रु० कर दी गयी है। इसी प्रकार मृत्यु के लिए मुआवजे की न्यूनतम दर 7,200 रुपये की बजाय 20,000 रुपये होगी। वर्तमान अधिकतम राशि 30,000 रुपये है जिसे बढ़ाकर 90,000 रुपये कर दिया गया है। स्थायी रूप से पूर्ण विकलांगों के लिए राशि 42,000 रुपये से बढ़ाकर इसे 1,12,000 रुपये किया जा रहा है। यह बहुत भारी वृद्धि है। हमें यह देखना चाहिए कि यह कैसे चलता है तथा उसकी चुकाने की क्षमता हमें नियोक्ता की स्थिति को भी देखना पड़ेगा। हम इसे बढ़ाकर इतना नहीं कर सकते हैं जो प्रबंधकों तथा नियोक्ताओं के लिए असह्य बन जाये।

प्रवासी मजदूरों के बारे में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं। जहां तक इस अधिनियम का सम्बन्ध है चाहे यह प्रवासी मजदूर का दैनिक या ठेका मजदूर है, जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति इस मुआवजे का हकदार है। मैं कुछ सदस्यों से सहमत हूं कि प्रवासी मजदूर मुआवजा प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करते हैं क्योंकि वे यहां काम करते हैं और फिर वे अपने स्थानों को वापस चले जाते हैं और मुआवजा आयुक्त मुआवजे की रकम निर्धारित करने में कठिनाई अनुभव करता है। मेरा यह कहना है कि मजदूर मुआवजा अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत दावों के निर्णय करने के मामले में प्रवासी मजदूरों के हित की सुरक्षा की ओर सरकार का ध्यान पहले ही आकर्षित करती रही है। इस मामले पर सितम्बर, 1983 में हुई श्रम सचिवों की बैठक में चर्चा की गई थी और उस क्षेत्र के राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत आवश्यक नियम बनाए जाएं जिससे प्रवासी मजदूरों के मामलों में दावों का अंतरण उस क्षेत्र के आयुक्त को दिया जाये जहां मजदूरों के आश्रित रहते हों विशेषकर ऐसे मामलों में जहां नियोक्ता ने यह इच्छा जाहिर की हो कि उसे कार्यवाही की पार्टी न बनाया जाये। हम यह सोच रहे हैं कि इसे अच्छा कैसे बनाया जाये जिससे प्रवासी मजदूर यथाशीघ्र मुआवजा प्राप्त कर सकें।

एक अन्य शिकायत यह थी कि दावों को समय पर तय नहीं किया जाता है। यह सच कि कुछ मामलों में अधिक समय लिया जाता है। इसका कारण यह है कि मुआवजा आयुक्तों की संख्या पर्याप्त नहीं है।

हाल ही में हमने इस मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाया है। हमने सभी राज्य सरकारों को परिपत्र भेजे हैं तथा राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि मुआवजा आयुक्त पर्याप्त संख्या में नियुक्त किये जायें। इसके अलावा, जहां तक इस अधिनियम का सम्बन्ध है, वर्तमान अधिनियम की धारा 4(क) में एक माह, अर्थात, जिस तारीख से मुआवजा देय होता है, के भीतर मुआवजे का भुगतान करने की व्यवस्था है। मुआवजा देय होने की तारीख तक मुआवजा न देने पर, नियोक्ता को 6% की दर से ब्याज देना पड़ता है।

अब, हम इस ब्याज दर को 6% से बढ़ाकर 12% करना चाहते हैं। लेकिन हम व्यापक विधेयक में यह उपबन्ध करने जा रहे हैं। इस व्यापक विधेयक में हम एक अन्य उपबंध यह करने की सोच रहे हैं कि एक विशिष्ट उपबंध किया जाए जिसमें घातक दुर्घटना के मामले में नियोक्ता दुर्घटना की तारीख के 30 दिन के भीतर आयुक्त के पास मुआवजे की राशि जमा करायेगा और मुआवजे की राशि जमा कराने के बाद ही वह मुआवजे के भुगतान की जिम्मेदारी के बारे में मामला, यदि कोई हो तो, उठा सकेगा। हम यह अनिवार्य बना रहे हैं कि उसे पहले राशि जमा करवानी चाहिए तथा उसके बाद ही वह इस दावे का विरोध कर सकता है।

और फिर, महोदय, व्यापक विधेयक में हम एक अन्य प्रस्ताव के बारे में सोच रहे हैं, वह यह है कि सरकार ने कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य बीमा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसे व्यापक विधेयक में शामिल किया जायेगा। कुछ माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि अस्थाई रूप से विकलांग होने पर 25% क्यों। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि अस्थाई विकलांगता होने पर यह 25% नहीं है। अस्थाई विकलांगता के मामले में, श्रमिक को हर पन्द्रह दिन के बाद मुआवजा मिलता है। इसीलिए हम इसे 'हर पखवाड़ा' कहते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रति मास उसे 50% मिलता है, जैसा कि स्थाई विकलांगता के मामले में है। चूंकि उसे हर पखवाड़े 25% का भुगतान किया जाता है जब हम इसे मासिक निकालते हैं तो यह मुआवजा 50% बनता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह जानना चाहा था कि मुआवजे की गणना करते समय क्या केवल वेतन को ही लिया जाता है अथवा महंगाई भत्ता तथा अन्य लाभों को भी लिया जाता है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मजूरी शब्द की परिभाषा के अन्तर्गत ऐसा कोई भी सुविधा अथवा लाभ शामिल किया गया है जिसको धनराशि के रूप में आंकलन किया जा सकता है और जो यात्रा भत्ते अथवा नियोक्ता द्वारा पेंशन, भविष्य निधि आदि के लिए किए गये अंशदान से भिन्न है। अतः मजूरी शब्द में यात्रा भत्ते के अलावा दैनिक भत्ता तथा अन्य भत्ते शामिल हैं। इस प्रकार पेंशन का आंकलन करने के लिए महंगाई तथा अन्य भत्तों को ध्यान में रखा जाता है।

माननीय सदस्य, श्री हरिकेश बहादुर ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि इसमें मृतक कर्मचारी के कम से कम एक आश्रित को रोजगार प्रदान करने के लिए भी एक उपबंध होना चाहिए। इस बारे में सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है। इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से प्रशासनिक अनुदेश हैं कि काम के दौरान मरने वाले मृतक कर्मचारी के आश्रित को नौकरी दी जाये। सरकार की इस प्रथा के बारे में हाल ही में केन्द्रीय नियोक्ता संगठन से सिफारिश की गई है जिसमें अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने सदस्यों को इसी प्रकार की परम्परा अपनाने पर विचार करने के लिये कहें। ये कुछ बातें हैं जो कि माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गई हैं और मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। अपनी बात समाप्त करने से पहले, फिर मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विधान का पूर्णतः समर्थन किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 7 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जा ये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.55 म० प०

संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक

अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक

संघ उत्पाद-शुल्क (विद्युत) वितरण (संशोधन) विधेयक

संपदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : मैं, श्री प्रणव मुखर्जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1979 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

"कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि संघ उत्पाद-शुल्क (विद्युत) वितरण अधिनियम, 1980 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि सम्पदा शुल्क (वितरण अधिनियम) 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

माननीय सदस्य यह जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत कर तथा शुल्क जिन्हें राज्यों में बांटा जाना है और राज्यों के हिस्से का राज्यों में परस्पर वितरण के सम्बन्ध में वित्त आयोग को राष्ट्रपति को शिफारिशें करनी अपेक्षित हैं। ये चार विधेयक जो मैंने आज पेश किये हैं ये आठवे वित्त आयोग की वर्ष 1984-85 की अन्तरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर तैयार किए गए हैं। की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन के साथ यह रिपोर्ट सभा के पटल पर 9-12-1983 को रखी गई थी, जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 281 के अन्तर्गत अपेक्षित है। आठवें वित्त आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में **अन्य बातों के साथ** यह भी रिफारिश की है कि उत्पाद-शुल्क तथा कृषि भूमि के अलावा सम्पत्ति पर सम्पदा-शुल्क के वितरण संबंधी वर्तमान व्यवस्था को ऐसे संशोधन जो कि अन्तिम रिपोर्ट में किया जाएगा, के अधीन 1984-85 में जारी रखा जाए।

1.58 म० प०

(श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए)

आयोग को अन्तिम रिपोर्ट 30 अप्रैल, 1984 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई थी तथा

इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर कार्यवाही करने तथा इस पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन के साथ इसे सभा के सभा पटल पर रखने में कुछ समय लगेगा। ऐसा करना केवल संसद के अगले सत्र में ही सम्भव होगा।

इस दौरान, संघ उत्पाद शुल्क में चालू वर्ष के राज्यों के हिस्से की पहली किश्त मई में दी जानी है। इसीलिए इन विधानों को बनाने की जरूरत पड़ी है। मैं इन विधेयकों पर विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि कोई नये सिद्धान्त पुरःस्थापित नहीं किए जा रहे हैं तथा इनका उद्देश्य केवल वर्तमान व्यवस्था को आठवें वित्त आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर निर्णय होने तक जारी रखना है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि उत्पाद-शुल्क (विद्युत) वितरण अधिनियम, 1980 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि सम्पदा शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अब, श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती बोलेंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : सभापति महोदय, इन विधेयकों को जैसाकि मन्त्री महोदय ने पहले बताया है, वर्तमान व्यवस्था को तब तक जारी रखना है जब तक वित्त आयोग की अन्तिम सिफारिशों को प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता। हम तथा विशेष रूप से राज्य इस बात का उत्सुकतापूर्वक इंतजार कर रहे हैं कि आठवें वित्त आयोग की क्या सिफारिशें हैं।

2.00 म० प०

परन्तु इस दौरान वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी। लगभग सभी राज्यों ने चाहे वे किसी भी राजनीतिक पार्टी से सम्बद्ध रहे हों, संसाधनों की हिस्सेदारी सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था पर अपना असंतोष जाहिर किया है। आप देखेंगे कि आर्थिक शक्तियों तथा संसाधनों के वर्तमान अतिकेंद्रीयकरण ने हमारे देश में असन्तुलन पैदा कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्र उपेक्षित और पिछड़े रह गए हैं।

जब संविधान बनाया जा रहा था, तब संविधान निर्माताओं ने विश्वास दिया था कि राज्य करों की विभाजित आय पर आश्रित रहेंगे। वित्तीय मामलों में इन्हें कुछ स्वायत्तता दी गई थी। लेकिन इसके बाद, संविधान में बाद में किए गए संशोधन से तथा केन्द्र सरकार द्वारा अनुसरण की गई नीति के कारण से साधनों के मामले में राज्य न केवल अपना हिस्सा गवां रहे हैं बल्कि वे केन्द्र सरकार की इच्छा पर ज्यादा निर्भर हैं। महोदय, आप देखेंगे कि अनुच्छेद 270 के अधीन, आय सम्बन्धी करों का बंटवारा अनिवार्य है। यह देखा गया है कि केन्द्र सरकार आय कर में से निगम कर लेकर राज्यों को इस आय से वंचित रख रही है। संसद के वित्त अधिनियम, 1959 ने राज्यों को आय कर में से उनके हिस्से से वस्तुतः वंचित कर दिया। आप देखते हैं कि निगम कर बढ़ रहे हैं और इस लचीले साधन को करों की हिस्सेदारी के क्षेत्र से निकाल दिया गया है जिससे राज्यों को अरबों रुपयों से वंचित कर दिया गया है। 1982-83 में निगम कर से 2339 करोड़ रुपए की आय थी तथा आयकर से 1563 करोड़ रुपए की आय थी। इस प्रकार, इस समय 2339 करोड़ रुपए की इस राशि का हिस्सा राज्यों को नहीं दिया जा रहा। लेकिन संविधान निर्माताओं ने यह चाहा था कि इसका हिस्सा केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों में बांटा जाना चाहिए। राज्य सरकारों को निगम कर की आय के अपने वैध हिस्से से वंचित किया जा रहा है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में क्या हुआ ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : सातवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि आयकर से प्राप्त आय का 85% राज्यों को मिलेगा। यह सच है। लेकिन आप देख रहे है कि आयकर से प्राप्त आय में वृद्धि नहीं हो रही बल्कि निगम करों से प्राप्त आय बढ़ रही है। सबसे अधिक लचीले साधन को केन्द्र के लिए रख गया है जोकि संविधान का प्रयोजन नहीं था, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा ऐसा किया गया है।

आप यह भी जानते हैं कि जहां तक मूल उत्पाद-शुल्क की हिस्सेदारी का संबंध है, यह विवेकाधीन है। सातवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि मूल उत्पाद-शुल्क का 40% राज्य सरकारों को दिया जाना है। यह भी सही है, लेकिन हो क्या रहा है ? राज्य बिक्री करों पर निर्भर रहते थे; और वे अब भी इसी पर निर्भर रहते हैं। लगातार, वस्तुओं को बिक्री-कर के क्षेत्र से बाहर रखा जा रहा है जिससे राज्यों को अपने निजी आय के साधन से वंचित किया जा रहा है। वे अब केन्द्र सरकार पर आश्रित हैं।

केन्द्र सरकार ने राज्यों की शक्तियों पर हमला वस्तुतः 1956 में शुरू किया था जब अनुच्छेद 269 तथा 286 में संशोधन किया गया था तथा बाद में यह हमारा केन्द्रीय बिक्री कर कानून में संशोधन करके किया गया था। समय की कमी के कारण मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहता; क्या किया गया है ? अन्तर राज्य व्यापार के लिए कुछ वस्तुओं को महत्वपूर्ण घोषित किया गया है। और राज्य सरकार केवल 4 प्रतिशत तक ही कर लगा सकती हैं। यदि वे उत्पाद शुल्क की

हिस्सेदारी में शामिल नहीं होना चाहतीं, जिससे सबसे पहले तो राज्य सरकारें अपने राजस्व के लिए केन्द्र सरकार पर निर्भर करेंगी और राज्यों की शक्ति 4% तक ही सीमित हो जायेगी।

अत क्या हो रहा है ? राज्य सरकारें अपनी स्वतन्त्र शक्तियां खो रही हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों पर अधिक से अधिक निर्भर हो रही हैं।

केन्द्र से तीन तरीकों से संसाधन अन्तरिम किए जा सकते हैं। सांविधिक अनुदान, स्वैच्छिक अनुदान और ऋण। आप पाएंगे कि सांविधिक अनुदानों अथवा संसाधनों के सांविधिक अन्तरण के प्रतिशत में कमी आ रही है; स्वैच्छिक अनुदान और ऋणों का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। इसका अर्थ क्या है ? जैसे-जैसे विकास सम्बन्धी निर्माण-कार्य बढ़ रहे हैं, राज्यों के राजस्व और उनके खर्च में अन्तर बढ़ता जा रहा है। यह अन्तर जितना बढ़ेगा उतने अधिक राज्य केन्द्रीय सरकार पर निर्भर होते जाएंगे। आप देखेंगे कि आज अधिकतर स्वैच्छिक अनुदान और ऋण सशर्त ऋण अथवा सशर्त अनुदान हैं। और अपनी असीम शक्तियों के माध्यम से केन्द्रीय सरकार राज्यों की प्राथमिकताओं को और उनके निर्णय को प्रभावित करती है। यह योजना आयोग के माध्यम से किया जाता है। सभी राज्यों को अपनी राज्य की योजनाओं के लिए योजना आयोग से स्वीकृति लेनी जरूरी है और अपने राजस्व के लिए केन्द्रीय सरकार के ऋण और अनुदान पर निर्भर भी रहना पड़ता है। ये अनुदान और ऋण मंजूर करते समय, केन्द्रीय सरकार योजना आयोग के माध्यम से, राज्यों को केन्द्रीय सरकार के बताए रास्ते पर चलने को बाध्य करती है। वास्तव में, राज्यों के पास अपने संसाधन बढ़ाने की कोई स्वतन्त्र शक्ति नहीं है। उनके पास अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों का निर्धारण करने की भी कोई स्वतन्त्र शक्ति नहीं है। वे पूर्णतः केन्द्रीय सरकार पर निर्भर करती हैं। वास्तव में केन्द्रीय सरकार भारी मात्रा में अनुदान और ऋण देने की प्रक्रिया के माध्यम से राज्यों पर नियन्त्रण करती हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह तो पारस्परिक है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह स्थिति मालिक और नौकर की हो गई है। आप हुक्म देते हैं और वे स्वीकार करते हैं। यदि वे आपके दिए हुक्म को स्वीकार नहीं करते तो आप उन्हें पैसा नहीं देते। अतः साधनहीन राज्य सरकारें क्या कर सकती हैं। उन्हें आपका हुक्म जबरदस्ती स्वीकार करना पड़ता है। यदि गैर-कांग्रेस (आई) राज्य सरकारें अपना असन्तोष प्रकट करती हैं तो केन्द्रीय सरकार का वित्त मन्त्री उनके ओवरड्राफ्ट को रोकने के लिए यहां है। वह कहते हैं, "मैं अनुदान नहीं दूंगा; मैं आपकी योजनाओं का आकार कम कर दूंगा।" इस प्रकार राज्यों में असन्तोष पैदा किया जा रहा है। इस प्रकार उन्हें दण्ड दिया जाता है।

प्रो० एन० जी० रंगा : आप केन्द्र को धमकी देते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आज, राज्य सरकारों के पास वास्तव में राजस्व का कोई स्वतंत्र लचीला साधन नहीं है। उन्हें बिक्री कर पर काफी निर्भर रहना पड़ता है। किन्तु साथ ही कुछ

वस्तुओं को बिक्री कर से अलग करके उन्हें उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत लाने का भी प्रस्ताव है जिससे कि राज्य राजस्व जुटाने की अपनी स्वतन्त्र शक्ति से वंचित हो जायें। उन्हें राजस्व की काफी हानि होगी और वे केन्द्र सरकार पर और अधिक निर्भर हो जायेंगे। ये बड़ी खतरनाक साजिश है। संविधान के प्रवर्तकों ने ऐसा तो नहीं सोचा था। उन्होंने सहयोगी संघ की कल्पना की थी, जिसमें राज्य और केन्द्र सरकारें समान रूप से साझीदार होंगी। अब इस योजना प्रक्रिया के कारण और केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के कारण वे समान साझीदार नहीं रही। उन्हें केन्द्रीय सरकार की मर्जी के अनुसार योजना आयोग के समक्ष झुकना पड़ता है।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या इसका यह अर्थ नहीं कि केन्द्र ने उत्पाद शुल्क बढ़ाकर जनता की नाराजगी का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है। दूसरी ओर राज्यों को अपना बिक्री कर बढ़ाने की गम्भीर समस्या से और जनता की नाराजगी और उसके समर्थन खोने की परेशानी से उबार लिया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप राज्यों की सुरक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं जो आपकी सुरक्षा नहीं चाहते। वे केवल आपसे इसलिए बचना चाहते हैं कि आप उनकी स्वतन्त्र शक्ति छीन लेना चाहते हैं। यदि वे आपना राजस्व अपने साधनों से स्वयं जुटा सकते हैं तो वे उसे व्यय भी कर सकते हैं। किन्तु जहां कहीं भी आपने शक्ति हथियाई उन्हें आपके पास आना पड़ता है और उन्हें आय पर निर्भर होना पड़ता है। अतः स्वतन्त्रता की दृष्टि से, इस कदम के माध्यम से उन्हें आय पर निर्भर रहने की स्थिति में आना पड़ता है, और इस प्रकार उन्हें आपके हुक्म को स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा; इस प्रकार आपका राज्यों पर अधिक राजनीतिक नियन्त्रण रहेगा।

योजना प्रक्रिया के माध्यम से, केन्द्रीय सरकार उन कार्यक्रमों को अपने हाथ में ले रही है जो राज्यों के अधिकर क्षेत्र में आते हैं। अतः जहां संविधान राज्यों का कार्यक्षेत्र निर्धारित करता है, केन्द्रीय सरकार इसमें योजना प्रक्रिया के माध्यम से और वित्तीय शक्ति के माध्यम से हस्तक्षेप करके इस प्रकार राज्यों की शक्ति को क्षीण कर रही है। अतः इसे मैं संघ के लिए अच्छा नहीं समझता। अभी मन्त्री जी वित्त आयोग की चर्चा कर रहे थे। वित्त आयोग की स्थिति क्या है? वित्त आयोग. केन्द्र और राज्यों के बीच, जहां तक संसाधनों का सम्बन्ध है, एक निर्णायक होना चाहिए। मैं वित्त आयोग का ही उद्धरण देता हूं। आप देखेंगे कि वित्त आयोग की स्थिति क्या है। तीसरे वित्त आयोग का कहना है :—

"वित्त आयोग की भूमिका राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए राजस्व और व्यय के पूर्वानुमानों तथा सहायता-अनुदानों की मात्रा का निर्धारण करने हेतु योजना आयोग द्वारा योजना के राजस्व तत्त्व की स्वीकृति के बीच एक एजेंसी की है जबकि आजकल इसका कार्य किन्हीं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत योजना आयोग

द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए पहले से ही नियत सहायता की राशि के आधार पर अन्तरण का सांख्यिकीय मूल्यांकन करना ही रह गया है।"

यह तीसरा वित्त आयोग कहता है कि वास्तव में वित्त आयोग की भूमिका लगभग नगण्य रह गई है। सब कुछ योजना आयोग द्वारा किया जाता है। सब कुछ योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। योजना आयोग के पास निर्णायक शक्ति है। किन्तु योजना आयोग का कोई सांविधिक आधार नहीं है, और उसमें राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद में तो राज्यों का प्रतिनिधित्व है। किन्तु राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकें केवल औपचारिकता-मात्र रह गई हैं और योजना आयोग अधिक शक्तिशाली बन गया है। मैं निश्चित रूप से आयोजना के पक्ष में हूं। मैं अपने देश का नियोजित विकास चाहता हूं। योजना के द्वारा ही हम विकास कर सकते हैं। योजना के माध्यम से सन्तुलित विकास हो सकता है। किन्तु योजना आयोग की रचना क्या है। पहले योजना आयोग में सभी मन्त्री—अथवा कम से कम महत्वपूर्ण मंत्री—होते थे। किन्तु प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सुझाव दिया कि उसमें विशेषज्ञ सदस्य होने चाहिए। किन्तु आजकल विशेषज्ञ कौन हैं? अब हमारे विशेषज्ञ वे लोग हैं जो स्वतंत्र अर्थशास्त्री नहीं हैं, किन्तु हमारी सर्वशक्तिमान प्रधान मंत्री द्वारा चुने गए अर्थशास्त्री हैं। राज्य कहां हैं? राज्यों की आवाज कहां सुनी जाती है? यदि सब निर्णय योजना आयोग ने ही लेने हैं और राज्यों की सुनवाई नहीं होनी है तो राज्य क्या करेंगे? उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। उन्हें वह सब स्वीकार करना पड़ता है, जो कुछ योजना आयोग उन पर थोप देता है। आजकल के संदर्भ में योजना का अर्थ नौकरशाही तन्त्र है। वे सब कुछ निर्धारण करते हैं, क्योंकि स्वतन्त्र अर्थशास्त्रियों के लिए कोई स्थान नहीं है।

प्रो० एन० जी० रंगा : हर स्तर पर राज्य के मंत्रियों से परामर्श किया जाता है।

श्री सत्यसाहन चक्रवर्ती : यह काफी खतरनाक है। यह देखा जा सकता है कि निधियों की मंजूरी देते समय और स्वैच्छिक शक्ति के अधीन संसाधनों का वास्तविक अंतरण करते समय आर्थिक सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता। केन्द्र से राज्यों को संसाधनों के अंतरण में राजनीतिक कारणों की काफी भूमिका रहती है। जिस राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार चाहती है वह सर्वाधिक लाभ प्राप्त करती है।

प्रो एन० जी० रंगा : यह गलत है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जिन राज्यों में विपक्षी दलों का शासन है उन्हें दण्ड दिया जाता है। प्रो० रंगा कहते हैं "नहीं" मैं पश्चिमी बंगाल का उदाहरण दे सकता हूं। जहां तक इसके ओवरड्राफ्ट का प्रश्न है आपने अब तक क्या किया है? आपने पश्चिम बंगाल सरकार को भुगतान करने पर रोक लगा दी है। किन्तु आप आज का "दि स्टेट्समैन" पढ़ें, जिसमें प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार ओवरड्राफ्ट की अधिकतम राशि पंजाब को दी गई है। और भी राज्य हैं जिनके ओवर-

ड्राफ्ट हैं। किन्तु वे राजनीतिक उद्देश्य से पश्चिम बंगाल के साथ ही भेदभाव कर रहे हैं। मेरे पास उन सभी कांग्रेस (इ) राज्य सरकारों के नाम हैं जिनके पास ओवरड्राफ्ट है। मैं प्रलेखों से यह भी दिखा सकता हूं कि पहले भी, जबकि सभी जगह कांग्रेस (इ) की सरकारें थीं और कोई विपक्षी पार्टी की राज्य सरकार नहीं थी, उस समय भी ओवरड्राफ्ट की समस्या थी। राज्यों के पास ओवरड्राफ्ट क्यों होता है। इसका कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार नोट छाप सकती है किन्तु राज्य सरकारें नहीं। इससे पहले कि आप राज्यों को कहें कि आपको सुदृढ़ वित्तीय सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए तथा संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रबन्ध करना चाहिए। क्या मैं यह कह सकता हूं कि उपदेश देने से पहले आप स्वयं उस पर अमल करें? क्या आप बजट को संतुलित रखने की नीति का अनुसरण कर रहे हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आप राज्यों को कैसे कह सकते हैं कि वे अपना बजट संतुलित रखें? राज्यों का कुल घाटा केन्द्रीय सरकार के कुल घाटे से कम है। क्या आप कह सकते हैं कि आपका सारा कद नियोजित कद है?

आप केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देते हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है, आपको यह देना चाहिए। महंगाई बढ़ रही है। राज्य सरकारें क्या करें? स्वाभाविक है, वह भी अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती हैं। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करती हैं तो आप यह कहते हैं कि यह फिजूलखर्ची है, वह ऐसा नहीं कर सकते हैं, यह गैर-विकास संबंधी खर्च किया गया है। पहले आप खुद ऐसा करते हैं, फिर राज्य सरकारों से यह कहते हैं कि वह ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर राज्य क्या करेंगे? वह तो आप ही पर निर्भर करते हैं। क्योंकि उनका अपना कोई श्रोत नहीं है, इसलिए, वह आपकी दया पर निर्भर करते हैं। आप वह भी उन पर नहीं करते। न केवल पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की वामपंथी सरकारें अपितु कांग्रेस (इ) सरकारें द्वारा भी सातवें वित्त आयोग के समक्ष यह अनुरोध किया गया था कि उन्हें दया की जरूरत नहीं है। के वही मांगते हैं जो न्यायोचित रूप से उनका है। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वह इन सब बातों का जवाब दें। क्या आप यह चाहते हैं कि इस संघ की अखंडता बनी रहे? यदि आप यह चाहते हैं तो संसाधनों की भागेदारी की संयुक्त जिम्मेदारी एकात्मक रूप से किस प्रकार से हो सकती है? समस्त कल्याण संबंधी गतिविधियां राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है तथा पैसे के लिए उन्हें दिल्ली आना पड़ता है और वित्त मंत्री के समक्ष भीख मांगनी पड़ती है, अनुनय याचना करनी पड़ती है ताकि उन्हें ऋण, पैसा प्राप्त हो सके। मैं आपको आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं। जिससे यह पता चलता है कि केन्द्र जो संसाधन जुटाता है उसका 70 प्रतिशत वह खुद अपने व्ययके लिए रख लेता है। राज्य सरकारों को केवल 30 प्रतिशत ही मिल पाता है। आप जो भी संसाधन प्राप्त करते हैं, उसमें से 70 प्रतिशत आप अपने लिए रख लेते हैं तथा राज्यों को केवल 30 प्रतिशत देते हैं। लेकिन संविधान में शुरू में क्या निर्धारित किया गया था? संविधान में मूलतः यह व्यवस्था की गई थी कि केन्द्र काफी मात्रा में संसाधन एकत्र करेगा तथा राज्य सरकारों के साथ उसे बांटेगा जिससे कि राज्य ऋणों अथवा मर्जी अनुसार देय सहायतानुदान पर ही निर्भर न करके करों में की जाने वाले साझेदारी पर निर्भर करें। अब आपने इस सारी व्यवस्था को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है, परिणामतः क्या हुआ है? इससे संतुलित विकास नहीं हो रहा।

समस्त पूर्वी क्षेत्र की अवहेलना हो रही है। जबकि आप अपने राजनीतिक उद्देश्यों के अनुसार निधियों का आबंटन करते हैं, आप अपनी इनवेस्टमेंट में संसाधनों के हस्तांतरण में समानता नहीं बरतते तथा इन क्षेत्रीय असमानताओं के कारण अलगाववादी और विघटनकारी ताकतें इसका फायदा उठा रही हैं। यदि संसाधनों का न्यायोचित एवं संतुलित वितरण हो, यदि समस्त क्षेत्रों का एक समान विकास हो तो आप व्याप्त असंतोष को एक सीमा में ही रख सकेंगे। लेकिन इन क्षेत्रीय असमानताओं के कारण ऐसा नहीं किया जा रहा है। क्या कारण है कि आज आपको यह लगता है कि राज्य सरकारें इसे स्वीकार नहीं करना चाहतीं ? न केवल पश्चिम बंगाल अथवा त्रिपुरा अथवा कर्नाटक अथवा कश्मीर अपितु आपको अपने राज्य बिहार के मुख्य मंत्री ने यह कहा है कि उन्हें स्वतंत्र शान्ति चाहिए। आप क्या कर रहे हैं ? आप राज्यों को धन से वंचित कर रहे हैं। जब आप आकलित बढ़ाते हैं तो आपको जो कुछ मिलता है उसमें से आप राज्यों को कुछ नहीं देते। अगर यह उत्पाद शुल्क होता तो आप जरूर हिस्सा बांटते लेकिन, यह आप नहीं करते। आप कोयला, पैट्रोलियम उत्पादों आदि के लागू मूल्य बढ़ाते तो हैं लेकिन वह सारा पैसा आप अपने पास रख लेते हैं। लेकिन, संविधान निर्माताओं ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। आप यह देखेंगे कि कितना अन्याय किया जा रहा है।

अब मैं खनिजों के बारे में रायल्टी की बात करूंगा। आप मूल्य तो बढ़ा देते हैं लेकिन, राज्यों को वंचित रखा जाता है, क्योंकि उनकी रायल्टी में वृद्धि मूल्यों में वृद्धि के समरूप नहीं की जाती, केवल आपको ही फायदा होता है। इसीलिए, असम आज यह मांग कर रहा है—असम में वामपंथी सरकार नहीं है, वहां आपकी अपनी सरकार है कि उनकी रायल्टी बढ़ाई जाए। पश्चिम बंगाल सरकार का भी यही कहना है कि आप कोयले को पैसे तो बढ़ा रहे हैं लेकिन, आप उस राज्य को बढ़ी हुई आय से वंचित कर रहे हैं। इस प्रकार, इन सब तरीकों से केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को संसाधनों से वंचित कर रही है। इसलिए, मैं यह मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार की नीति में बदलाव होना चाहिए। टैक्स, ऋण, सहायतानुदान और रायल्टी आदि को बांटने के अलावा आज वाणिज्यिक बैंक भी 14,000 करोड़ रु० का ऋण दे रहे हैं। वित्तीय संस्थान भी ऋण दे रहे हैं। लेकिन, निवेश और विकास में किसको प्राथमिकता देनी है, इसका निर्धारण केन्द्र सरकार करती है क्योंकि बैंक और वित्तीय संस्थाओं का नियंत्रण केन्द सरकार करती है। इतनी बड़ी राशि का नियंत्रण केन्द्र सरकार करती है तथा वही इसके बारे में प्राथमिकता निर्धारित करती है तथा इस प्रकार, राजनीतिक आधार पर वह कुछेक क्षेत्रों को वंचित रखती है। मैं अपने राज्य से आंकड़े उद्धृत कर सकता हूं। पश्चिम बंगाल से 6,000 करोड़ रु० से अधिक राशि आप आय कर और अन्य संसाधनों से प्राप्त करते हैं लेकिन पश्चिम बंगाल का केवल 1,500 करोड़ रु० से थोड़ा ही अधिक मिल पाता है। वाणिज्यिक बैंकों में यहां जो राशि जमा होती है उस पैसे को कहीं अन्यत्र लगा दिया जाता है। इससे असन्तुलन, भेदभाव उत्पन्न हो रहा है तथा इससे विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक असंतोष उत्पन्न हो रहा है। मुझे नहीं मालूम आठवें वित्त आयोग द्वारा क्या रिपोर्ट

दी गई है लेकिन, मैं यह चाहता हूं कि इस नीति को बदला जाए। इसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए। हम भी आर्थिक विकास और प्लानिंग के पक्ष में हैं। आपको यह तो मानना ही चाहिए कि सभी राज्य सरकारें जिम्मेदार सरकारें हैं, जिनका चुनाव जनता द्वारा उसी प्रकार किया गया है जिस प्रकार आपका चुनाव किया गया है, जैसे आप लोगों के लिए कृत संकल्प हैं इसी प्रकार उनको भी कुछ कमिटमेंट हैं क्यों न यह सहयोग समान रूप से हो। इस समानता को नष्ट नहीं करना चाहिए। आपने पहले ही राज्यों को कम कर बड़ी नगरपालिकाओं की स्थिति पर पहुंचा दिया है जो भारत की एकता के लिए बहुत खतरनाक है। अगर हम अपने देश को एकता-बद्ध रखना चाहते हैं तो हमें समानता और न्याय के आधार पर मिल कर काम करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो देश को एक रखना बहुत कठिन हो जाएगा। स्थिति पहले ही अच्छी नहीं है। मैं केन्द्र सरकार और मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वह जो कुछ भी हो रहा है उसे समझाने की कोशिश करें हम वास्तव में देश को एक देखना चाहते है एवं इसे मजबूत बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम यह मांग करते हैं कि इस नीति को बदला जाए। इसलिए, मैं यह मांग करता हूं कि निगम कर और आय कर अधिकार की आय को राज्यों के साथ बांटा जाना चाहिए।

(2) अनुच्छेद 268 और 269 में किए गए उपबन्धों का पूरा लाभ उठाना चाहिए,

(3) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की योजना समाप्त की जाए,

(4) आकलित में की गई प्रत्येक वृद्धि में से 40 प्रतिशत अ.म राज्यों को दिया जाए।

(5) "डिक्लेयर्ड गुड्स" के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांतों की पुनरीक्षा की जाए।

(6) राज्यों को उनके खनिज संशाधनों के लिए देय रायल्टी का निर्धारित राज्यों के परामर्श से यथा मूल्य आधार पर किया जाए।

(7) भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल और स्थानीय निदेशक मंडल में, राज्यों को बारी-बारी में अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर देना चाहिए तथा लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें वाणिज्यिक बैंक खोलने की अनुमति होनी चाहिए।

(8) वित्तीय मामलों पर संघ और राज्य सरकारों के बीच विचार-विमर्श करने के लिए एक संस्थागत मंच स्थापित किया जाए। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि 'प्लानिंग बाडी' का फिर से गठन किया जाए तथा राष्ट्रीय विकास परिषद को सार्थक बनाया जाए।

यहां पर मन्त्री लोडा सामान्यतया पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगाते रहते हैं। हमारे वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी यहां उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने यह कह कर इस सभा को गुमराह किया है कि पश्चिम बंगाल सरकार अनावश्यक खर्च कर रही है तथा वह विकासगत योजना पर ध्यान नहीं दे रही है। यहां मैं इस सभा का ध्यान, राज्य के वित्त मन्त्री श्री अशोक मित्रा द्वारा दिए गए एक भाषण की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारे विकासगत व्यय में तिगुनी वृद्धि हुई है। जहां तक आतिथ्य भत्ते की बात है पश्चिम बंगाल इसमें काफी

मितव्ययी है। जबकि महाराष्ट्र में इस भत्ते पर लाखों रुपये खर्च होते हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के मामले में इस पर कुछ हजार रुपए ही खर्च होते हैं।

इस प्रकार, यह आरोप कि पश्चिम बंगाल संसाधनों का अपव्यय कर रहा है, निराधार है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कहां पर राज्य सरकार अपने खर्च में कटौती कर सकती है? क्या आप शिक्षा अथवा चिकित्सा संबंधी व्यय में कटौती कराना चाहते हैं? जब आप यह आरोप लगाते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार पैसे का अपव्यय कर रही है तो आपको इसका स्पष्ट उदाहरण देना चाहिए। मैं वित्त मन्त्री को इस बात के लिए चुनौती देता हूं, वह हमें यह बताएं कि हम कहां पर कटौती कर सकते हैं, हम किस पर पैसा खर्च कर रहे हैं। जहां अन्य सरकारें नहीं कर रही हैं।

जहां तक पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों के वेतन का संबंध है वह भारत में अन्य राज्यों में दिए जाने वाले वेतन से अधिक नहीं हैं। जहां तक अध्यापकों को दिए जाने वाले वेतनमान का सम्बन्ध है, वह पंजाब में दिए जाने वाले वेतनमान से अधिक नही हैं। वास्तव में कांग्रेस (आई) सरकार द्वारा इस राज्य की अवहेलना की जा रही थी। हम ऋणों के लिए भुगतान कर रहे हैं तथा यह 34 प्रतिशत है; हमें इन ऋणों की अदायगी करनी है। वह ऋण कांग्रेस (ई) सरकार द्वारा लिए गए थे। यह 31 प्रतिशत है तथा यह सबसे अधिक है क्योंकि पिछली सरकार ने यह सब ऋण लिए थे तथा हमें उनका भुगतान करना है। पश्चिम बंगाल पर यह बोझ काफी अधिक है। इसलिए, सरकार पर आरोप लगाने से पहले आप तथ्यों की जांच करिए। आर्थिक कारणों को महत्त्व दिया जाए, राजनीतिक को नहीं। वहां पर जो सरकार विद्यमान है, वह दूसरे दल की होने के कारण आपने उस सरकार के खिलाफ लगभग आर्थिक लड़ाई-सी आरंभ कर दी है। इसे रोकना चाहिए केन्द्र सरकार के रूप में आपकी यह जिम्मेदारी है? इसलिए, महोदय, अपना भाषण समाप्त करने से पहले श्री मित्र ने जो कुछ कहा है, मैं उसमें से उद्धृत करना चाहत हूं, मुझे इसकी अनुमति प्रदान की जाए:

> "इन प्रमुख बाधाओं के बावजूद हाल ही के वर्षों में राज्य सरकार द्वारा जो संसाधन जुटाए गए हैं वह देश में सबसे अधिक हैं।"

इस साल बहुत-सी कांग्रेस (आई) सरकारों द्वारा कोई भी अतिरिक्त संसाधन नहीं जुटाए गए जबकि पश्चिम बंगाल सहित, गैर-कांग्रेस (आई) सरकारों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाए गए हैं। लेकिन, आप पश्चिम बंगाल सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वह ऐसा नहीं कर रही है। मैं आगे उद्धृत करता हूं:

> "यह संतोषजनक बात है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में कराए गए एक अध्ययन से यह पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल में कुल खर्च के अनुपात

में विकास सम्बन्धी खर्च काफी अधिक रहा है। अगर हम केवल योजनागत खर्च को लें तो यह 1971-72 से 1976-77 के छः वर्षों के मुकाबले 1977-78 से 1982-83 के छः वर्षों में तिगुना हो गया है, वर्ष 1977-78 से, कुल व्यय में से योजनागत व्यय में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यह वृद्धि इस तथ्य के बावजूद हुई कि समस्त राज्यों में से पश्चिम बंगाल को, प्रति व्यक्ति योजनागत सहायता केन्द्र सरकार द्वारा सबसे कम दी गई तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना से सामान्यतया इसकी यही स्थिति रही है।"

क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ जो प्रचार किया गया है यह उसके प्रतिकूल है अतः, मैं यह चाहता हूं कि वित्त मंत्री द्वारा जो यह कहा गया है कि हमारा योजनागत व्यय बढ़ रहा है, विकास सम्बन्धी व्यय बढ़ रहा है, तो मन्त्री महोदय इसका जवाब दें।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप एक बात पर विचार करें। आठवें वित्त आयोग द्वारा जो सिफारिश की गई है, आप उन पर विचार करेंगे। लेकिन राज्य सरकारें अपनी योजना के बारे में, आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित करेंगी। अन्यथा, उन्हें यह कैसे पता लग सकेगा कि क्या आय है, क्या संसाधन होंगे, योजना किस प्रकार की होगी, इस बारे में वह, किस प्रकार निर्णय ले सकेंगे? हमारी वही कठिन स्थिति है। हम अपनी योजना के आकार को अन्तिम रूप नहीं दे सकते क्योंकि हमें नहीं मालूम कि आठवें वित्त आयोग द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं।

पश्चिम बंगाल में योजना के स्वरूप के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने प्रधान मन्त्री से यह अनुरोध किया है कि वह राष्ट्रीय विकास परिषद की एक बैठक बुलाएं जिससे योजना के स्वरूप के बारे में विचार-विमर्श करके उसे अन्तिम रूप दिया जा सके तथा हम भी अपनी योजना पर कार्य आरम्भ कर सकें। हम केन्द्र सरकार से यह अनुरोध भी करते हैं कि वह योजनागत सहायता की राशि बढ़ाए। दुर्भाग्य से हम आप पर आश्रित हो गए हैं, आप राज्यों को जो सहायता देते हैं, उस पर आश्रित हैं। हम यह आग्रह करते हैं कि केन्द्र सरकार को इस सबके बारे में युक्तिसंगत तरीका अपनाना चाहिए। आपने सरकारिया आयोग गठित किया है। सरकारिया आयोग कुछ सिफारिश करे उससे पहले ही आप राज्यों की मांग स्वीकार कर लें। इसे आप चुनौती मत मानिए, अपितु अपनी जिम्मेदारी मानिए जिससे सम्यक साझेदारी हो सके, विकासगत व्यय के लिए राज्यों को अधिक संसाधन अन्तरित किए जा सकें तथा एक अच्छे संघ की स्थापना की जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मान्यवर, संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन अधिनियम, 1984 में कहा गया है कि यह प्रबंध 1 अप्रैल, 1984 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय

वर्ष के दौरान अन्तिम रूप से जारी रखे जाने के सम्बन्ध में किया गया है। यह इस विधेयक की खासियत है। इन चारों विधेयकों का मुख्य उद्देश्य उस व्यवस्था को आगे तक बनाए रखना है। इन विधेयकों और संघ उत्पाद शुल्क (विद्युत) वितरण अधिनियम, 1980 के संदर्भ में दो-एक बातें कहना चाहता हूं। वैसे तो मेरे साथियों ने इनके बारे में काफी कह दिया है, इन सबमें वही बुनियादी बात कही गई है कि सरकार ने जो पद्धति अपनाई, उत्पादन शुल्क का वितरण केन्द्र और राज्यों के बीच कैसे किया जाए। हमारे सामने सबसे बुनियादी प्रश्न यह उपस्थित होता है कि संविधान निर्माताओं की मंशा यही रही थी कि केन्द्र और राज्यों के बीच मधुर सम्बन्ध बने रहें, और उसके लिए उन्होंने फैडरल स्ट्रक्चर का निर्माण किया, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव-रिसोर्सेज का समान वितरण किया गया। उनकी मन्शा स्पष्ट थी कि राज्यों को उस आमदनी का शेयर मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद एक नई स्थिति बनी और केन्द्र सरकार ने उत्पादन शुल्क लगाना आरम्भ कर दिया और इस कारण जहां बहुत-सी चीजों पर पहले सेल्स टैक्स लगाया जाता था, उसको बदल कर उत्पादन शुल्क लगने लगा। यदि आप गौर से देखें तो उसका उद्देश्य सरकार की ओर से अधिक राजस्व की प्राप्ति बताया गया जबकि वास्तव में वह स्थिति नहीं थी। आप देखिए कि पहले सेल्स टैक्स लगाने से राज्यों को उसका जो हिस्सा मिलता था, उत्पादन शुल्क लगने के बाद उस राजस्व में कितनी कमी या वेशी हुई। यदि आपने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया तो संविधान बनाने वालों की सही मंशा के विरुद्ध जाने की बात होगी। क्योंकि उन्होंने सही सोचा था और सही दिशा में व्यवस्था की थी ताकि राजस्व का सही वितरण हो सके। अभी यहां पर ओवरड्राफ्ट के बारे में काफी चर्चा हुई और मैं भी उसमें भाग लेते हुए कहना चाहता हूं कि हमें ओवरड्राफ्ट के विषय पर गहराई से विचार करना चाहिए। वैसे मैं वित्तीय मामलों में विशेष जानकारी नहीं रखता और साधारण ढंग से सोचने वालों की तरह यह विचार रखता हूं कि इस विषय पर केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों को मिलकर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आखिर ओवरड्राफ्ट क्यों होता है, क्योंकि आपकी प्लानिंग और फाइनेंस कमीशन के बीच किसी तरह का तालमेल नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि किसके माध्यम से आप राजस्व प्राप्त करेंगे, किसके माध्यम से कर लगायेंगे और करों का वितरण कैसे होगा। आपके पास आठवें वित्त आयोग की रिकमैन्डेशन आ गई है, लेकिन आपने अभी उस पर विचार करना है। अभी तक तो आप पिछले वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार चल रहे हैं। यदि आप कोई प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं, यदि उसमें कोई डैवलपमैंट की बात आयेगी तो उसके राजस्व प्राप्ति के स्रोत क्या होंगे। वह फाइनेंस कमीशन द्वारा ही तो निर्धारित किए जाएंगे। जब फाइनेंस कमीशन की रिकमैन्डेशन पर आप अभी तक विचार कर रहे हैं तो उसको लागू कब तक करेंगे, उसमें समय लगेगा। मेरा कहने का मतलब है कि यदि आपकी प्लानिंग सही है तो उसके लिए राजस्व की आवश्यकता होगी, उसमें राज्य सरकारों का कितना कन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए तथा राज्य सरकारों का कन्ट्रीब्यूशन उनकी अपनी राजस्व प्राप्त करने की शक्ति पर भी निर्भर करता है। यदि राज्यों की राजस्व प्राप्ति की शक्ति कम होगी तो निश्चित रूप से ओवरड्राफ्ट करेंगे। मेरे विचार में ओवरड्राफ्ट की पद्धति को ज्यादा प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। लेकिन स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि राज्य बाध्य हो जाते हैं। आप फाइनेंस

कमीशन की सिफारिश देर से लागू करते हैं, और उत्पादन शुल्क जब लगाते हैं तो शुल्क लगाने से पहले इस बात का जरूर विचार कर लेना चाहिए कि राज्यों को जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसमें कमी न आये। कर वितरण की जहां तक बात है उसके बारे में केन्द्र सरकार का रवैया कुछ साफ होना चाहिए।

सरकारिया कमीशन राज्यों और केन्द्र के अधिकारों की चर्चा करेगा, लेकिन जैसा मेरे दोस्त बता रहे थे, कारपोरेशन के टैक्सों के बारे में भी राज्यों का कुछ हिस्सा होना चाहिए। आय कर का भी उचित हिस्सा राज्यों को मिलना चाहिये तभी फैडरल स्ट्रक्चर मजबूत हो सकता है। फैडरल स्ट्रक्चर की वर्किंग का सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिक ढंग से सुचारू रूप से चलना भी अति आवश्यक है। इन सब बातों पर केन्द्रीय सरकार की गम्भीरता से विचार करना चाहिये, नहीं तो आगे चल कर राज्य सरकारों का नुकसान होगा। राज्यों में किसी भी पार्टी की सरकार हो ओवरड्राफ्ट की बात दोनों के लिए एक-सी लागू होनी चाहिए। इस बात को साफ करना चाहिए कि हमारा दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में साफ है तभी फैडरल स्ट्रक्चर मजबूत होगा और लोगों के मन में उसके प्रति आस्था पैदा होगी। इसलिए भेदभाव वाली नीति को सरकार को समाप्त कर देना चाहिए।

इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, यह चार बिल जो सरकार की तरफ से आये हैं, पहले बिल में मुझे यह कहना है कि यूनियन ड्यूटीज एक्साइज (डिस्ट्रीब्यूशन) अमेंडमेंट बिल, 1984, इस बिल के जरिये ड्यूटी लगाने का अधिकार भारत सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया है ताकि वह अपने रिसोर्सेज को ज्यादा मोबीलाइज कर सकें। अभी हमारे मार्कसिस्ट पार्टी के साथी कह रहे थे कि भारत सरकार के द्वारा जो कर इकट्ठे किये जाते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा शेयर स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाना चाहिए ताकि उनके रिसोर्सेज और ज्यादा बढ़ सकें और वह अपनी डैवलपमैंटल एक्टीविटीज को बढ़ा सकें। इसी मान्यता के आधार पर ही सातवें फाइनेन्स कमीशन ने जिस प्रकार की रिकमेंडेशन की है, उसके मुताबिक ड्यूटी लगाने का जो अधिकार भारत सरकार के पास था जिससे करीब 99.06 करोड़ रुपये की वसूली होती थी और जो स्टेट गवर्नमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब इस अधिकार को स्टेट गवर्नमेंट्स को देने की व्यवस्था इस बिल के जरिये की गई है। जब तक यह वसूल करने की प्रक्रिया ठीक से लागू न हो जाये तब तक भारत सरकार इसे वसूल करके स्टेट गवर्नमेंट्स को बांटती रहेगी। इससे साफ जाहिर होता है कि भारत सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार करती रही है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को किस तरह से ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज मोबलाइज करने का अवसर दे और उसी के अनुरूप यह व्यवस्था की गई है।

मगर एक बात का शक पैदा होता है जिसकी आपको जानकारी है। इस देश में कई स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, कहीं कांग्रेस (आई) की है, कही मार्कसिस्ट पार्टी की और कहीं नेशनल कान्फरेंस

की या जनता पार्टी की । आज स्टेट्स इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड जितने देश में चल रहे हैं उनकी हालत बहुत बदतर है । इस ड्यूटी की वसूली का काम जो उन पर सौंपा जा रहा है, इससे कंज्यूमर, एग्रीकल्चरिस्ट और दूसरे लोगों पर बहुत दबाव पड़ने वाला है । भारत सरकार को यह भी देखना चाहिए कि स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिनकी फाइनेन्शियल कंडीशन बहुत खराब है, जिन पर हजारों करोड़ों रुपये का कर्जा है और सैंकड़ों करोड़ रुपये का घाटा हर साल चलता है उससे हालत और खराब न हो जाये । इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिये वित्त मंत्री को कुछ अधिकार अपने पास रखने चाहिये ताकि ये अन्धाधुन्ध किसी प्रकार की लेबी लोगों पर न लगा दें जिससे आम काश्तकार की हालत बदतर हो जाये । इस बात को देखने के अलावा आपने जो स्टेट गवर्नमेंट्स की मदद का प्रयास किया है, वह प्रशंसनीय है ।

एस्टेट ड्यूटी के जरिये थोड़ा-सा पैसा इकट्ठा होता है और सातवें फाइनेन्स कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर इसे वसूल करने का अधिकार भी आपने स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिया है। पहले बताया गया था कि इस मद में 2, 3, 4, करोड़ रुपये ही इकट्ठा होता रहा है और वह खर्च भी उतनी ही मात्रा में हो जाता है । इसलिए भारत सरकार को इससे कोई विशेष मदद नहीं मिलती थी इसीलिए इसे भी स्टेट गवर्नमेंट्स को सुपुर्द कर दिया गया है । यह एस्टेट ड्यूटी जिसकी मिकदार आपने डेढ़ लाख से दो लाख कर दी है, स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे वसूल करेंगी, इसका भी कोई प्रावधान बनाया जाना चाहिए ।

जैसा हमारे एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनमें ज्यादातर ऐसी हैं जिन पर ओवरड्राफ्ट है । वह अपनी आमदनी से ज्यादा पैसा खर्च करती हैं । किसी प्रकार का फाइनेन्शियल कन्ट्रोल उन पर नहीं है । जब हमारी भारत सरकार उन पर किसी फाइनेन्शियल कन्ट्रोल करने की व्यवस्था करती है तो उनमें बड़ी चिल्लाहट होती है । यदि ओवरड्राफ्ट को रोकने का प्रयत्न किया जाता है, तो बिगुल बजा दिया जाता है कि भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट को प्रैशराइज करना चाहती है । जो स्टेट गवर्नमेंट्स गलत तरीके से खर्च करती हैं उन पर कन्ट्रोल होना चाहिए । फिनांशल कन्ट्रोल के बिना अर्थ-व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चल सकती है । इसलिए फिनांशल कन्ट्रोल लागू करना आवश्यक है । मार्क्सिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट लोगों को प्रसन्न करने के लिए नई-नई व्यवस्थाएं करती है । वह सरकारी नौकरों को अतिरिक्त सुविधाएं देने की कोशिश करती है, जिससे सरकारी नौकर उसके साथ रहें और उसको मजबूत बनाने में सहयोग दें । पार्टी के कैडर को और ज्यादा मजबूत करने के लिए भी कई तरह का खर्च किया जाता है । अनएंपलायमेंट का भत्ता देकर बहुत अननेसेसरी एक्सपेंडीचर किया जाता है । सारे देश में और कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, जहां अनएंपलायमेंट का भत्ता दिया जाता है । हम चाहते हैं कि हर हाथ को काम देने की व्यवस्था की जाए, न कि बेकार आदमियों का भत्ता दिया जाए । वे लोग इस तरह के अननेसेसरी एक्सपेंडीचर की वजह से ओवरड्राफ्ट करते हैं और जब केन्द्रीय सरकार उसको कन्ट्रोल करने की कोशिश करती है, तो वे कहते हैं कि भारत सरकार उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है ।

एस्टेट ड्यूटी का काम स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिया गया है। अब तक लोगों को इससे कोई विशेष तकलीफ नहीं थी। लेकिन अब यह काम स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पहुंच गया है, जो अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए लोगों को अननेसेसरिली परेशान करेगी। वे अपने रीसोर्सिज तो बढ़ा लेंगी, लेकिन लोगों की तकलीफें भी बढ़ जाएंगी, इसको रोकने की जरूरत है।

तीसरा बिल यूनियन ड्यूटीज आफ एक्साइज (डिस्ट्रीब्यूशन) एमैंडमेंट बिल है। उसमें स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों का शेयर है। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि दूसरे आइटम्ज में स्टेट गवर्नमेंट्स को जो शेयर मिलता था, उसको समाप्त करके एडीशनल ड्यूटी लगाकर उनके रीसोर्सिज बढ़ाने की बात कही गई है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स को उनमें से बहुत थोड़ा शेयर मिलता है। एट्थ आठवां फिनांस कमीशन ने सिफारिश की है कि नेट प्रोसीड्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पहले की तरह चलते रहना चाहिए, जब तक कि वह इस बारे में अपनी क्लीयर-कट रीकमेंडेशन न दे दे।

लेकिन यूनियन ड्यूटीज आफ एक्साइज के डिस्ट्रीब्यूशन में भी बड़ा अन्तर है। वैस्ट बंगाल को 8%, किसी स्टेट को 13% और किसी को 7% दिया जा रहा है, लेकिन देश भर में जो सबसे पिछड़ी हुई स्टेट्स हैं, जिनको ज्यादा पैसा देना चाहिए, जैसे राजस्थान, उसको केवल 4% शेयर मिलता है। सबसे पिछड़ी हुई स्टेट को सबसे कम पैसा दिया जाता है और सबसे एडवांस्ड स्टेट्स को, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, वैस्ट बंगाल और तामिलनाडु आदि को, 8, 9, 10 और 13 परसैंट दिया जा रहा है।

3.00 म० प०

इस तरीके से बड़े पैमाने पर परसेंटेज इसके जरिए से दिया जाता है और बैकवर्ड स्टेट्स को कम दिया जाता है। इस प्रकार के फर्क को निश्चित तरीके से निकालना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ न कुछ आपको ऐसा क्राइटेरिया अपनाना चाहिए, जिसके आधार पर जो सबसे बैकवर्ड स्टेट हैं, उनको ज्यादा पैसा मिल सके और वे अपनी डवलपमैंटल एक्टिविटीज को ज्यादा बढ़ा सके। इस पर भी आपको ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है।

इसी तरीके से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ आइटम्स पर आपने एडिशनल ड्यूटीज आफ एक्साइज (गुड्स आफ स्पेशियल इम्प्रोर्टेंस) बिल में आपने एक्साइज लगाई है, और स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि वे सेल्स टैक्स समाप्त कर दें। हालांकि हमारी सरकार ने कहा है कि हम सेल्स टैक्स को समाप्त करके आल्टरनेटिव व्यवस्था करेंगे, क्योंकि आम जनता को इससे कठिनाई होती है और कई प्वाइंट्स पर उनसे वसूल किया जाता है। मगर जो एक्साइज के जरिए से वसूल किया जाता है और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रिब्यूट किया जायेगा, तो क्या वह सेल्स टैक्स जो उनके द्वारा वसूल होता है, तो इन आइटम्स की खानापूर्ति इन आइटम्स के जरिये से पूरी हो जायेगी या इन स्टेट गवर्नमेंट को जितनी आमदनी होती है, उसका बहुत बड़ा लास उठाना

पड़ेगा—क्या इस बात को हमारी सरकार ने सोचा है? अगर कम पैसा एक्साइज ड्यूटी के जरिए से वसूल होगा तो स्टेट गवर्नमेंट को भारत कम्पेंसेट करेगी, जितना पैसा वे सेल्स टैक्स के जरिए से वसूल करते थे। यह बात क्लीयर कट होनी चाहिए। इस बिल के जरिए से इस अमेंडमेंट के द्वारा यह अधिकार लिया जा रहा है, उससे निश्चित तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को वहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए निश्चित तरीके से आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए।

जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, इसमें वही की वही व्यवस्था है, जो एडवांस स्टेट्स हैं, उनको ज्यादा पैसा मिलेगा और जो बैकवर्ड हैं, उनको कम मिलेगा। किसी को आठ परसेंट मिलता है, किसी को 11 परसेंट मिलता है और किसी को नौ परसेंट मिलता है। हालांकि सबसे ज्यादा बैकवर्ड स्टेट्स में शुगर, टुबैको, काटन फैब्रिक्स, वूलन फैब्रीक्स और मैनमेड फाइबर तथा फैक्ट्रियां हैं, जिसके बारे में आप एक्साइज का अधिकार ले रहे हैं और सेल्स टैक्स समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद भी जो बैकवर्ड स्टेट हैं, उनका शेयर आपने बहुत कम रखा है। राजस्थान के लिए आपने सिर्फ 4.8 परसेंट रखा है, जबकि एडवांस स्टेट्स के लिए 12 परसेंट 11 परसेंट और 10 परसेंट रखा है। इसलिए तमाम स्टेट्स को, जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, उनको आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा देने की कोशिश करनी चाहिए। ताकि डवेलपमेंटल एक्टीविटीज ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकें।

इन चारों बिलों में यह सही है कि आपकी भावना अच्छी है, इनके जरिए से स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा आमदनी हो सकेगी। उनकी डवेलपमेंट एक्टिविटीज बढ़ सकेंगी या नहीं बढ़ सकेंगी; इन सारी बातों पर आपको गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। जो अधिकार आप स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं, वे उनका दुरुपयोग करके वहां की जनता को परेशान न करें इस बात की भी क्या कोई गारन्टी है, ताकि सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। इस संबंध में भी निश्चित तरीके से सोचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे ये कम्यूनिस्ट (मार्किसस्ट) वाले भाई तरह-तरह की बातें कहते हैं—सेन्टर हमको दबाना चाहता है, हमारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करके हमारा शेयर हमको नहीं देना चाहता है। मैं पूछता हूं—अगर सेन्टर आपको आपका शेयर नहीं देता तो आज जो डवेलपमेंटल एक्टीविटीज वेस्ट बंगाल में या दूसरे राज्यों में जो विरोधी दलों द्वारा गवर्नमेंट स्टेट्स हैं, कैसे चल रही हैं? अगर सारे कार्यक्रमों में भारत सरकार उनकी मदद नहीं करती तो उनकी एक्टिविटीज कैसे चल सकती थीं? जितनी योजनायें बनी हैं, उनके आधार पर यह कह सकते हैं कि इन योजनाओं के जरिए रीजनल इम्बैलैंसेज बढ़े हैं और इसकी शिकायत हम को भी है, क्योंकि हमारी स्टेट बैकवर्ड है, हमारी स्टेट के साथ इंसाफ हीं किया गया, हमको जितना शेअर डवेलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। लेकिन जो डवेलपड स्टेट्स हैं, जैसे आपकी स्टेट है अगर वह भी इस तरह की बात करे तो यह कहां तक मुनासिब बात है। जबकि वास्तविकता यह है कि जो बैकवर्ड स्टेट्स है उनको पूरा शेयर नहीं मिल रहा है। ये जो डवेलप्ड स्टेट्स हैं ये आज से डवेलप्ड नहीं है, ब्रिटिश सरकार के जमाने से आगे हैं और इण्डिपेण्डेंस के आने के बाद भी उनका ज्यादा विकास हुआ, उनके यहां ज्यादा उद्योग

धंधे लगे, लेकिन उसके बावजूद भी वे आज रीजनल इम्बेलैंस की बात करती हैं, रीजनल इम्बैलेंस के नाम पर ज्यादा से ज्यादा शेयर लेने की कोशिश करती हैं और जो पिछड़ी स्टेट्स हैं उनको बराबर दबाने की कोशिश हो रही है। यह अच्छी भावना नहीं है। उन्होंने यूनिटी, फ्रेटर्निटी और दूसरी तरह की नजीरें दी हैं और कहा है कि इनके आधार पर हम देश को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो ऐसी भावना मंजूर नहीं आती है। हमें पिछड़े क्षेत्रों को आगे लाने का प्रयास करना चाहिए।

मेरे कुछ साथियों ने सरकारिया कमीशन का उल्लेख किया था। कुछ अन्य कमीशनों का उल्लेख किया जो मुकर्रिर किये गये हैं। यह कोई नई बात नहीं है। इस तरह के कमीशन पहले भी मुकर्रिर हुए हैं—सेन्टर स्टेट रिलेशन्ज कैसे हों, उनके रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए ये सारी चीजें समय-समय पर भारत सरकार करती रही है और अब जो कमीशन मुकर्रिर हुए हैं उनके पीछे भी यही भावना है कि लोगों के मन में जो रीजनल इम्बैलैंस की भावना है, रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन की भावना है और जो यह कहते आ रहे हैं कि हमको हमारा शेयर नहीं मिल रहा है—उसके बारे में पूरे तरीके से छानबीन करके सारी बातें सामने आ जाएं ताकि मालूम हो जाय कि भारत सरकार ने किस तरीके से राज्यों के साथ इन्साफ किया है और आगे किस तरह से काम किया जाय ताकि सबका समान रूप से विकास हो सके। आज वास्तविकता यह है कि कुछ स्टेट्स तो बहुत ज्यादा विकसित हैं, भारत सरकार ने उन पर करोड़ों रुपया खर्च किया है लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनके लिए एक पैसा भी भारत सरकार ने खर्च नहीं किया है। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनके लिए 20 परसेन्ट तक खर्च किया है लेकिन कुछ ऐसी हैं जैसे राजस्थान जिसको सिर्फ एक परसेन्ट देना चाहते हैं। इस तरह से उनका अन्तर नहीं मिट सकता। इस अन्तर को मिटाने के लिए कोई न कोई निश्चित व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे हमारे लोगों को भी कुछ संतोष हो कि अब भारत सरकार की निगाह हमारी तरफ भी है, हमारे लिए भी वह कुछ करना चाहती है। मेरा अनुरोध है, हमें इन मामलों पर गम्भीरता से विचार करके निर्णय लेना चाहिए, जिससे जो पिछड़ी हुई स्टेट्स हैं वे भी आगे बढ़ सकें।

इन शब्दों के साथ मैं चारों बिलों का समर्थन करता हूं।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति जी, पूर्व-वक्ताओं के भाषणों को मैं ध्यान से सुन रहा था। व्यास जी राजस्थान के वयोवृद्ध नेता हैं। उन्होंने भी वर्तमान आर्थिक ढांचे में जो संसाधनों का विभाजन हो रहा है, उसके बारे में संतोष जाहिर नहीं किया। आखिर, किसको संतोष है? इसका कारण यह है कि विभाजन का कोई रेशनल आधार नहीं है जैसे एकहाडिज्म पर निर्भर हो। किसी स्टेट को कुछ दे दिया, दूसरे को उससे अधिक दे दिया और तीसरे को उससे कुछ कम दे दिया। इससे राज्यों के बेमतलब की ईर्ष्या होती है और एक दूसरे राज्यों के बीच में झगड़ा खड़ा हो जाता है। पंजाब और हरियाणा के झगड़े का आपको पता है। इसका कारण यह है कि आर्थिक संसाधनों का विभाजन उचित रीति से नहीं हुआ है। अगर हम

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय की तुलना आज से करें तो हम पायेंगे कि राज्यों के जो आपके स्रोत थे, वे केन्द्र द्वारा दी गई सहायता की तुलना में कहीं अधिक थे। किंतु, आज उनका स्रोत केन्द्र द्वारा दी गई राशि की तुलना में नगण्य है। उनके सामने यह समस्या रहती है कि वे अपना आर्थिक स्रोत कहां से ढूंढे। ऐसी परिस्थिति में क्षेत्रीय विषमता पैदा होगी। जिस राज्य की आमदनी अधिक होती है, उसका सरकार में अधिक बोलबाला रहता है और वह केन्द्र सरकार से अपने लिए अधिक हिस्सा आबंटित कराने में सफल हो जाता है। जिन राज्यों के लोग मुखर नहीं हैं और उनका समुचित विकास नहीं हुआ है तो स्वाभाविक है कि केन्द्र से अधिक राशि न मिलने पर क्षेत्र का विकास कम होगा। जिनको केन्द्र से अधिक धन मिलेगा, उन क्षेत्रों का अधिक विकास होगा। परिणाम यह होगा कि जो पिछड़े हुए हैं, वे पिछड़ते चले जायेंगे और जो विकसित हैं उनका अधिक विकास होता चला जायेगा। जब विकास में असंतुलन होगा तो एक राज्य के लोग सम्पन्न हो जायेंगे और दूसरे राज्य के विपन्न हो जायेंगे। इसका एक ही परिणाम निकलेगा और वह होगा राष्ट्र का बिखराव। यही बिखराव आज पंजाब में देखने को मिल रहा है। पंजाब, असम, मिजोरम और नागालैंड की समस्या क्यों हैं? सही कारणों का विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि इन राज्यों के विकास की गति धीमी रही है। इसके लिए वे अपने विकास हेतु केन्द्र से अधिक संसाधन की आवश्यकता महसूस करते हैं जो कि केन्द्र से उन्हे आबंटित नहीं हो पाता। इस पर काबू पाने के लिए यह आवश्यक है कि हम उन राज्यों की कठिनाइयों की ओर समुचित ध्यान दें और यह तभी हो सकता है जब हम उन्हें आर्थिक रूप से केन्द्र के अधीन ही नहीं बांधे रहें।

सभापति जी, जब हम आर्थिक रूप से सशक्त केन्द्र चाहते हैं तो धन का वितरण एक जगह से होता है। स्वाभाविक है कि जो स्थान केन्द्र के नजदीक होंगे, उनकी ओर केन्द्र का ध्यान अधिक जाएगा और जो स्थान केन्द्र से दूर होंगे, जहां आवागमन के साधन भी ठीक नहीं होंगे, उन स्थानों की ओर ध्यान कम जाएगा। इसी का परिणाम है कि आजादी के इतने दिनों के बाद भी हमारे गांवों का विकास नहीं हो पाया है। डा० लोहिया ने समूचे देश के विकास की कल्पना की थी। समूचे देश की उन्नति के लिए आवश्यक है कि सत्ता का विकेन्द्रीयकरण हो, केन्द्र राज्य जिले और गांव स्तर तक उसका विकेन्द्रीयकरण हो। अपने-अपने क्षेत्र में सभी स्वतंत्र रहें, कोई सरकार दूसरी सरकार के सीमा क्षेत्र में अतिक्रमण न करे। परन्तु आज क्या हो रहा है। ग्राम पंचायतें बहुत से राज्यों में कायम हैं, परंतु उनका अधिकार क्षेत्र विशुद्ध रूप से जिला प्रशासन के अधीन है। जिला प्रशासन राज्य की एक इकाई है। राज्य के प्रशासन के समक्ष वह किसी मामले में स्वतंत्र नहीं है। हर जिले को वही करना होता है जो राज्य का प्रशासन चाहता है। जैसा आप जानते हैं सभी राज्यों में और केन्द्र में जनता की चुनी हुई सरकारें विद्यमान हैं, फिर भी उन राज्य सरकारों को केन्द्र की ओर मुखापेक्षी होकर रहना पड़ता है, आर्थिक रूप से वे केन्द्र पर आश्रित रहती हैं। इसी की वजह से हमारे देश में बिखराव की स्थिति पैदा होती है। मेरा सुझाव है कि सभी राज्यों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके आय के स्रोतों को सीमित न किया जाय। यदि उनके अधिकार क्षेत्र में केन्द्र कर वसूल करने की कोई जिम्मेदारी ले लेता है तो कम से कम उसका एक

रैशनल आधार होना आवश्यक है ताकि उसका उचित वितरण हो सके। राज्यों की जनसंख्या को उसका एक आधार बनाया जा सकता है, राज्य के प्रति व्यक्ति की औसत आमदनी को उसका आधार बनाया जा सकता है। उस राज्य के आकार को उसका आधार बनाया जा सकता है। यदि राज्य की जनसंख्या अधिक हो तथा धन का आबंटन कम हो तो स्वाभाविक है कि उसको जो धनराशि मिलेगी वह राज्य के विकास के लिए पर्याप्त नहीं होगी और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी नहीं होगी। हमारा बिहार एक ऐसा ही राज्य है, जहां प्राकृतिक खनिज पदार्थों का भण्डार है परन्तु इतना सब कुछ होते हुए भी वहां के लोग आर्थिक रूप से विपन्न हैं। उसका कारण यह है कि उस राज्य के विकास के लिए जितना उचित मात्रा में धन का आबंटन होना चाहिए, वह नहीं हुआ। शुरू से ही उसके विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। आप देखिए, वहां कोयला, अभ्रक इत्यादि की बहुत-सी खानें विद्यमान हैं, लेकिन इन खानों को जो कम्पनियां चलाती हैं, उनके मुख्यालय दूसरे राज्यों में हैं, किसी का भी हैडक्वाटर बिहार में नहीं है। किसी का मुख्यालय कलकत्ता में है तो किसी का बम्बई में और किसी का दिल्ली में। उसका परिणाम यह होता है कि खनिज पदार्थों से बिहार राज्य को जो आमदनी करों के रूप में होनी चाहिए, वह पैसा बिहार, महाराष्ट्र या दिल्ली राज्य को चला जाता है और बिहार का खाता नगण्य ही रहता है लेकिन यहां इस आधार पर पैसे का आबंटन किया जाता है कि बंगाल की आमदनी इतनी हुई, महाराष्ट्र की आमदनी इतनी हुई इसीलिए धन के आबंटन में उनका हिस्सा अधिक रहना चाहिए, भले ही वह आमदनी किसी दूसरे राज्य या बिहार को मिलने वाली आमदनी कम करके हुई। और बिहार का हिस्सा तो कम ही होगा क्योंकि वहां की आमदनी कम हुई। हमारे यहां खनिज, कारखाने, और मुख्यालय दूसरी जगह होने के कारण आमदनी हमारी कम हो गई। इसलिए आवश्यक है जहां कारखाने हों, खानें हों उस राज्य में उस कम्पनी का मुख्यालय भी हो तभी उस राज्य की आमदनी बढ़ सकती है।

एक और बात है राज्य और केन्द्र के कर्मचारियों के वेतनमानों में अन्तर है। केन्द्रीय कर्मचारियों को वेतन ज्यादा और राज्य कर्मचारियों को कम। आखिर इसमें तुक क्या है ? जो राज्य जितना अधिक अविकसित है उसके कर्मचारियों का वेतन उसी अनुरूप कम है। यह किस प्रकार से उचित है ?

3.21 म० प०

(श्री एफ० एच० मोहसिन पीठासीन हुए।)

हमारे पूर्ववक्ताओं ने ओवरड्राफ्ट की चर्चा की। जब हम देखते हैं कि राज्यों के अपने स्वतंत्र आय स्रोत नहीं हैं तो विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए कहां से धन लायें ? उनको ओवर-ड्राफ्ट ही लेना पड़ता है। फिर आपका योजनाबद्ध विकास कहां हुआ ? यह किसी एक राज्य की समस्या नहीं है। और इस ओवरड्राफ्ट की वजह से केन्द्र राज्यों पर आर्थिक रूप से शासन करता है। माननीय सत्यसाधन चक्रवर्ती ने विस्तार से बताया कि किस प्रकार पश्चिम बंगाल सरकार

पर केन्द्र का दबाव पड़ता रहा है। कोई तो रास्ता ढूंढना चाहिए जो उचित हो और राज्य का स्वतंत्र आय स्रोत हो। हमारे बिहार में ऐसा नहीं है।

हमारे बिहार में जनता प्रशासन में शराब बंदी लागू की गई थी। परन्तु वर्तमान सरकार ने 1980 में आते ही शराब बन्दी को हटा लिए यह कह कर कि राज्य की आय बहुत कम हो गई है, और शराब बंदी से कोई फायदा नहीं है, राज्य के विकास के लिए यह आमदनी आवश्यक है, और अभी जब वहां मंत्रिमंडल बदला तो 1100 से लेकर 1400 तक शराब की नई दुकानों के लाइसेंस दिये गये। पहले कुछ बंधन रखे गये थे कि शिक्षण संस्थाओं और मंदिरों के नजदीक शराब की दुकानें नहीं होंगी, परंतु अब यह सब बन्धन हटा लिए हैं। तो क्या इसी प्रकार से राज्यों की आय के स्रोतों को आप बढ़ाएंगे? तब तो यह भी उचित होगा कि चोर, उचक्कों और डाकुओं के लिए भी इलाके निर्धारित कर दें और उसको ठेके पर उठा दें कि यहां यह चोरीचोरी कर सकते हैं। यहां वह ग्रुप डाके डाल सकता है। इस तरह से राज्यों का विकास होगा?

सभापति महोदय : कर्नाटक में आपकी गवर्नमेंट है, वहां शराब बन्दी क्यों नही की गई?

प्रो० अजित कुमार मेहता : बिहार की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि यहां पर शराब बन्दी लागू की गई थी और 1980 में उसको समाप्त कर दिया गया। जहां यह स्कीम लागू ही नहीं की गई, वहां की बात अलग है। मैं वहां का उदाहरण दे रहा हूं जहां शराब बन्दी लागू की जा चुकी और उसके बाद यह कहकर बन्द कर दी गई कि हमारे पास आय का स्रोत कम हो गया है, खास कार्यों के लिए उचित धन नहीं मिल रहा है इसलिए इसको फिर चालू किया जा रहा है। यह विशेष चिन्ता का विषय है।

मैं वित्त मन्त्री से मांग करूंगा कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए राज्यों के आय स्रोतों पर अपना शिकंजा अधिक न बढ़ाएं, उसको और उदार बनाएं।

सभी राज्यों में व्यापारी वर्ग और उपभोक्ताओं की ओर से यह मांग की जाती रही है कि बिक्री-कर हटाया जाये लेकिन राज्य के सामने यह समस्या है कि अगर यह बिक्री-कर समाप्त कर दें तो उनके पास आय का स्रोत कहां है, इसीलिए बिक्री-कर की समाप्ति नहीं हो रही है, जबकि उसका इतना विरोध हो रहा है।

अगर आप ध्यान दें, तो चाहे कोई भी पार्टी हो जब तक वह विपक्ष में रहती है तब तक वह बिक्री-कर की समाप्ति की मांग करती है, अपने चुनाव-घोषणा-पत्र में भी इसे रखती है कि हम प्रशासन में आते ही बिक्री-कर समाप्त कर देंगे। अगर यह अपने घोषणा-पत्र में भी नहीं देती तो इस बात का आश्वासन देती है, लेकिन जब वह पार्टी सत्ता मे चली जाती है और अपने संसाधनों को देखती है तो उस समय से उसका विरोध शुरू हो जाता है। हमें याद है, जनता पार्टी ने भी आश्वासन दिया था लेकिन उसके बावजूद भी जिन-जिन राज्यों में जनता पार्टी की सरकार कायम

हुई, वहां उन्होंने भी बिक्री-कर की समाप्ति नहीं की। वही हाल काग्रेस पार्टी का भी है। इसका कारण यह है कि बिक्री-कर की समाप्ति के बाद राज्य के पास आय का स्रोत कहां रह जाता है। जो भी स्रोत हैं, यह गणना में नगण्य हैं। इसलिए आप बिक्री-कर का विकल्प सोचें जिससे राज्यों के आय के स्रोत कम न हों और लोगों पर अनावश्यक रूप से पड़ने वाला भार कम हो जाए।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बोलने का समय दिया। न इस बिल का विरोध करूंगा और न समर्थन करूंगा। विरोध का इसलिए कोई अर्थ नहीं है कि आप इस बिल को पास तो करा ही लेंगे।

धन्यवाद।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदय, यूनियन ड्यूटीज आफ एक्साइज (डिस्ट्रिब्यूशन) एक्ट 1979, दी एडीशनल ड्यूटीज आफ एक्साइज (गुड्ज आफ स्पेशल इम्पोर्टेन्स) एक्ट 1957, दी यूनियन ड्यूटीज आफ एक्साइज (इलैक्ट्रिसिटी) डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट, 1980 और एस्टेट ड्यूटी (डिस्ट्रीब्यूशन) एक्ट, 1962 में संशोधन करने के लिए जो 4 बिल यहां रखे गये हैं, उस पर यहां बहस चल रही है। इन बिलों में ऐसी कोई बात नहीं है, जिस पर यहां ज्यादा बहस की गुंजाइश हो क्योंकि इस बारे में सातवें फाइनेन्स कमीशन ने जो सिफारिशात की थीं और आठवें फाइनेन्स कमीशन ने इसी नवम्बर में जो अपनी इंटेरियम रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि फिलहाल जो ड्यूटीज लैवी की जा रही हैं, वह बदस्तूर रखी जाएं जब तक कि आठवें फाइनेन्स कमीशन की पूरी रिपोर्ट इस हाउस के सामने न लायी जाये, प्रो० चक्रवर्ती और प्रो० मेहता ने कुछ प्वाइंट्स उठाए हैं। मैं उन पर कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं। प्रो० चक्रवर्ती ने फरमाया कि देश के रिसोर्जिज में से स्टेट्स को सेंटर से जो शेयर मिलता हैं, वह बहुत कम है। और वह उससे सैटिसफाइड नहीं हैं। उन्होंने सैंटर-स्टेट रिलेशन्ज का भी मसला उठाया। मैं कहना चाहता हूं कि इस बारे में सरकारिया कमीशन बैठा हुआ है, इसलिए हमको इस वक्त उस मामले में नहीं जाना चाहिए।

जहां तक रिसोर्सिज का सवाल है, मैं समझता हूं कि जब तक सैंटर मजबूत नहीं होगा, तब तक स्टेट्स मजबूत नहीं हो सकतीं। स्टेट्स ने एग्री किया है कि शुगर, टोबैको, काटन फैब्रिक्स, वूलन फैब्रिक्स और मैन-मेड फैब्रिक्स पर स्टेट सेल्ज टैक्स न लगाया जाए और उन सब पर यूनिफार्मूली एक्साइज ड्यूटी लगाई जाए। मेरा ख्याल है कि सब स्टेट्स में दूसरे आइटम्स पर से भी सेल्ज टेक्स को ऐबालिश करना चाहिए, ताकि सारे देश में यूनिफार्म टैक्सेशन हो। आज हालत यह है कि किसी स्टेट में टैक्सेशन ज्यादा है और किसी में कम, जिसकी वजह से प्राइसिज में फर्क होता है और उसकी बिना पर स्मगिंलग होता है।

मैं आपके सामने अपनी स्टेट का मिसाल रखता हूं। हमारा पहाड़ी इलाका है। मेरी कांस्टीट्युएन्सी, लेह और कारगिल, बारामूला, डोडा और पुंछ वगैरह इलाकों के लिए मैन मार्केट

श्रीनगर या जम्मू शहर हैं। जब हमारे यहां के छोटे दुकानदार वहां पर बड़े दुकानदारों के पास जाते हैं, तो उनके खरीदे हुए माल पर सेल्ज टैक्स लेवी किया जाता है। अगर दस परसेंट सेल्ज टैक्स हो, तो 200 रुपए के माल की वैल्यु 110 रुपये बन जाती है। बाद में जब छोटे दुकानदार टाउन्ज में उस माल को बेचते हैं, तो वे भी दस परसैंट सेल्ज टैक्स लेते हैं, जिससे 110 रुपए के माल की कीमत 121 रुपए हो जाती है। दस परसेंट उन पर पहले ही चार्ज किया होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सैंट्रल लेवल पर एक्साइज ड्यूटी यूनिफार्मली ली जाए और सेल्स टैक्स को सारे देश में से हटाया जाए।

इसी तरह से इनकम टैक्स के बारे में कहा गया। प्रो० चक्रवर्ती साहब ने कहा है कि 85 प्रतिशत इनकम टैक्स स्टेट सैन्टर को जाता है। मुझे पता नहीं है कि यह बात सही है या नहीं। यह सही बात है कि इनकम टैक्स होना चाहिए और उसको इनफोर्स करना चाहिए। जम्मू काश्मीर में सिर्फनी टैक्स उन्हीं से वसूल किया जाता है, जिनका स्टेट बाहर से बिजनेस कन्सर्न हैं, या स्टेट से बाहर से आए हुए ट्रेडर्ज हैं। लेकिन जिसने भी लोकल ट्रेडर्स हैं, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है कि वे टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं या जिसका टैक्स अदा करते हैं आपको मालूम है। मैक्सिमम ब्लेक मनी काश्मीर वैली में हैं। उसको निकालने की जरूरत है। इस ओर आपको कदम उठाना चाहिए, ताकि जितना अधिक से अधिक पैसा आएगा, उसका 85 प्रतिशत जम्मू काश्मीर को वापिस हो जाएगा, क्योंकि यह पैसा तो सेंटर ने तो रखना नहीं है। आज जम्मू और काश्मीर का हिस्सा जीरो दशमलव कुछ ही है।

जहां तक रिसोर्सेज का सवाल है, जो टैक्स वसूल नहीं करता है, इस वजह से जो सेंटर का उसका शेयर है, वह भी कम हो जाता है। लिहाजा जो वहां पर ब्लैक मार्केटियर्स हैं, होरडर्स हैं, उनसे टैक्स सख्ती से वसूल करने की जरूरत है। अभी पिछली दफा ही जो टीम सेंटर से वहां गई थी। उन लोगों की वहां के गुण्डों के जरिये पिटाई की गई और उन लोगों के दांत निकालकर फेंक दिए। हमारे प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर जो उस वक्त सांसद थे, इन गुण्डों को लीड कर रहे थे। यह एक हकीकत है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : गोल्ड दांत है।

श्री पी० नामग्याल : आप कुछ भी कहिए, जो हकीकत है, वह मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसलिए जो टैक्सेशन का सवाल है, उस पर आपको गौर करने की जरूरत है।

ओवरड्राफ्ट के बारे में भी यहां पर बहुत-सी बातें कही गई हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे रूलिंग पार्टी की सरकार हो या अपोजीशन की सरकार हो, ओवरड्राफ्ट आपको स्ट्रीक्टली बन्द करना चाहिए। इस वजह से मुल्क की माली हालत बेलेंस आफ-बैलेंस हो जाता है। यह मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जहां हर अपोजीशन की सरकारें हैं, वे तो खुल्लम-खुल्ला अंगूठा दिखाकर

खा जाते हैं। लेकिन जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर तो पार्टी लेबर पर भी कान खींचा जा सकता है और सरकारी लेबर पर भी बात की जा सकती है। वे लोग मेरी दृष्टि में ज्यादा डिसीप्लीन रहते हैं। अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि वैस्ट बंगाल के साथ ज्यादा सख्ती की जा रही है, लेकिन यह बिल्कुल गलत बात है।

रिसोर्सेज के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि सेन्टर को मजबूत होना चाहिए। आप कहते हैं कि उस ढंग से होना चाहिए, जिस स्टेट से ज्यादा पैसा मिलता है, उसको ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन मैं इसके फेवर में नहीं हूं और अगर ऐसा हुआ तो जो डैफिसिट स्टेट हैं, जैसे जम्मू और काश्मीर एक डैफिसिट है, वे तो बिल्कुल मारे जायेंगे। लिहाजा सेन्टर को मजबूत होना जरूरी है और जितना टैक्सेशन आता है उसको पूल कर के जो आपका सिस्टम है उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए।

मेरे एक साथी ने कहा कि सरकार की इस पालिसी की वजह से सिसेशनिस्ट फोर्सेज सिर उठा रही हैं। मैं उनकी इस बात से एग्री नहीं करता हूं...

एक माननीय सदस्य : असम में क्या हो रहा है ?

श्री पी० नामग्याल : मैं पंजाब के लिये कहता हूं—वह एक सरप्लस स्टेट है।

प्रो० मधु दण्डवते : अब तो वह भी नान-सरप्लस हो गई है।

श्री पी० नामग्याल : लेकिन आज भी वहां की जो इकानामिक कण्डीशन है वह दूसरे स्टेट्स के मुकाबले अच्छी है, लेकिन फिर भी वहां रिसेशनिस्ट फोर्सेज हैं—इसकी क्या वजह है ? मेरा यह कहना है कि जो डेफिसिट स्टेट्स हैं, वहां गरीबी की वजह से सिसेशनिस्ट मूवमेंट शुरू होती है—मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं, बल्कि इसकी कुछ दूसरी वजूहात हैं।

एक सलाह यह दी गई कि नेशनल डवेलपमेंन्ट कौंसिल को सही मायनों में काम करने वाली काउन्सिल बनाना चाहिए। लेकिन उसमें तो तमाम स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स मेम्बर हैं। इस लिए आपकी यह आर्गुमेन्ट मेरी समझ में नहीं आती है। उनकी जितनी पावर है उसको कम करो या ज्यादा करो, यह आपके सोचने की बात है। प्रो० मेहता कहते हैं कि नेशनल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में एडहाकिज्म है—मैं इस बात को नहीं मानता। उन्होंने प्राहिबिशन के बारे में भी कहा—जनता रूल के जमाने में बहुत जगहों पर प्राहिबिशन को एन्फोर्स किया गया था। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला—वह हम सबके सामने है। नतीजा यह निकला कि इल्लिसिट डिस्टिलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया जिसकी वजह से हजारों की तादाद में मौतें हुईं। हालांकि मैं प्राहिबिशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इसका नतीजा पाजिटिव नहीं निकला। प्रोफेसर सहित इस बात को प्लीड करते रहे कि प्राहिबिशन होना चाहिए, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनकी

सरकार कर्नाटक में है वह वहां इसको एन्फोर्स क्यों नहीं करते हैं ? आप वहां एन्फोर्स करें तो हम भी देखें कि आज किस तरह से काम करते हैं और उसके बाद यहां ऐसी प्रयोजक रखें।

अब जहां तक इन बिलों का ताल्लुक है—मैं समझता हूं यह राइट-स्टेम-इन-दि-राइट-डायरेक्शन है। आप जो अमेण्डमैन्ट्स लाये हैं, मैं उनको सपोर्ट करता हूं।

श्री टी० एस० नेगी (टिहरी-गढ़वाल) : चेअरमैन साहब, चार उत्पादन शुल्क संशोधन विधेयक सदन के समक्ष हैं। इनके सम्बन्ध में जो चर्चा चल रही है उसमें ओवर-ड्राफ्ट पर चर्चा हुई, रिसोर्सेज के बंटवारे की चर्चा हुई, एक्साइज ड्यूटी और सैल्ज टैक्स के बारे में सदस्यों ने कहा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की चर्चा भी इस समय आई। मैं तो इस विचार का हूं—जैसा मेरे एक दोस्त ने कहा कि सैंटर मजबूत होना चाहिए। कौन कहता है कि सैंटर मजबूत न हो, लेकिन अगर स्टेट का दिमाग तो मजबूत हो जाय, लेकिन हाथ-पैर बेकार हों तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। स्टेट को तो सैंटर से भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए ताकि सारा देश मजबूत हो। सैंटर के पास क्या है ? दो-तीन विभाग हैं, फारेन अफेअर्स, डिफेन्स, कम्यूनिकेशन, बाकी सारे काम स्टेट्स के पास हैं। अगर वे सारे डिपार्टमेंट्स मजबूत नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे तो हिन्दुस्तान कैसे मजबूत होगा ? हिन्दुस्तान तब मजबूत होगा जब स्टेट मजबूत होंगे। केन्द्रीयकरण, इस मुल्क में एक बड़ी भारी बीमारी है, जबकि केन्द्रीयकरण होना चाहिए। मैंने अभी यहां पर सुना कि ओवर-ड्राफ्ट लिया जाता है। मैं समझता हूं, इसके लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार है। सब चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। सब निर्माण के कार्य ठप्प हो गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट को जो थोड़े-बहुत काम करने हैं, वह ओवर-ड्राफ्ट न ले तो क्या करे ? क्या वह अपना दिवाला निकाल दे ? उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और अल्मोड़ा जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर विकास का काम ठप्प हुआ पड़ा है। सड़क निर्माण, नहर, बिजली और पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूलों की 90 प्रतिशत बिल्डिंग खराब हैं या है ही नहीं। इसी प्रकार अस्पतालों की 70-80 प्रतिशत बिल्डिंग खराब हैं या है ही नहीं। पंचायत घर भी नहीं हैं। इसके बावजूद भी सरकार ध्यान नहीं देती। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है, इसलिए ओवर-ड्राफ्ट नहीं ले सकती। वह तो सोच भी नहीं सकती कि इतने बड़े प्रांत का मैनेजमेंट कैसे हो ? वहां के लोग कहते हैं कि सरकार है कहां ? अगर बंगाल की सरकार ओवर-ड्राफ्ट लेकर लोगों को सुविधा पहुंचाती है तो इससे बढ़िया और क्या काम हो सकता है ? वैसे यहां पर काश्मीर और कर्नाटक की चर्चा भी हुई। वह लोग चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में उनकी ख्याति बढ़े। बिजली-बोर्ड के संबंध में भी यहां चर्चा हुई। पिछले साल इसी दिन में हमने उत्तर प्रदेश के बिजली बोर्ड के संबंध में दो प्रश्न पूछे थे। हमारी पार्टी के नेता श्री हेमवन्ती नन्दन जी ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री जी को पत्र लिखे थे। लेकिन, आज तक कोई जवाब नहीं मिला। प्रश्न यह था कि पिछले साल की सालाना रिपोर्ट में यह लिखा हुआ था कि उत्तर प्रदेश में 522 सिनेमाघर हैं। उनको दो घण्टे और कुछ मिनट प्रतिदिन बिजली मिलती है जबकि सिनेमाघर 13 घण्टे से अधिक चलते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को 37 घण्टे बिजली मिलती है जबकि दिन तो 24 घण्टे का ही होता है। इसका भी कोई जवाब हमें नहीं मिला। यह गोलमाल बिजली

डिपार्टमेंट का है। गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल में तो एक पाइंट पर बिजली के पैसे लेते हैं और चौबीस घण्टे में चौबीस मिनट भी बिजली नहीं मिलती। जब रात को बिजली की जरूरत होती है तो वह गायब हो जाती है। लोग कहते हैं कि डबल एस्टेबलिशमेंट रखना पड़ता है, केरोसीन ऑयल तथा बिजली। सरकार, फ्लड और एनवायरनमेंट के बारे में काफी खर्च कर रही है। हम चाहते हैं कि जंगलों की रक्षा होनी चाहिए। उसके लिए यह उपाय बताया था कि सरकार हर गांव में जल्दी से जल्दी बिजली पहुंचा दे। बिजली का उपयोग न केवल जलाने के लिए बल्कि कुकिंग आदि के लिए भी हो सकता है। इसकी वजह से जंगल से लकड़ी नहीं काटनी पड़ेगी। सरकार तो काम में नहीं बल्कि प्रोपोगण्डा में विश्वास रखती है। क्या काम होना चाहिए, उसमें विश्वास नहीं रखती? इस सदन में कोयले और पैट्रोलियम के बारे में अनेक सुझाव आ चुके हैं और महंगाई कम हो सके। ये सारी चीजें समझ में आई लेकिन हमारी सरकार बहरी है, सुनती ही नहीं है। हम नहीं समझ सके कि सरकार का रुख किस तरफ है। उसी तरह हमने देखा कि इलैक्ट्रिसिटी वाले काम भी नहीं हो रहे हैं। जहां जल्दी बिजली मिलनी चाहिए, वहां लोगों के द्वारा पैसा जमा करवाए जाने के बावजूद अभी तक बिजली नहीं पहुंचाई है या उनको बिजली नहीं मिलती। इस कारण लोगों में हाहाकार है और सारे विकास के काम ठप्प पड़े हैं। जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस पार्टी की सरकार दोनों का यही हाल था। जनता पार्टी की सरकार ने भी एलान किया था कि हम सेल्स टैक्स को खत्म करेंगे। मैं समझता हूं कि अब सेल्स टैक्स खत्म हो जाना चाहिए और सरकार यदि एक्साइज ड्यूटी लगाना चाहे तो लगाये। चाहे केन्द्रीय सरकार लगाए या राज्य सरकार लगाए, लेकिन इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि राज्य सरकार को सेल्स टैक्स की वजह से जो आमदनी होती है, वह उसको मिलती रहनी चाहिए और आगे भी उसी प्रोपोरेशन में उसमें बढ़ोत्तरी होती रहे और सभी राज्यों को उसी अनुपात में राजस्व हर साल बढ़ कर मिलता रहे। यह मेरा सुझाव है। ऐसा न हो कि केन्द्र तो अपने को मजबूत बनाए और स्टेटों को ऐसे ही छोड़ दे। इस कारण लोग कहते हैं कि क्षेत्रीय विषमता फैलती है लेकिन क्षेत्रीय विषमता फैलाने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है। हमने कभी नहीं कहा कि जो पिछड़े इलाके हैं उनमें केन्द्रीय सरकार कोई खर्च न करे। बल्कि हम तो चाहते हैं कि जितने बैकवर्ड इलाके हैं, पिछड़े लोग इस मुल्क में हैं सरकार उनको ज्यादा से ज्यादा तरक्की के साधन पहुंचाये, ज्यादा से ज्यादा विकास के काम वहां हों। यहां पर मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के मामले में सारा सदन, विरोधी दल तथा कांग्रेस के कई लोग भी कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार उसको लागू नहीं करती। इसके कारण लोगों को आन्दोलन करने के लिए विवश होना पड़ता है। जब स्थान-स्थान पर आन्दोलन होंगे, लोग स्थानीय मसलों को लेकर आन्दोलन करेंगे तो उससे देश के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, देश में बिखराव पैदा हो जाएगा और उसकी सारी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर आयेगी। उसके लिए विरोधी दल कांग्रेस के कुछ लोग उतने जिम्मेदार नहीं हैं। बल्कि ऐसा मालूम पड़ता है कि वे तो एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह हैं जो हाथ खड़े कर देते हैं, परन्तु कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। सारी पावर तो केन्द्रीय सरकार के पास है, वहां से जो डिक्टेशन या आर्डर जाएगा, उसको ही सब करेंगे। हमने यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार के सामने भी रखा और फौरेस्टस से संबंधित संशोधन बिल अब आया है उसमें तरमीम की मांग

की ताकि वहां के निर्माण के सारे कामों में द्रुत गति से काम हो सके लेकिन वैसा कोई नहीं कर सकता। यहां तक कि केन्द्रीय वन मंत्री भी, जिनके पास वन विभाग है, वे भी कुछ नहीं कर सकते। वह तो सिर्फ एक ही पावर है, जब वहां से कुछ हिलेगा तो सरकार हिलेगी, वरना सारे काम बन्द रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सरकार तमाम स्टेट्स को एक नजर से देखते हुए, सबको बराबर समझते हुए उनको काफी मजबूत बनाने की दिशा में काम करेगी और उनको ज्यादा से ज्यादा धन दिया जाएगा ताकि वहां का विकास हो सके, सारा हिन्दुस्तान एक बन सके और एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आए। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट): महोदय, जिन चार विधेयकों पर इस समय विचार किया जा रहा है वे प्रमुखतया राज्यों को संसाधन अन्तरित करने से संबंधित हैं। चूंकि मेरे मित्र श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ने काफी कुछ कहा है अतः मेरा बोझ हल्का हो गया है। वास्तव में आज लोग पूरी तरह से तो नहीं लेकिन अक्सर यही मानते हैं कि केन्द्र और राज्यों के बीच राशि आबंटन विशेषतया वित्तीय लेन-देन अथवा संबंधों का पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। लगभग समक्ष विपक्षी दल—चाहे उनके राजनीतिक विचार कुछ भी हों अथवा वैचारिक भिन्नताएं कितनी भी हों, श्रीनगर में हुए सम्मेलनों में इस बात पर सहमत हो गए हैं कि केन्द्र-राज्य संबंधों की पुनरीक्षा तथा राज्यों को और अधिक वित्तीय शक्तियां और स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। महोदय, इस पुनर्गठन के बारे में रचनात्मक सुझाव दिए गए हैं। इसलिए, जैसा कि मैंने पहले बताया है, देश में आज लोग इस बात के लिए प्रायः एकमत हैं कि वित्तीय मामलों के बारे में केन्द्र और राज्यों के संबंधों की न केवल पुनरीक्षा की जाए अपितु उनका पुनर्गठन इस प्रकार किया जाए कि राज्यों को और अधिक वित्तीय शक्तियां प्रदान की जा सकें जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बल मिल सके। लेकिन, एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए मैं इस विधेयक को ले रहा हूं। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक उदाहरण के रूप में है। मैं अन्य मुद्दों, जिन पर पहले चर्चा हो चुकी है, को नहीं छेड़ूंगा। इस विधेयक के द्वारा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राज्यों के मामले में, विशेषतया संसाधन जुटाने के मामले में, लगातार गिरावट आई है।

महोदय, इस अधिनियम अर्थात् अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम का अपना इतिहास है। इस सभा को इस अधिनियम का इतिहास जानना चाहिए। इस विधेयक का इतिहास यह बताता है कि किस प्रकार राज्यों को उनके कराधान के न्यायोचित क्षेत्र से वंचित किया जा रहा है। संसद द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 में अधिनियमित किया गया था तथा इसके बाद दूसरा अधिनियम, जिसका कि मैंने जिक्र किया है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, 1957 में अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा संसद को यह प्राधिकार दिया गया था कि वह कुछेक विशिष्ट मदों अर्थात् चीनी, तम्बाकू, सूती कपड़ा आदि पर कुछेक अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगा सकती है तथा यह कर राज्यों को अंतरित

करने होंगे। मुझे यह मालूम है कि इन मदों पर किसी प्रकार का बिक्री कर लगाने की मनाही राज्यों को नहीं है। वह भी ऐसा कर सकते हैं लेकिन एक शर्त पर कि आप इन मदों पर इनके मूल्य से 4 प्रतिशत से अधिक बिक्री कर नहीं लगा सकते। यह सीमा लगाई गई है; 4 प्रतिशत की सीमा। इसके अलावा विशेष महत्व की इन मदों पर अगर कोई राज्य विशेष बिक्री कर लगाता है तो वह अंतरित नहीं होगा। अगर आप 4 प्रतिशत लगाते हैं तो उस आय से केंद्र आपको कुछ भी नहीं देगा। इसलिए कोई भी राज्य उन मदों पर बिक्री कर नहीं लगाना चाहता।

महोदय, मैं आपका ध्यान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आठवें वित्त आयोग को दिए गए ज्ञापन के एक टिप्पण की ओर दिलाना चाहता हूं कि किस प्रकार इस विशेष उपबंध से पश्चिम बंगाल राज्य सरकार संसाधन जुटाने में असमर्थ रही है। मैं उद्धृत करता हूं।

> "विशेष महत्व की मदों पर 4 प्रतिशत कर से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जो राजस्व प्राप्त हुआ वह राशि साधारणतया लगभग 77 करोड़ रु० प्रति वर्ष थी। लेकिन, इस सम्बन्ध में केन्द्र की दखलअन्दाजी से यह आय 134 करोड़ रु० हो गई।"

इसलिए, जैसा कि मैंने पहले बताया है इस तरीके से आपने हमें अपवंचन किया है, आपने राज्य सरकारों के राजस्व आय बढ़ाने के न्यायसंगत अधिकार को छीन लिया है। मुझे मालूम है

4.00 म० प०

कि 1956 में राष्ट्रीय विकास परिषद, इस योजना पर सहमत थी। शायद यह कारण है कि उस समय प्रतिपूरक दरें राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थीं। लेकिन 25 वर्ष बीत चुके हैं तथा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु, जिनके लिए राज्य सरकार प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं, राज्यों को अपने संसाधनों में कई गुना वृद्धि करने की जरूरत महसूस की गई है। लेकिन राज्यों को दी जाने वाली दर में किसी प्रकार का अन्तर नहीं हुआ है, इस प्रकार राज्य सरकार को वंचित किए जाने का यह एक तरीका है, चाहे उनका राजनीतिक मत कोई भी हो— पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार, कर्नाटक में जनता नेतृत्व की सरकार, जम्मू और काश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस की सरकार तथा उत्तर प्रदेश अथवा बिहार में कांग्रेस (ई) सरकार। राज्यों को संसाधन अर्जित करने के उनके न्यायसंगत अधिकार से वंचित किया गया है। यह मेरा मत है। लेकिन, बात यहां खतम नहीं होती। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि अन्य अतिरिक्त मदों को भी इस अधिनियम की परिधि में लाया जाए। इसमें सम्मिलित की जाने वाली अपेक्षित मदें हैं वनस्पति, औषध, दवाएं, सीमेंट, कागज, पेपरबोर्ड और पैट्रोलियम उत्पादन। इसका अभिप्राय कराधान का क्षेत्र बढ़ाया जाना है। राज्य सरकारें पूरी तरह राज्य की दया एवं मर्जी पर आश्रित रहेंगी। इससे राज्य सरकार की स्थिति एक भिखारी जैसी हो जाएगी जिसके लिए राज्य सरकारों ने विरोध किया है।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा की गई गणना के अनुसार अगर इन अतिरिक्त मदों को इस

अधिनियम की परिधि में लाया जाता है, तो राज्य सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 119 करोड़ रु० का नुकसान होगा जो कुल बिक्री-कर की आय का लगभग 30 प्रतिशत है।

मैंने सुना है कि बहुत से माननीय सदस्य त्रिपाठी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के पक्ष में हैं। मैं इन सिफारिशों को स्वीकार किए जाने का विरोध करता हूं क्योंकि राज्यों के लिए बिक्री कर ही एक प्रमुख साधन है। अगर आप राज्य सरकार से वह विशेष संसाधन छीन लेते हैं तो राज्य सरकारों के अस्तित्व के लिए कोई साधन नहीं रह पाएगा।

केन्द्र से राज्यों को वित्तीय संसाधनों का अन्तरण धीरे-धीरे कम करने के बारे में और भी बहुत-सी बातें कही गई हैं। मैं उन मुद्दों का नहीं उठना चाहता। लेकिन मुख्य बात यह है कि राज्यों के लोगों की मांग बढ़ रही हैं। इसके अनुपात में राज्यों के संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं अपितु उन्हें कम किया जा रहा है।

महोदय, मैं आपकी जानकारी में तमिलनाडु के वित्त मंत्री मत लाना चाहता हूं। अभी हाल ही में, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में संशोधन करने संबंधी विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए, विधान सभा में उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकार क्षेत्र में केवल बिक्री-कर रूपी वृक्ष ही बचा है तथा जब भी हमें साये की जरूरत होती है, हम इसी के नीचे सहारा लेते हैं। चीनी, तम्बाकू और कपड़े पर कर लगाने का अधिकार लेकर केन्द्र सरकार तमिलनाडु को 86 करोड़ रुपये की आय से वंचित करना चाहती है। अगर अन्य मदों को भी लिया जाए, तो केवल पिछले वर्ष लगभग 226 करोड़ रु० का नुकसान हुआ। तमिलनाडु सरकार के वित्त मंत्री का यह मत है। मैं उस सरकार की स्थिति नहीं बताता चाहता। तमिलनाडु सरकार को 226 करोड़ रु० की आय से वंचित किया गया है। फिर किस प्रकार तमिलनाडु सरकार उसका राजनीतिक स्वरूप कोई भी क्यों न हो—राज्य के लोगों की देखभाल कर सकती है?

सभापति महोदय : कांग्रेस पार्टी वाली कुछ राज्य सरकारें भी इसके पक्ष में नहीं हैं।

श्री चित्त बसु : आप ठीक कह रहे हैं। वह किस प्रकार इसका समर्थन कर सकती हैं?

सभापति महोदय : इस प्रकार, यहां दल की कोई बात नहीं है। केवल संसाधनों की बात है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह राज्य के अस्तित्व की बात है।

श्री चित्त बसु : महोदय, श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती राज्य को हुए घाटे की बात उठा रहे हैं। मैं आपके समक्ष केवल एक आंकड़ा प्रस्तुत करूंगा जिससे आपको राज्य की दुर्दशा की जानकारी हो जाएगी—चाहे उसका राजनीतिक स्वरूप कोई भी क्यों न हो। मैं उसका जिक्र नहीं करता। वर्ष 1981-82 में कुल राजस्व 22,182 करोड़ रुपये था, जिसमें से राज्यों ने अपने स्रोतों से 7,514 करोड़ रुपये वसूल किए थे। यह कुल वसूली का 33.9% है। इसकी तुलना में उसी वर्ष राष्ट्र का कुल

राजस्व खर्च 28,069 करोड़ रुपये थे जिसमें राज्य का भाग केवल 59.4% ही था। ऐसी स्थिति के परिणामस्वरूप राज्यों को अपने राजस्व खाते में घाटे का सामना करना पड़ता है। यही असली मुद्दा है। सतीश अग्रवाल जी आप तो इसे समझ सकते हैं। मैं राजस्थान सरकार की बात नहीं करता, मैं पंजाब सरकार की बात नहीं करता। मैं किसी के बारे में बात नहीं करता। राज्यों की तो यह दशा है? महोदय, सरकार राज्यों द्वारा निर्धारित राशि से अधिक मांगे जाने के खिलाफ है। आप क्या करते हैं? वे घाटे की अर्थव्यवस्था अपनाते हैं। इसका क्या मतलब है? वे नासिक सिक्यूरिटी प्रेस में कागज छापते हैं। दुर्भाग्यवश राज्य सरकार के पास कोई नासिक प्रेस नहीं है। इसीलिए उनके सामने कोई विकल्प नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : उनके पास एक प्रेस है।

श्री चित्त बसु : उनके पास रुग्ण प्रेस है किन्तु वह भी काम नहीं करता है और वह चलता भी नहीं है। रुग्ण या बंद या तालाबंदी वाले किसी भी तरह के प्रेस की कोई बात ही नहीं है। इसीलिए आपका घाटे और राज्य के ओवरड्राफ्ट का मतलब समान ही है। प्रभाव समान है। कारण समान है। किन्तु आप यही कहते रहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से चैक उधार लेते हैं। आप एशियाई विकास मंडल से उधार लेते हैं। आप बाजार-विदेशी बाजार से ज्यादा ऊंची दर पर उधार लेते है। और राज्य सरकारों को उधार लेने तक का भी अधिकार नहीं है। आप उन्हें ऋण लेने की अनुमति नहीं देते। आप उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं देते। आप धीरे-धीरे उनसे राजस्व अर्जन के स्रोत लेते जा रहे हैं और फिर उन्हें बलि का बकरा बना देते हैं। क्या यह उचित है? क्या यह नीतिसम्मत है या वित्त मंत्री की नैतिकता है कि ऐसे में वह राज्य सरकारों पर आरोप लगाए?

इस विधेयक के कारण हमें सभा के सामने राज्यों की वास्तविक वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। इसीलिए अब तो वह समय आ ही गया है जब खासतौर से वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में केन्द्र-राज्यों के सम्बन्ध की पुनरीक्षण आवश्यक हो गई है।

आठवें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर नियतन किया जाना है। मुझे इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कहना है। यह तो अब निश्चित ही है किंतु भविष्य में जब तक सभा के सामने प्रस्तुत किए विभिन्न घटकों पर ध्यान नहीं दिया जाता और उनके बारे में समुचित निर्णय नहीं लिया जाता तब तक मैं यही कह सकता हूं कि देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी। इसका यह मतलब नहीं है कि मुझ पर यह आरोप लगाया जाए कि मैं केन्द्र को कमजोर बनाना चाहता हूं। हम केन्द्र को कमजोर नहीं बनाना चाहते। हम मजबूत केन्द्र चाहते हैं। केवल मजबूत राज्य ही मजबूत केन्द्र बना सकते हैं। हम मजबूत केन्द्र चाहते है घमंडी नहीं। हम ऐसा केन्द्र नहीं चाहते जो राज्यों के अधिकार हड़प कर जाए। हम ऐसा केन्द्र चाहते हैं जो संघात्मकता से प्रेरित है। हमें तो यही दिखाई पड़ रहा है कि संघवाद को विदा दी जा रही है, उसे तिलांजलि दी जा रही है और वित्त सम्बन्धी कार्यवाही के संदर्भ में एकात्मक प्रणाली वाले शासन पर निर्भरता

अपनायी जा रही है। जिसकी वजह से खामखवाह ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जिससे विघटनकारी और विखंडनकारी प्रवृत्तियां तथा अन्य बुरी ताकतें उभर रही हैं जो देश की एकता की रक्षा के लिए प्रेरक नहीं हैं।

मेरा ख्याल है कि इस समय इन चार विधेयकों—जो आठवें वित्त आयोग जो अंतरिम रिपोर्ट का परिणाम हैं—में शामिल फार्मूला स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प भी हमारे पास नहीं है। एक बार फिर मैं कहूंगा कि वे सरकारिया आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा नहीं करें। सरकारिया आयोग का कार्यकाल एक वर्ष और अर्थात् जून, 1985 तक बढ़ा दिया गया है।

प्रो० मधु दंडवते : उसे गैर कांग्रेसी सरकार ही लागू करेगी।

श्री चित्त बसु : सरकारिया आयोग की सिफारिशें पेश होने तक प्रतीक्षा न करें। संघात्मक के आधारभूत तत्व तथा केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के पुनर्गठन के बारे में लगभग के प्रश्न पर एक मत होने की प्रवृत्ति पर ध्यान देते हुए मेरा ख्याल है कि सरकार इस मामले में समुचित कार्यवाही करेगी।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, इन चारों बिलों का मकसद सीमित है। 8वें फाइनेन्स कमीशन की इन्टरिम रिपोर्ट के आधार पर ये चारों बिल सदन के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं। मूल प्रश्न मेरी समझ में, जैसा कि सभी सदस्यों ने बतलाया, पूरे देश को, सभी राज्यों को आर्थिक मामलों में आत्म-निर्भर बनाना है और सरकार को ऐसी आर्थिक नीति बनानी है जिससे इन मकसदों को इस हासिल कर सकें। अभी तक जो स्थिति है, आर्थिक साधनों के जितने स्रोत हैं वे ज्यादातर केन्द्रीय सरकार के हाथ में केन्द्रित हैं। एक्साइज डयूटी, इन्कम टैक्स या जितने प्रकार के अन्य टैक्स हैं उनमें से कुछ हिस्सा राज्यों को जरूर दिया जाता है लेकिन जो मुनासिब हिस्सा उनको मिलना चाहिये उतने की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। इसीलिये राज्यों और केन्द्र के बीच में विवाद चल रहा है, मतभेद है, इसको झगड़ा कहना चाहें तो कह लीजिए कि झगड़ा है। इसको निपटाना जरूरी है और उन्हें निपटाने के लिये आपने सरकारिया कमीशन भी बनाया है, क्योंकि इस बात में हम सब एकमत हैं कि देश की एकता हर कीमत पर बनी रहनी चाहिये। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि देश की एकता के नाम पर राज्यों के बीच में विभेद की नीति बरती जाय, सम्पत्ति वाले लोग ज्यादा सम्पत्तिवान बनते जायें और जो गरीब है वह सब ज्यादा गरीब बनता जाए। हमारा यह उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य गरीबी को मिटाना है और इसके लिये पैसे की जरूरत पड़ती है। आप राज्यों से जो धन टैक्स के रूप में वसूलते हैं उसके आंकड़े आपके पास हैं लेकिन बदले में उनकी मदद करते हैं वे आंकड़े भी आपके पास हैं। मैं तो अपने राज्य के बारे में जरूर जानता हूं। हर सदस्य अपने राज्य के बारे में ज्यादा जानता है कि धन के अभाव में प्राकृतिक विपत्तियों के अवसर पर भी राज्य स्वयं अपने साधनों से उसका मुकाबला करने की स्थिति में नहीं होते, उनको आपकी तरफ हाथ पसारना पड़ता है और इसलिये हाथ पसारना पड़ता है कि जो विभिन्न प्रकार के टैक्स आप राज्यों से वसूलते हैं उनका मुनासिब हिस्सा

आप राज्यों को नहीं देते हैं। चाहे इलैक्ट्रिसिटी का सवाल हो या दूसरे सवाल हों—सब मामलों में यही बात है। अपने विकास के लिये राज्यों के पास पर्याप्त धन नहीं होता है, आप जो धन देते हैं उनका ठीक से सदुपयोग नहीं होता है और जो देते हैं वह भी कम होता है। हमारे यहां संघीय शासन व्यवस्था है जिसका उद्देश्य है कि एक दूसरे से गुथे रहें, मिल कर रहें, एक राष्ट्र की तरह रहें और इसके लिये जरूरी है कि आप राज्यों को ज्यादा से ज्यादा मदद दें।

आप राज्यों की मदद नहीं करते और राज्य पैसे की कमी के नाम पर शहरों की मदद नहीं करते, न कारपोरेशन की मदद करते हैं, न म्युनिसिपैलिटी की मदद करते हैं और न उद्योग-धन्धों की मदद करते हैं, न कृषि के विकास में मदद कर पाते हैं। सब जगह पैसे का अभाव सामने आता है। आप उनकी मदद न करें और और वे दूसरों की मदद न करें तो देश का बहुमुखी विकास कैसे होगा ? देश में जो लोक-कल्याणकारी राज्य का नारा दिया जाता है, वह कैसे होगा ? मैं, एक ही सवाल पर जोर डाल रहा हूं और वह यह कि आप जो भी पैसा राज्यों से वसूलें, वह उनको दें। बैंक में जिस प्रतिशत से राशि जमा होती है, क्या राज्यों के उद्योग-धंधों में उसी प्रतिशत के हिसाब से खर्च किया जाता है, नहीं किया जाता ? मैं, बिहार की बात जानता हूं। वहां जितना डिपाजिट बैंकों में होता है, उसका तीस से चालीस प्रतिशत भी अगर आप देते हैं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन, क्या यह मुनासिब है ? बाकी को आप कहां ले जाते हैं ? जो ज्यादा साधन-सम्पन्न हैं या जहां पर राजनीतिक तौर से लोग सजग हैं और आन्दोलन कर सकते हैं, उनको आप देते हैं। यह स्थिति नहीं होनी चाहिए। जिस राज्य में डिपाजिट ठीक होता है, उसको उसी अनुपात में अपने राज्य के औद्योगिक, कृषि व अन्य विकास कार्यों के लिए धन दिया जाना चाहिए। आप सिर्फ धन देने की बजाय यही कहते रहें कि लोग मिलकर रहें और आपस में मतभेद नहीं बढ़ाएं तो इससे काम नहीं चलेगा। "पर-उपदेश-पाण्डित्यम" हर आदमी दूसरे को उपदेश देने में अपने को ज्यादा सक्षम मानता है। लेकिन, स्वयं उपदेश नहीं लेना चाहता। भारत सरकार की स्थिति भी यही है। कम खर्च करो और आस्टेरिटी अपनाओ। यह करो और वह करो। आपकी भी और राज्यों की भी फिजूलखर्ची मिटनी चाहिए। जनता की गाढ़ी कमाई से जो पैसा टैक्सों आदि के रूप में जमा होता है, उसका सदुपयोग जनता तक पहुंचना चाहिए। उनकी गरीबी मिटाने में मदद मिलनी चाहिए। गरीबी रेखा से लोग ऊपर उठे, उनकी संख्या न बढ़ने पाए। असलियत में यही झगड़ा है। आपने तो टेबल बना दिया कि किस राज्य को कितना परसेंट दिया ? जो कुछ आप दे रहे हैं, उसमें तो हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक से दीजिए ताकि वह अपने पांवों पर खड़े हो सकें ताकि संघ और राज्य का संबंध बिल्कुल अटूट हो जाए। जहां तक देश की एकता का प्रश्न है, हम लोगों में कोई भी मतभेद नहीं होगा, चाहे किसी भी विचार या दल के हों और चाहे किसी की भी सरकार क्यों न हों। सब राज्यों को मुनासिब हिस्सा देना आपका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बिखराव की स्थिति जो पैदा होती है, वह नहीं होगी। जो हमारे देश के दुश्मन हैं और तरह-तरह की फूटवादी प्रवृत्तियों को फैलाना चाहते हैं, उनको भी अपना उल्लू सीधा करने का मौका नहीं मिलेगा। यही मेरा निवेदन है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : मोहतरम चेयरमैन साहब, आठवें फाइनेंस कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में जो चार बिल यहां हाउस के सामने लाए गए हैं, इनके बारे में मैं कोई राय कायम नहीं करता हूं। मैं उस तरीकेकार के खिलाफ हूं जो मरकजी सरकार ने एडीशनल एक्साइज ड्यूटीज को तकसीम करने के सिलसिले में इस्तेमाल किया है। जैसे इन बिल्स में भी बताया गया है कि जो एडीशनल ड्यूटी इन ल्यू आफ सेल्स टैक्स के रूप में होगी, शुगर, टोबैको, काटेन फैब्रिक्स, वूलन फैब्रिक्स, मैन मेड फैब्रिक्स पर, जो स्टेट्स के सेल्स टैक्स को रिप्लेस करेगी इन कमोडिटीज में, उसमें जम्मू कश्मीर राज्य को हर साल 0.744 प्रतिशत भाग दिया जाएगा। इस तरीके से पार्ट आफ नैट प्रोसीडिंग्स आफ दी यूनियन ड्यूटीज आफ एक्साइज अदर दैन जैनरेशन आफ इलैक्ट्रिसिटी में जम्मू कश्मीर राज्य को 0.839 प्रतिशत दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह भाग इतना कम है और इतना नगण्य है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। मैं नहीं समझ पाया कि जब इस बारे में इतनी चर्चा है फिर इतनी कम मदद किस बेस पर दी गई है। सारी रियासतों से जब आप सेल्स टैक्स से होने वाली आमदनी ले रहे हैं, एडीशनल एक्साइज टैक्स के तौर पर, और उसको आगे तकसीम कर रहे हैं तो उसमें जम्मू कश्मीर जैसी गरीब रियासत को जो भाग मिल रहा है, उसको देखकर मुझे बडा दुख होता है और इसीलिए मैं इन बिल्स की हिमायत नहीं करता। मैं जनाबेवाला की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि इस मुल्क में मुजाहिदीन आजादी ने अपनी जान की और माल की कीमत देकर स्वराज्य हासिल किया, वह सही मायनों में तब तक नहीं आ सकता जब तक कि हमारे यहां अमीर और गरीब के बीच की खाई नहीं पाट दी जाती। आज हालत यह हो गई है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब की हालत बिगड़ती चली जा रही है। जब तक आप इस खाई को नहीं पाटेंगे तब तक उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। इसी तरह से आप बड़ी रियासतों और छोटी रियासतों के बीच में इस लिहाज से अन्तर पैदा कर रहे हैं कि उनके पास साधन ज्यादा हैं या कम हैं। वे इंडस्ट्रियलाइजेशन या दूसरे मामलों में कितना आगे हैं। तरक्कीयाफ्ता रियासतों के मुकाबले में हमारे यहां कई ऐसी रियासतें हैं जो काफी पिछड़ी हैं हर लिहाज से पीछे रह गई हैं। जब तक इन रियासतों को एक दूसरे के करीब नहीं लाया जाता, और इनके दरम्यान की खाई को पाटा नहीं जाता, तब तक इस मुल्क में सच्चे मानों में स्वराज नहीं आ सकता। न पहले आया है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां हमारे मुल्क में पंजाब की रियासत है, हरियाणा है वहीं जम्मू कश्मीर भी है, सिक्किम भी है, मिजोरम और नागालैण्ड भी है, उड़ीसा भी है जिनकी हालत बहुत गरीब, गुजरी हुई, पिछड़ी और बैकवर्ड है। आपका यह कहना कि तरक्कीयाफ्ता रियासतों के पास साधन ज्यादा हैं, लिहाजा उनको ज्यादा हक दिया जाए, वह जम्हूरियत के तकाजे के खिलाफ बात है। मैं कहना चाहता हूं कि इन रियासतों बीच के अन्तर के दो कारण हैं—एक तो टैक्नालाजी और दूसरा बैंकिंग, रु० पैसे, रिसोर्सेज का इन पर ज्यादा मात्रा में खर्च होना। हमारा टैक्नालाजीकल इन तरक्कीयाफ्ता रियासतों की डैवलमेंट पर ज्यादा खर्च हो रही है और उनके मुकाबले जितने पिछड़े राज्य है वहां न तो टैकनालाजी का सही इस्तेमाल हुआ है और न वहां बैंकिंग फैसिलिटीज दी गई हैं जिसके कारण उनका डैवलपमेंट ज्यादा नहीं हुआ। उनको सरकार भी कम सरमाया दे रही है। आज इस अन्तर को हमें कम करना चाहिए और यह बहुत जरूरी भी

है। वरना इस देश में बहुत बड़ा क्राइसेज पैदा होगा। यह क्राइसेज ब्रिटिश साम्राज्य के वक्त से पैदा हुआ था। जब उन्होंने हिन्दुस्तान पर कब्जा जमाया तो जो रियासतें उनके हाथ में आयीं वे डैवलप हो गईं और बाकी पिछड़ी रह गईं, जहां रजवाड़े शाही थी—जैसे जम्मू कश्मीर, राजस्थान के कुछ दीगर इलाके, आसाम और कुछ दूसरे इलाके, जहां सरकार की नजर नहीं पड़ी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पंजाब में कैनाल्स का जाल बिछा दिया, सिन्ध का डेवलपमेंट किया जो अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है, उसके डैवलपमेंट की वजह से वहां बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ जबकि वह पूंजी सारे मुल्क की थी। कुछ इलाकों में रेलवे ट्रैक्स बिछायी गईं और कुछ रियासतों को दूसरी फैसिलिटीज दी गईं। बड़े शहरों कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत अंग्रेजों ने दीं। लेकिन जो सहूलियत रेलवे, टेली कम्युनिकेशन, टेक्नालाजी पर खर्च हुआ वह पूरे देश की खून पसीने की कमाई थी। और अंग्रेजों ने जो सिलसिला शुरू किया, हमारी सरकार का फर्ज बनता था उसको खत्म करती और जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं उनको आगे जाने से लिए ज्यादा से ज्यादा साधन तरक्की करने के लिए दिए जाएं।

यह अफसाना (मिथ) भी एक्सप्लांड हो चुका है कि चूंकि कुछ इलाके नेचुरली बैकवर्ड हैं, इसलिए वहां के लोग पीछे रह गये। इसलिए उसमें सरकार का क्या दोष। ऐसी बात नहीं है। जब आप राजस्थान को एशिया की सबसे बड़ी कैनाल के जरिये पानी दे रहे हैं उससे सारे राजस्थान का नक्शा बदल जाएगा। जब हरियाणा, पंजाब में नहरें नहीं थीं तो वहां का क्या हाल था ? लेकिन बाद में इन इलाकों में पानी आने से वहां का उत्पादन बढ़ा, तरक्की हुई। और जम्मू-कश्मीर में जम्मू का इलाका बड़ा ही वसीह है और बंजर है। लेकिन जब तवी और रावी से पानी देना शुरू कर दिया है तो काफी खुशहाल हो रहा है, इसलिए बैकवर्डनैस नेचुरल है यह बात गलत है।

आप उड़ीसा को देखें सैकड़ों मील तक जमीन खुश्क पड़ी है। अगर मोडर्न टैक्नालाजी से उसको पानी दे दिया जाय तो फिर देखिए वही इलाका पूरे देश की खुशहाली में कैसे हिस्सा बांटेग इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो यहां पर फाइनेंसियल एनाटामी के नाम से नारा लगा कुछ रियासतों की तरफ से, हम उसके खिलाफ हैं। अब तक जो दौलत पैदा हो रही है वह कुछ रियासतों में जमा हो रही है, और कुछ राज्य हाथ फैलाए हैं जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा। जिन रियासतों में इस वक्त इन्डस्ट्रीज हैं, बिजली और सारे साधन हासिल हैं उनकी कैपिटल ग्रोथ बहुत बढ़ चुकी है और वह रियासतें अगर चाहें कि उनको ज्यादा शेयर मिले और बैकवर्ड स्टेट्स को नजरअन्दाज किया जाय, हम इससे मुत्तफिक नहीं हैं।

जो आप इस वक्त हासिल कर रहे हैं कुछ ऐडीशनल ऐक्साइज ड्यूटी अपने हाथ में ले ली इनल्यू आफ सेल्स टैक्स तो किसलिए ली ? आप परसेंटेज के हिसाब से तकसीम करें। एक तो कुछ हिस्सा अपने पास रखा और जो बचा उसमें से जम्मू-कश्मीर को 744 प्रतिशत टुबैको, शुगर और फैब्रिक में दे दिया यह कोई इन्साफ की बात नहीं हुई। इन्साफ तब होता जब उसकी जरूरत का ख्याल रखते हुए, उसके इलाके की वुस्त और पसमांदगी को ध्यान में रखते हुए देते। लेकिन ऐसा नहीं

हुआ । इसलिए जो तरीका फाइनेंस कमीशन ने अपनाया है उससे हम इत्तफाक नहीं करते हैं, और इस तरीकाकार को बदलने की ज़रूरत है । जब तक रियासतों को, जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं अगर आप उनकी तरक्की का इंतजाम नही करेंगे तो इससे बड़े खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं । जिन इलाकों में बैकवर्डनैस होगी वहां पर पोलिटिकल अनरसरटेण्टी ज्यादा होगी । क्योंकि बेरोजगार ज्यादा होंगे और जो तालीमयाफ्ता बेरोजगार हैं, उनको जिन्दा रहने का कोई अधिकार नहीं होगा जहां इन्डस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा नहीं होगी, वहां लोगों की ज्यादा खपत डिफरेन्ट डिपार्टमेंट्स और कार्य में करना मुश्किल होगा । इस तरीके से हमारे बैकवर्ड स्टेट में एक किस्म की टेंशन पैदा हो रही है, एक किस्म की बेईतमिनानी पैदा हो रही है, अन-सर्टेनिटी पैदा हो रही है और यह कोई भी शक्ल अख्त्यार कर सकती है और इससे एक धमाका मुल्क में हो सकता है । इसको बचाने का एक तरीका होगा कि आप उन स्टेट्स के साथ जिनके साथ ना-इन्साफी हुई हो, उसे खत्म करें, उनकी मदद के लिए आगे आएं और टौप-प्रोपर्टी पर उन स्टेट्स की डैवलपमैंट के लिए काम करें, जिनकी तरक्की के बड़े इमकानात हैं ।

इस जिम्न में मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जब आपने फाइनेन्शियल पावर्स अपने हाथ में ज्यादा लिए और उन रियासतों को फायदा भी नहीं दिया जो पसमांदा हैं और ऊपर से अपने इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी को बहुत ताकतवर बना दिया, मैं तो आपको भी दोष दे रहा हूं, लेकिन आपसे ज्यादा दोष आपके सिस्टम को दे रहा हूं जिसमें ब्यूरोक्रेट्स स्टेट्स के लिए बहुत मुस्किलात पैदा कर रहे हैं और सेंटर व स्टेट्स के सामने जो एक किस्म की टेंशन पैदा हो रही है उसके लिए एक बहुत बड़ी वजह ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने अपनी सल्तनत कायम की है और अपनी पैरेलल गवर्नमेंट कायम की है और जिनके इशारे पर आज का एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार चल रही है । इस कदर इन्होंने कब्जा जमा रखा है कि सेंटर और स्टेट के ताल्लुकात के पसमन्जिल में यह बहुत गैर-जरूरी तौर पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं ।

जम्मू-कश्मीर की रियासत के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि बहुत पहले से हमने आपसे कहा कि आप आगे आइए । हमारी स्टेट में अगर हैवी-इंडस्ट्रियलाइजेशन नही हो सकती है तो भी हमारे पास बिजली पैदा करने के बड़े साधन हैं । हमारे पास इलैक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए बड़े पोटेंशियल हैं, तकनाई के बड़े इमकान हैं, लेकिन आप बताइए कि पिछले 37 बरस में जम्मू-कश्मीर के दरिया, जो बड़ी ऊंचाई से नीचे ढलान में होकर मैदानी इलाकों में जाते हैं, उनका आपने क्या फायदा उठाया ?

हमने आपसे कहा कि चिनाब, जेहलम और सिन्ध जो लद्दाख से होकर आती है और फिर सारा पानी पाकिस्तान की तरफ जाता है, चिनाब जो इतने बड़े पहाड़ी इलाकों से होकर आती है, जिसका बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन बाद में उसका पानी पाकिस्तान चला जाता है, और जो सारे दरिया, नदी-नाले कश्मीर में बह रहे हैं, उनका आप फायदा उठाएं, लेकिन आपने कोई फायदा नहीं उठाया, आपने हमेशा हमको नजरअन्दाज किया, उसमें दोनों का नुकसान हुआ, आपका भी और

हमारा भी। आपके मरकज में पूरे मुल्क में जितनी ग्रोथ इलैक्ट्रिसिटी की होंगी उतने ही मुल्क की तरक्की के इमकानात बढ़ेंगे। 10 हजार मेगावाट बिजली हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप वहां पैसा लगाइए। आप इन्वैस्टमेंट करके देखिए, लेकिन आपने पैसा नहीं दिया।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप बैकवर्ड और पसमांदा रियासतों की मुश्किलात नहीं देखतें। जब-जब हमने यह मांग की है, यह बात बराबर टूटती है, क्योंकि पैसों के मामले में आपके ब्यूरोक्रैट्स आपसे ज्यादा बाजी ले गए हैं और आपकी सारी कार्यवाही निकम्मी हो जाती है क्योंकि आपका सारा काम ब्यूरोक्रैट्स पर चल रहा है।

जब भी हमने रियासत जम्मू-काश्मीर में बिजली के प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने की बात की, उड़ी प्रोजेक्ट, सलाल प्रोजेक्ट और दुलहस्ती प्रोजेक्ट लगाने की बात कही आपने अपने ब्यूरोक्रेट्स डेलीगेशन भेज दिया जो कि वहां पर सिर्फ वक्त जाया करते रहे और अपने लिए एलाउन्सेज हासिल करते रहे। यह बड़े अफसोस की बात है, इसमें आपका भी दखल है कि आपने उसको पोलिटिक्स बना दिया। उसमें आपकी जिम्मेदारी भी है और उनकी देखादेखी ब्यूरोक्रेट्स ने भी इन कामों को तकमील तक पहुंचने नहीं दिया।

मैंने पीछे एक सवाल किया था कि जम्मू-काश्मीर के इलाके में सुरेन्सर एक मुकाम है जहां इंडो-एशियन को-आपरेशन के तहत जमीन की खुदाई हुई, ड्रिलिंग हुई, बड़े टैक्नोलोजिस्ट आये और जमीन खोदने पर नीचे वहां गैस निकल आई। जब मैंने सवाल पूछा तो कहा गया था कि इस किस्म की कोई खुदाई नहीं हुई। लेकिन राज्य सभा में एक सवाल के जवाब में बताया गया कि खुदाई हुई, लेकिन वहां इस किस्म की गैस निकली, हमारी टैक्नालोजी इतनी डेवेलप्ड नहीं है कि उसका उत्पादन होता और उसका फायदा उठाया जाता। अगर उसका उत्पादन होता, तो यह देश के हित में होता, लेकिन यह नहीं हुआ। उसके बाद उस कुएं को बंद कर दिया गया।

कौन-सी ऐसी रियासत है इस मुल्क में, जिसके अपने कुदरती वसायल नहीं हैं, जिनसे फायदा नहीं उठाया जा सकता? अलग-अलग जुगराफिये, टापोग्राफी और हालत के मुताबिक वहां से चीजें मिल सकती हैं। जम्मू-काश्मीर में बिजली, पैट्रोल और गैस मिल सकते हैं। बहुत-सी जगहों से गैस और पैट्रोल निकले भी हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट ने उसकी खुदाई जरूरी नहीं समझी। अगर वहां पर खुदाई की जाए, तो वहां पर और बहुत-सी कीमती चीजें मिल सकती हैं। यह गवर्नमेंट पिछड़ी हुई रियासतों के साथ इंसाफ नहीं कर सकती। शायद उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उन रियासतों में, और खासतौर पर जम्मू-काश्मीर में, इन लोगों की पसंद की सरकार नहीं है। इसी वजह से वह उनकी मदद नहीं करना चाहता।

हमारे यहां टूरिज्म की डेवेलपमेंट के लिए गवर्नर ने क्या काम किया है?

सभापति महोदय: यह जेनरल डीबेट नहीं है। आप इन्हीं बिलों पर बोलिए।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मैं इन बिलों के पसे-मन्जर में ही कह रहा हूं। वैसे तो इस पर काफी कहा जा सकता है, लेकिन मैं तो सिर्फ इशारा ही कर रहा हूं कि टूरिज्म और फ्रूट्स में तरक्की के बहुत इमकानात थे, लेकिन इस गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं दी।

फिनांस मिनिस्ट्री के जरिए रियासतों में 37,000 करोड़ रुपए का टोटल इन्वैस्टमेंट किया गया है और 24,000 करोड़ रुपए सिर्फ पब्लिक अंडरटेकिंग्ज पर खर्च किए गए हैं। लेकिन जम्मू-काश्मीर में बहुत कम रुपए खर्च किए गए। आप फैक्ट्स एण्ड फिगर्ज देखिए कि कितना मामूली (इनसिग्नीफिकेंट) कांस्ट्रीब्यूशन जम्मू-काश्मीर के लिए हुआ है—वह न होने के बराबर है। मैं बताना चाहता हूं कि मरकज के पास जो ताकत है, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। वह पिछड़ी हुई रियासतों की ओर बैकवर्ड बनाना चाहता है। यह पालिसी बहुत गलत है और मुल्क के हित में नहीं है।

एक आनरेबल मेम्बर, श्री नामग्याल, ने कहा कि जम्मू-काश्मीर में इनकम टैक्स के कुछ छापे पड़े, तो वहां पर सरकार ने उनकी मदद नहीं की। यह बिल्कुल गलत बात है। वह गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। मैं आनरेबल मिनिस्टर को बताना चाहता हूं कि अगर वहां पर कोई जायज कार्यवाही होगी, कोई ब्लैक-मार्केटियर है, कोई धन-चोर है, कोई धोखा-धड़ी की बात चल रही है, कोई स्कैंडल या रैकट चल रहा है, तो जम्मू-काश्मीर की सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही पर रोक नहीं लगा सकती। सरकार आपकी है, कानून आपके हाथ में है, आपके हाथ लम्बे हैं। कौन आपको रोक सकता है ? न ही हमको इसमें कोई परेशानी है। लेकिन मरहूम शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के वक्त में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जिस ढंग से वहां पर अपने आदमियों को भेजा, उससे ऐसा लगता था कि जैसे वहां की सरकार पर रेड करना हो। उससे इनका इमेज अच्छा नहीं हुआ, बल्कि बहुत खराब हुआ। हमने उसकी मुखालिफत और निन्दा की। हमने यह नहीं कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चोरों से पैसा न ले या चोरों को न पकड़े। हम कहते हैं कि काम करने के ढंग होते हैं। हवाई जहाज पर बैठकर लोग वहां पर गए और उन्होंने चुन-चुनकर नेशनल कांफ्रेंस के हामी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट्स पर छापे मारे। इंडस्ट्रियलिस्ट्स या बिजिनेसमैन की पार्टियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। उनके अपने इंट्रेस्ट होते हैं। लेकिन जहां सरकार इस ढंग से सोचे कि यह बिजनेसमैन इस लाइन पर जा रहा है और वह दूसरी लाइन पर जा रहा रहा है, तो यह बड़े दुःख की बात होगी। हमने देखा है कि जिनकी थोड़ी-बहुत सिमपैथी नेशनल कांफ्रेंस के थी, केवल उन्हीं के ऊपर हाथ डाला।···(**व्यवधान**)···जो लोग थे···(**व्यवधान**)···इस तरह से जब आपने एक्शन लिया। इसमें बहुत सारे बेगुनाह लोगों के साथ ज्यादती हुई। आप इस सारे मामले की इंवैस्टीगेशन करा सकते हैं। आप इस आनरेबिल हाउस के मैम्बर्स का एक कमीशन बना दें, हम इन्वैस्टीगेशन के लिए तैयार हैं। फिर देखेंगे कि किस हद कौन सच्चा है और गलत है। मैं किसी को डिफेंड नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हम इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि आप स्टेट की पावर्स को चेलैंज करें। आप वहां पर हल्ला बोल दें, वहां की पुलिस और वहां की

सरकार के सारे अख्तियारात तथा आटोनोमी को रौंद दें। हम इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। आपने वहां की पुलिस को बेखबर रखा और सरकार को भी इसके बारे में नहीं बताया।

इस मुल्क में सैंटर-स्टेट रिलेशन्स को संवारने के लिए सही ढंग पर चलने की जरूरत है। जहां तक फाइनेंशियल आटोनोमी का सवाल है, यह मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं इसके हक में नहीं हूं। आपने सरकारिया कमीशन बनाया है और सरकार ने इस बात को तसलीम किया कि कुछ डिमार्केशन है। स्टेट के अपने कुछ अख्तियारात हैं, इस ढंग से आपको स्टेट के अख्तियारात को चेलेंज नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आप कमजोर रियासत को कमजोर रखकर मर्कज को मजबूत कर सकते हैं और न मुल्क को मजबूत कर सकते हैं। आप स्टेट को कमजोर करेंगे तो यह मुल्क कमजोर होगा। इनको मजबूत बनाने के लिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि स्टेट के जो अपने अख्तियारात हैं, उनकी आजादी में आप हाथ न डालें। जो फाइनेंशियल पोटेंशियल आपके पास हैं, उसका इस्तेमाल इस ढंग से करें, जो पसमांदा रियासतें हैं, जिनकी तरक्की अभी तक नहीं हुई है, जिनको आगे लाने के लिए आपके पास साधन हैं, उनका इस्तेमाल करें, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। मैं मतालबा करता हूं कि आप ताकत का सही इस्तेमाल करें और अमीर व गरीब रियासतों के बीच जो अंतर है, उसको खत्म करें। इस तरह की जो टेंशन आप बिल्ट करना चाहते हैं, उसको मिटा दें।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री एस० टी० के० जक्कायन** (पेरियाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से मैं संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) विधेयक 1984 तथा अन्य तीन विधेयकों, जिन्हें चर्चा-परिचर्चा के लिए एक साथ पेश किया गया है, के सम्बन्ध में कुछ संगत मुद्दे उठाना चाहता हूं।

महोदय, आठवें वित्त आयोग···

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : सभापति महोदय, दिल्ली में पांच मैम्बर पार्लियामेंट गिरफ्तार हुए हैं—क्या आपके पास कोई सूचना है ?

सभापति महोदय : मेरे पास कोई इन्फर्मेशन नहीं हैं।

श्री एस० टी० के० जक्कायन : आठवें वित्त आयोग ने 14 नवम्बर, 1983 की अन्तरिम रिपोर्ट पेश की। इस विधेयक ने अंतरिम रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों को कानूनी रूप देकर 23 अप्रैल, 1984 को तैयार की गई थी और सभा में पेश की गई थी। आठवें वित्त आयोग ने

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी के अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण।

30 अप्रैल, 1984 को अपनी अन्तिम रिपोर्ट पेश की। केन्द्र ने आठवें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों को प्रभावी करने वाले इस विधेयक को पेश करने में छः माह लगाए। मैं खास तौर से यह कह रहा हूं क्योंकि आठवें वित्त आयोग की अन्तिम रिपोर्ट में शामिल सिफारिशें लागू करने में ऐसी देर नहीं होनी चाहिए थी।

इन चारों विधेयकों से मुझे पता चला कि उत्पाद शुल्क राजस्व में तमिलनाडु को जो हिस्सा था उसमें धीरे-धीरे कमी आई है। सातवें वित्त आयोग ने 7.641% की सिफारिश की थी। अब आठवें वित्त आयोग ने इसे घटाकर 7.637% कर दिया। सातवें वित्त आयोग ने बिजली की मद में तमिलनाडु के लिए 7.25 प्रतिशत की सिफारिश की थी। वर्ष 1979 में यह 7.25 प्रतिशत दिया गया था किन्तु 1983-84 में इसे घटाकर 6.38 प्रतिशत कर दिया गया। अब आठवें वित्त आयोग ने 1984-85 के लिए 7.71 प्रतिशत की सिफारिश की है। चूंकि वित्त आयोग की सिफारिशें पांच वर्षों तक प्रभावी होती हैं अतः मुझे यह आशंका है कि यह 7.71 प्रतिशत घटकर 1983-84 के आंकड़ों के समान हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि वित्त मन्त्री यह सुनिश्चित करें कि यह ऐसा नहीं होगा। तमिलनाडु का विशेष महत्व के सामान के मद में 7.710 प्रतिशत अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क था जिसकी 7वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी, इसे 8वें वित्त आयोग ने घटाकर 7.707 प्रतिशत कर दिया है।

महोदय, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि हालांकि केन्द्र का उत्पाद-शुल्क राजस्व वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा था किन्तु राज्यों का भाग वर्ष प्रतिवर्ष घटता ही जा रहा है। राज्यों के लिए स्रोतों को बढ़ाने की सम्भावनाएं संकुचित की जा रही हैं। यदि बिक्री कर बढ़ाया जाता है तो आवश्यक वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है, जिसके कारण आम जनता में असंतोष फैल जाता है। सूखा और बाढ़ के समय भूमि राजस्व वसूल नहीं किया जाता है जो कि प्रायः आती रहती हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों का खर्च भी बढ़ता ही जा रहा है। इस समय केन्द्र की उत्पाद-शुल्क से प्राप्त राशि का 40 प्रतिशत दिया जाता है। मैं इस 40 प्रतिशत को 60 प्रतिशत तक बढ़ाने की मांग करता हूं। तभी राज्य विकास की गति बनाए रखेंगे। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि रेत पर खड़ी इमारत बहुत देर तक नहीं टिकेगी। यदि राज्य कमजोर रहेंगे तो केन्द्र मजबूत नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय कर-राजस्व में से और अधिक राशि का नियतन किया जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषणा समाप्त करता हूं।

श्री एस० एम० कृष्ण : महोदय, इस विवाद में कुछ परिचित विषयों पर ही चर्चा हुई है। हम पर आंकड़ों से प्रहार किया गया और हमने आरोप के निराकरण के लिए बार-बार दुहराए गए आंकड़े फिर से पेश कर दिए। अपनी आरम्भिक टिप्पणी में जो मैंने वक्तव्य दिया ...

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : सभापति महोदय, मतलब की बात का आपको पता नहीं है। यहां पर पांच आदमी बैठे हैं, कोरम के बगैर पार्लियामेंट कैसे चलेगी ? मैंने जो बात पहले उठाई थी—दिल्ली में दस हजार आदमी गिरफ्तार हुए हैं...

सभापति महोदय : उसकी इंफर्मेशन मेरे पास नहीं है ।

श्री मनीराम बागड़ी : 10 हजार आदमी गिरफ्तार हुए हैं । चौधरी चरण सिंह, भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, स्वामी इंद्रवेश वगैरह । आपके पास इन्फार्मेशन क्यों नहीं आई ? मेरे सामने इत्तिला दी है ।

सभापति महोदय : देख लेते हैं, अगर आई होगी तो आपको बतला देंगे ।

श्री मनीराम बागड़ी : सदन में कोरम नहीं है ।

सभापति महोदय : माननीय मन्त्री जरा बैठ जाएं । अभी गणपूर्ति नहीं हुई है । गणपूर्ति के लिए घण्टी बजाई जाए ।

4 54 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : अब गणपूर्ति हो गई है । माननीय मन्त्री अपना भाषण जारी रखें ।

श्री एस० एम० कृष्ण : मैं यह निवेदन कर रहा था कि वही आरोप हमारे खिलाफ लगाए गए थे ।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : गणपूर्ति का प्रश्न श्री बागड़ी द्वारा उठाया गया था क्योंकि वे गिरफ्तार किए गए संसद सदस्यों के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते थे । 4 घण्टे बीत गए है । उन्हें लगभग 1 बजे गिरफ्तार किया गया था । अब लगभग 5 बज गए हैं । बोट क्लब मुश्किल से एक मील दूर है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्यों के समक्ष रख दी जाएगी ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : यह आश्चर्य की बात है कि जानकारी अभी तक नहीं आई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय जवाब दें ।

प्रो० अजित मेहता : यहां कोई सरकार काम नहीं कर रही है ।

श्री सतीश अग्रवाल : दिल्ली में भी ?

श्री एस० एम० कृष्ण : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय राज्यों की सरकारों का जो स्वरूप है, उसके आधार पर राज्यों के बीच भेदभाव करने के लिए सरकार के विरुद्ध अभियोग लगाए गए हैं, हम

पर तदर्थवाद का आरोप लगाया गया है। हम पर राज्य सरकारों के अधिकारों को छीनने का आरोप लगाया गया है, वित्तीय मामलों में पूर्ण स्वायत्तता की मांग की गई है। ये सब तर्क हैं, ये सब आरोप हैं जो पहले लगाए गए थे और जिनका प्रभावकारी ढंग से खण्डन किया गया था। मुझे यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देनी चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था की समग्र प्रबंध की जिम्मेदारी संघीय सरकार पर है और इस सरकार का उस जिम्मेदारी को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह एक संयुक्त जिम्मेदारी है।

श्री एस० एम० कृष्ण : हम उस जिम्मेदारी को भूल नहीं सकते हैं। लेकिन यह सच है कि न केवल राज्य सरकार को बल्कि संघीय सरकार को भी राष्ट्र की विभिन्न विकासशील गतिविधियों के लिए संसाधन जुटाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें राज्यों के लिए पर्याप्त चिन्ता करनी पड़ती है।

अब, तर्क यह नहीं है कि हम राज्य सरकारों को ताक पर रख कर एक मजबूत केन्द्र चाहते हैं। प्रधान मन्त्री महोदया ने बार-बार कहा है कि केन्द्रीय सरकार को उतना ही मजबूत किया जा सकता है जितनी कि राज्य सरकारें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : राज्य भी काफी मजबूत हैं।

श्री एस० एम० कृष्ण : यदि राज्य सरकारें कमजोर हैं तो यह सोचना ख्याली पुलाव होगा कि केन्द्र सरकार को भी मजबूत बनाया जा सकता है।

श्री चित्त बसु : जी, नहीं। राज्य मजबूत नहीं हैं।

श्री एस० एम० कृष्ण : वस्तुतः मुझे आश्चर्य है कि माननीय सदस्य प्रो० चक्रबर्ती ने केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच सम्बन्धों को मालिक-नौकर के बीच के सम्बन्धों के बराबर ठहराया है। इस दोषारोपण से बढ़कर तथ्यों को और अधिक झुठलाया नहीं जा सकता है। जो कुछ भी किया गया है, चाहे वह ओवरड्राफ्टों के क्षेत्र में है अथवा योजना परिव्यय के क्षेत्र में यह कार्य हमेशा राज्य सरकारों को पूर्ण विश्वास में लेकर किया गया है। कभी-कभार सही मतभेद हो सकते हैं। अच्छा, आपने सम्मेलन आयोजित किए हैं और इन सम्मेलनों की वजह से कई मतभेद उभरे हैं। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि इन सभी सम्मेलनों में कोई व्यापक आम-सहमति नहीं हो पाई। मुझे यह और भी स्पष्ट कर देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि प्रो० चक्रवर्ती इसका खण्डन नहीं करेंगे। जब आप लोगों में आम सहमति या व्यापक मतैक्य नहीं हो सका है तो क्या सरकार को अपना काम ठीक ढंग से संपन्न करने के लिए कहना उचित होगा।

अब ऐसी धारणा बनाई जा रही है कि भारत सरकार राज्यों को संसाधनों के आबंटन के मामले में जो मन में आया, कर सकती है। प्रत्येक कार्य संविधान की परिधि के अन्दर, संविधान के ढांचे के अन्दर किया जाना चाहिए।

5.00 म० प०

अनुच्छेद 280 में क्या कहा गया है ? इसमें कहा गया है कि :—

"(3) आयोग का यह कर्त्तव्य होगा कि वह—

(क) संघ तथा राज्यों के बीच में करों के शुद्ध आगम का, जो इस अध्याय के अधीन उनमें विभाजित होता है या होवे, वितरण के बारे में, तथा राज्यों के बीच ऐसे आगम के तत्संबंधी अंशों के बंटवारे के बारे में,

(ख) भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्वों के लिए सहायक अनुदान देने में पालनीय सिद्धान्तों के बारे में;

राष्ट्रपति को सिफारिश करे।"

जब मामला यह है तो मैं नहीं जानता कि प्रो० चक्रवर्ती ने हम पर स्वेच्छाचारिता का इलजाम लगाने का इतना साहस कैसे जुटाया। सातवें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं और करों की आय का आबंटन सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप किया गया है। मैं ऐसा कोई कारण नहीं देखता कि आपको इस पर आपत्ति कैसे हो सकती है। ये चार विधेयक इस विचार से कतिपय तकनीकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए केवल एक अन्तरिम उपाय है कि आठवें वित्त आयोग में 30 तारीख को राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और इस पर राष्ट्रपति द्वारा विचार किया जाता है और की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इस बीच, मई के महीने में हमें राज्यों को करों का कतिपय भाग देना है। इस बात ने हमें इन संशोधनकारी विधेयकों के साथ इस सभा में आने के लिए मजबूर किया है। अतएव, सरकार पर यह आरोप लगाना बिल्कुल निराधार है कि हम स्वेच्छाचारी हैं। यह भी कहा जाता है कि भारत सरकार अभिमानी है। अभिमान अथवा नम्रता का बिल्कुल प्रश्न ही नहीं उठता। जब कभी भी वित्त मंत्री महोदय ने पश्चिमी बंगाल के दृष्टिकोण से देखा है तो उन्होंने हमेशा वहां के कार्य को सामान्य से ज्यादा महत्व दिया है जबकि हमने संघ के अन्य राज्यों को सामान्य महत्व दिया है। आपकी जानकारी के लिए हम पर हमारे दल के लोगों द्वारा भी यह आरोप लगाया गया है कि हम पश्चिमी बंगाल के प्रति नम्र तथा उदार हैं और वे बड़े मजे से ओवरड्राफ्टों पर ओवरड्राफ्ट लेते जा रहे हैं और भारत सरकार उन्हें स्वीकार करती जा रही है। इसलिए प्रो० चक्रवर्ती को तस्वीर के दूसरे पहलू को भी देखना होगा।

वर्ष 1980-85 तक की अवधि के लिए पश्चिमी बंगाल के लिए प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय 790 करोड़ रुपये है जो कि अधिकांश कांग्रेस (इ) शासित राज्यों से ज्यादा है। आपकी जानकारी के लिए बिहार की यह राशि 572 करोड़ रुपये है, उड़ीसा की 684 करोड़ रुपये है, राजस्थान की 786 करोड़ रुपये तथा उत्तर प्रदेश की 662 करोड़ रुपये है। इन तथ्यों को देखते हुए भारत सरकार पर आरोप लगाना बिल्कुल निराधार है कि वह स्वेच्छाचारी है अथवा हठधर्मी है।

पश्चिमी बंगाल का पुनः जिक्र करते हुए हम पश्चिमी बंगाल सरकार के कार्यकरण में कोई नुक्ताचीनी नहीं करना चाहते। यह मेरा इरादा नहीं है और सरकार का भी बिल्कुल इरादा नहीं है। लेकिन जब हम कतिपय आंकड़ों का उल्लेख करते हैं तो हमें भी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उसके खिलाफ आंकड़े देने पड़ते हैं। लेकिन पश्चिमी बंगाल का इसके कुल खर्च की प्रतिशतता के रूप में इसका वास्तविक योजनागत व्यय कितना रहा है? 1980-81 से 1982-83 तक की अवधि के दौरान यह केवल 17.23 प्रतिशत था। शेष गैर-योजनागत था। आप अपने-आपको अन्य राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश, जिसका वास्तविक योजनागत व्यय 25.27 प्रतिशत है, बिहार जिसका 22.10 प्रतिशत है, राजस्थान जिसका 22.38 प्रतिशत है, उत्तर प्रदेश जिसका 30.63 प्रतिशत है और महाराष्ट्र जिसका 28.5 प्रतिशत है। इसलिए, जिस मुद्दे को हमने बार-बार रखा है वह यह है कि उन कारणों की वजह से जिनकी पश्चिमी बंगाल सरकार को सर्वोत्तम जानकारी है, उन्होंने योजनागत खर्च की तुलना में गैर-योजनागत खर्च पर अधिक ध्यान दिया है और यह वह निमित्त मुद्दा है जिसे हम सिद्ध करना चाहते हैं।···(**व्यवधान**)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : क्या मूल्य वृद्धि केवल केन्द्रीय सरकार के लिए है और पश्चिमी बंगाल सरकार के लिए नहीं है?

श्री एस० एम० कृष्ण : जी हां, हम जानते हैं, मैं कुछ और भी कहूंगा···(**व्यवधान**)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं एक और प्रश्न रख रहा हूं कि क्या आप पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा पटसन, चाय अथवा इंजीनियरी और अन्य माल से अर्जित विदेशी मुद्रा के वार्षिक आंकड़ों का उल्लेख कर सकते हैं?

श्री एस० एम० कृष्ण : जब मैं एक और मुद्दा उठाऊंगा तो मैं आपको थोड़ी परेशानी में डाल दूंगा···(**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यदि आधा मिनट और दें तो मैं एक अनुरोध करूंगा। जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है शिक्षा पर किए जाने वाले खर्च को योजनागत खर्च रखा गया है, लेकिन जहां तक पश्चिमी बंगाल का सम्बन्ध है, शिक्षा पर किए जाने वाले खर्च को गैर-योजनागत खर्च में रखा गया है। आप इसे किस प्रकार स्पष्ट करेंगे।

श्री एस० एम० कृष्ण : प्रश्न यह नहीं है कि तमिलनाडु क्या कर रहा है और पश्चिमी बंगाल क्या नहीं कर रहा है। प्रश्न योजनागत खर्च और गैर-योजनागत खर्च का है। इसलिए मैं अपनी बात को पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं।

एक बात यह है कि पश्चिमी बंगाल सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में क्या वचनबद्धता थी? राज्य सरकार ने 5 वर्षों के दौरान अपने संसाधनों को 2178 करोड़ तक करना चाहा है लेकिन इसके परिणाम क्या निकले? राज्य सरकार ने कुल 452 करोड़ रुपये जुटाए हैं और 1981-82 में इसका अंशदान नगण्य था। उपर्युक्त 452 करोड़ रु० के आंकड़े भी इस अनुमान पर आधारित हैं कि राज्य सरकार ने 1983-84 में अपने संसाधनों को इतना करने का वचन दिया है किन्तु 1984-85 के लिए उन्होंने क्या वचन दिया है। दूसरी ओर भारत सरकार 680 करोड़ रुपये के पंचवर्षीय आंकड़ों की तुलना में 762 करोड़ रुपये की धनराशि की योजना के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गई थी। हमने पश्चिमी बंगाल के लिए काफी अधिक धनराशि की व्यवस्था की है। मैं नहीं जानता कि हम पर आरोप क्यों लगाए जाने चाहिए और आखिरकार हम पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि हम पश्चिमी बंगाल के प्रति विशेष रूप से उदार क्यों हैं। इससे केवल यही प्रकट होता है कि हमारी नीति बहुत उद्देश्यात्मक है। भारत सरकार पर आप जो भी आरोप लगाना चाहें लगा लें, परन्तु हम हमेशा ही कुछ निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। हमारे सामने यह दृष्टिकोण नहीं होता कि किस राज्य में कौन-सी सरकार है या किस ढंग की सरकार है। हमारे लिए पश्चिमी बंगाल की सरकार हो या तमिलनाडु की सरकार हो या आन्ध्र प्रदेश की या कर्नाटक की, सब बराबर हैं।

जहां तक योजना आयोग की भूमिका के बारे में उठाए गए कुछ अन्य मुद्दे हैं; उनके विषय में मेरा यह कहना है कि योजना आयोग की भूमिका एक ऐसी भूमिका है जिसे हम सभी ने बहुत महत्व दिया है। 1977-80 के बीच एक ऐसा समय था जब योजना आयोग को उठाकर ताक पर रख दिया गया था और हर वर्ष योजना बनाई जाती थी जिनका परिणाम कुछ भी निकला। विद्यमान सरकार के ऋण के लिए यह कहा जाता है कि एक पूर्ण योजना आयोग की स्थापना की गई थी, एक पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी, और अधिकांश क्षेत्रों में हमने लक्ष्यों की प्राप्ति की है और हमारी योजना प्रक्रिया से काफी लाभ हुआ है, और वास्तव में, योजना यंत्र पहले से अधिक तेज बन गया है।

सरकार अनुदानों और ऋणों की व्यवस्था करती है। प्रो० चक्रवर्ती ने स्वैच्छिक अनुदानों का उल्लेख किया। जो ऐसे समय में दी जाती हैं जब कभी कहीं पर प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ तथा अकाल की स्थिति आती है जो राज्यों को खतरे में डाल देते हैं, जब हम इनके द्वारा प्रभावित राज्यों के बचाव के लिए जाते हैं। इसके लिए निर्धारित पद्धतियां हैं जिनके अन्तर्गत सभी सम्बन्धित

मन्त्रालय अन्तर्ग्रस्त हैं, अध्ययन दल वहां जाता है और राज्य सरकार के साथ परामर्श करके एक रिपोर्ट तैयार करता है और अन्ततोगत्वा कतिपय निर्णय ले लिए जाते हैं। इन अनुदानों के वितरण में बिल्कुल कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं होता है, यह आवश्यकता और उत्पन्न हुई क्षति की मात्रा का प्रश्न है।

लगभग प्रत्येक माननीय सदस्य ने कहा कि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को सामान्य से अधिक महत्व दिया जा रहा है। इसीलिए सरकारिया आयोग की नियुक्ति की गई और यह कार्य कर रहा है। सभी राजनीतिक दलों को अच्छी प्रकार ये अधिकार प्राप्त नहीं हैं कि वे आयोग से सम्पर्क करें और अपनी बातें उसके समक्ष रखें। अन्ततोगत्वा आयोग भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने जा रहा है जिसके आधार पर आम राय तैयार की जाएगी। श्री चित्त बसु ने अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क का हवाला दिया और कहा कि इससे राज्य अपने स्रोतों से वंचित हो रहे हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1970 में तीन वस्तुओं के आधारभूत तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों के बीच 2:1 के अनुपात की सिफारिश की थी। अब यह अनुपात 12:1 है जो राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा की गई सिफारिश की तुलना में राज्यों के अधीन पक्ष में है। उत्पाद-शुल्क में राज्यों का 1958-59 में 40 करोड़ रूप हिस्सा था। अब 79 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है। अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क केवल राज्यों को ही मिलता है। और हम इसे और बढ़ा रहे हैं ताकि राज्यों को और अधिक उत्पाद-शुल्क प्राप्त हो सके। हम तीनों वस्तुओं के अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क को आगामी रूप में मूल्य की प्रतिशतता के रूप में लागू करने पर भी विचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस वर्ष में यह बढ़ कर 8.5 प्रतिशत हो ताकि राज्य और अधिक अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क प्राप्त कर सकें। भारत सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर है कि राज्यों को अधिकाधिक प्रदान किया जा सके ताकि राज्यों को अपने स्रोतों की व्यवस्था करने में कोई कठिनाई न होने पाए।

किंतु हमें एक बात पर ध्यान देना होगा कि स्रोत सीमित हैं और मांगें अनेक हैं। विवादास्पद मांगों का समाधान करना तथा आवश्यक स्रोतों की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल काम है। मुझे विश्वास है कि प्रोफेसर इस काम के कठिन स्वरूप को समझते होंगे। पश्चिम बंगाल में जिला परिषदें हैं और पंचायत समितियां हैं, जो बहुत अधिक विकेन्द्रीकरण की मांग करती हैं; वे स्थानीय निकायों पर कर वसूल करने के लिए अधिक शक्तियों की मांग कर रही हैं। अत: जिनका आप स्थानीय निकायों के संदर्भ में मुकाबला कर रहे हैं उसका हम राज्यों और केन्द्रों के बीच सामना कर रहे हैं। अब वित्तीय आयोग संवैधानिक व्यवस्था है जिसके लिए संविधान में व्यवस्था की गई है, जो वस्तुतः व्यापक मार्ग निर्देश जारी करता है और वित्तीय आयोग के सभी राज्यों का दौरा किया है और राज्यों के तर्क सुने हैं, अभ्यावेदन पढ़े हैं और हमें निश्चिततः आशा है कि वह समुचित सिफारिश करेगा ताकि राज्यों के लिए स्रोतों के नियतन हेतु मार्ग निर्देशी घटक सिद्ध होगा।

मेरे जम्मू और कश्मीर से आए मित्र जो हमेशा सबसे बाद में बोलते हैं और बहुत वजनदार बातें भी कहते हैं, कभी-कभार गलत तथ्य भी पेश कर देते हैं...।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : अरा मुझे बताइएगा ।

श्री एस० एम० कृष्ण : या फिर वे तथ्य की सच्चाई पर ध्यान ही नहीं देते । (**व्यवधान**) जम्मू और कश्मीर की योजना के लिए केन्द्रीय सहायता अत्यन्त उदारता से मिलती रही है । जम्मू और कश्मीर की योजना का 1980-85 के लिए कुल परिव्यय 900 करोड़ रुपये था और केन्द्रीय सहायता 1056 करोड़ रुपये थी, अर्थात् योजना परिव्यय से 100 प्रतिशत से भी अधिक थी । अत: जब स्थिति यह है तो आप भारत सरकार के खिलाफ क्या शिकायत करते हैं ? (**व्यवधान**) मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं । (**व्यवधान**) जम्मू और कश्मीर की 1983-84 में प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता 509 रुपये थी जो अधिकतम की दृष्टि से पूरे देश में पांचवें नम्बर पर है, तो किसी भी राज्य सरकार को भारत सरकार के सिवाय शिकायत हो सकती है, किंतु जम्मू और कश्मीर को तो बिल्कुल भी शिकायत नहीं होनी चाहिए ।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : क्योंकि उन्होंने यह मुद्दा उठाया है इसलिए मैं साफ-साफ बता देना चाहता हूं ।

श्री एस० एम० कृष्ण : महोदय, मैंने गलत नहीं कहा ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे अपनी बात गलत नहीं मान रहे । यदि आप मंत्री महोदय की बात से सहमत नहीं हैं तो आप उन्हें लिख सकते हैं । यदि वे अपनी बात गलत नहीं मान रहे, आप उनसे मनवा नहीं सकते । यह बात महत्वपूर्ण है ।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद काबुली : वे कहते कि मैं सही तथ्य पेश नहीं कर रहा हूं । जब वे ऐसा आरोप लगाते हैं तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है । उन्हें मुझे बोलने का मौका देना चाहिए । (**व्यवधान**) उन्हें यह बताना होगा कि मैं सही क्यों नहीं हूं, मेरे आंकड़े सही क्यों नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे आपकी बात नहीं मान रहे । यदि आप सहमत नहीं तो उन्हें लिखिए ।

श्री एस० एम० कृष्ण : वे पर्यटन की बात करते हैं । पर्यटन राज्य का विषय है । वे सेब और अन्य फलों की बात करते हैं, वह भी राज्य का विषय ही है ।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मैंने कहा था कि केन्द्र को भी हमें सहायता करनी चाहिए । आप पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रों में हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं । हम अन्य परियोजनाओं के विकास के लिए धन चाहते हैं । हम अपनी नदियों से 10,000 मेगावाट की व्यवस्था कर सकते हैं किन्तु प्रश्न है कि आपको हमारी मदद करनी चाहिए ।

श्री एस० एम० कृष्ण : महोदय, भारत सरकार मदद चाहने वाले किसी भी राज्य की मदद करने के लिए तैयार है। अन्य सदस्यों ने भी कुछ मुद्दे उठाए हैं जिन पर आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत विचार किया जाएगा और आयोग केन्द्र-राज्य के सम्बन्ध के प्रश्न पर भी विचार करेगा जिसकी भारत सरकार द्वारा नियुक्ति की गई है।

महोदय, इन शब्दों के साथ सभी विधेयक विचारार्थ पेश करता हूं।

5.19 म० प०

संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सभा के मतदान के लिए संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1979 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक के नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पारित कर दिया।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

5.20½ म० प०

अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पारित किया जाए ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

5.22 म० प०

संघ उत्पाद-शुल्क (विद्युत) वितरण (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संघ उत्पाद-शुल्क (विद्युत) वितरण अधिनियम, 1980, में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पारित किया जाए ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

5.23½ म० प०

सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सम्पदा शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में विधेयक पर खंडवार विचार किया जाएगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अब यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक को पारित किया जाए ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

3 मई, 1984 को सुरेन्द्रनगर-बांकानेर सेक्शन पर रेल फाटक पर हुई दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

उपाध्यक्ष महोदय : अब रेल मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे।

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : मुझे सदन को बड़े दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि पश्चिम रेलवे के सुरेन्द्र नगर-बांकानेर खंड पर वगडिया और थान स्टेशनों के बीच आज लगभग 09.00 बजे एक चौकीदार रहित समपार पर सवारियों से भरी मेटाडोर वैन और 17 डाउन सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस के रेल इंजन के साथ दुर्घटना हो गई है। मेटाडोर वैन के ड्राइवर ने आती हुई गाड़ी के सामने से चौकीदार रहित समपार संख्या 67/सी से मेटाडोर को निकालने की कोशिश की। अब तक इस सड़क वाहन में यात्रा कर रहे 12 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, जिनमें से 8 की मृत्यु दुर्घटना स्थल पर तथा चार की बाद में हुई। 12 व्यक्ति घायल हुए हैं जिन्हें तत्काल थान के निकटवर्ती सार्वजनिक अस्पताल में भेज दिया गया और बाद में उन्हें लिम्बडी के सिविल अस्पताल में दाखिल करा दिया या।

प्रथमदृष्टया इस दुर्घटना का कारण वैन ड्राइवर की जल्दबाजी तथा लापरवाही है जिसने आती हुई गाड़ी के सामने से चौकीदार रहित समपार को पार करने की कोशिश की। समपार पर सड़क वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए सभी चेतावनी सूचक संकेत मौजूद हैं।

पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक, मुख्य यातायात संरक्षा अधीक्षक, मंडल रेल प्रबन्धक तथा अन्य अधिकारी पहले ही घटना स्थल को रवाना हो गए।

मेरे अनुदेशों के अनुसार घायलों को तथा मृतकों के निकट सम्बन्धियों को अनुग्रह राशि के भुगतान की व्यवस्था कर दी गई है।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि चौकीदार रहित समपारों पर कभी-कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। मैंने इनमें से अपेक्षाकृत व्यस्त समपारों पर चौकीदार तैनात करने के उपाय किए हैं, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि सभी समपारों पर चौकीदार तैनात करना सम्भव नहीं है क्योंकि इसकी संख्या बहुत अधिक हैं अर्थात लगभग 22,000 से अधिक। हमने राज्य सरकारों से सभी स्तरों पर मोटर वाहन नियमों को कड़ाई से लागू करने का अनुरोध भी किया

है। मैंने स्वयं मुख्य मंत्रियों को लिखा है कि वे इस मामले में रेलों की सहायता करें और सड़क उपयोगकर्ताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित करें कि जब गाड़ी आ रही हो तो उस आखरी क्षण में बिना चौकीदार वाले समपार को पार करना कितना खतरनाक है।

17.26 म० प०

पंजाब राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : हम अगले मद पर विचार करेंगे। श्री पी० वेंकटसुब्बय्या।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रपति को पंजाब राज्य के विधान-मण्डल का विधि बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, सदन को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रपति द्वारा 6-10-1983 को पंजाब राज्य के बारे में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत की गई उद्घोषणा में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि राज्य के विधानमण्डल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी। संविधान के अनुच्छेद 351(1)(क) के अन्तर्गत राज्य के विधानमण्डल की विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को देने के लिए तथा ऐसी दी हुई शक्ति को किसी अन्त अधिकारी को, जिसे राष्ट्रपति इसलिए उल्लिखित करे, शर्तों के अधीन जिन्हें आरोपित करना उचित समझे, प्रयोजन करने के लिए राष्ट्रपति को प्राधिकृत करने का संसद को अधिकार है।

अतएव, इस विधेयक के द्वारा राज्य के बारे में राज्य के विधानमण्डल की विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को देने के लिए अनुमति मांगी गई है। राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत आने वाले राज्य के सम्बन्ध में ऐसे कानून को हाथ में लेने की सामान्य प्रक्रिया रही है और विद्यमान विधेयक उसी सामान्य आधार पर है। इस बारे में विधेयक में एक परामर्शदात्री समिति के गठन की व्यवस्था की गई है जिसमें 45 संसद सदस्य 30 लोकसभा के सदस्य तथा 15 राज्य सभा के सदस्य शामिल होंगे। यह भी व्यवस्था की गई है कि संसद को राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कानून में यदि आवश्यक समझा जाए, संशोधन करने की शक्ति दी जाए। मेरा माननीय सदन से अनुरोध है कि वे इससे पहले विधायी प्रस्तांव का अनुमोदन करें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राष्ट्रपति को पंजाब राज्य के विधानमण्डल की विधि बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती जी, यह एक छोटा-सा विधेयक है। इसके लिए एक घंटा दिया गया है और हमने इस विधेयक को आज ही पूरा करना है।

एक माननीय सदस्य : हम ऐसी आशा करते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : यह आज कैसे सम्भव है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हमने 6.30 बजे तक बैठने का निर्णय लिया था। अब समय में परिवर्तन कर दिया गया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीमित समय, जो इस विधेयक के लिए दिया गया है, के बारे सचेत हूं। लेकिन महोदय, मैं उस सरकार से भी सचेत हूं जिसने इस विधेयक को संसद के समक्ष रखा है कि सरकार राज्य का शासन चलाने की स्थिति में नहीं है। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि आजकल पंजाब में कोई सरकार विद्यमान नहीं है। आप राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के बारे में मेरे दल की स्थिति को जानते हैं। प्रजातन्त्र का मूल सिद्धान्त यह है कि जनता पर उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश आजकल पंजाब में जनता पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपाल के द्वारा शासन किया जाता है और वह राष्ट्रपति के उत्तरदायी हैं। वह इसलिए शक्तियों का उपयोग नहीं करता है, क्योंकि उसे जनता का विश्वास प्राप्त है बल्कि अपनी शक्तियों का इसलिए उपयोग करता क्योंकि उसे राष्ट्रपति का विश्वास प्राप्त है।

अब, इस विधेयक के माध्यम से, स्वयं संविधान से यह जाना जाता है कि राष्ट्रपति, यदि वह इस विधेयक के पारित होने के बाद, इस बात को स्वीकार करते हैं कि क्या पंजाब की जनता के लिए विधि बनाने वाली समिति गठित है अथवा नहीं। यह और कुछ नहीं है बल्कि कार्यपालिका द्वारा कानून बनाना और वह भी सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए केवल मात्र नाम की कार्यपालिका द्वारा समिति का गठन परामर्श देने के लिए किया गया है। मैं जानता हूं कि अन्तिम शक्तियां संसद के पास हैं। लेकिन, किसी विशेष समय के लिए राष्ट्रपति पंजाब की जनता की इच्छाओं के खिलाफ कानून बना सकते हैं। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

इसके साथ-साथ किसी विशेष राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रहना भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे संविधान में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि संवैधानिक तंत्र अव्यवस्थित हो जाने पर वहां आपात स्थिति की घोषणा की जाएगी। लेकिन यह आपात स्थिति असामान्य परिस्थितियों के लिए है। मैं इस बात से सहमत हूं कि पंजाब में असामान्य परिस्थितियां हैं। लेकिन सरकार को सदन को यह बताना चाहिए कि वहां यह स्थिति कब तक चलती रहेगी। पंजाब कब तक एक लोकप्रिय सरकार के बिना रहेगा ? यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जनता के प्रतिनिधि होने के नाते इस बात को जानने के हकदार हैं कि सरकार पंजाब में न केवल सामान्य स्थिति पुनः बहाल करने बल्कि वहां एक लोकप्रिय प्रजातांत्रिक सरकार की पुनः बहाली के लिए क्या कदम उठा रही है।

मैं वास्तव में आश्चर्यचकित था अथवा वस्तुतः मुझे यह कहना चाहिए कि मुझे सत्ताधारी दल अर्थात कांग्रेस (इ) के एक महासचिव का वक्तव्य देखकर दुःख हुआ। वे न केवल एक महासचिव हैं बल्कि सभी महासचिवों में उनका स्थान पहला है और वे अत्यधिक महत्वपूर्ण महासचिव हैं। जब संवाददाता ने उनसे यह प्रश्न पूछा कि क्या वे श्री भिंडरांवाला को एक उग्रवादी नेता, एक आतंकवादी नेता समझते हैं, उन्होंने प्रश्न की उपेक्षा की और कहा कि वह एक धार्मिक नेता हैं। जब किसी दल का महासचिव कुछ कहता है तो वह उस दल के प्रवक्ता के रूप में बोलता है जिससे हमें दल के रुख का पता चलता है कि कैसे दल का कतिपय घटनाओं तथा कतिपय स्थितियों का मूल्यांकन करता है।

हम सब जानते हैं कि कौन व्यक्ति उग्रवादी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। यह बड़े दुःख की बात है कि हम रोजाना समाचार पत्रों में यह पढ़ते हैं कि विभिन्न राजनीतिक दलों से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति, किसी भी दल से सम्बन्ध न रखने वाले व्यक्ति मारे जा रहे हैं। ये उग्रवादी और आतंकवादी ऐसी गतिविधियां चलाते जा रहे हैं मानो वहां कानून और व्यवस्था को लागू करने वाला कोई तंत्र मौजूद ही नहीं है।

जब उग्रवादी नेता श्री भिंडरांवाला खुले रूप से अपनी हिट लिस्ट और व्यक्तियों को समाप्त करने की घोषणा करता है और सभी प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को तिलांजलि देकर एक धर्म-तांत्रिक राज्य की स्थापना की घोषणा करता है और इस बात की घोषणा करते समय उसे लज्जा नहीं आती है कि वह एक धर्मतांत्रिक राज्य के लिए कार्य कर रहा है, उस समय सत्ताधारी दल का एक महासचिव साफ-साफ बात कहने से इन्कार करता है।

यदि सत्ताधारी दल की यह स्थिति है तो ऐसे दल द्वारा चलाई जा रही सरकार से लोग क्या कार्यवाही की जाने की आशा कर सकते हैं? आपको साफ-साफ यह बता देना चाहिए कि उग्रवादी लोग कौन हैं, इन उग्रवादियों का नेता कौन है, प्रजातंत्र को कौन उखाड़कर फैंक रहा है, कौन व्यक्ति वास्तव में हमारे देश को वापस मध्ययुगीन स्थिति में ले जाने का प्रयास कर रहा है और वे कौन लोग हैं जो जनता पर लड़ाई थोपने जैसे दुःसाहसिक कार्य की बातें कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता चला है कि हर जगह उभयभाविता मौजूद है। यदि सरकार इस बारे में दृढ़ निश्चय नहीं कर सकती तो कानून और व्यवस्था को लागू करने वाला तंत्र, जो सरकार पर निर्भरहै, कैसे यह काम कर सकता है? मैं समझता हूं कि मंत्री महोदयको सदन को एक स्पष्टीकरण देना चाहिए कि यह बात कैसे कही गई है, सरकार का भविष्य क्या है तथा हमें ईमानदारी से श्री भिन्डरांवाला की स्थिति का अनुमान बताएं।

मैं मंत्री महोदय से पुनः एक प्रश्न पूछूंगा। यह सच है कि समाज-विरोधी तत्व गुरुद्वारों, धार्मिक स्थानों से कार्य का संचालन कर रहे हैं।

इसलिए, आपके पास अपराधियों तथा अत्याचारियों की एक सूची होनी चाहिए। यदि आपके पास अत्याचारियों तथा अपराधियों की कोई सूची नहीं है तो आपको सरकार चलाने का

कोई अधिकार नहीं है। आपके पास आपकी अपनी गुप्तचर सेवा होनी चाहिए और उन लोगों द्वारा, जिन्हें इन गतिविधियों के बारें में सूचना इकट्ठी करने का कार्य सौंपा गया है, उन्हें अपराधियों, अत्याचारियों, उग्रवादियों तथा गुरुद्वारों में छुपे लोगों की एक सूची भेजनी चाहिए। आप किसी भी गुरुद्वारे में जाकर उन लोगों, जो गुरुद्वारों को चला रहे हैं, से यह क्यों नहीं कहते, मैं इसका बुरा नहीं मानता, कि "मेरे पास यह सूची है। ये-ये लोग यहां छुपे हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें निकाल कर बाहर करें।" यह नहीं कहना कि "वहां पर अपराधी छुपे हुए हैं।" आप विशिष्ट रूप से यह कहना कि "ये व्यक्ति अपराधी हैं। मेरे पास इनकी सूची है। ये इनके नाम हैं। ये गुरद्वारों में हैं। यह देखना आपकी जिम्मेदारी है कि उन्हें बाहर निकाला जाता है।" तब देखिए क्या होता है। आपने यह काम कभी नहीं किया।

आजकल मुझे पता चला है कि कांग्रेस (इ) के नेता पर भी हमला किया गया है। मुझे खुशी है कि उसे मारा नहीं गया है। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति जिन्दा रहे। लेकिन आप कब तक इसे सहन करते रहेंगे? आपकी नीति क्या है? आप क्या करने जा रहे हैं? मैं आपसे बिल्कुल ईमानदरी से इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि पंजाब में सामान्य स्थिति पुनः बहाल की जानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि साम्प्रदायिक तत्वों के उन्माद द्वारा लोगों की जानों तथा सम्पत्ति को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए तथा हमारे लोगों में भेद उत्पन्न नहीं किया जाना चाहिए।

हमने इस प्रश्न पर कई बार चर्चा की है और हमने आपको बताया है कि "आप इस बारे में कुछ करें। ऐसा करना आपकी जिम्मेदारी है।" आप ये सब बातें कब तक सहन करते रहोगे? आपकी नीति क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय यह कहेंगे कि "हम सख्त कदम उठा रहे हैं।" लेकिन आप तो यह शुरू से कह रहे हैं। प्रश्न यह है कि आपने कितने कारगर ढंग से हिंसा पर काबू किया है। यह बात जरूरी है। मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ ताकतें स्थिरता में विश्वास नहीं रखती हैं। यह सच है। परन्तु यदि आप केवल यही कहते हैं कि कुछ ताकतें स्थिरता में विश्वास नहीं रखतीं और आप स्पष्टतः उनका नाम नहीं बताते और उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करते, तो उस सूरत में क्या होगा? आप सिर्फ यह कहते हैं कि इनका पता नहीं लगा है, आपको यह मालूम ही नहीं है कि वे व्यक्ति कौन हैं, वे कौन-सी ताकतें हैं। हमारे देश की एकता के लिए, देश की अखण्डता के लिए यह बहुत जरूरी है कि सरकार कारगर कदम उठाये ताकि हम शांति और सद्भाव से रह सकें। सरकार को तथा नेतागणों को उस व्यक्ति को जिसे मैं संत के रूप नहीं मानता, संत के रूप में कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं दिया जाना चाहिए। कोई भी धार्मिक नेता संत या गैर-संत यह नहीं कह सकता है कि "मैं अपने कार्यक्रम को आगे अवश्य बढ़ाऊंगा, यदि जरूरत हुई तो लोगों की हत्या करके भी।" वे लोग धार्मिक नहीं हैं बल्कि वे धर्म विरोधी हैं। जहां तक मैं समझता हूं, धर्म मानव-जीवन के लिए है न कि इसके विनाश के लिए। हो सकता है कि इस विधेयक का प्रयोजन बहुत सीमित हो, परन्तु मैं यह जानता हूं कि क्या इसके परिणाम प्रभावी होंगे। लेकिन सरकार को यह बताना चाहिए कि वह कब और किस तरह से इसे कारगर ढंग से नियंत्रित करेगी, वह इस समस्या

का समाधान कैसे करेंगे। यदि वे विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हैं तो लगायें, परन्तु क्या वह ऐसा करके इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि वह ऐसा करके भी इस समस्या का समाधान कर लें तो मैं यह आरोप सौ बार सुनने के लिए तैयार हूं। परन्तु इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। विपक्षी दलों के समाधान के कुछ सुझाव रखे थे और यदि आप स्थिति को सामान्य बनाने में, कानून और व्यवस्था, सद्भावना एवं शांति कायम करने में आप ईमानदारी का परिचय दें तो वे आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। परन्तु यदि वे विपक्ष को नीचा दिखाने, देश की एकता की कीमत पर राजनैतिक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं तो निश्चित ही हम सरकार का विरोध करेंगे, हम ऐड़ी-चोटी का जोर लगाकर सरकार का विरोध करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो 1984 में लाया गया है, इससे पहले भी पंजाब डिस्टर्ब्ड एरिया बिल लाया गया था और इस सदन ने पास किया था। इस मंशा से पास किया गया था कि पंजाब के उग्रवादियों पर कंट्रोल करने में सरकार सफल होगी। जनता की सरकार को हटाकर के राष्ट्रपति शासन लाया गया और राष्ट्रपति शासन में जो कुछ पंजाब में हो रहा है वह सरकार में बैठे हुए लोग और विरोध पक्ष में बैठे हुए लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। यह एक संवैधानिक मजबूरी है सदन के सामने और सरकार के सामने। सरकार वहां पर नहीं है और संसद का सत्र भी खत्म होने जा रहा है। तो शक्तियां वहां पर कानून बनाने की राष्ट्रपति जी को दी जाएं। लेकिन अभी तक भी जो पावर्स राष्ट्रपति को थे, उस राज्य के अंदर, उनसे किसी भी समस्या पर कंट्रोल करने में सरकार को सफलता नहीं मिल पाई है। अब आशंका होती है कि जो सरकार और खास तौर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी नक्सलाइट्स को क्रश कर सकती है वह सरकार इसमें असफल क्यों हो रही है। वह संगठन अंडरग्राउंड था और कहा गया है कि उसके पीछे चाइना और दूसरे लैफ्ट कंट्रीज की ट्रेनिंग थी। उनको यह सरकार खत्म कर सकती है तो पंजाब के आंदोलन जो कि लिमिटेड एरिया में है, उसको क्यों खत्म नहीं कर सकती है ? उनको अब तक पहचानने और गिरफ्तार करने का काम भी नहीं कर पाए हैं। आज अखबार में पढ़ने को मिला कि सुखदेव सिंह, जिसको अरेस्ट किया था, वह पुलिस की हिरासत से भाग निकला है। पुलिस देखती रही।

इससे लोगों में शंका जाहिर होती है कि कहीं सरकार और पुलिस उग्रवादियों के साथ मिली-भगत तो नहीं कर रही है ? (**व्यवधान**) इस शंका को सरकार को खत्म करना चाहिए वरना इसके रिपरकशन्स बहुत खराब होंगे। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। बिल का समर्थन करना संवैधानिक मजदूरी है। पंजाब में चालीस-चालीस स्टेशन्स चौबीस घण्टे में उड़ा दिए, डाकखाना फूंक दिया, कांग्रेस के सांसद को मार दिया और एस० जी० पी० सी० के श्री मनचन्दा को दिन-दहाड़े दिल्ली में मार दिया। पुलिस मुख्यालय से सौ गज की दूरी पर हत्या कर दी जाए, जहां पर जनता और गाड़ियां आती-जाती रहती हैं, इसके बावजूद भी अपराधियों को गिरफ्तार न किया जाए तो इससे ज्यादा सीरियस बात हो नहीं सकती। विरोधी पक्ष इस सदन के अंदर आवाज

उठाते रहे हैं कि इस मुल्क को तोड़ने की विदेशी साम्राज्यवादियों की साजिश है। जब ज्ञानी जैल सिंह जी गृह मंत्री थे, तब भी हमने यही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कुछ सिर-फिरे लोग इस तरह के नारे दे रहे हैं। इन ताकतों के खिलाफ हम लोग भी सरकार के साथ हैं। इस देश के अंदर उनको यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि उग्रवादियों को हथियार देकर देश को तोड़ने की कोशिश करें। सरकार को इस बारे में कुछ न कुछ करना चाहिए। प्रधान मंत्री जी ने कई बार विरोधी पक्ष के लीडर्स को अपने निवास-स्थान पर बुलाकर सलाह-मश्विरा किया। हमारी पार्टी के चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि जब आपकी पुलिस और पी० ए० सी० मस्जिद, गिरजाघर और मन्दिर में जाकर लोगों को गोलियों से भून सकती है तो गुरुद्वारों के अंदर छुपे हुए अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ सकती ? उनको पकड़कर उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बाहर आकर श्रीमती गांधी ने कहा कि विरोधी पार्टी के लोग दबाव डाल रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि गुरुद्वारों में पुलिस फोर्स को भेजा जाए। खुद बुलाकर वह सलाह लेती हैं और इस तरह की बाद में बात करती हैं। जब गुरुद्वारों में अपराधी छुपते हैं तो पवित्रता भंग नहीं होती, लेकिन पुलिस वहां पर नहीं जा सकती। मैं, अकाली लीडरों से मांग करता हूं, उन्हें डीनाऊंस करना चाहिए कि उग्रवादी किसी भी दल के हों, वह गलत काम कर रहे हैं और यह कहना चाहिए कि अकाली दल उनके साथ नहीं है। लेकिन, अकाली दल ने आज तक ऐसी बात नहीं कही है। इस बात की भी प्रधान मंत्री और सरकार से मांग करें कि गुरुद्वारों में जाकर अपराधियों को पकड़ा जाए, चाहे वह संत भिण्डरांवाला हो। अखबार वालों ने उनसे पूछ लिया कि भिण्डरांवाले के बारे में आपको क्या कहना है। उन्होंने कहा कि भिण्डरांवाले को मैं पोलिटिकल लीडर नहीं मानता। भिण्डरांवाला एक संत है। मैं नहीं कहता कि वह कोई सन्त है बल्कि वह एक कातिल है, जुर्म करने वाला आदमी है और उसके साथ सरकार को वही सलूक करना चाहिए जो किसी कातिल के साथ किया जाता है। लेकिन आज तक प्रधान मंत्री की तरफ से, किसी महामंत्री की तरफ से या कैबिनेट स्तर के किसी मंत्री की तरफ से भिण्डरांवाले के खिलाफ कोई बात नहीं कही गई। उपाध्यक्ष जी, मैं मांग करता हूं कि विरोधी दलों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए सरकार को यह कहना चाहिए कि भिण्डरांवाला कातिल है और उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। लेकिन अभी मोगा की घटना सामने आई, जहां गुरुद्वारे को घेरने की कोशिश की गई और कुछ हद तक उसे घेरा भी गया। लेकिन उन उग्रवादियों की तरफ से सरकार को धमकी आई है कि यदि 48 घण्टे में सरकार ने उसके पास से अपनी सारी पुलिस और दूसरी फोर्स को नहीं हटाया तो उसके गंभीर परिणाम होंगे, खून बहेगा और उसके बड़े खतरनाक नतीजे निकलेंगे। मुझे शंका है कि हमारी सरकार उस धमकी के सामने झुक जाएगी। यहां पर हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यदि सरकार इस धमकी के सामने झुक गई तो आप शायद अन्दाज नहीं लगा पायेंगे, मुल्क के टूटने के आसार और ज्यादा मजबूत होंगे। आज जितनी विदेशी ताकतें वहां काम कर रही हैं, बंगलादेश और पाकिस्तान के फौजी शासक पाकिस्तान के टूटने का हमसे बदला लेना चाहते हैं, और दूसरी अमेरिकी साम्राज्यवादी ताकतें सब हमारे देश के टुकड़े करना चाहती हैं, पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट है कि दोनों देशों के बीच कोई खालिस्तान नाम की ताकत पैदा कर दी जाए ताकि साम्राज्यवादी ताकतें हमारे मुल्क के सिर पर बैठकर इसको तोड़ने का

काम कर सकें। विदेशों में जो कुछ हो रहा है, उसकी जानकारी सरकार को पहले से ही है। लेकिन मैं एक बात कह कर समाप्त कर सकता हूं कि भिण्डरांवाले को आप जितना ज्यादा छूट दगे, यह दिल्ली में आया आपने उसे वारंट जारी करने के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया। अमृतसर जाकर आपने कहा कि आप हमें समय बताइये, कब आप गिरफ्तारी देना चाहते हैं। क्या दुनिया के इतिहास में किसी शासक या शासन में ऐसा हुआ है कि जालिम या कातिल से पूछा जाए कि आप कब गिरफ्तारी देंगे। लाखों लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं लेकिन आपकी पुलिस और फोर्स की हिम्मत नहीं पड़ती कि उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। आप कोई ऐसा रुख अख्तयार मत करिये। जितनी ढिलाई आप बरतेंगे आपके सामने उतने ही खतरे खड़े होंगे। इस बिल के जरिए जो शक्तियां आप राष्ट्रपति जी को देने जा रहे हैं उससे पंजाब की समस्या सुलझने वाली नहीं है। वह केवल आपके मजबूत इरादों से सुलझेगी। वैसे तो हमारी इंदिराजी के बारे में छपा है—दूर दृष्टि, पक्का इरादा। लेकिन इस समस्या पर न तो उनकी दूर दृष्टि देखने में आ रही है न पक्का इरादा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमें इसमें पार्टी पोलिटिक्स को इन्वाल्व नहीं करना चाहिए। आज मुल्क टूटने के कगार पर पहुंच गया है, मुल्क की एकता खतरे में है। साम्राज्यवादी ताकतें हमारे देश में हिन्दू और सिक्ख का मसला खड़ा करके लाभ उठाना चाहती हैं। मैं नहीं समझता कि किसी राजनैतिक पार्टी ने हिन्दू और सिक्ख का सवाल उठाया हो अथवा किसी पब्लिक मीटिंग में कोई बात कही हो। यदि कहीं किया है तो मैं उनसे ऐसा न करने की मांग करता हूं। क्योंकि पंजाब में आज तक जितने भी कत्ल हुए हैं, उनमें 50 प्रतिशत सिख हैं। इसलिए देशभक्ति सिक्खों में भी देखने को मिलती है, वे भी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं जैसे तिवारी जी ने आवाज उठायी, मनचन्दा जी ने आवाज उठायी और कई कांग्रेस और बी० जे० पी० के लोगों ने भी आवाज उठाई। लेकिन उनको भी कत्ल किया जा रहा है। काफी लोग उनमें सिक्ख धर्म को मानने वाले शामिल हैं। इसलिए यह कोई हिन्दू और सिक्ख का झगड़ा नहीं है बल्कि साम्राज्यवादी ताकतों की साजिश इस मुल्क को तोड़ने की है। इसलिए मैं मजबूर होकर इस बिल का समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके उग्रवादियों को गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए और उन पर मुकदमे चलाये जाएं। आपको चाहिए कि एक हफ्ते के अंदर बड़े पैमाने पर ताकत का प्रयोग करके उनको गिरफ्तार किया जाए, गुरुद्वारों के अंदर पुलिस ताकत को भेजा जाए, पी० ए० सी० को भेजा जाए और भिण्डरांवाले को पकड़ कर जेल में भिजवाया जाए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे और प्रधानमंत्री जी, आपके महामंत्री, उनके बेटे ऐसे बयान नहीं देंगे कि उग्रवादियों के साथ सख्ती से निबटा जाएगा, तब तक उग्रवादियों की हिम्मत कमजोर नहीं होगी। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधान मंत्री जी को उनके खिलाफ बोलकर, सख्त एक्शन लेकर यह साबित कर देना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी और पंजाब के उग्रवादियों के बीच कोई मिली-भगत नहीं है। इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब बहुत संवेदनशील है, और अभी राष्ट्र के बिखराव का खतरा पैदा हो गया है। 1980 में पंजाब में प्रशासन चल रहा था, परन्तु सत्तारूढ़ दल के लोगों ने मध्यावधि चुनाव के पहले नारा लगाया, "सुनो उसे जो काम करे" और ऐसी सरकार आ गई जिसने काम करने का दावा किया था। पंजाब में ऐसी सरकार

बनी। और वैसी सरकार जब आई तो पंजाब में उग्रवादी आन्दोलन शुरू हो गया और आज यह हालत है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि पंजाब में जो हत्यायें हो रही हैं वह कुछ अपराधकर्मियों के कारण हैं अथवा एक विस्तृत आन्दोलन का किस्सा है ? किसी प्रकार की हिंसा जो पंजाब में हो रही है वह निन्दनीय है। किसी समस्या का समाधान निर्दोष लोगों की हत्या करके नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह हत्यायें निन्दनीय हैं। परन्तु सरकार क्या कर रही है जिसने यह दावा किया था कि हम समस्याओं को सुलझायेंगे ? मैं तो कहना चाहता हूं कि जब सरकार सत्ता में आयी, समस्यायें वहां थीं, परन्तु विधि व्यवस्था भी थी, लेकिन यह हालत तो नहीं थी जो आज है। तब तो कोई नहीं मारा जा रहा था उग्रवादियों के द्वारा। तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है ? जो सरकार वहां काम करती थी। मुझे आश्चर्य होता है वहां के सत्तारूढ़ दल कांग्रेस पार्टी के अन्दरूनी झगड़े जब बढ़ते थे और तात्कालिक मुख्य मंत्री को हटाने की बात की जाती थी तो उग्रवादियों का दबाव भी बढ़ जाता था। क्या राज है इसमें ? क्या सरकार पंजाब की समस्या को सुलझाने की नीयत भी रखती है ? मुझे तो इसमें संदेह है। इस समस्या को सुलझाने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता हुई, उसमें मतभेद बहुत सीमित रह गया था। वहां समस्याओं पर जहां-जहां भी आपस में सहमति निकली क्या उनको तुरन्त कार्यान्वित किया गया, उसके अनुसार सरकार ने कुछ काम किया ? अगर सरकार बताती है कि कुछ काम किया तो मुझे प्रसन्नता होगी। त्रिपक्षीय वार्ता के बाद भी जब प्रतिपक्ष का कानक्लेव हुआ जिसमें अकाली दल भी था और उन्होंने समस्या का समाधान सरकार के सामने प्रस्तुत किया तो क्या सरकार ने उस पर कोई कारगर कदम उठाया उन समस्याओं को सुलझाने के लिए ? इससे क्या साबित होता है ? यही साबित होता है कि सरकार की वहां की समस्या को सुलझाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब पंजाब में राष्ट्रपति का

6.00 म० प०

शासन लागू किया गया था तो मुझे आशा बंधी थी कि पंजाब की स्थानीय सरकार वहां की दलबन्दी के कारण अक्षम लोगों के आ जाने के कारण कारगर नहीं हो रही है, अब केन्द्रीय सरकार शायद समस्याओं पर काबू पा ले, परन्तु कोई भी दिन नहीं निकलता है, जिसमें अखबारों में खूंरेजी की खबर न निकलती हो। क्या समाधान की दिशा में या विधि व्यवस्था पर काबू पाने की दिशा में कोई कदम उठाया गया है ?

अभी गृह-मंत्री ने पंजाब की यात्रा की और उसके बाद कहा कि वहां की स्थिति पर सरकार की पकड़ है और उसका उदाहरण सिर्फ 24 घंटे में मिल गया, जब भूतपूर्व पुलिस के उपाधीक्षक श्री बचन सिंह की 3 और आदमियों के साथ हत्या कर दी गई। यह प्रसासन की पकड़ का उदाहरण है। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस पार्टी के महामन्त्री वहां जाकर घोषणा करते हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु, यह विधेयक सीमित प्रयोजन के लिए हैं। यदि आप सब सहयोग दें तो मैं मंत्री महोदय से कह सकता हूं कि वह उत्तर दें और इसे पूरा करें। यह सीमित प्रयोजन के लिए है। इसके लिए केवल एक घंटा निर्धारित किया गया है। परन्तु मैं तब

तक बैठने लिए तैयार हूं जब तक आप सभी के भाषण समाप्त नहीं हो जाते। इसलिए में उन्हें बता रहा हूं। श्री चित बसु ने मेरा ध्यान घड़ी की ओर दिलाया है, इसलिए मैं उन्हें यह बता रहा हूं।

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं जा रहा हूं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं यह कह रहा था कि पंजाब की समस्या पर काबू पाने के लिए, पंजाब में जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, उसका समाधान करने में सरकार की अब कोई रुचि नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार केवल राजनैतिक लाभ को ध्यान में रखकर कोई काम करती है, चाहे उसमें राष्ट्र बिखरे।

श्री एस० रामगोपाल रेड्डी : असत्य है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : असत्य होता, तो मुझे प्रसन्नता होती कि मेरी बात गलत है। मगर आपके कारनामे ऐसे नहीं हैं। सब समस्याओं का समाधान सुझाया गया तो आपने क्या कार्यवाही की? लोगों ने उग्रवादियों की बात की और उसमें श्री जरनैल सिंह भिंडरांवाला का नाम लिया और कहा कि वह उग्रवादी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का उन पर कोई वारन्ट है? यों तो मुकदमा बहुत लोगों पर है और श्री जरनैलसिंह भिंडरांवाले पर भी कई होंगे, लेकिन क्या उनके खिलाफ वारन्ट है? अगर वारन्ट नहीं है तो आप किस मुंह से कहते हैं कि वह उग्रवादी हैं? अगर वह उग्रवादी हैं तो आपकी ओर से, प्रधान मंत्री की ओर से या अन्य किसी की ओरसे किसी ने कहा कि वह उग्रवादी हैं? बल्कि मुझे आश्चर्य होता है, जब मैंने यह सुना अपने सहयोगी प्रो० चक्रवर्ती के मुंह से कि उन्हें एक सर्टिफिकेट दे दिया गया, तो अब फिर उनको क्यों दोष देते हैं?

यों तो यह विधेयक केवल संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लाया गया है, कुछ अधिक इसमें नहीं कहा जा सकता है परन्तु पंजाब की जो घटना है, उसको सही परिप्रेक्ष्य में देखें और वहां पर केवल शासन के लिए प्रशासन जारी न रखें।

मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप सही काम सही समय पर करें तो समस्या का समाधान होगा, परन्तु आपने इसको इतना अधिक खींचा है और पंजाब में इतने अधिक लोगों को उसमें शामिल होने का मौका दिया है कि अब आप कार्यवाही किस प्रकार करेंगे? अगर आप कार्यवाही करना भी चाहें तो तभी सफल हो सकते थे जब दो, चार अपराधियों पर कार्यवाही करते, लेकिन जहां पंजाब में लाखों लोग इस आन्दोलन में इन्वोल्व हो गए हों तो क्या आप लाखों लोगों पर कार्यवाही कर लेंगे? क्या यह सम्भव है? पंजाब की समस्या विधि-व्यवस्था की समस्या नहीं है। वह राजनैतिक समस्या है और सरकार इस दृष्टिकोण से उसको सुलझाने का प्रयास करे। तभी वह सफल हो सकती है। इसमें उसको प्रतिपक्ष का भी सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर सरकार प्रतिपक्ष का सहयोग राजनैतिक लाभ के लिए चाहेगी, तो वह

नहीं मिल सकेगी। राष्ट्र को बिखराव से बचाने के लिए प्रतिपक्ष का सहयोग उसको अवश्य मिलेगा।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के द्वारा राष्ट्रपति को विधायी शक्ति प्रदान करने से स्थिति में सुधार नहीं होगा। वहां की स्थिति को काबू में लाने के लिए लोकप्रिय सरकार बनाने की आवश्यकता है। इस सरकार ने वहां पर लोकप्रिय सरकार को हटा कर गलत काम किया और अभी भी वह गलत पर गलत काम करती जा रही है। उसने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में संशोधन किया, फिर भी भिंडरांवाले और उनके चाकरों, उनके पीछे चलने वालों का—वे खालिस्तानी हों, देश के दुश्मन हों या कोई हों—मनमानापन जारी है। हिंसक प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं, हिंसक घटनाएं हो रही हैं। सरकार उनको दबा नहीं पा रही है, जोकि उसने बहुत-सी शक्ति अपने हाथ में ले ली है। सारा देश भिंडरांवाले या उसके पीछे चलने वाले लोगों के विरुद्ध है, जिसमें सिख समुदाय के अधिकांश लोग भी हैं, चाहे वे पंजाब में हों या पंजाब से बाहर हों। वे सभी उनकी हिंसक और तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों का विरोध करते हैं।

दुख की बात है कि भिंडरांवाले की इन राष्ट्रविरोधी कार्यवाहियों से फायदा उठा कर हिन्दुओं में भी सम्प्रदायवादी शक्तियां सिर उठा रही हैं और उन्होंने इरादा जाहिर किया है कि वे मार्च करके यहां तक आयेंगे। पता नहीं, उनका यह इरादा अभी भी है या समाप्त हो गया है। ऐसी शक्तियां चाहती हैं कि हिन्दू और सिख आपस में लड़ कर मर मिटें और दूसरी तरफ साम्राज्यवादी शक्तियों और उनके पीछे चलने वाली, उनकी चाटुकारिता करने वाली पाकिस्तान की सरकार को भी हिन्दुस्तान पर आंख गढ़ाने का मौका मिले। यह खतरा हमारे सामने है। इसके बावजूद सरकार अभी तक कोई कठोर कदम नहीं उठा पा रही है। जरूरत है कठोर कदम उठाने की, लेकिन सरकार पंगु बनी हुई है, वह पैरालाइज्ड है। जो देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं, चाहे भिंडरांवाले हों, हिन्दू या सिख सम्प्रदायवाद हो, अमरीकी साम्राज्यवाद हो या और साम्राज्यवादी हों, सरकार को उनके प्रति कठोर बनना चाहिए। जनता के बीच में जाइए। शांति मोर्चे की बात कही जाती है तो आपको पसन्द नहीं आता है। यह बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां के लोगों को गर्व है कि कम्युनिस्ट पार्टी जनता के बीच जाकर पीस-मार्च संगठित करती है। हिन्दुओं और सिक्खों में मेल पैदा करने की भावना को बढ़ाती है। यह रैली एक मई को इसी प्रयोजन के लिए की गई थी कि हिन्दू सम्प्रदाय और सिख सम्प्रदाय अपने को उनसे अलग रखें। उन्होंने जिले-जिले में पीस-मार्च निकाला ताकि जनता में यह भाव जगे कि नहीं इस तरह की शक्तियां हमारे पंजाब के अन्दर हिंसक घटनाओं से सम्बन्धित नहीं हैं। कानून तो आपने बना लिया है और यह अधिकार भी आप ले रहे हैं। राष्ट्रपति जी और कानून भी बना सकते हैं और जरूरत पड़े तो सदन के सामने भी आ सकते हैं। इससे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि आप इसका राजनीतिक हल निकालें। उनके साथ मिल-बैठकर चाहे द्विपक्षीय वार्ता के जरिए या त्रिपक्षीय वार्ता के जरिए—वहां की समस्या का समाधान निकालने पर सबसे ज्यादा जोर दीजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम वहां की समस्या पर काबू नहीं पा सकते हैं।

आखिरी बात मैं इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर जो पंजाब से बाहर सिख है, जिनकी तादाद पंजाब के सिखों से ज्यादा है, मेरी उनसे अपील है, अनुरोध है कि वे भिंडरांवाले या इस तरह की शक्तियों के खिलाफ आवाज को बुलन्द करें। कुछ लोग कर भी रहे हैं, उनकी इस गलत नीति का विरोध कर रहे हैं और देश की एकता का समर्थन कर रहे हैं। खालिस्तान के नारे का विरोध कर रहे हैं। मेरा उनसे पुनः यही अनुरोध है कि वे जगह-जगह, जिस सूबे में भी उनकी आबादी हो, जिस शहर में भी उनकी आबादी हो, वहां जलूस निकाल कर भिंडरांवाले या इस तरह की शक्तियों के विरोध में प्रचार करें।

अंत में, अकाली दल के जो समझदार, दूरदर्शी लोग हैं, जिनका भिंडरांवाले की नीति से मतभेद है, जो देश की एकता को कायम रखना चाहते हैं, साथ ही अपने अधिकारों को हासिल करना चाहते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे अपनी भूमिका को अदा करके पंजाब की स्थिति को सुधारने में मददगार बनें। इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली अक्तूबर में पंजाब में दरबारा सिंह जी की सरकार को हटाकर और प्रेजीडेंट्स रूल लागू करने की वजह से ही इस बिल को सदन में लाने के लिए आवश्यकता पड़ी। प्रेजीडेंट रूल को लागू करने की मेरी दृष्टि में खास वजह यह थी कि सरकार की समझ में यह था कि यह एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है; सियासी मसला नहीं है। सबसे बड़ी सरकार के नजरिए की बात यह है कि सरकार ने अभी तक जिस तरह से इस मामले को डील किया है, उससे यह मसला हल नहीं हुआ है। पहले वहां पर गवर्नर का राज हुआ और एडवाइजर्स में आपसे मतभेद हुआ, फिर होम सैक्रेटरी ने बागडोर संभाली और इसी तरह से बाद में प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर ने और पता नहीं कितने लोगों ने इस मसले को हल करने के लिए आगे बढ़ कर काम को किया, लेकिन उससे भी कोई नतीजा नहीं निकला। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार का नजरिया पंजाब के पूरे मसले के बारे में क्या है? नजरिये की बात जब कहता हूं तो मेरी समझ में यह बात आती है कि सरकार ने शुरू से इसको मजहबी मसला समझा, हिन्दू और सिखों के बीच का मसला समझा, जैसे अंग्रेज समझते थे कि हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई का मसला हिन्दू और मुसलमानों का मसला है, जिसका नतीजा यह हुआ कि हिन्दुस्तान की तकसीम हुई। उस वक्त के शासक गलत समझकर या जानबूझकर उसको मजहबी मसला बना देना चाहते थे। इसलिए आपके आध्यम से सरकार में मेरा आग्रह है कि इसको मजहबी मसला न समझें, यह धार्मिक मसला नहीं है, बल्कि सियासी मसला है। इसको सियासी तरीके से हल करें।

जब आप इसको सियासी मसला समझेंगे तो जिस तरह से त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जिस तरह से अपोजीशन लीडर्स ने अपनी मदद की, जिस तरह से होम मिनिस्टर ने उनको बुलाकर आगे बात करने की कोशिश की, उसी तरह से अब प्राइम मिनिस्टर को भी उन्हें बुलाकर बात करनी चाहिये। यह परहेज नहीं करना चाहिए कि उनके सेकण्ड-ग्रेड लीडर्स को बुलायें या फर्स्ट-ग्रेड लीडर्स को बुलायें। उनको बुलाकर इसको सियासी मसला समझते हुए हल निकालने की कोशिश

करें। वह हल न एडमिनिस्ट्रेटिव होगा और न मजहबी होगा, न गुरुवाणी के प्रसारण से हल होगा या दूसरी बातों के मान लेने से हल होगा, बल्कि जो बुनियादी सवाल है जैसे पानी का मसला है, टैरिटरी का मसला है सियासी तौर पर उनको हल करने की कोशिश से कोई नतीजा निकल सकेगा, वरना उग्रवादियों के हाथ मजबूत होते रहेंगे और वहां अमन कायम नहीं हो सकेगा।

आपने संत लोंगोवाल के खिलाफ सरकार की तरफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया, लेकिन सही मायनों में जो एक्सट्रीमिस्ट्स कहलाते हैं उनके खिलाफ आपने कोई देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलाया। यह बात तब सामने आई जब उनको सर्टिफिकेट दिया गया कि वे एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं, धार्मिक लीडर हैं। आपने इसको धार्मिक समला समझा, सियासी मसला नहीं समझा। इसलिए मैं जोर देकर कहना चाहता हूं--इसको सियासी मसला समझकर हल निकालिए, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका से हल नहीं निकलेगा, बंदूक के जरिये हल नहीं निकल सकता है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से पहली बात यह अर्ज करूंगा कि जो बिल यहां लाया गया है उसमें कहा गया है--पंजाब राज्य के लिये कानून बनाने के लिए विधान-मंडल की शक्तियां राष्ट्रपति के निहित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये। इसके बारे में मेरी राय यह है कि पंजाब की असेम्बली अभी डिजाल्व नहीं हुई है, प्रोरोग हुई है, वह अभी मौजूद है, अण्डर सस्पेंशन है। एक तरफ तो असेम्बली वहां मौजूद है और दूसरी तरफ आप प्रेसिडेन्ट को यह इख्तियार दे रहे हैं कि वह पंजाब के लिये लाज बनायें। मैं समझता हूं यह डैमोक्रेटिक थ्रोसेस के खिलाफ है। या तो आप असैम्बली को डिजाल्व कर दीजिये या उसको फिर से कन्वीन कीजिये ताकि वह अपने लिये खुद कानून बना सके। आपने किस मकसद के लिये उसको प्ररोग किया है। यह बात समझ में नहीं आ रही है।

जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब को इस दृष्टि से देखना चाहिये कि यह इन्सानियत का सवाल है। वह एक ऐसी स्टेट है जिसने हिन्दुस्तान को बहुत कुछ दिया है। हिन्दुस्तान के बार्डर्ज को सिक्योर बनाने के लिये पंजाब के लोगों ने बिला-मजहब-व-मिल्लत के खून बहाया है। बहुत पुराने वक्त से पंजाब के लोगों ने इस शुल्क को जिन्दगी देने के लिए, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हर जगह, हर सुहाग पर काफी खून बहाया है। आज अनाज में जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है--वह सबसे ज्यादा पंजाव और हरियाणा में हो रहा है। और इन स्टेट्स की तबाही का बुरा असर मुल्क पर होगा और मैं समझता हूं कि बदकिस्मती है। इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। जो सिख जाति है, इसके लिए उसको इल्जाम नहीं दिया जा सकता। बदकिस्मती यह है कि जब पंजाब के लोगों ने अपने लिए पंजाबी सूबे की मांग रखी थी, तो उस वक्त वहां के हिन्दुओं ने एक गलती की कि उन्होंने अपनी जुबान, अपनी भाषा हिन्दी लिखवाई, पंजाबी भाषा होने के बावजूद उन्होंने अपनी भाषा हिन्दी लिखवाई और यह एक बहुत दुखदायी बात उन्होंने की, जिससे पंजाब को बहुत नुकसान हुआ और हालात इतने बिगड़ गये कि पंजाबियत के आलम्बरदार, प्रो० तिवारी एम० पी० जो पंजाबी भाषा और पंजाबी कल्चर की बात करते थे, वे भी उग्रवादियों के हाथों कत्ल हो गये।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इससे बढ़कर बदकिस्मती की बात और क्या हो सकती है कि आज पंजाब पुलिस एक तरफ है और बी० एस० एफ० दूसरी तरफ। गर्ज यह कि कुछ सेंटर और स्टेट फोर्सेज में टकराव की कैफियत पैदा हो रही है। इसलिए मैं खबरदार करना चाहता हूं कि जब पंजाब की बात हम छेड़ें, तो पूरे मुल्क का और तमाम पार्टियों का यह फर्ज होना चाहिए कि वह रूलिंग पार्टी हो और चाहे अपोजीशन के लोग, हम सब उसमें शामिल हैं, कि उसमें सिख और हिन्दुओं की बात बनाकर उसे न करें। पंजाब का जो मसला है, बह एक बहुत नाजुक मसला है और बड़ी ताकतें चाहती हैं कि पंजाब के मसले को लेकर इस मुल्क का नुकसान करें, इसकी पीठ में छुरा भौंकें और इस मुल्क को तकसीम करके, उसको टुकड़ों में बांट दें। हमने पार्टीशन को देखा है और 36 वर्ष के जो जख्म हमारे दिलों में हैं, वे अभी ताजा हैं। इसलिए पंजाब में जो आग लगी है, इसको बुझाना है, इसको भड़काना नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप उग्रवादियों के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करें और उनको रोकें और यह जो मर्ज पैदा हो गया है, यह जो बीमारी पैदा हो गई है, इसका इलाज करना पड़ेगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमें इन्ताहपसन्दी से नफरत करनी चाहिए न कि इन्ताहपसन्दों से, उग्रवादियों से क्योंकि वे भी एक इंसान हैं। वे कुछ जजबात की वजह से, कुछ गलत किस्म की आइडियोलाजी की वजह से ऐसा करते हैं। अपने गुस्से की वजह से ऐसा करते हैं लेकिन ज्यादा वे री-एक्शन की वजह से करते हैं। हमारी यह बहादुर कौम है लेकिन कुछ जजबात में आकर यह अपना नुकसान करते हैं और पूरे मुल्क का भी नुकसान करते हैं और इस बिना पर मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि पंजाब के मामले पर जितनी भी पार्टियां हैं, उनको इस बात का अहसास होना चाहिए कि यह एक नाजुक मामला है और इस पर किसी को फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। न इससे रूलिंग पार्टी को फायदा होगा, न अपोजीशन का फायदा होगा और न मुल्क का फायदा होगा। मुल्क को नुकसान से बचाने के लिए हमारा फर्ज बनता है कि हम जजबात में न आएं और इसको फिरका परस्ती का रंग न दें और टकराव की सूरत पैदा न होने दें। हम एक दूसरे को दोष न दें और इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम सब मिल बैठें और इस मसले का हल तलाश करें वरना वक्त बीत रहा है और हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। अकालियों में कुछ लोग चाहे कितने भी बुरे क्यों न हों लेकिन यह एक नेशनेलिस्ट फोर्स है। मैंने पहले भी यह बात कहीं कही था कि हालात बिगड़ रहे हैं और खुदानखास्ता अकालियों के हाथ से ताकत चली जाए, तो फिर इन्ताहपसन्दों का, उग्रवादियों का मुकाबला करना पड़ा मुश्किल होगा और आज हमारे मुल्क की प्राइम मिनिस्टर कहती हैं कि हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं और परसों ही उनका बयान आया है कि अकालियों के हाथ से स्थिति निकल गई है और यह बड़ी बदकिस्मती की बात है खुद प्राइम मिनिस्टर ने यह इरशाद किया है और इस बिना पर मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हम सबको एक साथ मिल-बैठकर कोशिश करनी चाहिए कि हालात को सुधारें, ठीक करें और एक-दूसरे को दोषी करार न दें।

आखीर में मैं यही कहना चाहता हूं कि इसका एक ही सोल्यूशन है, एक ही हल है कि हमें इसका पोलीटीकल सोल्यूशन निकालना होगा। सियासी हल के सिवाय इसका और कोई इलाज नहीं हैं, सियासी हल इसका तलाश करना पड़ेगा और दरवाजा बन्द न करके इसको खुला

रखना है। बन्दूक, तलवार और फौज की कुव्वत से यह हल नहीं हो सकता। कुछ लोग आज चिल्ला रहे हैं कि पंजाब को मिलिट्री के हवाले कर दो। हमारे देश में कुछ लोग यह डिमांड कर रहे हैं कि वहां पर आर्मी रूल कर दिया जाए। यह बहुत अनफार्चूनेट है और बहुत गलत किस्म की बात है। इसका यह हल नहीं है और इसका सिर्फ पालीटीकल और पीसफुल हल ही हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : महोदय, आपने ठीक ही बताया है कि इस विधेयक का कार्यक्षेत्र सीमित है। पंजाब की स्थिति के बारे में दोनों ही सदनों में कई बार चर्चा हो चुकी है। मैं किसी भी माननीय सदस्य द्वारा दिये जाने वाले सुझावों पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह समस्या इतनी गम्भीर है कि माननीय सदस्य इस समस्या के शीघ्र हल के लिए अपने-अपने सुझाव निश्चय ही देंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ने कुछ प्रश्न किये हैं। मैं उन प्रश्नों को स्पष्ट करना चाहता हूं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (आई०) के महासचिव श्री राजीव गांधी द्वारा दिए गए कथित वक्तव्य के बारे में, मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे आशा है कि उन्होंने आज का 'इंडियन एक्सप्रेस' भी देख ही लिया होगा। उसमें इसका स्पष्टीकरण उन्होंने कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनका वक्तव्य तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है और इसे संदर्भ में रख कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे समाचार पत्र पढ़ लें और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (आई०) के महासचिव द्वारा किये गए खण्डन को भी देख लें। उनकी जानकारी के लिए मैं आज के 'इंडियन एक्सप्रेस' के उस समाचार को पढ़ता हूं जो पृष्ठ 7 पर छपा है। यह इस प्रकार है :—

> "ये केवल तथ्यात्मक विवरण हैं और उन गतिविधियों में से किसी भी गतिविधि को न तो स्वीकारते हैं और न ही अनुमोदित करते हैं जो उनके नाम से की गई हैं या की जा रही हैं। श्री राजीव गांधी ने स्पष्ट रूप से आतंकवादी हिंसा की निन्दा की थी और इसे समाप्त करने के लिए कारगर उपायों की मांग की थी। कांग्रेस हिंसा की राजनीति की सदैव विरोधी रही है चाहे वह हिंसा कोई भी करे।"

उन्होंने पूर्णतया न केवल अपने वक्तव्य को स्पष्ट किया है बल्कि दल की नीति को भी स्पष्ट किया है। अतः यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि हमने सदन में कई बार यह साफ-साफ बता दिया है कि हम किसी भी हिंसात्मक गतिविधि को बरदाश्त नहीं करेंगे और हिंसा को रोकने के हरसम्भव प्रयास करेंगे।

पंजाब की स्थिति के बारे में कुछ राजनीतिक दलों के कुछ प्रमुख नेताओं द्वारा संसद में तथा संसद के बाहर दिए गए वक्तव्यों के बावजूद हमने विपक्षी दलों द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना की है। मैं उन लोगों के नामों का उल्लेख नहीं करना चाहता क्योंकि सभी जानते हैं कि पंजाब की मौजूदा स्थिति के बारे में इस सदन में क्या-क्या वक्तव्य दिए गए हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती द्वारा एक प्रश्न यह भी पूछा गया था कि क्या सरकार के संम्बन्धित गुरुद्वारों के प्राधिकारियों से यह कहा है कि वे कानून का पालन कराने वाले प्राधिकारियों द्वारा फरार व्यक्तियों को अधिकारीगणों को सौंप दें।

सरकार ने समय-समय पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति से कहा है कि वह स्वर्ण मन्दिर में ठहरे हुए अपराधियों को अधिकारियों को सौंप दें। सितम्बर, 1981 में पंजाब के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री दरबारा सिंह ने श्री गुरुचरण सिंह टोहरा, अध्यक्ष शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति को लिखा था कि वह श्री बलबीर सिंह संधु सहित कुछ व्यक्तियों को अधिकारियों को सौंप दें। अमृतसर के पुलिस अधीक्षक ने भी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, अमृतसर के सचिव को अक्तूबर, 1981 में लिखा था। दरबार साहिब अमृतसर के प्रबंधक तथा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति अमृतसर के सहायक सचिव को भी कुछ फरार व्यक्तियों को सौंपने के लिए कहा गया था।

यहां तक कि हाल ही में 27 फरवरी, 1984 को पंजाब के गृह सचिव ने शिरोमणि-गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष श्री टोहरा को श्री बलबीर सिंह संधु को सौंपे जाने के लिए लिखा था। अमृतसर के पुलिस अधीक्षक ने भी इस मामले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष और सचिव को लिखा था।

परन्तु शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति तथा अन्य अधिकारियों ने फरार व्यक्तियों को सौंपने के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया।

हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 40 घोषित अपराधी स्वर्ण मन्दिर परिसर में शरण लिए हुए हैं। भारी संख्या में अन्य अपराधी एवं उग्रवादी भी वहां छिपे हुए हैं।

स्वर्ण मन्दिर में घुसने के बारे में भी हमने स्थिति स्पष्ट कर दी है। गृह मंत्री तथा प्रधान मंत्री ने भी इस बारे में सरकारी नीति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। मैं एक बार फिर सरकारी नीति को दोहराये देता हूं कि सरकार सभी सम्भव कदम उठा रही है। यह बड़ी जटिल समस्या है और सरकार ने अकालियों को सम्पूर्ण सिख समुदाय का प्रतिनिधि कभी नहीं माना है। न ही हमने कभी हिन्दू और सिखों में संघर्ष पैदा करने की कोशिश की है जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया है। इस तथ्य के बावजूद कि वहां मौजूदा स्थिति बहुत अशांत है, मैं इस बात को पुनः दोहराता हूं कि कुल मिला कर वहां पर लोग साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये हुए हैं और हमें इस बारे में पंजाब के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। अत्यन्त उत्तेजक स्थिति होने के बावजूद, बे साम्प्रदायिक एकता बनाये हुए हैं और हम इसके लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। जहां तक श्री रामावतार शास्त्री जी का सम्बन्ध है, मैं भारतीय साम्यवादी दल के इतने वरिष्ठ नेता, शास्त्री जी की इस अपील से सहमत हूं जो उन्होंने पंजाब से बाहर तथा देश से बाहर रहने वाले सिखों के बारे की है कि उन्हें आगे आना चाहिए और साम्प्रदायिक सौहार्द के प्रति जनमत जागृत करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत बढ़िया अपील है।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : जी हां, यह बहुत बढ़िया अपील है । एक दूसरे माननीय सदस्य ने मोगा की ताजी स्थिति के बारे में पूछा है । वहां स्थिति यह है कि गुरुद्वारों में रहने वाले लोग बाहर आ रहे हैं। उनकी जांच पड़ताल की जा रही है । यह बड़ा नाजुक मामला है । मैं माननीय सदस्यों से केवल यही अनुरोध करता हूं कि वे हमें वही सहयोग देते रहें जो वे पंजाब की समस्या को हल करने में हमें दे रहे हैं । इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपको उस अल्टीमेटम के बारे में भी कुछ बताना चाहिए जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने दिया है । अब उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया है । आपकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ? आप इस बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : जब यह समय आयेगा तब हम इसे देख लेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका यहां क्या सम्बन्ध है ? यदि आप इस विधेयक से सम्बन्धित कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं । इस बात का इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति को पंजाब राज्य के विधान-मण्डल की विधि बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में विधेयक पर खण्डवार विचार किया जाएगा ।
प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

6.32 म० प०

सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे एक घोषणा करनी है। मैं सदन को सूचित करता हूं कि नई दिल्ली जिला के पुलिस उपायुक्त से 3 मई, 1984 का पत्र प्राप्त हुआ :

"मुझे आपको सादर सूचित करना है कि लोक सभा के माननीय सदस्यों सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी, चरण सिंह, सूरज भान, मनी राम बागड़ी, स्वामी इन्द्रवेश और रीतलाल प्रसाद वर्मा को, पुलिस द्वारा दिए गए विधिसम्मत निदेशों का पालन न करने के कारण, आज लगभग 1.50 म० प० पर, दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया। उन्हें आज 3 मई, 1984 को लगभग 3.35 म० प० पर छोड़ दिया गया ।"

6.33 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 4 मई, 1984/14 वैशाख, 1906 (शक) के 11 म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, दिल्ली-53